



39TH

वार्षिक प्रतिवेदन
ANNUAL REPORT
2021-22

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

National Handloom Development Corporation Limited
(A Government of India Undertaking)

निदेशक मंडल Board of Directors



श्री संजय रस्तोगी
Shri Sanjay Rastogi
अध्यक्ष
Chairman
विकास आयुक्त (हथकरघा)
Development Commissioner
(Handlooms)



श्रीमती रीता प्रेम हेमराजानी
Ms. Rita Prem Hemrajani
प्रबन्ध निदेशक
Managing Director



श्री रवीन्द्रनाथ मोहंती
Shri Rabindranath Mohanty
सरकारी निदेशक
Government Director
उपसचिव (सामेकित वित्त प्रभाग)
Dy. Secretary (IFW)



श्री अनिल कुमार सूद
Shri Anil Kumar Sood
अशासकीय स्वतन्त्र निदेशक
**Non-Official Independent
Director**



श्रीमती योगिता सिंह
Smt. Yogita Singh
अशासकीय स्वतन्त्र निदेशक
**Non-Official Independent
Director**

39^{वीं} वार्षिक प्रतिवेदन 2021–2022
39th Annual Report 2021-2022



रा ह वि नि
NHDC

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

National Handloom Development Corporation Limited

(A Government of India Undertaking)

विषय सूची

लक्ष्य एवं नैगमिक उद्देश्य	4
कॉपोरेट सूचना	6
उन्नतालीसवीं (39वीं) वार्षिक साधारण सभा की सूचना	8
अध्यक्ष का भाषण	12
निदेशकों की रिपोर्ट	14
निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक	30
नैगमिक अभिशासन का प्रमाण-पत्र	44
सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	72
लेखा परीक्षक की रिपोर्ट	84
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां	132
वार्षिक लेखे	
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	134
तुलन-पत्र	140
लाभ एवं हानि का विवरण	142
लेखों पर टिप्पणियाँ	144
नकदी प्रवाह विवरण	196
इक्विटी परिवर्तन पर टिप्पणियाँ	198
अनुदान संबंधी विवरण	200

CONTENTS

Mission & Corporate Objectives	5
Corporate Information	7
Notice for Thirty Nine Annual General Meeting	9
Chairman's Speech	13
Director's Report	15
Annexure to Director's Report	31
Corporate Governance Certificate	45
Secretarial Auditor's Report	73
Statutory Auditor's Report	85
Comment of The Comptroller & Auditor General of India under section 143(6) of the Companies Act, 2013	133
Annual Accounts	
Significant Accounting Policies	135
Balance Sheet	141
Statement of Profit & Loss	143
Notes on Accounts	145
Cash Flow Statement	197
Statement of Change in Equity	199
Grants Related Information	201

लक्ष्य व नैगमिक उद्देश्य

लक्ष्य

हथकरघा की उन्नति एवम् विकास के लिये राष्ट्रीय संस्था के रूप में अपनी सेवायें उपलब्ध कराना।

नैगमिक उद्देश्य

1. आपूर्ति श्रृंखला की बेहतर प्रबंधन (सप्लाई चेन मैनेजमेंट) प्रणाली द्वारा अच्छी गुणवत्ता का कच्चा माल जैसे कि सूत, रंग व रसायन आदि उपलब्ध कराकर अपनी प्रतियोगी क्षमता को बढ़ाना।
2. उपलब्ध संसाधनों के समुचित उपयोग द्वारा अपने कार्य संचालन को औचित्यपूर्ण बनाए रखना।
3. विकास कार्यक्रमों का संचालन इस प्रकार करना कि योजनाओं/उत्पादों तथा विपणन माध्यमों आदि विषय में बुनकरों की जानकारी बढ़ाने में सहायता मिले।
4. हथकरघा क्षेत्र के विकास हेतु कार्यक्रमों के त्वरित क्रियान्वयन के लिये केन्द्र सरकार की निधियां, ऋण तथा अनुदान आदि का हथकरघा संस्थाओं तक पहुँचाने का माध्यम बने रहना।
5. प्रशिक्षण तथा परामर्श के माध्यम से कार्मिकों के योगदान में वृद्धि करना तथा उनकी जीविकावृत्ति में प्रगति के सुअवसरों को सुनिश्चित करना।

Mission & Corporate Objectives

MISSION

To serve as a National Agency for the promotion and development of the Handloom sector.

CORPORATE OBJECTIVE

1. To enhance its competitive edge in providing quality raw material i.e. yarn, dyes & chemicals through improved supply chain management.
2. To maintain viability of operations through effective utilization of available resources.
3. To take up the development programmes so as to contribute to increasing the awareness of schemes/products and marketing avenues etc.
4. To continue to act as a channel for routing Central Government funds, loans & grants to handloom agencies to aid in speedy implementation of programmes for development of the sector.
5. To ensure increasing contribution from personnel through training/counselling and to ensure career progression opportunities.

कॉर्पोरेट सूचना (वार्षिक आम बैठक की तिथि के अनुसार)

सुश्री शुभ्रा

विकास आयुक्त (हथकरघा)
(अतिरिक्त प्रभार)

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

(अध्यक्ष)

श्रीमती रीता प्रेम हेमराजानी

(प्रबंध निदेशक)

श्री रवीन्द्रनाथ मोहंती

उप. सचिव, आईएफडब्लू
वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार

(निदेशक)

श्री जितेंद्र पुरोहित

(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

सांविधिक लेखा परीक्षक

मेसेर्स वेद एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

सचिवीय लेखा परीक्षक

मेसेर्स नवनीत के. अरोड़ा एंड कंपनी एलएलपी
प्राैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, नई दिल्ली

शाखा लेखा परीक्षक

मेसेर्स उदय शंकर एंड कंपनी, बंगलुरु
मेसेर्स डीएन गुप्ता एंड एसोसिएट, कोलकाता
मेसेर्स एस.एन. सिंह एंड कंपनी, वाराणसी
मेसेर्स राकेश नीरज एंड कंपनी, पानीपत
मेसेर्स आरबी एसोसिएट, हैदराबाद
मेसेर्स शानमुगवादीवेल एंड कंपनी, कोयंबटूर
मेसेर्स खेतान अग्रवाल एंड कंपनी, गुवाहाटी

प्रमुख बैंकर्स

इंडियन बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
ऐक्सिस बैंक
पंजाब नेशनल बैंक

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
इंडियन ओवरसीज बैंक
एच.डी.एफ.सी. बैंक
केनरा बैंक

पंजीकृत कार्यालय

4वीं मंजिल, वेगमेन्स बिजनेस पार्क, टावर-1,
प्लॉट नंबर-3, सेक्टर नॉलेज पार्क-III,
सूरजपुर-कासना मेन रोड, ग्रेटर नोएडा,
गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201 306

Corporate Information (As on the date of AGM)

<p>Ms. Shubhra Development Commissioner (Handlooms) (Additional Charge) Ministry of Textiles, Govt. of India</p>	<p>(Chairperson)</p>
<p>Ms. Rita Prem Hemrajani</p>	<p>(Managing Director)</p>
<p>Shri Rabindranath Mohanty Deputy Secretary, IFW Ministry of Textiles, Govt. of India</p>	<p>(Government Director)</p>
<p>Shri Jitendra Purohit</p>	<p>(Chief Financial Officer)</p>

Statutory Auditors

M/s. Ved and Company
Chartered Accountants

Secretarial Auditors

M/s. Navneet K Arora & Co. LLP,
Practising Company Secretary, New Delhi

Branch Statutory Auditors

M/s. Udaya Shankar & Co., Bengaluru
M/s. DN Gupta & Associates, Kolkata
M/s. S N Singh & Co., Varanasi
M/s. Rakesh Neeraj & Co., Panipat
M/s. R B Associates, Hyderabad
M/s. Shanmugavadivel & Co, Coimbatore
M/s. Khaitan Agarwal & Co., Guwahati

Principal Bankers

Indian Bank
Union Bank of India
Axis Bank
Punjab National Bank

United Bank of India
Indian Overseas Bank
HDFC Bank
Canara Bank

Registered Office

4th Floor, Wegmans Business Park, Tower - 1,
Plot No. 03, Sector Knowledge Park - III,
Surajpur - Kasna Main Road, Greater Noida
Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh -201306

39^{वीं} वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचना (अल्प सूचना) दी जाती है कि राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड की 39^{वीं} वार्षिक आम बैठक सोमवार, 12 दिसंबर, 2022 को अपराह्न 1.00 बजे उद्योग भवन, नई दिल्ली में निम्नलिखित कार्य निष्पादित करने के लिए आयोजित की जाएगी:

साधारण कार्य

वर्ष 2021-22 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्टों, सीएण्डएजी की टिप्पणियों, सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों को प्राप्त करना, उन पर विचार करना और स्वीकार करना।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
(जितेंद्र वी. पुरोहित)
डीजीएम (एफ एंड ए) / सीएफओ

स्थान: ग्रेटर नोएडा

दिनांक: 09 दिसंबर, 2022

टिप्पणी:-

- क) सामान्यतया, बैठक में भाग लेने और मतदान करने का हकदार सदस्य स्वयं के बजाय मतदान में भाग लेने और मतदान करने के लिए एक प्रोक्सी नियुक्त करने का हकदार होता है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है। प्रोक्सी के वैध और प्रभावी होने के लिए, उसके संबंध में सूचना बैठक शुरू होने से अड़तालीस घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में होनी चाहिए।
- ख) कंपनी के वित्तीय विवरण, उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और निदेशकों की रिपोर्ट संलग्न हैं।
- ग) वित्तीय वर्ष 2021-22 में घाटे के कारण, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निदेशक मंडल द्वारा किसी लाभांश की सिफारिश नहीं की गई है।
- घ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अनुसरण में, एक सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षकों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएण्डएजी) द्वारा नियुक्त/पुनर्नियुक्त किया जाता है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के अनुसार, उनका पारिश्रमिक कंपनी द्वारा आम बैठक में या इस तरह से तय किया जाएगा जैसा कि कंपनी एक आम बैठक में निर्धारित करे। सदस्यों ने दिनांक 10.04.2002 को आयोजित आम सभा की अपनी बैठक में निदेशक मंडल को भविष्य में सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक को अनुमोदित करने के लिए प्राधिकृत किया है।
- ङ) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) और उनकी शेरधारिता के रजिस्टर का रखरखाव कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 के तहत किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए अनुबंधों एवं व्यवस्थाओं जिसमें निदेशकों की रुचि है, के रजिस्टर का रखरखाव किया जाता है और सूचना में उल्लिखित अन्य सभी दस्तावेज सभी कार्य दिवसों में, व्यावसायिक कार्य समय के दौरान कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में और बैठक के स्थान पर कंपनी की एजीएम के समय सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।

NOTICE for 39th ANNUAL GENERAL MEETING

Notice (Shorter Notice) is hereby given that the 39th Annual General Meeting of the National Handloom Development Corporation Limited will be held on Monday, the 12th December, 2022 at 1.00 p.m. at Udyog Bhawan, New Delhi to transact the following businesses: -

Ordinary Business

1. To receive, consider, approve and adopt the Audited Financial Statements for the year ended 31st March, 2022 together with the Report of the Directors, C&AG comments, Statutory Auditor's Report and Secretarial Auditor's Report thereon for the year financial year 2021-22.

By order of the Board of Directors

Sd/-
(Jitendra V Purohit)
DGM (F&A)/CFO


Place : Greater Noida

Date : 9th December, 2022


Notes:-

- a) A member entitled to attend and vote is entitled to appoint a proxy to attend and, on a poll, to vote instead of himself. Such a proxy need not be a member of the company. Proxies, in order to be valid and effective, must be delivered at the registered office of the company not later than forty-eight hours before the commencement of the meeting.
- b) Financial Statements of the Company, Auditors' Report thereon together with the Directors' Report are enclosed.
- c) Due to losses in FY 2021-22, no dividend has been recommended by the Board of Directors for the financial year 2021-22.
- d) Pursuant to Section 139(5) of the Companies Act, 2013, the Auditors of a Government Company are appointed/re-appointed by the Comptroller and Auditor General (C&AG) of India and in terms of Section 142 of the Companies Act, 2013, their remuneration shall be fixed by the company in a General Meeting or in such manner as the company in a General Meeting may determine. Members in their general body meeting held on 10.04.2002, authorized the Board of Directors to approve the remuneration of Statutory Auditors in future.
- e) The Register of Directors and Key Managerial Personnel (KMP) and their Shareholding maintained under Section 170 of the Companies Act, 2013, Register of contracts and arrangements in which Directors are interested maintained under Section 189 of the Companies Act, 2013 and all other documents referred to in the Notice, will be available for inspection by the Members at the Registered Office of the Company on all working days during business hours and at the time of AGM of the Company at the venue of the Meeting.

- च) एनएचडीसी के एओए के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान – कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के कुछ प्रावधानों से सरकारी कंपनियों को धारा 196 (4), (5) से छूट के तहत निगम के निदेशकों की नियुक्ति भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- छ) 39वीं वार्षिक आम बैठक के स्थान का मैप इसके साथ संलग्न है।



- f) As per the AOA of NHDC, provisions of Companies Act, 2013-exemption to section 196(4), (5), exemption to Government Cos. from certain provisions of schedule IV of the Companies Act, 2013, appointment of the Directors of the Corporation is done by the Hon'ble President.
- g) Map of the Venue of the 39th Annual General Meeting is attached herewith.



अध्यक्ष का भाषण

प्रिय शेयरधारकों,

निगम की स्थगित 39वीं वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत करते हुए और लेखापरीक्षित वार्षिक लेखों के साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लेखापरीक्षक और निदेशक की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपकी अनुमति से, मैं उन्हें पढ़ा हुआ मान लेना चाहूंगी। कोविड-19 महामारी के कारण बीते दो साल पूरी दुनिया के लिए मुश्किल भरे रहे हैं। कोविड-19 महामारी ने अर्थव्यवस्था, हमारे समाज और मानव जीवन के सभी पहलुओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

पिछले वर्ष की समीक्षा

निगम ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 798.56 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इस वर्ष के शुद्ध घाटे में 1.57 करोड़ रुपये की कमी आई है (पिछले वर्ष 9.63 करोड़ रुपये)। वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित कच्चा माल आपूर्ति योजना (आरएमएसएस) के कार्यान्वयन के लिए निगम प्रधान-संस्था है। निगम अपने संसाधनों को कच्चा माल आपूर्ति योजना के अनुरूप सुव्यवस्थित कर रहा है और अपने घाटे को कम करने की प्रक्रिया में है।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2021-22 में, निगम ने दूर-दराज के क्षेत्रों विशेषकर पूर्वोत्तर में अपनी पहुंच बढ़ाई है। 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, निगम लगभग 5.20 लाख हथकरघा बुनकरों तक पहुंच बनाने में सक्षम रहा है।

निगम ऋण मुक्त है और इसका कोषागार कार्यचालन में है और संपूर्ण कार्यशील पूंजी को इसके आंतरिक संसाधनों से पूरा किया जाता है और निगम पर ब्याज लागत का कोई बोझ नहीं है।

भावी परिदृश्य

निगम कपड़ा मंत्रालय के दायरे में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है। मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, निगम उत्पाद के विकास और विपणन की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसके अलावा, निगम हथकरघा उत्पादों की बिक्री में अपने व्यवसाय और उद्यम में विविधता लाने सहित व्यवसाय के दायरे को बढ़ाने के लिए अन्य रास्ते तलाश रहा है ताकि बुनाई समुदाय को अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जा सके। हम इस संबंध में आपके सहयोग की आशा करते हैं।

निगम की शासन प्रणाली (कॉर्पोरेट गवर्नेंस)

निगम का मानना है कि दीर्घावधि में अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पद्धति से सभी हितधारकों के लिए धन-संपत्ति का सृजन होता है। निगम द्वारा अनुपालन की जा रही कॉर्पोरेट गवर्नेंस पद्धति से संबंधी एक रिपोर्ट, और प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट आपके समक्ष निदेशक की रिपोर्ट के अनुबंध के रूप में प्रस्तुत की गई है।

अभिस्वीकृति

किसी भी उपलब्धि के लिए मानवीय योगदान की आवश्यकता होती है और एनएचडीसी के विकास की कोई अलग कहानी नहीं है। मैं, अपनी ओर से और बोर्ड की ओर से हमारे समर्पित और सक्षम कार्मिकों की कड़ी मेहनत की प्रशंसा करती हूँ, जिनकी निष्ठा और निरंतर प्रयासों से यह सब हासिल हुआ है। मैं बोर्ड के सदस्यों, शेयरधारकों, वस्त्र मंत्रालय, अन्य सरकारी विभागों, सीएंडएजी और लेखा परीक्षकों के निरंतर मार्गदर्शन और सहायता के लिए आभारी हूँ। मैं विभिन्न बैंकरों, उपयोगकर्ता एजेंसियों, कताई मिलों, रंगों और रसायनों के निर्माताओं और व्यावसायिक सहयोगियों के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने हमारे निगम में विश्वास व्यक्त किया है।

मैं भविष्य में निगम के विकास के लिए आपके निरंतर सहयोग की आशा करती हूँ।

हस्ता/-
सुश्री शुभ्रा
अध्यक्ष

CHAIRMAN'S SPEECH

Dear Shareholders,

It gives me immense pleasure to welcome you to the 39th Annual General Meeting of your Corporation and to present the Auditor's & Director's Report for the Financial year 2021-22 along with the Audited Annual Accounts. With your kind permission, I would like to take them as read. The past two years has been difficult for the entire world because of the Covid-19 pandemic. Covid-19 pandemic has adversely impacted the economy, our society and human life in all aspects.

Past year Review

Your Corporation achieved a turnover of Rs. 798.56 Crore during FY 2021-22. Despite the Covid-19, net loss for the year has reduced to Rs. 1.57 Crore (previous year Rs 9.63 crore). Corporation is the nodal agency for implementation of the Raw Material Supply Scheme (RMSS) of the Ministry of Textiles, Govt of India. The Corporation is channelizing its resources to align with the Raw Material Supply Scheme (RMSS) and is in the process of reducing its losses.

In the FY 2021-22, the Corporation has enhanced its reach to the far-flung areas especially in North-east. As on 31st March, 2022, the Corporation has been able to reach out to approx. 5.20 Lacs handloom weavers.

Your Corporation is debt free Corporation and the treasury functions and the entire working capital is met out from its internal resources and there is no burden of interest cost on the Corporation.

Future Scenario

The Corporation is a wholly owned Government Company under the ambit of Ministry of Textiles. As per the directions of the Ministry, the Corporation is focusing on product developments and possibilities of marketing. Further, Corporation is exploring other avenues to increase its scope of business including diversifying its business and venture in sale of handloom products so as to ensure maximum benefits to the weaving community. We look forward to your co-operation in this regard.

Corporate Governance

Your Corporation believes that good Corporate Governance practices in the long term leads to creation of Wealth to all the stakeholders. A report on Corporate Governance Practices, being followed by the Corporation and Management Discussion and Analysis Report are placed before you as Annexure to the Director's Report.

Acknowledgement

Any accomplishment requires human contribution and the growth of NHDC has no different story. I, on behalf of the Board place on record appreciation for hard work of our committed and competent employees, whose sincere and continuous efforts have yielded results. I am grateful to the members of the Board, shareholders, Ministry of Textiles, other government departments, C&AG and the Auditors for their continuous guidance and support. I also express sincere gratitude to various bankers, user agencies, spinning mills, manufacturers of dyes & chemicals and business associates, who have reposed confidence in your corporation.

I look forward to your continued support for corporation's growth in the future.

Sd/-
Ms. Shubhra
Chairperson

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,
सदस्य,

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लेखा परीक्षित लेखाओं के साथ निगम के कामकाज संबंधी 39वीं (उन्नतालीसवीं) वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हमें प्रसन्नता हो रही है।

1. वित्तीय परिणाम:

(करोड़ रुपए में)

	2021-22	2020-21
बिक्री कारोबार	798.56	572.04
कर-पश्चात लाभ	-1.57	(-) 9.63
विनियोजन:		
- प्रस्तावित लाभांश*	-	-
- लाभांश पर कॉर्पोरेट कर	-	-
- विकासात्मक गतिविधियों के लिए आरक्षित	-	-
- सेवानिवृत्ति-पश्चात चिकित्सा निधि संग्रह (कॉर्पस) में अंतरण	-	-
- कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अनुपयोगी परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास	-	-
निःशुल्क आरक्षित और अधिशेष*	57.21	58.78
कुल आरक्षित	57.76	59.59

*वित्तीय वर्ष 2021-22 में घाटे के कारण, कंपनी के निदेशक मंडल ने समीक्षाधीन वर्ष के लिए किसी भी राशि को आरक्षित (रिजर्व) में अंतरण नहीं करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, निदेशक मंडल द्वारा किसी भी लाभांश की सिफारिश नहीं की गई है।

1. कंपनी का कार्यनिष्पादन और भावी परिदृश्य:

समीक्षाधीन वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय निष्पादन और प्रचालन संबंधी एक विस्तृत विश्लेषण एवं अंतर्दृष्टि और भावी परिदृश्य प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण में दिया गया है, जो वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

2. निगम के कार्यनिष्पादन की समीक्षा तथा कार्य स्थिति:

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान निगम का कारोबार वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 572.04 करोड़ रुपए की तुलना में 798.56 करोड़ रुपए रहा और यह कोविड-19 महामारी द्वारा प्रभावित हुआ है। असाधारण मंदों तथा कर-पूर्व घाटा कम हुआ है जो वित्त वर्ष 2020-21 में 9.81 करोड़ रुपये से घटकर वित्त वर्ष 2021-22 में 2.64 करोड़ रुपए रहा है और कर-पश्चात निवल घाटा वित्त वर्ष 2020-21 में 9.63 करोड़ रुपए से घटकर वित्त वर्ष 2021-22 में 1.57 करोड़ रुपए रहा है। निगम की निवल संपत्ति 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार 78.59 करोड़ रुपए से घटकर 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार 76.76 करोड़ रुपए रही है।

निगम ऋण मुक्त है और अपने आंतरिक संसाधनों से अपनी संपूर्ण कार्यशील पूंजी की आवश्यकता का प्रबंधन करने में सक्षम है।

DIRECTORS' REPORT

To,
The Members,

Your Directors have pleasure in presenting the 39th (Thirty Nineth) Annual Report on the working of the Corporation together with the audited accounts for the financial year 2021-22.

1. FINANCIAL RESULTS:

(Rs. in Crore)

	2021-22	2020-21
Sales Turnover	798.56	572.04
Profit after tax	-1.57	(-) 9.63
Appropriations:		
· Proposed dividend*	-	-
· Corporate tax on dividend	-	-
· Reserve for Developmental Activities	-	-
· Transfer to Post-Retirement Medical Corpus	-	-
· Depreciation on asset not having remaining useful life as per provisions of Companies Act, 2013	-	-
Free reserve & surplus*	57.21	58.78
Total reserve	57.76	59.59

**Due to Losses in FY 2021-22, the Board of Directors of your company, have decided not to transfer any amount to the Reserves for the year under review. Further, no dividend has been recommended by the Board of Directors.*

1. COMPANY PERFORMANCE AND FUTURE OUTLOOK:

A detailed analysis and insight into the financial performance and operations of your Company for the year under review and future outlook, is appearing in Management Discussion and Analysis, which forms part of the Annual Report.

2. PERFORMANCE REVIEW AND STATE OF AFFAIRS OF THE CORPORATION:

The turnover of the corporation during the FY 2021-22 is Rs. 798.56 crore as compared to Rs 572.04 crore during FY 2020-21 and has been affected by the Covid 19 pandemic. Despite the above, the loss before extraordinary items and tax has decreased from Rs. 9.81 crore in the FY 2020-21 to loss of Rs. 2.64 crore in the FY 2021-22 and net loss after tax has decreased from Rs. 9.63 crore in the FY 2020-21 to a loss of Rs. 1.57 crore in the FY 2021-22. The net worth of the corporation has decreased from Rs. 78.59 crore as on 31st March, 2021 to Rs. 76.76 crore as on 31st March, 2022.

The corporation is a debt free and is able to manage its entire working capital requirement from its internal resources.

भारत सरकार, हमारे निगम के माध्यम से दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 से 'कच्चा माल आपूर्ति योजना'(आरएमएसएस) का कार्यान्वयन कर रही है, जिससे उचित मूल्य पर यार्न की निर्बाध और आसान उपलब्धता की सुविधा उपलब्ध हो सके ताकि बनाई समुदाय की आर्थिक व्यवहार्यता को बनाए रखा जा सके। कॉटन हैंक यार्न, हथकरघा क्षेत्र में प्रमुख रूप से खपत होने वाली किस्म है। यार्न की अन्य किस्मों का उपयोग हथकरघा बुनकरों द्वारा बाजार की प्रतिक्रिया के माध्यम से प्राप्त मांग और वरीयताओं के आधार पर भी किया गया है।

आसान और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, हथकरघा एजेंसियों के माध्यम से डिपो भी स्थापित किए गए हैं। 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, परिचालन डिपो की संख्या 511 है। (31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार 511)।

हथकरघा क्षेत्र की लागत की कमी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने दिनांक 25 अक्टूबर, 2021 से आरएमएसएस के तहत हथकरघा क्षेत्र में संवितरित किए जाने वाले कॉटन हैंक, घरेलू रेशम, ऊनी, लिनन तथा प्राकृतिक फाइबरों के मिश्रित यार्न पर 15% मूल्य सब्सिडी की अनुमति दी है। यह सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रतिपूर्ति आधार पर उपलब्ध होगी। निगम, योजना के 15% मूल्य सब्सिडी घटक के तहत हथकरघा बुनकरों को यार्न की आपूर्ति कर रहा है।

वर्ष 2021-22 के दौरान यार्न की आपूर्ति 74044.30 लाख रुपए मूल्य के साथ 245.11 लाख किलोग्राम थी। जिसमें 73147.05 लाख रुपए मूल्य के साथ 235.81 किलोग्राम आपूर्ति की तुलना में यार्न आपूर्ति योजना के तहत 52668.01 लाख रुपए मूल्य के साथ 218.09 लाख किलोग्राम यार्न शामिल है। इसमें पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 52143.15 लाख रुपए मूल्य के साथ 215.10 लाख किलोग्राम यार्न शामिल है। वर्ष 2021-22 के दौरान यार्न आपूर्ति योजना के 10%/15% मूल्य सब्सिडी घटक के तहत यार्न की आपूर्ति (उपर्युक्त उल्लिखित यार्न की आपूर्ति में शामिल) पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 30944.56 लाख रुपए मूल्य के साथ 78.56 लाख किलोग्राम की तुलना में 47575.58 लाख रुपए मूल्य के साथ 96.60 लाख किलोग्राम थी।

निगम, हथकरघा बुनकरों के लाभ के लिए गुणवत्ता वाले रंगों की व्यवस्था कर रहा है और वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान यह आपूर्ति 5811.99 लाख रुपए मूल्य के साथ 38.50 लाख किलोग्राम थी। इसकी तुलना में पिछले वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान यह 4535.62 लाख रुपए मूल्य के साथ 35.16 लाख किलोग्राम थी।

निगम, प्रतिस्पर्धी/निम्नतम दरों पर हथकरघा बुनकरों को यार्न मुहैया कराने के उद्देश्य से थोक (बल्क) मात्रा में छूट प्राप्त करने के लिए थोक मात्रा में खरीद हेतु आपूर्तिकर्ताओं के साथ यार्न दरों पर मोल-भाव कर रहा है। बुनकर एजेंसियों की सुविधा के लिए दरों को मासिक आधार पर निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाता है, जिससे बेहतर पारदर्शिता आती है।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार देनदारों से बकाया के प्रतिशत के रूप में (31 मार्च, 2021 तक बकाया में से) देनदारों से 12.34% (पिछले वर्ष-9.96%) वसूल किया गया।

लखनऊ मामले की अद्यतन स्थिति

वित्त वर्ष 2018-19 में यह रिपोर्ट दी गई है कि वित्त वर्ष 2018-19 में वाईएसएस से संबंधित 190.82 करोड़ रुपए की खरीद/बिक्री चालान की राशि लखनऊ कार्यालय में रद्द कर दी गई थी और निगम ने इस मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)/मुख्य सतर्कता आयोग (सीवीसी) को भेज दिया था। इस संबंध में, सीबीआई ने एक विज्ञप्ति जारी की, जिसमें लिखा था, प्रथम दृष्टया, यह प्रतीत होता है कि आपूर्तिकर्ता मिलों द्वारा रद्द की गई बिक्री पर जीएसटी के भुगतान को छोड़कर, प्रश्नांकित बिक्री को रद्द करने के कारण एनएचडीसी को कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ है। उपरोक्त के मद्देनजर, संबंधित अधिकारियों की दोषीता का पता लगाने के लिए मामले में पूरी तरह से सतर्कता जांच करने की सलाह दी जाती है, साथ ही यदि सरकारी खजाने को किसी गैर-कानूनी नुकसान की मात्रा का पता लगाने के लिए आवश्यक हो, तो फॉरेंसिक ऑडिट कराने और तदनुसार, मामले का निपटान करने की सलाह दी जाती है। 'तथापि, अधिकारियों की दोषीता का पता लगने और घाटा साबित होने पर एनएचडीसी मामले को वापिस सीबीआई को भेज सकता है।

सीबीआई विज्ञप्ति के अनुसार, प्रबंधन और सीवीओ द्वारा फॉरेंसिक ऑडिट और सतर्कता जांच की गई थी। मामले पर फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट क्रमशः फॉरेंसिक ऑडिटर और सीवीओ टीम द्वारा निदेशक मंडल के समक्ष

The Government of India is implementing the 'Raw Material Supply Scheme (RMSS) w.e.f. 25th October, 2021, through our corporation, facilitating the uninterrupted and easy availability of yarn at reasonable prices so as to maintain the economic viability of the weaving community. Cotton hank yarn is the major consumed variety in the handloom sector. Other varieties of yarn have also been provided based on the demand and preferences received through market feedback by the handloom weavers.

Depots are also set up through handloom agencies for ensuring easy and uninterrupted supplies. Uptill 31st March, 2022, the number of operational depots is 511 nos. (511 nos. as on 31st March, 2021).

To mitigate the cost disadvantage of Handloom sector, the Government of India has allowed 15% price subsidy on Cotton hank, domestic Silk, Woolen, Linen, Blended yarn of natural fibres to be distributed in the handloom sector under RMSS w.e.f. 25th Oct, 2021. The subsidy shall be available on reimbursement basis through Direct Benefit Transfer (DBT) mode. Corporation is supplying the yarn to the handloom weavers under the 15% Price Subsidy component of the scheme.

The yarn supplies during the year 2021-22 were 245.11 Lakh kg. valuing Rs. 74044.30 Lakh which include 235.81 Lakh kg. valuing Rs. 73147.05 Lakh under Yarn Supply Scheme/Raw Material Supply Scheme as compared to supplies of 218.09 Lakh kg. valuing Rs. 52668.01 Lakh which include 215.10 Lakh kg. valuing Rs. 52143.15 Lakh during the last financial year 2020-21. The yarn supplies under the 10%/15% Price Subsidy Component of Yarn Supply Scheme/Raw Material Supply Scheme (included in the yarn supplies mentioned above) during the year 2021-22 were 98.60 Lakh kg. valuing Rs. 47975.58 Lakh as compared to 78.56 Lakh kg. valuing Rs. 30944.56 Lakh during the last financial year 2020-21.

Corporation is arranging quality dyes for the benefit of handloom weavers and the supplies during the financial year 2021-22 were 38.50 Lakh kg. valuing Rs.5811.99 Lakh as compared to supplies of 35.16 Lakh kg. valuing Rs. 4535.62 Lakh during the last financial year 2020-21.

Corporation is negotiating the yarn rates with the suppliers for purchase of bulk quantities to obtain bulk quantity discounts with a view to provide the yarn to Handloom weavers at competitive/ lowest rates. Rates are placed on corporation's website as well, on monthly basis for access by the weaver agencies, resulting in better transparency.

The debtors recovered (out of outstanding as on 31st March, 2021) during the FY 2021-22 as % age of debtors outstanding as on 31st March, 2021 is 12.34% (Previous year – 9.96%).

Update on Lucknow matter

It had been reported in FY 2018-19, that purchase/sales invoices amounting to Rs.190.82 Crore pertaining to YSS were cancelled in Lucknow Office in FY 2018-19 and the Corporation had referred the matter to Central Bureau of Investigation (CBI) / Chief Vigilance Commission (CVC). In this regard, CBI issued a communication as per which, 'prima facie, it appears that there is no financial loss to NHDC incurred on account of cancellation of the questioned sale, except the payment of GST on the cancelled sale done by the supplier mills. In view of the above, it is advised to conduct a thorough vigilance probe in the matter to ascertain the culpability of the concerned officials as well as to conduct the forensic audit, if required in order to ascertain the quantum of unlawful loss caused, if any to the Government Exchequer and dispose of the matter accordingly. However, NHDC may revert back to CBI once culpability of officials is ascertained and the loss is established.'

As per CBI communication, the Forensic Audit and Vigilance probe were conducted by the management and the CVO. The Forensic Audit Report and the Vigilance Probe report on the matter was presented by the Forensic Auditor and the CVO team respectively, before the Board of Directors on 05.10.2021. As per

05.10.2021 को प्रस्तुत की गई थी। निदेशक मंडल के निर्देशानुसार तथा उपर्युक्त सीबीआई के पत्र के अनुसार इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए सीबीआई को फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट प्रदान की गई है।

सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए के तहत पूर्व अनुमति मांगी है और संबंधित अधिकारियों से फिर से पूछताछ/जांच के लिए नई शिकायत की मांग की है, इस पर निगम ने सीबीआई को एक नई शिकायत के साथ अनुमति देते हुए जवाब दिया है। इस संबंध में, बोर्ड के निदेशक के अनुसार, समितियों/उपयोगकर्ता एजेंसियों और आपूर्तिकर्ताओं से बकाया राशि का पता लगाने के लिए, 1 अप्रैल 2017 से लेन-देन ऑडिट शुरू किया गया है, पूरा होने पर, रिपोर्ट को आगामी आवश्यक निर्देशों के लिए बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा।

विकासात्मक कार्यकलाप और विपणन सहायता:

निगम ने विशेष प्रदर्शनियों के आयोजन के माध्यम से हथकरघा बुनकरों को विपणन सहायता प्रदान की है, जिसमें वे अपने उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं को बेहतर कीमत पर बेच सकते हैं। इस संबंध में वर्ष के दौरान अहमदाबाद, हैदराबाद, जबलपुर में 03 'सिल्कफैब' प्रदर्शनी (पिछले वर्ष – 08) आयोजित की गईं, वर्ष के दौरान 03 'विशिष्ट हथकरघा एक्सपो (पिछले वर्ष – 01) दिल्ली में और 01 'मेगा हथकरघा एक्सपो' दिल्ली में आयोजित किए गए थे। वर्ष के दौरान प्रदर्शनियों में कुल बिक्री 4.41 करोड़ रु.(पिछले साल 12.85 करोड़ रुपये) रही थी।

3. कम्प्यूटरीकरण:

डिजिटल इंडिया अभियान समावेश के तहत, निगम ने विभिन्न डिजिटल पहल शुरू की है जैसे कि ऑनलाइन ईआरपी, ई-धागा मोबाइल ऐप, सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बुनकरों के लिए ऑनलाइन प्रत्यक्ष लाभ अंतरण आदि का कार्यान्वयन। डिजिटल प्रौद्योगिकियों के उपयोग के जरिए, जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग, वर्चुअल (आभासी) बैठकें, आभासी प्रदर्शनियां और मोबाइल एप्लिकेशन शामिल हैं, बुनकर समुदाय को एनएचडीसी तक आसान पहुंच उपलब्ध हो गई है। डिजिटलीकरण का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं द्वारा अपेक्षित किसी भी सेवा/सूचना के लिए समय को कम करना है।

इसके अलावा, एनएचडीसी उन्नत ऑनलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से और संपूर्ण एनएचडीसी कार्यालयों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाकर आईटी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है।

4. निगम से संबंधित शासन प्रणाली:

निगम, अपने संचालन के सभी पहलुओं में नैतिक व्यावसायिक आचरण, पारदर्शिता, जवाबदेही और इक्विटी में दृढ़ता से विश्वास करता है और उसे सबसे अधिक महत्व देता है, जिससे इसके हितधारकों के लिए धन सृजन में वृद्धि होती है। निगम द्वारा पालन की जा रही 'निगम शासन प्रणाली' ('कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेज') संबंधी रिपोर्ट और 'प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट' ('मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस रिपोर्ट') क्रमशः अनुबंध क और ख के रूप में संलग्न हैं।

वर्ष 2020-21 के लिए लोक उद्यम सर्वेक्षण के आंकड़े 30 नवम्बर, 2021 (अंतिम आंकड़े) को सार्वजनिक उद्यम विभाग को प्रस्तुत किए गए थे और वर्ष 2020-21 के लिए निगम के वार्षिक लेखों को दिनांक 08 फरवरी, 2022 को निगम की वेबसाइट पर रखा गया था। इसके अलावा, वर्ष 2021-22 के दौरान सभी तिमाहियों के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट लोक उद्यम विभाग को प्रस्तुत की गई है।

वर्ष 2021-22 के लिए लोक उद्यम विभाग को प्रस्तुत की गई कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट में वार्षिक स्कोर (त्रैमासिक रिपोर्टों के औसत के आधार पर) 98.81% यानी 'उत्कृष्ट' रहा है।

5. व्यक्तिगत विकास और औद्योगिक संबंध:

एनएचडीसी, मानव संसाधन के विकास पर बहुत जोर दे रहा है और इस संदर्भ में, यह ट्रेनिंग प्रोग्राम के आयोजन के माध्यम से कौशल के उन्नयन के लिए समर्थन प्रदान कर रहा है।

the directions of the Board of Directors and the above-mentioned CBI letter, the Forensic Audit Report and the Vigilance Probe Report has been provided to CBI for further necessary action in this regard.

CBI has sought prior permission u/s 17A of the Prevention of Corruption Act, 1988 & fresh complaint for further enquiry / investigation against the concerned officials, Corporation has replied giving permission along with a fresh complaint to CBI. As per the director of the Board, to ascertain amount outstanding from the societies/user agencies and the suppliers, transaction audit from 1st April 2017 onwards has been initiated. On completion, the report will be presented to the Board for further necessary directions in this regard.

DEVELOPMENTAL ACTIVITIES AND MARKETING SUPPORT:

Corporation has provided marketing support to the handloom weavers through organization of exclusive exhibitions, wherein, they can sell their products directly to the consumers at better price. In this regard 03 nos. 'SILKFAB' exhibitions (Previous year - 08 nos.) were organized at Ahmedabad, Hyderabad, Jabalpur, 03 nos. 'Exclusive Handloom Expo (Previous year – 01 nos.) at Delhi and 01 nos "Mega Handloom Expo." at Delhi were organized during the year. The total sale in the Exhibitions during the year was Rs. 4.41Crore (Previous year - Rs. 12.85 Crore).

3. COMPUTERISATION:

Under the umbrella of Digital India Campaign, the Corporation has taken various digital initiatives viz. implementation of online ERP, eDhaga Mobile App, Online Direct Benefit Transfer for weavers as per Government guidelines. Using digital technologies, which includes Cloud computing, Virtual meetings, Virtual exhibitions and Mobile applications, NHDC is easily reachable to weaver community. The objective of digitization is to minimize time for any services/information required by users.

Further, NHDC is continuously working to improve IT services through improved online infrastructure and by increasing internet connectivity throughout NHDC offices

4. CORPORATE GOVERNANCE:

Your corporation firmly believes and accords highest importance to ethical business conduct, transparency, accountability and equity in all facets of its operations, which leads to creation of wealth for its stakeholders. Report on 'Corporate Governance Practices' being followed by the corporation and 'Management Discussion and Analysis Report' are annexed herewith as Annexure A & B respectively.

The Public Enterprises Survey data for the year 2020-21 was submitted to the department of Public Enterprises on 30th November, 2021 (provisional figures) and the annual accounts of the corporation for the year 2020-21 were placed on the website of the corporation on 08th February, 2022. Further, the quarterly progress reports on Corporate Governance for all the quarters during the year 2021-22 have been submitted to Department of Public Enterprises.

The annual score (Based on the average of quarterly reports) in the annual evaluation report on Corporate Governance submitted to the Department of Public Enterprises for the year 2021-22 comes to 98.81% i.e. 'Excellent'.

5. PERSONNEL DEVELOPMENT & INDUSTRIAL RELATIONS:

NHDC has been laying a lot of emphasis on development of Human Resource and in this context, it has been extending support for up-gradation of the skill through Training Programmes.

31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, निगम के कार्मिकों की कुल संख्या 126* (पिछले वर्ष 130) है, जिसमें 10 (7.9%) अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के कार्मिक, 07 (5.6%) अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित कार्मिक, 20 (15.9%) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी से संबंधित और 02 (1.6%) दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) श्रेणी से संबंधित कार्मिक शामिल हैं।

प्रति कार्मिक कारोबार 6.34 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 4.40 करोड़ रुपए) है और प्रति कार्मिक कर-पश्चात लाभ (पीएटी) -1.24 लाख रुपए (पिछले वर्ष-7.41 लाख रुपए) है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण रहे हैं।

6. हिंदी का प्रायोगिक उपयोग:

निगम अपने दिन-प्रतिदिन के कामकाज में हिंदी के प्रगतिशील उपयोग के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिकों के बीच हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नियमित हिंदी कार्यशालाओं के साथ-साथ हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया।

7. निदेशक एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

निदेशक

निदेशक मंडल की बेहतर संरचना की गई है। 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल में 05 सदस्य शामिल हैं, जिनमें से दो भारत सरकार के नामिती (अध्यक्ष सहित), 01 एक प्रबंध निदेशक और 02 गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक हैं। बोर्ड के निदेशकों को संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 94 के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित के लिए अनुमोदन दिया गया:

- विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय के आदेश संख्या 40/10/2/2017-डीसीएच/एनएचडीसी दिनांक 6 दिसंबर, 2021 के अनुसरण में सुश्री मुदिता मिश्रा से श्रीमती रीता प्रेम हेमराजानी ने दिनांक 18 जनवरी, 2022 से निगम के प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया।
- भारत के राष्ट्रपति द्वारा आदेश सं. 11/26/82/-डीसीएच/एनएचडीसी/वो.IV दिनांक 09 नवंबर, 2021 (आदेश) द्वारा आदेश जारी होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेशों तक, जो भी पहले प्रभावी हो श्रीमती योगिता सिंह को निगम का गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है।
- भारत सरकार के नामिती के रूप में आदेश संख्या 11/26/82-डीसीएच/एनएचडीसी/वो.I दिनांक 23 दिसंबर, 2021 द्वारा श्री दीपांकर दत्ता के स्थान पर श्री रवींद्रनाथ मोहंती को एनएचडीसी लिमिटेड के बोर्ड में दिनांक 23 दिसंबर, 2021 से एक सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

निगम के गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक ने पुष्टि की कि वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा बनाए गए स्वतंत्र निदेशकों के डेटा बैंक में उनके पंजीकरण के संबंध में कंपनी (निदेशक की नियुक्ति और योग्यता) नियमावली, 2014 के नियम 6(1) और 6(2) के अनुपालन की घोषणा के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं। स्वतंत्र निदेशक ने यह भी पुष्टि की कि वे कंपनी की 'आचार संहिता' का पालन करते हैं।

चालू वित्त वर्ष में केएमपी की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। श्रीमती रीता प्रेम हेमराजानी ने दिनांक 18 जनवरी, 2022 से निगम के प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया। इसके अलावा, श्री कृष्ण चंद्र शाकट्टीपी, महाप्रबंधक ने दिनांक 24.09.2021 को निगम में कार्य ग्रहण किया।

Total number of employees of the Corporation as on 31st March 2022 stands at 126* (Previous year 130) which include 10 (7.9%) employees belonging to Scheduled Castes (SC) category, 07 (5.6%) employees belonging to Scheduled Tribes (ST) category, 20 (15.9%) employees belonging to Other Backward Classes (OBC) category and 02 (1.6%) employees belonging to Persons with Disabilities (PWD) category.

The turnover per employees is Rs.6.34 Crore (Previous year 4.40 crore) and the Profit/(Loss) after Tax (PAT) per employee is Rs. -1.24 Lakhs (previous year -7.40 Lakhs).

The Industrial relations have been observed cordial and peaceful during the year under review.

6. PROGRESSIVE USE OF HINDI:

Corporation is committed to the progressive use of Hindi in its day to day working. Hindi Diwas & Hindi Pakhwada along with regular Hindi Karyashala was organized to promote the use of Hindi amongst the employees.

7. DIRECTORS & KEY MANAGERIAL PERSONNEL:

Directors

The Board of Directors of the corporation is well structured. As on March, 31, 2022 the Board of Directors consisted of 5 members, of whom, two are the nominee of the government of India (including Chairman), one is the Managing Director and 02 is Non-Official Independent Director. The Directors on the Board are appointed by the Government of India in terms of Article 94 of the Articles of Association of the corporation.

During the year under review, Government of India, Ministry of Textiles accorded its approval to the following:

- Smt. Rita Prem Hemrajani assumed the Charge of MD of the Corporation w.e.f. 18 January, 2022 in pursuance to Office of DC(Handlooms) Order no. 40/10/2017-DCH/NHDC dated 6th December, 2021 from Ms. Mudita Mishra.
- Smt. Yogita Singh has been appointed Non-Official Independent Director of the Corporation by the President of India vide order no. 11/26/82/-DCH/NHDC/Vo. IV dated 09th November, 2021 (Order) with effect from the date of issue of the order for a period three year or till further orders, whichever is earlier.
- Shri Rabindranath Mohanty has been appointed as a Government Director on the Board of NHDC Ltd. w.e.f. 23rd December, 2021 vide order no 11/26/82-DCH /NHDC/Vol.I dated 23rd December, 2021 as nominee of Government of India in place of Shri Dipankar Dutta.

The Non-Official Independent Directors of the Corporation confirmed that they meet the criteria of independence as prescribed under the Companies Act, 2013 along with declaration of compliance of Rules 6(1) and 6(2) of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 with respect to his registration on the data bank of Independent Directors maintained by Indian Institute of Corporate Affairs. The Independent Director has also confirmed that they have complied with the 'Code of Conduct' of the Company.

There is a change in the KMP position in the current financial year. Smt. Rita Prem Hemrajani, has joined as Managing Director w.e.f. 18 January, 2022. Further, Shri Krishna Chandra Shakdwipee, General Manager has joined the Corporation on 24.09.2021.

उपरोक्त निदेशकों की अन्य कंपनियों में उनकी कंपनी में हिस्सेदारी के साथ धारित निदेशक पद का ब्यौरा संक्षिप्त विवरण, विशेषज्ञता की प्रकृति, जैसा कि सचिवीय मानक-2 के तहत निर्धारित किया गया है, वार्षिक रिपोर्ट के कॉर्पोरेट प्रशासन खंड की रिपोर्ट में दिया गया है।

निगम के बोर्ड ने वर्ष 2021-22 (30 जून, 2021, 28 सितम्बर 2021, 05 अक्टूबर 2021, 08 दिसम्बर 2021, 30 दिसम्बर 2021 और 25 मार्च, 2022) के दौरान 06 बार बैठक की और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित सभी जानकारी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की।

8. लेखा परीक्षा समिति:

कंपनी अधिनियम 2013 और डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार निगम के बोर्ड की एक कार्यात्मक लेखा परीक्षा समिति है। समिति की संरचना, संदर्भ शर्तें, वर्ष के दौरान बैठकों के विवरण वार्षिक रिपोर्ट के कॉर्पोरेट प्रशासन खंड की रिपोर्ट में उपलब्ध कराए जाते हैं।

9. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी उपयोगिता:

निगम के पास आंतरिक नियंत्रण की एक व्यवस्था है, जो लगातार विकसित हो रही है। आंतरिक नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, व्यापक आंतरिक लेखा परीक्षा मैनुअल के अलावा, समय-समय पर आवश्यकता के आधार पर आंतरिक लेखा परीक्षकों को नए चेक पॉइंट की भी सलाह दी जाती है। बोर्ड की मंजूरी के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए, निगम की आंतरिक लेखा परीक्षा बाहरी स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा की गई थी। आंतरिक नियंत्रण और लेखा परीक्षा व्यवस्था की लेखा परीक्षा समिति द्वारा सावधिक समीक्षा की जाती है और निरंतर सुधार के लिए, जहां भी आवश्यक हो, सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

10. सतर्कता:

मुख्य सतर्कता अधिकारी (अतिरिक्त प्रभार) डॉ. एस.एच. खान के दिनांक 7 अक्टूबर 2021 को कार्यकाल के पूरा होने के बाद एनएचडीसी के सतर्कता विभाग का नेतृत्व प्रबंध निदेशक (एनएचडीसी) द्वारा किया जाता है। सतर्कता विभाग केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करता है। निगम निवारक सतर्कता अपना रहा है।

अपने दैनिक कार्यों में सुरक्षित व्यवसाय प्रथाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए हर साल सतर्कता सप्ताह मनाया जाता है। वर्ष के दौरान, 26 अक्टूबर, 2021 से 01 नवंबर, 2021 तक 'स्वतंत्र भारत@75: अखंडता के साथ आत्मनिर्भरता' विषय के साथ 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' मनाया गया था। निगम के सतर्कता अधिकारी के संचालन में कार्मिकों द्वारा शपथ के साथ सप्ताह की शुरुआत की गई थी। सप्ताह के दौरान, सतर्कता से संबंधित विषयों पर निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न कार्मिकों ने भाग लिया। भ्रष्टाचार के साधनों के खिलाफ जनता को जागरूक करने के लिए, एक निवारक सतर्कता कार्यशाला/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पंजीकृत कार्यालय और साथ ही निगम के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में सतर्कता सप्ताह मनाया गया।

उक्त अवधि के दौरान, जैसा कि उप विकास आयुक्त (हथकरघा), भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय द्वारा वांछनीय 'एनएचडीसी लखनऊ शाखा कार्यालय की यार्न आपूर्ति योजना के कार्यान्वयन में देखी गई घोर अनियमितताओं के मामले में जांच के संबंध में शिकायत' विषय पर जांच रिपोर्ट, पत्र संख्या 40/8/2019-20-डीसीएच/एनएचडीसी दिनांक 15/05/2020 को पत्र संख्या एनएचडीसी/सतर्कता/लख/FNo-11/2020-21/164 दिनांक 09.07.2021 द्वारा प्रबंधन को प्रस्तुत किया गया था।

11. सांविधिक लेखा परीक्षक एवं सी एंड एजी टिप्पणियों के जवाब:

सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट में रखी जाती है। वैधानिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट की टिप्पणियों का उत्तर इस रिपोर्ट के अनुबंध ग के रूप में रखा गया है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) ने 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के तहत राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के वित्तीय विवरणों का पूरक लेखापरीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है।

Brief resume, nature of expertise, details of directorship held in other companies of the above Directors along with their shareholding in the Company as stipulated under Secretarial Standard-2 is provided in the Report on Corporate Governance section of the Annual Report.

The Board of the corporation met 06 times during the year 2021-22 (30th June, 2021, 28th Sep, 2021, 5th Oct, 2021, 8th Dec, 2021, 30th Dec, 2021 and 25th Mar, 2022) and all the information required in accordance with DPE guidelines was placed before the Board.

8. AUDIT COMMITTEE:

The Corporation has a functional Audit Committee of the Board in accordance with the provisions of the Companies Act 2013 and DPE guidelines. Details regarding the composition of the Committee, terms of reference, meetings during the year are provided in the Report of Corporate Governance section of the Annual Report.

9. INTERNAL CONTROL SYSTEM AND THEIR ADEQUACY:

The corporation has a system of internal control, which is continuously evolving to. In order to make the internal control more effective, besides comprehensive Internal Audit Manual, the new check points are also advised to the internal auditors from time to time on need basis. As per the approval of the Board, for FY 2021-22, the Internal Audit of the corporation was conducted by outside independent Chartered Accountants. The internal control and audit systems are being reviewed periodically by the Audit Committee and corrective measures are taken, wherever necessary, for continuous improvement.

10. VIGILANCE:

The Vigilance Department of NHDC is headed by the Managing Director (NHDC) after completion of tenure of Chief Vigilance Officer (Additional Charge) Dr. S.H. Khan on dated 7th October 2021. The Vigilance Department follows the guidelines issued by the Central Vigilance Commission from time to time. Corporation is adopting preventive vigilance.

Vigilance week is observed every year to educate the employees about safe business practices in their day to day working. During the year, 'Vigilance Awareness Week' with the theme "Independent India @ 75: Self-Reliance with Integrity" was observed from 26th October, 2021 to 1st November, 2021. The week was started with taking the pledge (vigilance), by the employees, administered by the Vigilance Officer of the Corporation. During the week, essay writing competition on topics relating the vigilance were conducted, wherein, various employees participated. To sensitize the public against the means of corruption, a preventive vigilance work shop/sensitization programme was organised. Vigilance week was observed at Registered Office as well as at all Regional Offices of the Corporation.

During the said period, as desired by Deputy Development Commissioner (Handloom) Govt. of India MOT, the investigation report on subject "Complaint regarding investigation in to the matter of gross irregularities observed in the implementation of yarn supply scheme of NHDC Lucknow branch office", vide letter no No.40/8/2019-20-DCH/NHDC dated 15/05/2020 was submitted to the management vide Letter No. NHDC/Vig/LKO/FNo.11/2020-21/164 dated 09.07.2021.

11. REPLY TO STATUTORY AUDITOR'S & C&AG'S COMMENTS:

The report of the Statutory Auditor's is placed in the Annual Report. The reply to the comments of the Statutory Auditor Report is placed as Annexure C to this Report. Further, for FY 2021-22, the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) have decided not to conduct the Supplementary Audit of the Financial Statements of National Handloom Development Corporation for the year ended 31st March 2022 under section 143 (6) of the Companies Act, 2013.

12. सचिवीय लेखा परीक्षक की टिप्पणियों के जवाब:

कंपनी, अधिनियम, 2013 की धारा 201(1) के तहत सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट को वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। सचिवीय लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की टिप्पणियों के जवाब को इस रिपोर्ट के अनुबंध घ के रूप में रखा जाएगा।

13. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश:

निगम, कोई विनिर्माण गतिविधि नहीं कर रहा है। तदनुसार, प्रौद्योगिकी समावेश से संबंधित मामला निगम पर लागू नहीं होता है।

14. विदेशी मुद्रा आय और खर्च:

निगम, विदेशी मुद्रा में कार्य नहीं करता है, क्योंकि यह कोई भी आयात/निर्यात गतिविधि पर नहीं चल रहा है।

15. जोखिम प्रबंधन नीति:

निगम, विदेशी मुद्रा में कार्य नहीं करता है। इसके अलावा, अधिशेष निधियां, यदि कोई हो, तो उसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में अल्पावधि जमा में निवेश किया जाता है। इस प्रकार, कोई वित्तीय जोखिम नहीं है।

16. महिलाओं को कार्यस्थल के यौन उत्पीड़न के अंतर्गत सूचना (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013:

पिछले वित्तीय वर्ष में कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न का कोई मामला सामने नहीं आया था। कंपनी की एक आंतरिक शिकायत समिति है, जहां महिला कर्मचारी यौन उत्पीड़न के खिलाफ अपनी शिकायतें दर्ज करा सकती हैं।

17. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

कंपनी सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसरण में जारी सरकारी निर्देशों का पालन करती है और इस अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी को नामित किया गया है। सभी संबंधित जानकारी को कंपनी की वेबसाइट पर भी डाला जाता है।

18. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट के रूप में, कंपनी हथकरघा बुनकरों के समुदाय पर प्रमुख ध्यान देने के साथ समुदाय के कल्याण और सतत विकास के लिए सामाजिक रूप से उपयोगी कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और संशोधित डीपीई दिशानिर्देशों के संदर्भ में निदेशकों की कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति की व्यवस्था की है। सीएसआर समिति की संरचना और संदर्भ शर्तें कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी रिपोर्ट में प्रदान की जाती हैं, जो वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा होती हैं। निदेशक मंडल ने नोट किया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, निगम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (1) के मानदंडों के अंतर्गत नहीं आता है, जो कंपनियों के लिए एक विशेष वित्तीय वर्ष में सीएसआर गतिविधियों को करने के लिए थ्रेसहोल्ड सीमा को अनिवार्य करता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में भी निगम को घाटा हुआ है

19. धारा 92(3) और धारा 134(3)(ए) के प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक रिटर्न निगम की वेबसाइट यानी www.nhdc.org.in पर उपलब्ध कराया जाएगा।

12. REPLY TO SECRETARIAL AUDITOR'S COMMENTS:

The report of the Secretarial Auditor's u/s 201(1) of the Companies Act, 2013 is placed in the Annual Report. The reply to the comments of the Secretarial Auditor's report is placed as **Annexure D** to this Report.

13. CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION:

Corporation is not carrying on any manufacturing activity. Accordingly, the issue pertaining to Technology absorption does not apply to corporation.

14. FOREIGN EXCHANGE EARNING AND OUTGO:

Corporation is not dealing in foreign exchange, as it is not carrying on any import/ export activity.

15. RISK MANAGEMENT POLICY:

Corporation is not dealing in foreign exchange. Further, the surplus funds, if any, are invested in short term deposits with the bank, with schedule commercial banks. Thus, there is no financial risk.

16. INFORMATION UNDER SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION & REDRESSAL) ACT, 2013.

No case of Sexual Harassment at work place was reported in the last financial year. The company has an Internal Complaint Committee where women employees can register their complaints against sexual harassment.

17. RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

The Company follows Government instruction issued in pursuance of Right to Information Act, 2005, and has designated Public Information Officer and Appellate Authority under the Act. All relevant information has been hosted on the Company's website also.

18. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR):

As a responsible corporate citizen, your Company is committed to undertake socially useful programmes for welfare and sustainable development of the community with its major focus on the community of handloom weavers. The Company has in place the Corporate Social Responsibility (CSR) Committee of Directors in terms of Section 135 of the Companies Act, 2013 and revised DPE guidelines. The composition and terms of reference of the CSR Committee are provided in the Report on Corporate Governance, which forms part of the Annual Report. Board of Directors noted that for Financial Year 2021-22, the Corporation doesn't fall under the criteria of Section 135 (1) of the Companies Act, 2013, which mandates thresholds limits for Companies to do CSR activities in a particular financial year. The Corporation has also incurred losses in FY 2021-22.

19. In accordance with the provisions of Section 92(3) & Section 134(3)(a), the annual return for FY 2021-22 shall be available on the website of the Corporation i.e. www.nhdc.org.in.

20. निदेशक की जिम्मेदारी संबंधी वक्तव्य:

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के मद्देनजर, निदेशकों ने कहा है कि: –

- (i) वित्त वर्ष 2021–22 के वार्षिक लेखाओं को तैयार करने में, सामग्री निर्गम से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ-साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था;
- (ii) ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया गया जो कि उचित और विवेकपूर्ण हैं और उन्हें सतत रूप से लागू किया है तथा उसके अनुसार निर्णय लिए गए हैं एवं अनुमान लगाए गए हैं, ताकि 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ और हानि के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;
- (iii) कंपनी की परिसंपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी का पता लगाने तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए उचित एवं पर्याप्त देखभाल की गई है;
- (iv) वार्षिक खाते चालू कारोबार के आधार पर तैयार किए गए हैं; और
- (v) सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था तैयार की गई है और यह व्यवस्था पर्याप्त और प्रभावी ढंग से संचालित हो रही है।

21. प्रकटीकरण

निदेशकों का कहना है कि निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी प्रकार का खुलासा आवश्यक नहीं है, क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान इस संबंध में कोई लेनदेन/आयोजन नहीं हुए:

- (i) जमा से संबंधित विवरण को कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय V के तहत कवर किया गया है।
- (ii) डिविडेंड, वोटिंग या अन्य रूप में विशेषक अधिकारों (डिफरेंशियल राइट) के साथ इक्विटी शेयर जारी करना।
- (iii) कंपनी की किसी भी योजना के तहत कंपनी के कार्मिकों को शेयर जारी करना (स्वेट इक्विटी शेयर सहित)।
- (iv) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी की शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
- (v) समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने सामान्य आरक्षित (रिजर्व) की कोई राशि हस्तांतरित नहीं की है।
- (vi) निगम ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए प्रशासनिक मंत्रालय से एमओयू की छूट मांगी है।
- (vii) वित्तीय वर्ष 2021–22 की समाप्ति के बाद और इस रिपोर्ट की तारीख तक कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव/प्रतिबद्धता नहीं की गई है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगी (इस वार्षिक रिपोर्ट में यथासूचित को छोड़कर)।
- (viii) नियामक या न्यायालयों अथवा न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण या आवश्यक आदेश पारित नहीं किए गए जो भविष्य में 'चालू कारोबार' और कंपनी के भावी प्रचालन को प्रभावित करते हैं।
- (ix) कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था है। वर्ष के दौरान इसके प्रभावी क्रियान्वयन में विशेष सावधानी बरती जा रही है।
- (x) चूंकि निगम की कोई होल्डिंग या सहायक कंपनी नहीं है, इसलिए होल्डिंग/सहायक कंपनी से प्रबंध निदेशक का पारिश्रमिक लागू नहीं है।

20. DIRECTOR'S RESPONSIBILITY STATEMENT:

In view of provisions of the Companies Act, 2013, your Directors state that: -

- (i) in the preparation of the annual accounts of FY 2021-22, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;
- (ii) such accounting policies have been selected and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year ended 31st March, 2022 and of the profit and loss of the company for that period;
- (iii) proper and sufficient care has been taken for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 2013 for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- (iv) the annual accounts have been prepared on a going concern basis and
- (v) proper systems have been devised to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

21. DISCLOSURES

Your Directors state that no disclosure is required in respect of the following matters, as there were no transactions/ events in relation thereto, during the year under review:

- (i) Details relating to deposits covered under Chapter V of the Companies Act, 2013.
- (ii) Issue of equity shares with differential rights as to dividend, voting or otherwise.
- (iii) Issue of shares (including sweat equity shares) to employees of the Company under any scheme of the Company.
- (iv) There was no change in the share capital of the Company during the year under review.
- (v) The Company has not transferred any amount to the General Reserve during the year under review.
- (vi) The Corporation has sought MOU exemption from the Administrative Ministry for FY 2021-22.
- (vii) No material changes/commitments have occurred (except as reported in this annual report) after the end of the financial year 2021-22 and till the date of this report which would affect the financial position of your Company.
- (viii) No significant or material orders were passed by the Regulators or Courts or Tribunals which impact the 'going concern status' and Company's operations in future.
- (ix) Your Company has in place, adequate internal financial controls with reference to the financial statements. During the year, special care is being taken in its effective implementation.
- (x) Corporation has no Holding or Subsidiary Company hence remuneration to Managing Director from Holding/Subsidiary Company is not applicable.

- (xi) चूंकि निगम की कोई होल्डिंग/सहायक कंपनी नहीं है, इसलिए लेखाओं के समेकन के बारे में प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- (xii) वित्त वर्ष 2018-19 में वाईएसएस के कार्यान्वयन में अनियमितताओं को छोड़कर, लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट में किसी प्रकार की धोखाधड़ी की रिपोर्ट नहीं की गई थी, जिसकी स्थिति ऊपर उल्लिखित कार्य स्थिति में दी गई है।
- (xiii) निगम को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड के अनुरक्षण की आवश्यकता नहीं है।
- (xiv) निगम ने कोई ऋण या गारंटी नहीं दी है।
- (xv) निगम ने कोई संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं किया है।
- (xvi) वित्तीय विवरणों और इस रिपोर्ट की तारीख के बीच कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता नहीं है।
- (xvii) निगम के चालू कारोबार की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
- (xviii) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना एफ.सं.1/2/2014-सीएल.V के जरिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(ई) तथा (पी) के तहत सूचना के प्रकटीकरण से सरकारी कंपनियों को छूट दी है।

22. अभिस्वीकृति:

बोर्ड, निगम की गतिविधियों और कार्यों को पूरा करने के लिए वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, भारत सरकार और केंद्र तथा राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालयों और विभागों द्वारा उनकी सहायता और मार्गदर्शन के लिए आभारी है।

निदेशक, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, लेखा परीक्षा और सीएसआर समितियों के सदस्यों, बोर्ड, सांविधिक और शाखा लेखा परीक्षकों और बैंकर्स की मदद, सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आभारी हैं। बोर्ड विभिन्न उपयोगकर्ता एजेंसियों/अन्य संबंधित एजेंसियों को उनके समर्थन और संगठन में रखें गए विश्वास के लिए आभार व्यक्त करता है और भविष्य में पारस्परिक संबंधों के लिए तत्पर हैं।

निदेशक, सभी कताई मिलों और रंगों तथा रसायनों के विनिर्माताओं से प्राप्त निरंतर सहयोग और साथ ही उनकी संगठित व्यवस्था की सराहना करते हैं। बोर्ड, एनएचडीसी परिवार के सभी सदस्यों को उनके उत्साह, समर्पित कार्य और सहयोग के लिए बहुत आभार प्रकट करता है और उनकी निरंतर भागीदारी की आशा रखता है।

निदेशक मंडल की ओर से

हस्त./—
सुश्री शुभ्रा
अध्यक्ष

दिनांक : 12.12.2022

स्थान : नई दिल्ली

- (xi) Corporation has no Holding/subsidiary Company hence provisions regarding consolidation of accounts are not applicable.
- (xii) No frauds were reported by the Auditors in their report, except for the irregularities in implementation of YSS in FY 2018-19, status of which has been provided in the state of affairs mentioned above.
- (xiii) Corporation is not required to maintain cost records as specified by the Central Government under sub-section (1) of section 148 of the Companies Act, 2013.
- (xiv) Corporation has not given any loans or Guarantee.
- (xv) Corporation has not undertaken any Related party Transaction
- (xvi) No material changes and commitments between the date of financial statements and the date of this report.
- (xvii) There is no change in going concern status of the corporation.
- (xviii) Vide notification F.No.1/2/2014-CL.V dated 05th June, 2015, Ministry of Corporate Affairs, Government of India, has exempted Government companies from disclosure of information under section 134(3) (e) and (p) of the Companies Act, 2013.

22. ACKNOWLEDGMENT:

Your Board is thankful to the Ministry of Textiles, Office of Development Commissioner for Handlooms, Government of India and other Ministries and departments in Central and State governments for their support and guidance given to the corporation in carrying out its activities and operations.

Your Directors are grateful to the Comptroller & Auditor General of India, Members of Audit & CSR Committees, Board, Auditors and Bankers for their help, cooperation and guidance. Your Board expresses sincere gratitude to the various user agencies/ other concerned agencies for their support and confidence reposed in the organization and looks forward to mutually rewarding relationship in future.

Your Directors wish to place on record their appreciation for the continued co-operation received from all the Spinning Mills and Manufacturers of dyes & chemicals and fabrics directly as also through their organized set-ups. Your Board also wishes to record its deep gratitude to all the members of NHDC family for their enthusiasm, dedicated work and cooperation and look for their continuous involvement.

For and on behalf of Board of Directors

**Sd/-
Ms. Shubhra
Chairperson**

Date: 12.12.2022

Place: New Delhi

निगम शासन प्रणाली संबंधी रिपोर्ट

(क) कारपोरेट शासन प्रणाली के संबंध में कंपनी का सिद्धांत:

कारपोरेट शासन प्रणाली के संबंध में एनएचडीसी के सिद्धांत में, नैतिक व्यापार आचरण और संचालन के सभी पहलुओं और शेयरधारकों, कर्मचारियों, बैंकों, लेखा परीक्षकों एवं सरकार सहित इसके सभी हितधारकों के साथ बातचीत में पारदर्शिता, जवाबदेही और इकिवटी के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है। यह निगम निरंतर रूप से कारपोरेट गवर्नेंस के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने के प्रयास करता है ताकि लॉन्ग टर्म स्टैकहोल्डर्स मूल्य को बढ़ाया जा सके और कारपोरेट गवर्नेंस के अच्छे मानकों को बनाए रखा जा सके। निगम में व्यावसायिकता और जवाबदेही का प्रावधान करने के लिए सुव्यवस्थित, पारदर्शी तथा निष्पक्ष प्रशासनिक व्यवस्था है।

(ख) निदेशक मंडल:

दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल में 5 सदस्य शामिल हैं, जिनमें से दो भारत सरकार के नामिती (अध्यक्ष सहित), 01 एक प्रबंध निदेशक और 02 गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक हैं इसके अलावा, भारत के राष्ट्रपति ने, दिनांक 9 नवंबर, 2021 के आदेश सं. 11/26/82/- डीसीएच/एनएचडीसी/वो. IV(आदेश) के माध्यम से श्रीमती योगिता सिंह को, आदेश जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, निगम के गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में को नियुक्त किया है। बोर्ड के निदेशकों को संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 94 के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल की संरचना तथा संबंधित सूचना इस प्रकार है:

निदेशक का नाम एवं श्रेणी	उपस्थिति सहित बोर्ड बैठकों की संख्या	पिछली एजीएम में उपस्थिति	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार बाहरी निदेशकों की संख्या
सरकारी निदेशक:			
क) श्री संजय रस्तोगी,* अध्यक्ष-एनएचडीसी/विकास आयुक्त (हथकरघा), वस्त्र मंत्रालय डीआईएन नं. 07722405 (दिनांक 4 दिसंबर, 2017 से)	6/6	हां	शून्य
ख) श्री रबिन्द्रनाथ मोहंती, उप सचिव एकीकृत वित्त विंग, वस्त्र मंत्रालय डीआईएन नं. 09508736 (दिनांक 23 दिसम्बर, 2021 से)	1/2	नहीं	शून्य
ग) श्री दीपांकर दत्ता, उप सचिव एकीकृत वित्त विंग, वस्त्र मंत्रालय डीआईएन नं. 08423642 (दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 तक)	2/4	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

ANNEXURE A TO DIRECTORS' REPORT

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(a) COMPANY'S PHILOSOPHY ON CORPORATE GOVERNANCE:

NHDC's philosophy on Corporate Governance envisages ethical business conduct and attainment of highest level of transparency, accountability and equity in all facets of operations and all its interactions with its stakeholders including shareholders, employees, bankers, auditors and the Government. The corporation constantly endeavors to achieve the highest levels of standards of corporate governance in order to enhance the long-term stakeholders' value and maintain good standards of Corporate Governance. Corporation has well established, transparent and fair administrative set up to provide for professionalism and accountability.

(b) BOARD OF DIRECTORS:

As on March, 31, 2022 the Board of Directors consisted of 5 members, of whom, two are the nominee of the government of India (including Chairman), one is the Managing Director and 02 are Non-Official Independent Director. Further, vide order no. 11/26/82/-DCH/NHDC/Vo. IV dated 09th November, 2021, (Order) the President of India has appointed Smt. Yogita Singh as the Non-Official Independent Director of the Corporation with effect from the date of issue of the order for a period three year or till further orders, whichever is earlier. The Directors on the Board are appointed by the Government of India in terms of Article 94 of the Articles of Association of the corporation.

Constitution of Board of Directors and the related information as on March 31, 2022, is as follows:

Name & category of the Director	No. of Board meetings with attendance	Attendance in last AGM	No. of outside Directorships as on 31.03.2022
Government Director(s):			
a) Shri Sanjay Rastogi*, Chairman-NHDC/ DC(Handlooms), Ministry of Textiles DIN No. 07722405 (From 4 th December, 2017 onwards)	6/6	Yes	NIL
b) Shri Rabindranath Mohanty, Dy. Secretary, Integrated Finance Wing, Ministry of Textiles DIN No. 09508736 (From 23rd December, 2021)	1/2	No	NIL
c) Shri Dipankar Dutta, Dy. Secretary Integrated Finance Wing, Ministry of Textiles DIN No. 08423642 (Upto 22nd December, 2021)	2/4	N/A	N/A

निदेशक का नाम एवं श्रेणी	उपस्थिति सहित बोर्ड बैठकों की संख्या	पिछली एजीएम में उपस्थिति	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार बाहरी निदेशकों की संख्या
प्रबंध निदेशक:			
घ) श्रीमती रीता प्रेम हेमरजानी, डीआईएन नं. 09478824 (दिनांक 18 जनवरी, 2022 से)	1/1	लागू नहीं होता	शून्य
ड) सुश्री मुदिता मिश्रा, प्रबंध निदेशक (अपर विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) को अतिरिक्त प्रभार), वस्त्र मंत्रालय डीआईएन नं. 07302824 (17 जनवरी, 2022 तक)	5/5	हां	लागू नहीं होता
गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक:			
अ) श्री अनिल कुमार सूद गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक, डीआईएन नं. 01376251 (दिनांक 18 अक्टूबर, 2019 से)	6/6	हां	01
ब) श्रीमती योगिता सिंह, गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक, डीआईएन नं. 07559311 (दिनांक 09 नवम्बर, 2021 से)	3/3	हां	लागू नहीं होता

निगम के बोर्ड ने वर्ष 2021-22 (30 जून, 2021, 28 सितम्बर, 2021, 05 अक्टूबर, 2021, 08 दिसम्बर, 2021, 30 दिसम्बर, 2021, तथा 25 मार्च 2022) के दौरान 06 बार बैठकों की और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अपेक्षित सभी जानकारी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की।

*सुश्री शुभ्रा ने श्री संजय रस्तोगी के स्थान पर दिनांक 07.12.2022 से निगम की अध्यक्ष के रूप में विकास आयुक्त (हथकरघा) के अतिरिक्त प्रभार के रूप में कार्य ग्रहण किया है।

बोर्ड के निदेशकों का संक्षिप्त विवरण (31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार):

- श्री संजय रस्तोगी:** (54 वर्ष) ओडिशा कैडर के 1991 बैच के आईएएस हैं। वे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, आईआईटी - दिल्ली से एम.टेक हैं। उन्होंने सीएमडी, ओडिशा राज्य सड़क परिवहन निगम, प्रधान सचिव - वाणिज्य और परिवहन, सीएमडी, उड़ीसा मिल्क फेडरेशन (ओएमएफईडी), सीवीओ-प्रोजेक्ट्स इक्विपमेंट्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीईसी), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, जोनल संयुक्त महानिदेशक, डीजीएफटी और अन्य के साथ-साथ निर्यात आयुक्त, वाणिज्य मंत्रालय के रूप में कार्य किया। इन्होंने दिनांक 04 दिसंबर, 2017 को वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार में विकास आयुक्त (हथकरघा) और राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड में पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।
- श्रीमती रीता प्रेम हेमराजानी** (57 वर्ष) 1990 बैच की आईआरपीएस अधिकारी हैं। वह तीन दशकों से अधिक समय से भारतीय रेलवे से जुड़ी हुई हैं और रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों जैसे उत्तर पूर्व रेलवे, पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे में मानव संसाधन और प्रशासन में विभिन्न प्रमुख पदों पर कार्य कर चुकी हैं और भारतीय रेलवे में दूसरे सबसे बड़े मंडल (लगभग 35000 कर्मचारी) के लिए मानव संसाधन प्रमुख थीं। उनके पास क्षेत्रीय कार्यालयों, मुख्यालय में नीति कार्यक्रमों, आईटी और श्रम प्रधान कार्यशाला का व्यापक अनुभव है। फिल्म डिवीजन में निदेशक (प्रशासन) के रूप में इन्होंने दो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया तथा भारतीय सिनेमा राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना

Name & category of the Director	No. of Board meetings with attendance	Attendance in last AGM	No. of outside Directorships as on 31.03.2022
Managing Director:			
d) Smt. Rita Prem Hemrajani, DIN No. 09478824 (From 18th January, 2022)	1/1	N/A	NIL
e) Ms. Mudita Mishra, Managing Director [Additional Charge entrusted to ADC -Handicrafts], Ministry of Textiles DIN No. 07302824 (Upto 17th January, 2022)	5/5	Yes	N/A
Non-Official Independent Director:			
a) Shri Anil Kumar Sood Non-official Independent Director, DIN No. 01376251 (From 18th October, 2019 onwards)	6/6	Yes	01
b) Smt. Yogita Singh Non-official Independent Director, DIN No. 07559311 (From 09th November, 2021)	3/3	Yes	N/A

The Board of the corporation met 06 times during the year 2021-22 (30th June, 2021, 28th September, 2021, 05th October, 2021, 08th December, 2021, 30th December, 2021 & 25th March, 2022) and all the information required in accordance with DPE guidelines was placed before the Board

*Ms. Shubhra, DC Handlooms (Additional Charge), has joined as Chairperson of the Corporation w.e.f 07.12.2022 in place of Sh. Sanjay Rastogi.

Brief resume of Directors on the Board (as on March, 31, 2022):

- i.) **Shri Sanjay Rastogi** (55 Years) is an IAS of 1991 batch of Odisha cadre. He is B.Tech in Electrical Engineering and M Tech in Electronics & Communication, IIT – Delhi. He had served as CMD, Odisha State Road Transport Corporation, Principal Secretary – Commerce & Transport, CMD, Orissa Milk Federation (OMFED), CVO – Projects Equipments Corporation Limited (PEC), Ministry of Commerce & Industry, Zonal Jt. DG, DGFT & Export Commissioner, Ministry of Commerce amongst others. He had joined as Development Commissioner for Handlooms in Ministry of Textiles, Government of India and as ex-officio Chairman in National Handloom Development Corporation Ltd., w.e.f. 04th Dec., 2017.
- ii.) **Smt. Rita Prem Hemrajani** (57 Years) is an IRPS officer of 1990 batch. She has been associated with Indian Railways for more than three decades and has held various key positions in HR & administration in different zones of railways viz Northern Eastern Railway, Western Railway, Central Railway and was HR Head for second largest division in Indian Railways (approx. 35000 employees). She has vast experience of field offices, policy programmes in Headquarters, IT and labour-intensive workshop. As Director (Admin) in Films Division, she conducted two international film festivals &

सहित असंरचना उन्नयन कार्य किए हैं। श्रीमती रीता प्रेम हेमराजानी ने दिनांक 18 जनवरी, 2022 को निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य ग्रहण किया।

- iii) श्री रवींद्रनाथ मोहंती (59 वर्ष) भारत सरकार के उप सचिव हैं, उन्हें एनएचडीसी लिमिटेड के बोर्ड में सरकारी निदेशक के रूप में दिनांक 23 दिसंबर, 2021 से नियुक्त किया गया है।
- iv) श्री अनिल कुमार सूद (58 वर्ष) को दिनांक 18 अक्टूबर, 2019 को राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के एक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह एक चार्टर्ड एकाउंटेंट है तथा एक स्वर्ण पदक विजेता वाणिज्य स्नातक हैं। श्री सूद ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से विभिन्न डिप्लोमा/ पाठ्यक्रम किए हैं जैसे सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा, बैंकों की समवर्ती लेखा परीक्षा इत्यादि। वे वर्ष 2005-06 में आईसीएआई की उत्तरी भारत क्षेत्रीय परिषद की हिमाचल प्रदेश शाखा के अध्यक्ष थे। श्री अनिल कुमार सूद को लेखा परीक्षा, बैंकिंग और कराधान मामलों में काफी अनुभव है।
- v) श्रीमती योगिता सिंह (46 वर्ष) को राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में दिनांक 09 नवंबर, 2021 नियुक्त किया गया है। वह कला (शिक्षा) में स्नातकोत्तर हैं और फैशन डिजाइनिंग में प्रोफेशनल डिप्लोमा भी रखती हैं। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया है और एक पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल और एक प्ले स्कूल की इंचार्ज रही हैं। वह कॉर्पोरेट क्षेत्र से भी जुड़ी रही हैं और वरिष्ठ पदों पर रही हैं। वह महिलाओं और बाल केंद्रित मुद्दों में शामिल एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनका प्रमुख ध्यान वंचित बच्चों के लिए शिक्षा, महिला स्वास्थ्य, स्वच्छता और सशक्तिकरण संबंधी मुद्दों पर है। उनका प्रमुख ध्यान वंचित बच्चों के लिए शिक्षा, महिला स्वास्थ्य, स्वच्छता और सशक्तिकरण संबंधी मुद्दों पर है।

ग. लेखा परीक्षा समिति:

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुसरण में, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित की गईं। सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों में प्रस्तावित अनुसार लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ शर्तों को लेखापरीक्षा समिति द्वारा उसकी 08 दिसंबर, 2010 को आयोजित 23वीं बैठक में नोट किया गया। इसके अलावा, बोर्ड ने दिनांक 26 मार्च, 2019 को आयोजित अपनी 156वीं बैठक में कंपनी अधिनियम, 2013 और डीपीई के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ शर्तों को संशोधित किया।

लेखापरीक्षा समिति की संरचना और संबंधित जानकारी नीचे दी गई है:

नाम / श्रेणी	लेखापरीक्षा समिति में स्थिति	वर्ष के दौरान उपस्थिति सहित बैठकों की संख्या
श्री अनिल कुमार सूद गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	5/5
श्रीमती रीता प्रेम हेमराजानी प्रबंध निदेशक	प्रबंध निदेशक	1/1
सुश्री मुदिता मिश्रा* प्रबंध निदेशक (एडीसी-हस्तशिल्प को अतिरिक्त प्रभार दिया गया)	सदस्य	4/4
श्रीमती योगिता सिंह गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	2/2
श्री दीपांकर दत्ता** नामित निदेशक	सदस्य	1/3
श्री रवींद्रनाथ मोहंती नामित निदेशक	सदस्य	1/2

undertook infrastructure upgradation including setting up of National Museum of Indian Cinema. Smt. Rita Prem Hemrajani joined as MD of the Corporation w.e.f. 18th January, 2022.

- iii.) **Shri Rabindranath Mohanty** (59 years) is a Deputy Secretary to the Government of India, has been appointed as a Government Director on the Board of NHDC Ltd. w.e.f. 23rd December, 2021.
- iv.) **Shri Anil Kumar Sood** (58 years), has been appointed as a Non- Official Independent Director of National Handloom Development Corporation Limited w.e.f. 18th October, 2019. He is a Chartered Accountant and a gold medalist commerce graduate. Shri Sood has undertaken various diplomas/ courses from the Institute of Chartered Accountants of India viz. Information system Audit, concurrent audit of banks etc. He was the Chairman of Himachal Pradesh branch of Northern India Regional Council of ICAI in the year 2005-06. Shri Anil Kumar Sood has vast experience in audit, banking and taxation matters.
- v.) **Smt. Yogita Singh** (46 years), has been appointed as Non-Official Independent Director of National Handloom Development Corporation Limited w.e.f. 09th November, 2021. She is a post graduate in Arts (Education) and also holds professional diploma in fashion designing. She has done notable work in the field of education and has been a Principal of a public school and Incharge of a play school. She has also been associated with the Corporate Sector and held senior positions. She is an active social worker involved in women and child centric issues. Her major focus is education for underprivileged children, women health, sanitation and empowerment related issues.

C. AUDIT COMMITTEE:

In accordance with the provisions of section 177 of the Companies Act 2013, the meetings of Audit Committee were held during the year under review. The terms of reference of the Audit Committee, as proposed in the DPE guidelines on Corporate Governance for CPSEs were noted by the Audit Committee in its 23rd meeting held on 08th Dec., 2010. Further the Board in its 156th meeting held on 26th March, 2019 revised the terms of reference of the Audit Committee in line with the provisions of the Companies Act, 2013 and DPE guidelines.

The composition of Audit Committee and the related information is placed herein below:

Name/ category	Position in Audit Committee	No. of meetings with attendance during the year
Shri Anil Kumar Sood Non official Independent Director	Chairman	5/5
Smt. Rita Prem Hemrajani Managing Director	Member	1/1
Ms. Mudita Mishra, Managing Director* [Additional Charge entrusted to ADC -Handicrafts], Ministry of Textiles	Member	4/4
Smt. Yogita Singh Non official Independent Director	Member	2/2
Shri Dipankar Dutta ** Nominee Director	Member	1/3
Shri Rabindranath Mohanty Nominee Director	Member	1/2

*सुश्री मुदिता मिश्रा, 17 जनवरी 2022 तक लेखापरीक्षा समिति की सदस्य थीं

**श्री दीपांकर दत्ता 22 दिसंबर 2021 तक लेखापरीक्षा समिति के सदस्य थे

वर्ष 2021-22 (30 जून 2021, 28 सितम्बर, 2021, 08 दिसम्बर 2021, 30 दिसम्बर 2021 और 25 मार्च 2022) के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की 05 बार बैठकें हुईं, ऊपर दिए गए पैरा में उल्लेख किए अनुसार, बैठक में सभी सदस्य उपस्थित थे।

घ. पारिश्रमिक समिति:

कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना सं. 1/2/2014-सीएल.V के तहत, वरिष्ठ प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित मामले को छोड़कर, पारिश्रमिक समिति से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के उप-धाराओं (2), (3) और (4) के प्रावधानों से सरकारी कंपनियों को छूट दी है।

निगम, सामाजिक उद्देश्यों वाला एक ऐसा संगठन है, जिसके लाभ मार्जिन प्रायः बहुत कम होते हैं जो उनके ऊपरी खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, इसलिए यह अपने कार्मिकों को कार्य प्रदर्शन संबंधी भुगतान (पीआरपी) का भुगतान करने में असमर्थ है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, निगम को घाटा हुआ है। साथ ही, निगम में कार्मिकों की संख्या भी कम है (अर्थात् 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार 129)।

उपरोक्त के मद्देनजर, किसी अलग पारिश्रमिक समिति की आवश्यकता महसूस नहीं की गई है और पारिश्रमिक से संबंधित अन्य मामलों, यदि कोई हो, को सीधे निदेशक मंडल में रखा गया है।

ङ. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति:

निदेशक मंडल की सीएसआर समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और डीपीई दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुसार किया गया है। सीएसआर समिति के संदर्भ शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के तहत कवर की गई है, को दर्शाते हुए सीएसआर नीति तैयार करना; बोर्ड को अनुशंसा, सीएसआर नीति और सीएसआर गतिविधियों पर व्यय की राशि; और समय-समय पर कंपनी की सीएसआर नीति की निगरानी करना शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, निगम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (1) के मानदंडों के तहत नहीं आता है, जो कंपनियों के लिए एक विशेष वित्तीय वर्ष में सीएसआर गतिविधियों को करने के लिए थ्रेसोल्ड सीमा को अनिवार्य बनाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कोई सीएसआर गतिविधि आयोजित नहीं की गई थी। सीएसआर समिति की संरचना और उक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार थी:

नाम / श्रेणी	सीएसआर समिति में स्थिति
श्रीमती रीता प्रेम हेमराजानी प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष
श्री रवींद्रनाथ मोहंती सरकारी निदेशक	सदस्य
श्री अनिल कुमार सूद गैर सरकारी स्वतंत्र निदेशक	सदस्य

च. आम सभा की बैठक:

अंतिम 03 वार्षिक आम सभा की बैठकें (एजीएम) निम्नानुसार आयोजित की गईं:

- Smt. Mudita Mishra, was member of the audit committee till 17th January 2022
- ** Shri Dipankar Dutta was member of the audit committee till 22nd December 2021

The Audit Committee met 5 times during the year 2021-22 (30th June, 2021, 28th September, 2021, 08th December, 2021, 30th December, 2021 and 25th March, 2022), all the members were present except as explained in the para above.

d. REMUNERATION COMMITTEE:

Vide notification no.1/2/2014-CL.V dated 05th June, 2015, Ministry of Corporate Affairs, Government of India, has exempted Government Companies from provisions of sub-sections (2), (3) and (4) of Section 178 of the Companies Act, 2013 pertaining to Remuneration Committee, except with regard to appointment of senior management and other employees.

The corporation is an organization with social objectives having very thin profit margin usually just sufficient to meet its overheads, hence it is unable to pay the Performance Related Payment (PRP) to its employees. Further for the financial year 2021-22, the Corporation has thin profit. Also, the number of employees in the corporation is also small (i.e., 129 as on 31st March, 2022).

In view of above, no need has been felt to have a separate remuneration committee and the other matters relating to remuneration, if any, are placed directly to the Board of Directors.

e. Corporate Social Responsibility (CSR) Committee:

CSR Committee of the Board of Directors has been constituted in accordance with the requirements of Section 135 of Companies Act, 2013 and the DPE guidelines. The terms of reference of the CSR Committee, inter-alia, include formulation of CSR Policy indicating the activities to be undertaken by the Company covered under Schedule VII of the Companies Act, 2013; recommending to the Board, the CSR Policy & amount of expenditure on CSR activities; and to monitor the CSR Policy of the Company from time to time. For Financial Year 2021-22, the Corporation doesn't fall under the criteria of section 135 (1) of the Companies Act, 2013, which mandates thresholds limits for Companies to do CSR activities in a particular financial year. No CSR activity was conducted in financial year FY 2021-22. The composition of CSR Committee and attendance of the Directors at the said meetings was as follows:

Name/ category	Position in CSR Committee
Smt. Rita Prem Hemrajani Managing Director	Chairperson
Shri Rabindranath Mohanty Government Director	Member
Shri Anil Kumar Sood Non official Independent Director	Member

f. GENERAL BODY MEETING:

The last 03 Annual General Meetings (AGMs) were held as under:

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए एजीएम	एजीएम की तारीख तथा समय	एजीएम का स्थान
2020-21	30 दिसम्बर, 2021, 04.45 बजे अपराह्न	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
2019-20	30 जून, 2021, दोपहर 3.30 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
2019-20	31 दिसंबर, 2020-11.30 बजे (वित्तीय वर्ष 2019-20 के वार्षिक खातों पर साविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर सीएजी की रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण शेयरधारकों द्वारा स्थगित)	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
2018-19	दिनांक 24 जनवरी, 2020 / 3.00 बजे	रैडिसन ब्लू होटल, ग्रेटर नोएडा

छ. प्रकटीकरण:

- i. कार्यकारी निदेशक को दिए गए पारिश्रमिक का विवरण निम्नानुसार है:
 - क. श्रीमती रीटा प्रेम हेमरजानी (प्रबंध निदेशक 18 जनवरी 2022 से प्रभावी) को 10.65 लाख रुपये और अन्य लाभ 0.38 लाख रुपये के वेतन का भुगतान किया जाता है।
 - ख. सुश्री मुदिता मिश्रा (17 जनवरी, 2022 तक प्रबंध निदेशक) को निगम के एमडी का अतिरिक्त प्रभार सौंपे जाने के कारण किसी प्रकार वेतन का भुगतान नहीं किया गया।
- ii. वर्ष के दौरान श्री अनिल कुमार सूद को बोर्ड और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए क्रमशः 85,000/-रुपए एवं योगिता सिंह को 40,000/- रुपये का बैठक शुल्क भुगतान किया गया था।
- iii. वर्ष के दौरान, कोई संबंधित पार्टी लेनदेन नहीं था।
- iv. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान एजीएम में देरी के लिए आरडी नॉर्थ द्वारा 10,000/-रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
- v. निगम में बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक व्हिसल ब्लोअर नीति है, जिसे निगम के सभी कार्मिकों को परिचालित किया गया है और इसे वेबसाइट www.nhdc.org.in पर भी रखा गया है। इसके अलावा, यह पुष्टि की जाती है कि निगम के किसी भी कार्मिक को लेखा परीक्षा समिति तक पहुँचने से वंचित नहीं किया गया है।
- vi. निगम, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, जिसके लिए आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रशासनिक मंत्रालय को अनुरोध भेजा गया है, को छोड़कर सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन संबंधी दिशानिर्देशों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन कर रहा है। जहां तक पारिश्रमिक समिति का संबंध है, इसका उल्लेख ऊपर किया गया है।
- vii. निगम द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी किए गए राष्ट्रपति के निर्देशों का अनुपालन वर्ष के दौरान और पिछले 3 वर्षों के दौरान भी किया गया है।
- viii. वर्ष के दौरान, ऐसा कोई खर्च लेखा बही के खाते नामें नहीं लिखा गया है, जो व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए नहीं हैं।
- ix. वर्ष के दौरान, कोई व्यक्तिगत प्रकृति का खर्च नहीं है जो निदेशक मंडल और शीर्ष प्रबंधन के लिए किया गया हो।
- x. कार्मिक, प्रशासनिक और व्यापार व्यय सहित उपरिव्यय व्यय 0.77 करोड़ रुपये कम हो गए हैं। इसके अलावा, वित्तीय व्यय नगण्य हैं, क्योंकि निगम एक ऋण मुक्त निगम है।

AGM	Date & time of AGM	Venue of the AGM
2020-21	30th December, 2021 04.45 pm.	Through video conferencing mode
2019-20	30th June, 2021, 3.30 pm	Through Video Conferencing mode
2019-20	31st December, 2020-11.30 am (<i>Adjourned by the shareholders because of non-receipt of Statutory Auditors Report on Annual Accounts of FY 2019-20 and C&AG report thereon</i>)	Through Video Conferencing mode
2018-19	24th January, 2020/ 3.00 pm	Radisson Blu Hotel, Greater Noida

g. DISCLOSURES:

- (i) Details of remuneration paid to the Functional Director are as under:
- Salary of Rs. 10.65 Lakhs and other benefit Rs. 0.38 Lakhs is paid to Smt. Rita Prem Hemrajani (MD w.e.f. 18th January 2022).
 - No salary is paid to Ms. Mudita Mishra (MD upto 17th January 2022) on account of entrustment of additional charge of MD of the Corporation.
- (ii) During the year, Shri Anil Kumar Sood were paid sitting fees amounting to Rs.85,000/- and Smt. Yogita Singh were paid sitting fees amounting to Rs.40,000/- respectively for attending Board and Committee meetings.
- (iii) During the year, there was no related party transaction
- (iv) During the year, the penalty of 10,000 has been imposed by RD North for delay in holding the AGM of FY 2018-19.
- (v) The corporation has a Whistle Blower Policy duly approved by the Board, which has been circulated to all the employees of the corporation and also placed on the website www.nhdc.org.in of the corporation. Further, it is affirmed that no personnel has been denied access to the Audit Committee.
- (vi) The corporation is complying with all the requirements of the Guidelines on Corporate Governance for CPSEs except the appointment of independent Directors, for which a request has been sent to the Administrative Ministry for the needful. As regards, the Remuneration Committee, the same has been explained above.
- (vii) The Presidential directives issued by the Government of India has been complied by the corporation during the year and also during the last 3 years.
- (viii) During the year, no expenditure has been debited in the books of accounts which are not for the purposes of business.
- (ix) During the year, no expenses which are of personal nature have been incurred for the Board of Directors and top management.
- (x) Overhead expenses comprising of Personnel, Administrative and Trade Expenses have gone down by Rs. 0.77 crore. Further, the Financial Expenses are negligible, since corporation is a debt free corporation.

ज. संप्रेषण माध्यम:

निगम की संपूर्ण प्रदत्त शेयर पूंजी भारत सरकार द्वारा धारित है। निगम के वार्षिक लेखों सहित वार्षिक रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जाती है और इसे निगम की वेबसाइट www.nhdc.org.in पर भी रखा जाता है। वार्षिक लेखाओं को भारत सरकार के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में भी दायर किया जाता है।

झ. लेखापरीक्षा योग्यताएं

कंपनी का सांविधिक लेखा परीक्षक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किया जाता है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक और सांविधिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियों का विधिवत उत्तर दिया निदेशक मंडल द्वारा दिया गया है और बोर्ड की रिपोर्ट के रूप में संलग्न किया गया है।

ञ. निदेशक मंडल के प्रशिक्षण:

निगम, निदेशकों को उनकी बोर्ड में नियुक्ति पर फोल्डर के रूप में दस्तावेजों का एक सेट प्रस्तुत करता है। इसमें निगम के कामकाज और कार्य निष्पादन, बोर्ड के सदस्यों के लिए व्यावसायिक नीति एवं आचार संहिता, कॉर्पोरेट शासन प्रणाली संबंधी दिशानिर्देश आदि के बारे में महत्वपूर्ण डेटा शामिल हैं।

ट. व्हिसल ब्लोअर नीति:

निगम में बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित एक व्हिसल ब्लोअर नीति की व्यवस्था की गई है। इस नीति को निगम के सभी कार्मिकों को परिचालित किया गया है और निगम की वेबसाइट www.nhdc.org.in पर भी रखा गया है।

ठ. आचार संहिता:

निगम ने बोर्ड के सदस्यों और निगम के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता और व्यावसायिक नीति निर्धारित की है। संहिता की एक प्रति निगम की वेबसाइट www.nhdc.org.in पर प्रदर्शित की गई है। सभी बोर्ड सदस्यों और प्रमुख अधिकारियों ने संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है। इस आशय की एक घोषणा इस रिपोर्ट में संलग्न की गई है।

ड. अनुपालना प्रमाण पत्र:

इस रिपोर्ट में सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी डीपीई दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं का विधिवत रूप से अनुपालन किया गया है और दिशानिर्देशों के अनुबंध-VII में उल्लिखित सुझाई गई सभी मदों को शामिल किया गया है। डीपीई द्वारा निर्धारित कॉर्पोरेट शासन प्रणाली की अपेक्षाओं के अनुपालन संबंधी त्रैमासिक/वार्षिक रिपोर्ट भी नियमित और समय पर प्रशासनिक मंत्रालय को भेजी जाती है। सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट शासन प्रणाली संबंधी दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुपालन के बारे में पेशेवर कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाण-पत्र को रिपोर्ट में संलग्न कर दिया गया है।

निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./—
सुश्री शुभ्रा
अध्यक्ष

दिनांक : 12.12.2022

स्थान : नई दिल्ली

h. MEANS OF COMMUNICATION:

The entire paid up share capital of the corporation is held by the Government of India. The Annual report including annual accounts of the corporation are sent to the Government of India and also placed on the website www.nhdc.org.in of the corporation. The annual accounts are also filed with the Ministry of Corporate Affairs, Government of India.

i. AUDIT QUALIFICATIONS:

The Statutory Auditor of the Company is appointed by the Comptroller & Auditor General of India u/s 139 of the Companies Act, 2013. The Comments of the Secretarial Auditor and Statutory Auditor for FY 2021-22 have been duly replied by the Board of Directors and form annexure to the Board's Report.

j. TRAINING OF BOARD OF DIRECTORS:

The corporation furnishes a set of documents in a folder form to the directors on their joining the Board. This includes important data about the functioning and performance of the corporation, Code of Business Conduct & Ethics for the Board members, Corporate Governance Guidelines etc.

k. WHISTLE BLOWER POLICY:

The corporation has laid down a Whistle Blower Policy duly approved by the Board. The policy has been circulated to all the employees of the corporation and also placed on the website www.nhdc.org.in of the corporation.

l. CODE OF CONDUCT:

The corporation has laid down the Code of Conduct & Business Ethics for the Board members and senior management of the corporation. A copy of the Code is displayed on the website www.nhdc.org.in of the corporation. All the Board members and key officers have affirmed their compliance to the code. A declaration to this effect is annexed to this report.

m. COMPLIANCE CERTIFICATE:

This report duly complies with the requirements of DPE Guidelines on Corporate Governance for CPSEs and covers all the suggested items mentioned in the Annexure - VII of the Guidelines. The quarterly/ annual reports on the compliance with the Corporate Governance requirements prescribed by the DPE are also sent to the Administrative Ministry regularly and timely. The certificate obtained from the Practising Company Secretary regarding compliance to the conditions of guidelines on Corporate Governance for CPSEs has been annexed to the report.

For and on behalf of Board of Directors

**Sd/-
Ms. Shubhra
Chairperson**

**Date: 12.12.2022
Place: New Delhi**

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में प्रबंध निदेशक द्वारा घोषणा

मैं, रीता प्रेम हेमराजानी, प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, यह घोषणा करती हूँ कि 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और निगम के वरिष्ठ प्रबंधन दल ने वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान निगम की व्यावसायिक आचार एवं संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

हस्ता./—

(रीता प्रेम हेमराजानी)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 09478824

दिनांक: 02.11.2022

स्थान: नई दिल्ली

Declaration by the Managing Director regarding Compliance with the Code of Conduct by the Board Members and Senior Management during the Financial Year 2021-22.

I, Rita Prem Hemrajani, Managing Director, National Handloom Development Corporation Limited, do hereby declare that all the Members of the Board of Directors and the Senior Management Team of the Corporation as on 31st March, 2022, have affirmed their compliance to the Code of Business Conduct and Ethics of the Corporation during the FY 2021-22.

Dated: 02.11.2022
Place: New Delhi

(Rita Prem Hemrajani)
Managing Director
DIN: 09478824

नैगमिक शासन प्रमाण पत्र

सेवा में,

सदस्य

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: चौथी मंजिल, वेगमेंस बिजनेस पार्क,

टावर-1, प्लॉट नं. 03, सेक्टर नॉलेज पार्क-III,

सूरजपुर- कासना मेन रोड, ग्रेटर नोएडा,

गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र.- 201306

हमने दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (जिसे इसके पश्चात 'निगम' के रूप में संदर्भित किया गया है) के नैगमिक शासन की शर्तों के अनुपालना की जांच की है, जिसका उल्लेख लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए नैगमिक शासन, 2010 के दिशानिर्देशों और उसके अंतर्गत उल्लिखित अनुबंध (जिसे इसके पश्चात 'दिशानिर्देश' के रूप में संदर्भित किया गया है) में किया गया है।

नैगमिक शासन की शर्तों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का होता है। हमारी जांच उपर्युक्त दिशानिर्देशों में उल्लिखित नैगमिक शासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निगम द्वारा अपनाई गई क्रियाविधि और उसके क्रियान्वयन तक सीमित थी। यह न तो निगम की लेखा परीक्षा है और न ही उसके वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि निगम ने निम्नलिखित को छोड़कर, उपर्युक्त दिशानिर्देशों में उल्लिखित नैगमिक शासन की शर्तों का पालन किया है:

- 1) संबंधित मंत्रालय और जोखिम प्रबंधन नीति द्वारा पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति न करने के कारण बोर्ड, लेखा परीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की संरचना से संबंधित प्रावधान, 8 नवम्बर, 2021 तक प्रबंधन ने सूचित किया है कि एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी होने के कारण, कंपनी को अपने प्रशासनिक मंत्रालय से निगम के बोर्ड में गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक की आवश्यक नियुक्ति करने का अनुरोध किया गया। श्रीमति योगिता सिंह को 9, नवम्बर, 2021 के प्रभावी रूप से निगम के बोर्ड में गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है।
- 2) जैसा कि कॉरपोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट में पहले बताया गया था, निगम ने 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने लेखा विवरण को 31 दिसम्बर 2020 को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आयोजित अपनी 37वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की बजाय 30 जून 2021 को आयोजित वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में अपनाया है, अतएव, निगम ने धारा 96 और धारा 134 के साथ पठित धारा 129 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम 2013 के अन्य लागू प्रावधानों का उल्लंघन किया है। प्रबंधन ने सूचित किया है कि वार्षिक लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, निगम को सांविधिक लेखा परीक्षकों से 4 जनवरी 2021 को प्राप्त हुई थी और सीएंडएजी की अनुपूरक लेखापरीक्षा के बाद, संशोधित हस्ताक्षरित लेखा परीक्षा रिपोर्ट निगम को 02 जून 2021 को प्राप्त हुई थी।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि

- 1) पिछले वर्ष के कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रमाण पत्र और लखनऊ शाखा कार्यालय में यार्न की आपूर्ति योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के मामले के संदर्भ में, प्रबंधन ने सूचित किया है कि फॉरेंसिक ऑडिट और सतर्कता जांच की रिपोर्ट 28 सितंबर 2021 को आयोजित 167वीं बोर्ड बैठक में रखी गई थी और 5 अक्टूबर 2021 को आयोजित अपनी 168वीं बोर्ड बैठक में निदेशक मंडल के समक्ष क्रमशः फॉरेंसिक ऑडिटर और सीवीओ टीम द्वारा प्रस्तुत की गई थी। उपर्युक्त

CORPORATE GOVERNANCE CERTIFICATE

To,
 The Members,
National Handloom Development Corporation Limited
 Regd. Office: 4th Floor, Wegmans Business Park,
 Tower-1, Plot No. 03, Sector Knowledge Park-III,
 Surajpur- Kansa Main Road, Greater Noida,
 Gautam Buddha Nagar, UP- 201306

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance of **National Handloom Development Corporation Limited** (hereinafter referred as "Corporation") for the year ended **31st March, 2022** as stipulated in the guidelines on Corporate Governance for Central Public Sector Enterprises, 2010 of Department of Public Enterprises, Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises, Government of India and annexure mentioned there under (hereinafter referred as "Guidelines").

The compliance to the conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedure and implementation thereof, adopted by the corporation for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance as stipulated in above mentioned guidelines. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Corporation.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, we certify that the Corporation has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned guidelines except as under:

- 1) *Provisions regarding composition of Board, Audit Committee and Nomination & Remuneration Committee due to non-appointment of adequate number of Independent Directors by the concerned Ministry & risk management policy till 8th November 2021. The Management has informed that the Company being a wholly-owned Government Company has requested its administrative ministry for making necessary appointment of Non-Official Independent Director (NOD) on the Board of the Corporation. Smt Yogita Singh was appointed as NOD on the Board of the Corporation w.e.f. 9th November, 2021.*
- 2) *As informed in earlier Corporate Governance Report, the Corporation had adopted its statement of accounts for the financial year ended 31st March 2020 in its adjourned AGM held on 30th June 2021 instead in its 37th AGM held on 31st December 2020, hence the Corporation had violated the provisions of Section 96 & Section 129 read with 134 and other applicable provisions of the Companies Act 2013. The Management has informed that the Audit Report on the Annual Accounts of the Corporation was received from the Statutory Auditors on 4th January, 2021 and after the supplementary Audit of C&AG, the revised signed Audit Report was received by the Corporation only on 02nd June 2021.*

We further report that

- 1) With reference to our Corporate Governance Certificate of previous year and the matter of irregularities in the implementation of Yarn Supply Scheme in Lucknow Branch Office, the management has informed that the reports of the Forensic Audit and the Vigilance Probe were placed at the 167th Board Meeting held on 28th September 2021 and were presented by the Forensic Auditor and the

168वीं बैठक में निदेशक मंडल के निर्देश पर फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और सतर्कता रिपोर्ट को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए सीबीआई को प्रस्तुत किया गया।

इसके अलावा, इस मामले में अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने तीन अधिकारियों – श्री रविश टंडन, प्रबंधक (वाणिज्य), श्री बी.के. महापात्रा, वरिष्ठ अधिकारी (वाणिज्य), और श्री हसन अब्बास, अधिकारी (वित्त एवं लेखा) को दोषी पाया और उनके खिलाफ क्रमशः 11 मार्च 2022 को सेवा से "बरखास्त", सेवा से हटाने (जिसमें सरकार या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले सीपीएसई के तहत भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्यता नहीं होगी) और 23 मार्च 2022 को 'अनिवार्य सेवानिवृत्ति' का जुर्माना लगाया गया।

- 2) निगम को सीपीएसई 2010 के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस के दिशानिर्देशों के अनुपालन में प्रशासनिक मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन में शामिल होने की आवश्यकता थी, लेकिन वित्तीय वर्ष 2017-18 के बाद से समझौता ज्ञापन नहीं किया गया है। प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, निगम ने प्रशासनिक मंत्रालय को पत्र भेजा है, जिसमें उन कारणों को स्पष्ट किया गया है जिनकी वजह से निगम मापदंडों/लक्ष्यों को अंतिम रूप देने में असमर्थ रहने के कारण समझौता ज्ञापन में प्रवेश करने से छूट की मांग की है। इसके अलावा, जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है कि सरकारी योजना, जिसके लिए एनएचडीसी कार्यान्वयन एजेंसी है, को 25 अक्टूबर 2021 को संशोधित किया गया था।

आगे हम उल्लेख करते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता है जिसके साथ प्रबंधन ने निगम के मामलों का संचालन किया है।

कृते नवनीत के. अरोड़ा एंड कंपनी एलएलपी
कंपनी सचिव

हस्ता./—

कंपनी सचिव, नवनीत अरोड़ा

प्रबंध साझेदार

एफसीएस:3214, सीओपी: 3005

[आईसीएसआई फर्म विशिष्ट पहचान कोड: P2009DE061500]

यूडीआईएन: F003214D000630522

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 15 जुलाई 2022

CVO team respectively before the Board of Directors in its 168th Board Meeting held on 5th October 2021. On the directions of the Board of Directors in the aforementioned 168th meeting, the Forensic Audit Report and the Vigilance report were submitted to CBI for further necessary action.

Further, on the matter, the Disciplinary Authority found 3 (three) officials namely- Shri Ravish Tandon, Manager (Comm), Shri B.K. Mahapatra, Sr. Officer (Comm) and Shri Hasan Abbas, Officer (F&A) guilty and imposed the 'Dismissal' on 11th March 2022, Removal from Service, which shall not be a disqualification for future employment under the Government or the CPSE owned or controlled by the Government' and 'Compulsory retirement' penalty on 23rd March 2022, against them respectively.

- 2) Corporation was required to enter MOU with the administrative ministry in compliance of Corporate Governance Guidelines for CPSE 2010 but has not entered after financial year 2017-18 onwards. As informed by the management the Corporation has sent communications to the administrative Ministry, explaining the reasons due to which Corporation was unable to finalize the parameters/targets and seeking exemption from entering MOU. Further, as informed by the management, the Government scheme, for which NHDC is the implementing agency was revised on 25th October, 2021.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the company nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Corporation.

**For Navneet K Arora & Co LLP
Company Secretaries**

**Sd/-
CS Navneet Arora
Managing Partner**

[ICSI Firm Unique Identification Code: P2009DE061500]

FCS: 3214, COP: 3005

UDIN: F003214D000630522

Date: 15th July 2022

Place: New Delhi

प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण

1. हथकरघा परिदृश्य:

हथकरघा क्षेत्र कृषि के बाद आर्थिक गतिविधियों वाला सबसे बड़ा असंगठित क्षेत्र है और ग्रामीण तथा अर्ध-ग्रामीण आजीविका का एक अभिन्न हिस्सा है जो 35 लाख से अधिक बुनकरों और संबद्ध कामगारों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है।

07 अगस्त, 2019 को वस्त्र मंत्रालय द्वारा चौथी हथकरघा संगणना रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें 31 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया जहां हथकरघा बुनाई की कला का कार्य किया जाता है।

हथकरघा क्षेत्र के सुव्यवस्थित एवं सतत विकास और हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए भारत सरकार निम्नलिखित योजनाएं एवं कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है:-

क. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)

वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) तैयार किया गया है। योजना में हथकरघों के एकीकृत एवं सुव्यवस्थित विकास और हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया है। यह योजना बुनकरों को स्वयं सहायता समूहों, गैर-सरकारी संगठनों आदि सहित सहकारी समूह के भीतर और बाहर कच्चे माल, डिजाइन इनपुट, प्रौद्योगिकी उन्नयन, प्रदर्शनियों के माध्यम से विपणन सहायता, शहरी हाट, विपणन परिसरों के रूप में स्थायी बुनियादी ढांचे का निर्माण करने आदि में सहयोग करती है।

एनएचडीपी के संघटक-

- क) क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी) (पहले ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर के रूप में जाना जाता था)
- ख) हथकरघा विपणन सहायता जिसमें कवर नहीं किए गए और प्रतिभाशाली बुनकरों पर विशेष बल दिया गया है। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईएचटी) से संबंधित परियोजनाओं सहित अवसंरचना और विशेष परियोजनाएं
- ग) मेगा हथकरघा क्लस्टर खपहले व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) के रूप में जाना जाता था,
- घ) रियायती ऋण/बुनकर मुद्रा ऋण
- ङ) हथकरघा बुनकर कल्याण {पहले हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना (एचडब्ल्यूसीडब्ल्यूएस) के रूप में जाना जाता था}
- च) विविध घटक-
 - I. अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं
 - II. हथकरघा संगणना
 - III. प्रचार, विज्ञापन, निगरानी, प्रशिक्षण और योजना का मूल्यांकन
 - IV. बुनकरों/उनके बच्चों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस)/इग्नू के माध्यम से शिक्षा

ANNEXURE B TO DIRECTORS' REPORT

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS REPORT

1. HANDLOOM SCENARIO:

The handloom sector is one of the largest unorganized economic activities and constitutes an integral part of the rural and semi-rural livelihood which provides direct and indirect employment to more than 35 Lakh weavers and allied workers.

On August 07, 2019, 4th Handloom Census report was released by the Ministry of Textiles, involving 31 States and Union Territories which have the practice of art of Handloom weaving.

For holistic and sustainable development of handloom sector and welfare of handloom weavers, the Government of India is implementing following schemes and programmes :-

A. National Handloom Development Programme (NHDP)

National Handloom Development Programme (NHDP) has been formulated for its implementation during financial year 2021-22 to 2025-26. The scheme will follow need-based approach for integrated and holistic development of handlooms and welfare of handloom weavers. The scheme will support weavers, both within and outside the cooperative fold including Self Help Groups etc. towards raw material, design inputs, technology up-gradation, marketing support through exhibitions, create permanent infrastructure in the form of Urban Haats, marketing complexes etc.

Components of NHDP –

- a) Cluster Development Programme (CDP) (earlier known as Block Level cluster)
- b) Handloom Marketing Assistance with special emphasis on uncovered & talented weavers. Infrastructure & Special Projects including Indian Institutes of Handloom Technology (IIHT)-related projects
- c) Mega Handloom Cluster [earlier known as Comprehensive Handloom Cluster Development Scheme (CHCDS)]
- d) Concessional Credit/Weavers" MUDRA Loan
- e) Handloom Weavers" Welfare {earlier known as Handloom Weavers Comprehensive Welfare Scheme (HWCWS)}
- f) Miscellaneous Components-
 - I. Research & Development projects
 - II. Handloom Census
 - III. Publicity, Advertisement, Monitoring, Training & Evaluation of Scheme
 - IV. Education of weavers/their wards through National Institutes of Open Schooling (NIOS)/IGNOU

- V. परियोजना निगरानी प्रकोष्ठ,
- VI. हथकरघा हेल्पलाइन केंद्र
- VII. एनएचडीपी, एचडब्ल्यूसीडब्ल्यूएस, सीएचसीडीएस, एनईआरटीपीएस आदि की पूर्व में प्रतिबद्ध देनदारियां।

छ) कोई अन्य घटक

ख. कच्चा माल आपूर्ति योजना (आरएमएसएस)

हथकरघा क्षेत्र को कच्चे माल की आपूर्ति के लिए भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2025–26 के दौरान 25 अक्टूबर 2021 से कच्चा माल आपूर्ति योजना (आरएमएसएस) के कार्यान्वयन हेतु इसके दिशानिर्देशों को संशोधित किया है।

यह योजना पात्र हथकरघा एजेंसियों के लिए मिल गेट मूल्य पर सभी प्रकार के यार्न के लिए उपलब्ध है। इस योजना के तहत, भारत सरकार द्वारा डिपो प्रचालन व्यय तथा परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति की जा रही है। इसके अलावा, हथकरघा बुनकरों को विद्युतकरघा तथा मिल क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने के उद्देश्य से सब्सिडीयुक्त यार्न मुहैया कराया जाता है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से प्रतिपूर्ति आधार पर मात्रात्मक प्रतिबंधों के साथ सूती हैंक यार्न, घरेलू रेशम यार्न, ऊनी यार्न, लिनन तथा प्राकृतिक फाइबरों के मिश्रित यार्न पर 15% मूल्य सब्सिडी उपलब्ध है।

2. ताकत एवं कमजोरी:

निगम का 07 क्षेत्रीय कार्यालयों और 29 शाखा कार्यालयों के माध्यम से 29 राज्यों/सघ राज्य क्षेत्रों में एक राष्ट्रीय नेटवर्क है। निगम की मौजूदगी बाजार में हस्तक्षेप के एक प्रभावी उपकरण के रूप में कार्य करती है ताकि निजी व्यापारियों के एकाधिकार स्वरूप को प्रतिबंधित किया जा सके, जिससे कि हैंक यार्न दरों को उचित स्तर के भीतर रखा जा सके। निगम, क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए सामाजिक जिम्मेदारी का एक उत्तम कार्य करता है, जिसमें असंगठित क्षेत्र में गरीब कारीगर/हथकरघा बुनकर शामिल हैं, जो उच्च सांस्कृतिक विरासत और भारतीय संस्कृति के पारंपरिक गुणों वाली मर्दों के उत्पादन में लगे हुए हैं।

अगले कुछ वर्षों में विभिन्न स्तरों पर कुछ कार्मिक सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। विभिन्न स्तरों पर कार्मिकों की सेवा निवृत्ति से हुई रिक्तियों को भरने के लिए, निगम ने अपने मध्यम स्तर के अधिकारियों को आवश्यकताओं के आधार पर उच्च जिम्मेदारियों को लेने के लिए प्रशिक्षित/तैयार करने की योजना बनाई है। पिछले तीन वर्षों से वाईएसएस/आरएमएसएस के कार्यान्वयन के एनएचडीसी के मौजूदा व्यवसाय में विभिन्न कारणों से और प्रमुख रूप से विगत में कोविड-19 महामारी की वजह से कमी रही है, इसके अलावा निगम को अनिश्चित मांग का सामना करना पड़ रहा है और राज्य के शीर्ष निकायों से भुगतान में देरी हो रही है।

3. अवसर एवं आशंका:

हैंक यार्न उत्पादन का उपभोग करने वाले ऐसे हथकरघा क्षेत्र, जिनमें अभी पहुंच नहीं हुई है, उनमें पहुंच बनाकर व्यापार का विस्तार करने और विविधता लाने की एक बड़ी गुंजाइश है। एनएचडीसी सभी हथकरघा क्षेत्र से संबंधित विकास और हथकरघा बुनकर की उद्योग संबंधी आवश्यकताओं के लिए एक स्थान पर समाधान सुविधाप्रदाता बनने की आकांक्षा रखता है। इस संबंध में मौजूदा एनएचडीसी ढांचे का पुनर्गठन करके मौजूदा संसाधनों और प्रचालन दक्षता को अनुकूलतम बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

यार्न बाजार अच्छी तरह से विकसित है और निजी व्यापारियों के साथ प्रतिस्पर्धा है जो पहले से ही अच्छी तरह से स्थापित हैं और बुनकरों को तुलनात्मक रूप से बेहतर क्रेडिट और अन्य सुविधाएं प्रदान करते हैं। उसी से निपटने के लिए, निगम प्रतिस्पर्धी/सबसे कम दरों पर हथकरघा बुनकरों को यार्न प्रदान करने की दृष्टि से भारी मात्रा के लिए

- V. Project Monitoring Cell,
 - VI. Handloom Helpline Centre
 - VII. Earlier committed liabilities of NHDP, HWCWS, CHCDS, NERTPS etc.
- g) Any other component

B. Raw Material Supply Scheme (RMSS)

Government of India has revised the guidelines for raw material supply to Handloom sector namely Raw Material Supply Scheme (RMSS) wef from 25th October 2021, for its implementation during financial year 2021-22 to 2025-26.

This scheme makes available all types of yarn at Mill Gate Price to the eligible handloom agencies. Under this scheme, depot operating expenses and transportation expenses are being reimbursed by Government of India. Further, to provide the subsidized yarn to handloom weavers in order to compete with power loom and mill sector, 15% price subsidy on cotton hank yarn, domestic silk yarn, woolen yarn, linen yarn and blended yarn of natural fibre is available with quantity restrictions on reimbursement basis through Direct Benefit Transfer (DBT).

2. STRENGTH AND WEAKNESSES:

Corporation has a national network having presence in 29 States/Union Territories through 7 Regional Offices, and 29 Branch Offices. The presence of the Corporation serves as an effective tool to intervene the market so as to restrict the monopolistic character of the private traders, in order to keep the hank yarn rates within a reasonable level. Corporation serves a noble cause of social responsibility by catering to a sector, which consists of poor artisans/ handloom weavers in unorganized sector, engaged in the production of items of high cultural heritage and traditional value of Indian culture.

Few employees are going to superannuate at various levels in the next few years. To fill the vacuum that may be created by the superannuation of the employees at various levels, corporation has planned to train/ gear up its middle level executives to take up the higher responsibilities depending upon the requirements. For the last three years the existing business of NHDC of implementation of YSS/RMSS has taken a hit because of various reasons and of late majorly because of Covid 19 pandemic besides corporation is facing uncertain demand and delayed payments from state apex bodies.

3. OPPORTUNITIES AND THREATS:

There is a large scope to expand and diversify the business by reaching the untapped handloom sector consuming the hank yarn production. NHDC aspires to become a one stop solution for all handloom sector related development and industry related requirements of handloom weaver. In this regard the efforts are being made to optimize the existing resources and operational efficiency by restructuring the existing NHDC framework.

The yarn market is well developed and there is a competition with the private traders which are already well established and offer comparatively better credit and other facilities to the weavers. To combat the same, the corporation is obtaining and negotiating the yarn rates for bulk quantity discounts with a view to provide yarn to the handloom weavers at competitive/ lowest rates. Rates are placed on

यार्न दरों में छूट प्राप्त कर रहा है और बातचीत कर रहा है। हथकरघा बुनकर एजेंसियों द्वारा पहुंच के लिए दरों को निगम की वेबसाइट पर मासिक आधार पर रखा जाता है, जिससे बेहतर पारदर्शिता आती है।

4. संभावना:

निगम का मानना है कि यह साल दर साल नई ऊंचाइयों को हासिल करने के अपने विकास के प्लेटफार्म पर बना रहेगा। निगम अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए अपनी ताकत और कमजोरियों का फिर से आकलन करता है और उसी के अनुसार अपनी व्यावसायिक योजना तैयार करता है, जो निगम को अपने नए विकास क्षेत्र की पहचान करने में सक्षम करेगा।

5. संघटक-वार तथा उत्पाद-वार कार्य निष्पादन:

यार्न, हथकरघा क्षेत्र को आपूर्ति की जाने वाली मुख्य कच्चा माल है, जो निगम के कारोबार में सबसे अधिक योगदान देती है। इसका योगदान वर्ष 2021-22 के दौरान निगम के वर्ष 2020-21 के दौरान कुल कारोबार 92.07% से बढ़कर 92.72% हो गया है। रंग और रसायनों का प्रतिशत हिस्सा वर्ष 2020-21 के दौरान 7.93% से घटकर वर्ष 2021-22 के दौरान 7.28% रह गया है।

निगम के कार्यों का खंड-वार विश्लेषण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	खंड/उत्पाद	2021-22		2020-21	
		कारोबार	प्रतिशत	कारोबार	प्रतिशत
1	यार्न	740.44	92.72%	526.66	92.07%
2	रंग और रसायन	58.12	7.28%	45.36	7.93%
कुल		798.56	100.00%	572.04	100.00%

6. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी उपयुक्तता:

निगम के पास आंतरिक नियंत्रण की एक प्रणाली है, जो लगातार विकसित हो रही है। आंतरिक नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए, व्यापक आंतरिक लेखा परीक्षा नियमावली के अलावा, आंतरिक लेखा परीक्षकों को समय-समय पर आवश्यकता के आधार पर नए चेक पॉइंट की भी सलाह दी जाती है। बोर्ड की मंजूरी के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए, निगम के आंतरिक लेखा परीक्षा स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा की गई थी। आंतरिक नियंत्रण और लेखा परीक्षा प्रणालियों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा सावधिक समीक्षा की जाती है और निरंतर सुधार के लिए जहां भी आवश्यक हो, सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

7. प्रचालनात्मक निष्पादन के संबंध में वित्तीय निष्पादन पर विचार-विमर्श:

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान निगम का कारोबार वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 572.04 करोड़ रुपए की तुलना में 798.56 करोड़ रुपए हुआ है। असाधारण मदों तथा कर-पूर्व लाभ वित्तीय वर्ष 2021-22 में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 9.81 करोड़ रुपये के घाटे से कम हो कर 2.64 करोड़ रुपए घाटे के रूप में रह गया है और कर-पश्चात निवल लाभ वित्तीय वर्ष 2021-22 में वित्तीय वर्ष 2020-21 के 9.63 करोड़ रुपए के घाटे से कम हो कर 1.57 करोड़ रुपए

the corporation's website as well on monthly basis for access by the handloom weavers' agencies, resulting in better transparency.

4. OUTLOOK:

The corporation believes that it will continue to be on its growth platform achieving new heights year by year. To further strengthen its position the corporation keep re-assessing its strengths and weaknesses and preparing its business plan accordingly which shall enable the corporation to identify its new growth area.

5. SEGMENT-WISE AND PRODUCT WISE PERFORMANCE:

Yarn, being the main raw material supplied to the handloom sector, continues to be the highest contributor to the turnover of the corporation. Its contribution has increased from 92.07 % of the total turnover of the corporation during the year 2020-21 to 92.72% during the year 2021-22. The percentage share of the dyes and chemicals has decreased from 7.93% during the year 2020-21 to 7.28% during the year 2021-22.

The segment wise analysis of the operations of the corporation is placed herein below:

(Rs. in crore)

S. No.	Segment/ product	2021-22		2020-21	
		Turnover	Percentage	Turnover	Percentage
1	Yarn	740.44	92.72%	526.66	92.07%
2	Dyes & chemicals	58.12	7.28%	45.36	7.93%
Total		798.56	100.00%	572.04	100.00%

6. INTERNAL CONTROL SYSTEM AND THEIR ADEQUACY:

The corporation has a system of internal control, which is continuously evolving to. In order to make the internal control more effective, besides comprehensive Internal Audit Manual, the new check points are also advised to the internal auditors from time to time on need basis. As per the approval of the Board, for FY 2021-22, the Internal Audit of the corporation was conducted by outside independent Chartered Accountants. The internal control and audit systems are being reviewed periodically by the Audit Committee and corrective measures are taken, wherever necessary, for continuous improvement.

7. DISCUSSION ON FINANCIAL PERFORMANCE WITH RESPECT TO OPERATIONAL PERFORMANCE:

The turnover of the corporation during the FY 2021-22 is Rs. 798.56 crore as compared to Rs 572.04 crore during FY 2020-21. The profit before extraordinary items and tax has decreased from Loss of Rs. 9.81 crore in the FY 2020-21 to loss of Rs.2.64 crore in the FY 2021-22 and net profit after tax decreased from Loss of Rs. 9.63 crore in the FY 2020-21 to loss of Rs. 1.57 crore in the FY 2021-

रह गया है। निगम की निवल संपत्ति 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार 78.59 करोड़ रुपए से घटकर 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार 76.76 करोड़ रुपए रही है।

निगम का पुंजीगत ढांचा वित्त वर्ष 2021-22 में 100/- रुपए प्रत्येक के 19 लाख इक्विटी शेयर में विभाजित 19 करोड़ रुपए की प्रदत्त पूंजी के साथ अपरिवर्तित रहा। वित्त वर्ष 2021-22 में घाटे के कारण, कंपनी के निदेशक मंडल ने समीक्षाधीन वर्ष के लिए किसी भी राशि को रिजर्व में स्थानांतरित नहीं करने का फैसला किया है। इसके अलावा, निदेशक मंडल द्वारा किसी भी लाभांश की सिफारिश नहीं की गई है।

8. नियोजित कार्मिकों की संख्या सहित मानव संसाधन में विकास:

कार्मिकों की दक्षता निगम का मुख्य केंद्र बिंदु रही है। निगम के कार्मिकों के कौशल उन्नयन के लिए तकनीकी, प्रबंधकीय और आईटी क्षेत्रों में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार, निगम के कार्मिकों की कुल संख्या 126 (पिछले वर्ष 130) है, जिसमें 10 (7.9%) अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणी के कार्मिक, 07 (5.6%) अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित कार्मिक, 20 (15.9%) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी से संबंधित और 02 (1.6%) दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) श्रेणी से संबंधित कार्मिक शामिल हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण रहे हैं।

9. निगम का सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

निगम ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के प्रावधानों और संशोधित डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी सीएसआर नीति को संशोधित किया है। संशोधित नीति नामतः 'एनएचडीसी सीएसआर एवं स्थिरता नीति 2014' को दिनांक 24 नवंबर, 2014 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा मंजूरी के बाद इसे निगम की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया।

सीएसआर समिति की संरचना और अन्य संबंधित सूचना बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंध के अनुसार, निगम से संबंधित शासन प्रणाली की रिपोर्ट में दिया गया है, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

10. अभिरक्षक वक्तव्य:

निगम के उद्देश्यों, अनुमानों और अपेक्षाओं का वर्णन करने वाली प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट में वक्तव्य लागू कानूनों और विनियमों के अर्थ में 'भावी वक्तव्य' हो सकते हैं। हालांकि, वास्तविक परिणाम व्यक्त या निहित से काफी हद तक भिन्न या भौतिक हो सकते हैं। निगम के प्रचालन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में भारत में राजनीतिक और आर्थिक वातावरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन शामिल हैं जिसमें देश में मुकदमेबाजी और हथकरघा गतिविधि शामिल है।

निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./-
(सुश्री शुभ्रा)
अध्यक्ष

दिनांक : 12.12.2022

स्थान : नई दिल्ली

22. The net worth of the corporation has decreased from Rs. 78.59 crore as on 31st March, 2021 to Rs.76.76 crore as on 31st March, 2022.

The capital structure of the corporation remained unchanged with the paid-up capital of Rs.19 crore divided into 19.00 Lakh equity share of Rs.100/- each in the FY 2021-22. Due to losses in FY 2021-22, the Board of Directors of your company, have decided not to transfer any amount to the Reserves for the year under review. Further, no dividend has been recommended by the Board of Directors.

8. DEVELOPMENT IN HUMAN RESOURCE INCLUDING NUMBER OF PERSONS EMPLOYED:

Employees' efficiency has been the key focus of the corporation. Various training programmes in technical, managerial and IT areas are organized for upgrading the skills of the employees of the corporation.

Total number of employees of the Corporation as on 31st March 2022 stands at 126 (Previous year 130) which include 10 (7.9%) employees belonging to Scheduled Castes (SC) category, 07 (5.6%) employees belonging to Scheduled Tribes (ST) category, 20 (15.9%) employees belonging to Other Backward Classes (OBC) category and 02 (1.6%) employees belonging to Persons with Disabilities (PWD) category.

The Industrial relations have been cordial and remained peaceful during the year under review.

9. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR):

Corporation has revised its CSR Policy in accordance with the provisions of Section 135 of the Companies Act 2013 and revised DPE guidelines. The revised policy named 'NHDC CSR & Sustainability Policy 2014' has been uploaded on corporation's website, after its approval by the Board of Directors in its meeting held on 24th November, 2014.

The Composition of the CSR Committee and other related information are provided in the Report of Corporate Governance, as annexures to the Board's Report, which forms part of this Annual report

10. CAUTIONARY STATEMENT:

Statements in the Management Discussion and Analysis Report describing the corporation's objectives, projections and expectations may be 'forward looking statements' within the meaning of applicable laws and regulations. The actual results may, however, differ substantially or materially from those expressed or implied. Important developments that could affect the corporation's operations include significant changes in the political and economic environment in India that involves litigations and handloom activity in the country.

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
Ms. Shubhra
 Chairperson

Date: 12.12.2022
Place: New Delhi

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लेखाओं के संबंध में सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर निदेशक मंडल का उत्तर

क्र. सं.	सांविधिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियां	निदेशक मंडल का उत्तर
1.	<p>एनएचडीसी के ऊपर उल्लिखित 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनके तहत हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हैंक यार्न की बिक्री/खरीद की जाती है, जिस पर भारत सरकार, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, समय-समय पर घोषित योजना के अनुसार 10% सब्सिडी और अन्य दावे (जिसमें माल भाड़ा सब्सिडी और डिपो प्रभार शामिल हैं) प्रदान करता है। जैसा कि वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के वित्तीय लेखा के संबंध में ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है, कंपनी के लखनऊ शाखा कार्यालय, जो वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन था, ने शुरू में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान क्रमशः वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही यानी 2018-19 में 385.04 करोड़ रुपये की कुल बिक्री और खरीद बुक की थी। इसमें से 190.82 करोड़ रुपये की बिक्री और खरीद को ईआरपी लेखा व्यवस्था में उक्त लखनऊ कार्यालय द्वारा रद्द कर दिया गया है।</p> <p>सीबीआई पत्राचार के अनुसार, प्रबंधन और सीवीओ द्वारा फॉरेंसिक ऑडिट और सतर्कता जांच की गई थी। इस मामले पर फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट क्रमशः फॉरेंसिक ऑडिटर और सीवीओ टीम द्वारा निदेशक मंडल के समक्ष 05.10.2021 को प्रस्तुत की गई थी। निदेशक मंडल के निर्देशों और सीबीआई के पत्र के अनुसार, इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट सीबीआई को प्रदान की गई है।</p> <p>कंपनी ने सतर्कता रिपोर्ट और इस संबंध में सीबीआई से प्राप्त आगे के पत्राचार/रिपोर्ट की प्रति हमें उपलब्ध नहीं कराई है। फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में की गई टिप्पणी के अनुसार बही खाते में कोई प्रविष्टि नहीं पाई गई है और न ही उनका लेखा-जोखा रखा गया है, इसलिए हम कुल देनदारों (संदर्भ नोट संख्या 14 (ii) तथा लेनदारों (संदर्भ नोट संख्या 5 (ii) में दिखाए गए क्रमशः 194.22 करोड़ रुपये के उक्त देनदारों और लेनदारों के संबंध में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।</p>	<p>2018-19 की पहली तिमाही के दौरान 190.82 करोड़ रुपये की बिक्री और खरीद रद्द कर दी गई और उपरोक्त मामले को सीबीआई और सीवीओ को भेज दिया गया। सीबीआई के पत्र के अनुसार, प्रबंधन और सीवीओ द्वारा फॉरेंसिक ऑडिट और सतर्कता जांच की गई थी। इस मामले पर फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट क्रमशः फॉरेंसिक ऑडिटर और सीवीओ टीम द्वारा निदेशक मंडल के समक्ष 05.10.2021 को प्रस्तुत की गई थी। निदेशक मंडल के निर्देशों और सीबीआई के पत्र के अनुसार, इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट सीबीआई को प्रदान की गई है।</p> <p>समितियों/प्रयोक्ता एजेंसियों और आपूर्तिकर्ताओं से बकाया राशि का पता लगाने के लिए बोर्ड के निर्देश के अनुसार, 1 अप्रैल, 2017 से सेबी के पैनेल में शामिल फॉरेंसिक ऑडिटर से लेन-देन ऑडिट शुरू कर दिया गया है। इसके पूरा होने पर, यह रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।</p>

ANNEXURE C TO THE DIRECTORS REPORT

REPLY OF THE BOARD OF DIRECTORS ON THE COMMENTS OF THE STATUTORY AUDITORS ON THE ACCOUNTS FOR THE FY 2021-22

S. N.	Comments of Statutory Auditors	Reply of the Board of Directors
1.	<p>NHDC having “7” Regional offices as mentioned above from where sale/purchase of Hank Yarn is undertaken to promote the Handloom Sector on which Government of India, Ministry of Textile office of the Development Commissioner, Handloom provide 10 % Subsidy and other claims (which includes freight subsidy and depot charges) as per scheme announced time to time. As pointed in Audit report on the Financial Accounts of FY 2018-19 and 2019-20 the Company’s Lucknow branch Office, which was under Varanasi Regional Office, had initially booked total Sales & Purchase during the Financial year 2018-19 amounting to Rs. 385.04 Crores in the 1st Quarter of Financial year i.e. 2018-19 respectively. Out of this, Sales and Purchase to the tune of Rs. 190.82 Crores have been cancelled by the said Lucknow Office in ERP accounting system.</p> <p>As per the CBI communication, the Forensic Audit and Vigilance probe were taken up by the management and the CVO. The Forensic Audit Report and the Vigilance Probe report on the matter were presented by the Forensic Auditor and the CVO team respectively, before the Board of Directors on 05.10.2021. As per the directions of the Board of Directors and the CBI letter, the Forensic Audit Report and the Vigilance Probe Report has been provided to CBI for further necessary action in this regard.</p> <p>The Company has not provided copy of Vigilance report and further communication/report received from CBI in this regard to us. No entries have been ascertained and accounted for in the books as per the observation made in Forensic Audit Report, hence we are unable to comment on the said debtors and creditors of Rs. 194.22 Crores respectively being shown in total debtors (Refer Note No. 14(ii)) as well as Creditors ((Refer Not No. 5 (ii)).</p>	<p>During the 1st Quarter of 2018-19 the sales and purchase to the tune of Rs. 190.82 Crores have been cancelled and the above matter has been referred to CBI and CVC. As per the CBI communication, the Forensic Audit and Vigilance probe were taken up by the management and the CVO. The Forensic Audit Report and the Vigilance Probe report on the matter were presented by the Forensic Auditor and the CVO team respectively, before the Board of Directors on 05.10.2021. As per the directions of the Board of Directors and the CBI letter, the Forensic Audit Report and the Vigilance Probe Report has been provided to CBI for further necessary action in this regard.</p> <p>As per instruction of the Board to ascertain the amount outstanding from the societies/user agencies and the suppliers, the transaction audit from a SEBI empanelled forensic auditor from 1st April, 2017 onwards has been initiated. On completion, the report of the same shall be presented to the Board and after ascertaining the actual amount, Board shall give necessary instruction in this regard.</p>

क्र. सं.	सांविधिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियां	निदेशक मंडल का उत्तर
2.	<p>कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में इंडियन ओवरसीज बैंक, लखनऊ शाखा द्वारा दो बार भुगतान किए गए 66061791/- रुपये की वसूली के लिए की गई कार्रवाई और कानूनी राय की कोई स्थिति प्रदान नहीं की है। फॉरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार आज की तारीख तक पक्ष-वार किए गए दोहरे/अतिरिक्त भुगतान का मिलान नहीं किया गया है। हम बैंक द्वारा दो बार भुगतान किए गए 66061791/- रुपये की वसूली पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। कंपनी ने 28/08/2018 को मामले को सीबीआई को भेज दिया है।</p>	<p>लेखा परीक्षकों को ब्यौरा पहले ही उपलब्ध करा दिया गया है।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. उपर्युक्त मामले को सीबीआई और सीवीसी को भेज दिया गया है। सीबीआई के पत्र के अनुसार, प्रबंधन और सीवीओ द्वारा फॉरेंसिक ऑडिट और सतर्कता जांच की गई थी। इस मामले पर फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट क्रमशः फॉरेंसिक ऑडिटर और सीवीओ टीम द्वारा निदेशक मंडल के समक्ष 05.10.2021 को प्रस्तुत की गई थी। निदेशक मंडल के निर्देशों और सीबीआई के पत्र के अनुसार, इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट सीबीआई को प्रदान की गई है। 2. इस संबंध में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। 3. इस मामले को बैंक के साथ उठाया गया है और अनुवर्ती कार्रवाई जारी है। 4. यह मामला भारतीय रिजर्व बैंक को भी भेजा गया है।
3.	<p>वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी द्वारा 01.03.2018 से 31.03.2018 के दौरान की गई 215.79 करोड़ रुपये की बिक्री के संबंध में 22.66 करोड़ रुपये का सेवा शुल्क और सब्सिडी घटक वापस ले लिया गया क्योंकि वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) ने कंपनी को सब्सिडी राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की। इस तथ्य के परिणामस्वरूप कि एमओटी से 21.58 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई थी, कंपनी ने भारत सरकार से बकाया प्राप्तियों से 21.58 करोड़ रुपये कम कर दिए और यह आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम के रूप में बुक किए। इसके अलावा, यह भारत सरकार से प्राप्त नहीं होने के बावजूद एनएचडीसी ने आपूर्तिकर्ताओं को सब्सिडी के रूप में 18.15 करोड़ रुपये वितरित किए हैं।</p> <p>कंपनी ने इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया है; इसलिए हम वितरित 18.15 करोड़ रुपये की वसूली पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।</p>	<p>एनएचडीसी यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस) को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी है। वाईएसएस योजना के प्रावधानों के अनुसार, एनएचडीसी विभिन्न उपयोगकर्ता एजेंसियों द्वारा दिए गए मांग पत्रों की ओर से आपूर्तिकर्ताओं को आर्डर देता है। तत्कालीन योजना के अनुसार, उपयोगकर्ता एजेंसियां लेन-देन मूल्य का 90% भुगतान करती हैं और शेष 10% का भुगतान भारत सरकार द्वारा एनएचडीसी के माध्यम से सब्सिडी के रूप में किया जाता है और एनएचडीसी आपूर्तिकर्ता मिलों को लेनदेन मूल्य का 100% जारी करता है, लेकिन भारत सरकार द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी। इस मामले के लिए, एनएचडीसी ने उपयोगकर्ता एजेंसियों से केवल 90% हिस्सा प्राप्त किया और आपूर्तिकर्ता मिलों को 100% का भुगतान किया और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि भारत सरकार ने एनएचडीसी को सब्सिडी की उपरोक्त राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की है, 21.58 करोड़ रुपये की 10% सब्सिडी की राशि (यानी मार्च, 2018 की बिक्री के लिए 215.79 करोड़ रुपये का 10%) आपूर्तिकर्ताओं को डेबिट करके उनके खातों में समायोजित की गई।</p> <p>01.04.2018 से 30.06.2018 तक के लेनदेन को जांच एजेंसियों को रेफर कर दिया गया है। सीबीआई के पत्र के अनुसार, प्रबंधन और सीवीओ द्वारा फॉरेंसिक ऑडिट और सतर्कता जांच की गई थी। इस मामले पर फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट क्रमशः फॉरेंसिक ऑडिटर और सीवीओ टीम द्वारा निदेशक मंडल के समक्ष 05.10.2021 को प्रस्तुत की गई थी।</p>

S. N.	Comments of Statutory Auditors	Reply of the Board of Directors
2.	<p>The Company has not provided any status of action taken and legal opinion for recovery of Rs 66061791/- paid twice by Indian Overseas Bank, Lucknow branch in Financial Year 2018-19. As per Forensic Audit report till date party wise double/excess payment made has not been reconciled. We are unable to comment on the recoverability of Rs 66061791/- paid twice by bank. The company has referred the matter to CBI on 28/08/2018.</p>	<p>Details has already been provided to the Auditors.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The above matter has been referred to CBI and CVC. As per the CBI communication, the Forensic Audit and Vigilance probe were taken up by the management and the CVO. The Forensic Audit Report and the Vigilance Probe report on the matter were presented by the Forensic Auditor and the CVO team respectively, before the Board of Directors on 05.10.2021. As per the directions of the Board of Directors and the CBI letter, the Forensic Audit Report and the Vigilance Probe Report has been provided to CBI for further necessary action in this regard. 2. A police complaint has also been made in this regard. 3. Matter has been taken up with the Bank and continuous follow ups have been made. 4. Matter has also been referred to the RBI.
3.	<p>Service charge and subsidy component of Rs 22.66 crore on account of sales of Rs 215.79 crore made during 01.03.2018 to 31.03.2018 was reversed by the Company during F Y 2018-2019 as Ministry of Textiles (MOT) did not reimburse the subsidy amount to the company. Consequent to the fact that subsidy of Rs 21.58 crore was not received from the MOT, the company reduced Rs 21.58 crore from receivables due from Government of India and booked the same as advance to suppliers. Further in respect of same, NHDC has disbursed Rs 18.15 crore as subsidy to the suppliers, even though the same is not received from Government of India.</p> <p>The company has not provided any reply in this regard; hence we are unable to comment on the recoverability of Rs. 18.15 crore disbursed</p>	<p>NHDC is the nodal agency for implementing Yarn Supply Scheme (YSS). As per the provisions of the YSS scheme, NHDC places the orders to the suppliers on behalf of the indents given by the various user agencies. As per the erstwhile scheme, the user agencies pay 90% of transaction value and rest of 10% is paid by Government of India in form of the subsidy through NHDC and NHDC releases 100% of transaction value to the Supplier Mills, but the same was not reimbursed by Government of India. For this case, NHDC received only 90% share from user agencies and paid 100% to the supplier mills, amount of 10% subsidy of Rs.21.58 crore (i.e.10% of Rs.215.79 crore for the sales of March,2018) adjusted in their book of accounts by debiting the suppliers considering the fact the Government of India didn't reimburse the aforesaid amount of subsidy to the NHDC.</p> <p>The transaction from 01.04.2018 to 30.06.2018 has been referred to investigating agencies. As per the CBI communication, the Forensic Audit and Vigilance probe were taken up by the management and the CVO. The Forensic Audit Report and the Vigilance Probe report on the matter were presented by the Forensic Auditor and the CVO team respectively, before the Board of Directors on 05.10.2021. As per the directions of the Board of Directors and the CBI letter, the Forensic Audit Report and the Vigilance Probe Report has been provided to CBI for further necessary action in this regard.</p>

क्र. सं.	सांविधिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियां	निदेशक मंडल का उत्तर
		<p>निदेशक मंडल के निर्देशों और सीबीआई के पत्र के अनुसार, इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट सीबीआई को प्रदान की गई है।</p> <p>समितियों/प्रयोक्ता एजेंसियों और आपूर्तिकर्ताओं से बकाया राशि का पता लगाने के लिए बोर्ड के निर्देश के अनुसार, 1 अप्रैल, 2017 से लेनदेन लेखा परीक्षा शुरू की गई है। इसके पूरा होने पर, यह रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।</p>
4.	<p>जैसा कि नोट संख्या '4क' में उल्लेख किया गया है, 22,10,60,097 /- रुपये निधि संग्रह (मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स) में जमा रखे हुए हैं और तदनुसार बैलेंस शीट की अनुसूची 11 के अनुसार सावधि जमा में निवेश किए गए हैं। 31 मार्च 2017 तक निधि संग्रह (मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स) की सावधि जमा पर अर्जित ब्याज संबंधित निधि संग्रह में जमा किया गया था, लेकिन वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान क्रमशः 1.22 करोड़ रुपये और 1.20 करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि पर ब्याज को निधि संग्रह (मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स) में जमा करने के बजाय निगम की ब्याज आय के रूप में लिया गया है। हालांकि, वित्त वर्ष 2019-20 से, निधि संग्रह (मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स) के एफडीआर पर अर्जित ब्याज आय को निधि संग्रह (मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स) में जमा किया गया है।</p> <p>कंपनी ने इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया हैय इसलिए हम ऊपर उल्लिखित निधि संग्रह में वापस की जाने वाली अतिरिक्त राशि पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।</p>	<p>यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई के लिए पिछली ब्याज आय के विस्तृत विश्लेषण और मिलान की अपेक्षा होती है, ताकि कंपनी अधिनियम, 2013 और आयकर अधिनियम, 1961 के तहत सबसे उपयुक्त लेखांकन उपचार/सुधारात्मक कार्रवाई का आकलन किया जा सके। इस संबंध में निदेशक मंडल के निर्देशों के अनुसार विशेषज्ञों की राय मांगी गई है और तदनुसार सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।</p>
5.	<p>नोट संख्या '4(ख)' के अनुसार, 31-03-2022 को 11,20,27,418 रुपये निधि संग्रह (मेगा क्लस्टर) में जमा रखे थे, 31 मार्च 2017 तक, सावधि जमा पर ब्याज को वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान निधि संग्रह (मेगा क्लस्टर) में जमा करने के बजाय निगम की ब्याज आय के रूप में लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 से, निधि संग्रह (मेगा क्लस्टर) के एफडीआर पर अर्जित ब्याज आय को निधि संग्रह (मेगा क्लस्टर) में जमा किया गया है।</p> <p>कंपनी ने इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया हैय इसलिए हम ऊपर उल्लिखित निधि संग्रह में वापस की जाने वाली अतिरिक्त राशि पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।</p>	<p>यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई के लिए पिछली ब्याज आय के विस्तृत विश्लेषण और मिलान की अपेक्षा होती है, ताकि कंपनी अधिनियम, 2013 और आयकर अधिनियम, 1961 के तहत सबसे उपयुक्त लेखांकन उपचार/सुधारात्मक कार्रवाई का आकलन किया जा सके। इस संबंध में निदेशक मंडल के निर्देशों के अनुसार विशेषज्ञों की राय मांगी गई है और तदनुसार सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।</p>
6	<p>नोट संख्या 4 (ग) के अनुसार, 31-03-2022 तक निधि संग्रह (व्यापार सुविधा केंद्र) में जमा में 96,94,118 रुपये थे, कंपनी ने वसूल किए गए किराए, उस पर खर्चों/करों, निधि संग्रह में जमा नहीं की गई धनराशि पर अर्जित ब्याज, सुविधाओं के निर्माण के लिए देय राशि का मिलान उपलब्ध नहीं कराया है, इसलिए खातों पर इसके प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।</p>	<p>टीएफसी और सीएम परियोजना विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) को सौंपी गई। एनएचडीसी को वि.आ.(हस्तशिल्प) से 1.82 करोड़ रुपये प्राप्त करने हैं, जिसमें रखरखाव और विद्युत शुल्क आदि सहित अन्य खर्च शामिल हैं। केवल दोनों पक्षों से पूर्ण मिलान के बाद (देय और प्राप्य) आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी।</p>

S. N.	Comments of Statutory Auditors	Reply of the Board of Directors
		As per instruction of the Board to ascertain the amount outstanding from the societies/user agencies and the suppliers, the transaction audit from a SEBI empanelled forensic auditor from 1st April, 2017 onwards has been initiated. On completion, the report of the same shall be presented to the Board and after ascertaining the actual amount, Board shall give necessary instruction in this regard.
4.	As stated in Note No. "4A" Rs. 22,10,60,097/- is Standing to the Credit of Corpus Fund (Marketing Complex) and correspondingly invested in Fixed Deposits as Per Schedule 11 of the Balance Sheet. Interest earned on Fixed Deposits of Corpus Funds (Market Complexes) till 31 st March 2017, was credited to respective Corpus Fund, but during the financial year 2017-18 and 2018-19 the interest on fixed deposit amounting to Rs. 1.22 Cr and Rs. 1.20 Cr respectively has been taken as interest income of the Corporation instead of crediting to the Corpus Fund (Marketing Complex). However, from financial year 2019-20 onwards, interest income earned on FDR of Corpus Funds (Market Complexes) has been credited to Corpus Funds (Market Complexes). The company has not provided any reply in this regard; hence we are unable to comment on excess amount refundable to the Corpus Fund referred above.	Corrective action in this regard requires a detailed analysis and reconciliation of past interest income, so as to assess the most appropriate accounting treatment/ corrective action under the Companies Act, 2013 and the Income Tax Act, 1961. In this regard, as directed by the Board of Directors, expert opinion is being sought and corrective action shall be taken accordingly.
5.	As Per Note No. "4(B)", As on 31-03-2022 Rs. 11,20,27,418/- was standing to the Credit of Corpus Fund (Mega Cluster), till 31 st March 2017, the interest on fixed deposit has been taken as Interest income of the Corporation, instead of crediting to the Corpus Fund (Mega Cluster) during the financial year 2017-18 and 2018-19, However, from financial year 2019-20, interest income earned on FDR of Corpus Fund (Mega Cluster) has been credited to Corpus Funds (Mega Cluster). The company has not provided any reply in this regard; hence we are unable to comment on excess amount refundable to the Corpus Fund referred above.	As explained in above point, expert opinion is being sought and corrective action shall be taken accordingly.
6	As Per Note No '4(C)', As on 31-03-2022 Rs 96,94,118/- was standing to the Credit of Corpus Fund, (Trade Facilitation Centre), The Company has not been provided the reconciliation of rent recovered, expenses/taxes thereon, interest earned on the funds not credited to Corpus, amount payable for the construction of facility, Hence the impact thereof on the accounts cannot be ascertained.	TFC & CM projects were handed over to Development Commissioner (Handicraft). NHDC has to receive Rs. 1.82 Crores from the O/o DC (H/C), which includes other expenses i.e. maintenance and electricity charges etc. Reconciliation of payables as well as receivables from both sides is being carried out. Thereafter, on completion, necessary action shall be initiated.

क्र. सं.	सांविधिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियां	निदेशक मंडल का उत्तर
7	कंपनी ने वर्ष 18-19, 19-20 और 20-21 में आयोजित प्रदर्शनी पर किए गए खर्च के निमित्त वस्त्र मंत्रालय, केंद्र सरकार से वसूली योग्य क्रमशः 52556/- रुपये, 16175813/- रुपये और 144057/- रुपये दर्शाए हैं, जो वस्त्र मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिपूर्ति योग्य नहीं हैं। अतः 16372426/- रुपये की सीमा तक वस्त्र मंत्रालय से वसूल किए जाने वाले दावों का उल्लेख अधिक कर दिया गया है और घाटे को कम बताया गया है।	सभी दावे एमओटी में प्रस्तुत किए गए हैं, सीएनए खाते के कारण, भुगतान अभी भी एमओटी से प्राप्त नहीं हुआ है। एमओटी से भुगतान प्राप्त करने के बाद, आवश्यक समायोजन किया जाएगा।
8	वित्त वर्ष 2017-18, 2019-20 और 2020-21 में आयोजित की जाने वाली प्रदर्शनियों के लिए क्रमशः 3640000/- रुपये, 5600000/- रुपये और 42315000/- रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है, लेकिन प्रदर्शनियों का आयोजन नहीं किया गया और न ही प्राप्त राशि वस्त्र मंत्रालय को वापस की गई। अनुदान की शर्तों के अनुसार, यदि राशि का उपयोग उस प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता है जिसके लिए इसे मंजूरी दी गई है, तो अनुदानकर्ता को ब्याज के साथ अनुदान की राशि 10% प्रति वर्ष की दर से या इस संबंध में समय-समय पर लागू दरों पर वापस करना होगा। कंपनी ने अनुदान पर देय ब्याज की राशि की गणना और हिसाब नहीं दिया है, इसलिए उस सीमा तक घाटे और वस्त्र मंत्रालय को वापस की जाने वाली राशि को कम करे बताया गया है।	वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए प्रदर्शनियों हेतु एमओटी से अनुदान प्राप्त हुआ और कोविड 19 परिस्थितियों के कारण, कुछ प्रदर्शनियों का आयोजन नहीं किया जा सका। सभी व्ययों के समायोजन के बाद, 2,89,41,260/- रुपये की शेष राशि सीएनए खाते के माध्यम से एमओटी को वापस कर दी गई।
9	कंपनी ने 112212721/- रुपये की प्राप्य अनुदान राशि और 31881478/- रुपये की अनुदान वापसी योग्य राशि के संबंध में कोई दस्तावेज और स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया है, जैसा कि संलग्न अनुबंध 'घ' में उल्लिखित है; इसलिए हम उस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	भारत सरकार से प्राप्त अनुदान राशि के लिए लेखा परीक्षकों को ब्योरा उपलब्ध करा दिया गया है। 6.61 करोड़ रुपये (लगभग) की यू/सी राशि पहले ही एमओटी को प्रस्तुत की जा चुकी है। मिलान और समायोजन के लिए एनएचडीसी के पास शेष राशि उपलब्ध है।
10	कंपनी ने क्लस्टर कारीगरों के मानचित्रण और वीडियो फिल्मांकन के लिए दिसंबर 2020 में प्राप्त अनुदान 9000000 रुपये के उपयोग की कोई स्थिति प्रदान नहीं की है; इसलिए हम उस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	लेखा परीक्षकों को ब्योरा पहले ही उपलब्ध करा दिया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में राशि का उपयोग किया गया है।
11	कंपनी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2021 के अवसर पर हस्तशिल्प पुरस्कार-2017 के आयोजन पर खर्च न किए गए 3504800/- रुपये के उपयोग/वापसी की कोई स्थिति प्रदान नहीं की है, इसलिए हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	यह राशि चालू वित्त वर्ष में खर्च की गई है और शेष राशि वापस कर दी जाएगी। एमओटी से प्राप्त 110.18 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई। उपरोक्त में से 35.04 करोड़ रुपये की राशि वित्त वर्ष 2021-22 में लंबित थी और इसे चालू वित्त वर्ष में समायोजित किया जाएगा।
12	कंपनी ने नवंबर, 2019 से मार्च, 2022 की अवधि के लिए संतुष्टी शॉप के संबंध में 3475824/- रुपये के व्यय का दावा किया है, हालांकि इस संबंध में सरकार से प्राप्त कोई अनुमोदन हमें प्रदान नहीं किया गया है, इसलिए हम इसकी वसूली पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।	लेखा परीक्षकों को विवरण प्रदान किया गया। प्रतिपूर्ति के रूप में वस्त्र मंत्रालय को राशि का दावा किया जाएगा।
13	कंपनी ने प्रदर्शनियों पर किए गए व्यय के संबंध में लेखांकन के उपायन आधार का पालन नहीं किया है, क्योंकि यह देखा गया है कि ठेकेदार के खाते को चालान की प्राप्ति के समय नहीं बल्कि भुगतान किए जाने के समय जमा किया जाता है और टीडीएस भी केवल तभी काटा जाता है।	यह मामला वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान एक अदालती मामले के रूप में था और इसे चालू वित्त वर्ष में हल कर लिया गया है। टीडीएस सहित सभी भुगतान/जीएसटी संबंधी टीडीएस चालू वित्त वर्ष में पहले ही जमा किए जा चुके हैं।
14	कंपनी ने 12260292/- रुपये के चालान पर माल और सेवा कर अधिनियम के तहत टीडीएस की कटौती नहीं की है।	

S. N.	Comments of Statutory Auditors	Reply of the Board of Directors
7	The Company has shown Rs 52556/-, Rs 16175813/- and Rs 144057/- recoverable from Ministry of Textile, Central Government (here in after referred as "MOT") on account of expenses incurred on 'Exhibition organized in F Y 18-19,19-20 & 20-21 respectively, which as per guidelines of MOT are not reimbursable. Hence to the extent of Rs 16372426/- the claims recoverable from MOT are over stated and loss is under stated.	All the claims have been submitted to MOT, due to CNA account, the payment still not received from the MOT. After receiving the payment from MOT, necessary adjustment will be made.
8	Grants for the exhibitions to be conducted in FY 2017-18,2019-20 & 2020-21 amounting to Rs 3640000/-, 5600000/- & 42315000/- respectively has been received but exhibitions were not held neither the amount received are refunded back to MOT. As per the terms of the grant if the amount is not utilized for the purpose for which the same has been sanctioned, the grantee will be required to refund the amount of the grant with interest thereon @10% per annum or rates applicable from time to time in this regard. The company has not calculated and accounted for the amount of interest payable on the grant, hence to that extent loss and amount refundable to MOT are under stated.	Grants received from MOT for exhibitions for the Financial Years 2019-20 & 2020-21, due to Covid 19 situations, some exhibitions could not be held. After adjustments of all the expenditures, the balance amount of Rs. 2,89,41,260/- refunded to MOT through CNA Account.
9	The company has not provided any documents and explanation with respect to Grants Receivable amounting to Rs 112212721/- and Grant Refundable amounting to Rs 31881478/- as referred in Annexure 'D' annexed here with; hence we are unable to comment thereon.	Details has been provided to the Auditors for Grant Amount received from GoI. U/C amount of Rs. 6.61 Crores (Approx.) already submitted to MOT. Balance is available with NHDC for reconciliation and adjustments.
10	The Company has not provided any status of utilization of grant Rs 9000000 received in Dec 2020 for Mapping and Video filming of cluster artisans; hence we are unable to comment thereon.	Details has already been provided to the Auditors. Amount has been utilized during current financial year i.e. 2022-23.
11	The Company has not provided any status of utilization/ refund of Rs 3504800/- remaining unspent on organizing Handicrafts Awards-2017 on the occasion of National Handloom Day 7th August-2021, hence we are unable to comment thereon.	The amount has been spent in current financial year and Balance shall be refunded. Amount of Rs. 110.18 Lacs received from MOT. Out of the above, amount of Rs. 35.04 Lacs was pending in F.Y. 2021-22 and shall be adjusted in current financial year.
12	The Company has claimed expenditure of Rs 3475824 /- on santushti shop for the period November, 2019 to March, 2022, however no approval received from Government in this regard is provided to us hence we are unable to comment on the recoverability thereof.	Details provided to the Auditors. Amount will be claimed to MOT as a reimbursement.
13	The Company has not followed accrual basis of accounting with respect to expenditures incurred on exhibitions, as it is noticed that contractor's account is credited not at the time of receipt of invoice but at the time payment is made and TDS is also deducted then only.	The matter was in a court case during F.Y. 2021-22 and the same has been decided upon in current financial year. Consequently, all the payments including TDS/ TDS on GST has already been deposited in current financial year.
14	The Company has not deducted TDS under Goods and Service Tax Act, on invoices amounting to Rs 12260292/-	

क्र. सं.	सांविधिक लेखा परीक्षक की टिप्पणियां	निदेशक मंडल का उत्तर
15	<p>वस्त्र मंत्रालय की योजना के अंतर्गत हुडको प्लाजा, बीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली में हथकरघा विपणन परिसर की स्थापना के संबंध में यह देखा गया है कि लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक कार्यालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 09/03/2022 की उनकी रिपोर्ट में निम्नलिखित टिप्पणियां की जा रही हैं, जिनके लिए प्रबंधन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है</p> <p>(क) बकाया राशि का भुगतान न करने का कोई कारण रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं था। कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते एनएचडीसी यह सुनिश्चित करने में विफल रही है कि 2017 के बाद एसडीएमसी को संपत्ति कर का वैधानिक भुगतान किया गया है और आगे बिल्डर (हुडको) को 157.17 लाख रुपये के ग्राउंड रेंट और मेंटेनेंस चार्ज के बकाया का भुगतान नहीं किया गया है। इससे हुडको के साथ लीज डीड का निष्पादन प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा, जुर्माना शुल्क अर्जित होगा और एनएचडीसी के खिलाफ जुर्माना कार्रवाई की जा सकती है क्योंकि यह दुकानों का मूल आवंटि है।</p> <p>(ख) एनएचडीसी ने उन लाभार्थी एजेंसियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है जिन्होंने अपने हिस्से के व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की, इसके बजाय यह स्वयं हुडको का डिफॉल्टर बन गया है।</p> <p>(ग) एनएचडीसी को नियमित रूप से अपनी देय राशियों का भुगतान करने वाली लाभार्थी एजेंसियों द्वारा देय राशियों के भुगतान के लिए कोई और अनुदेश या व्यवस्था नहीं की गई है।</p> <p>(घ) एनएचडीसी द्वारा आवंटित दुकानों में से लाभार्थी एजेंसियों द्वारा बिक्री/व्यवसाय आदि का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया था जिससे कि योजना के लाभों के संदर्भ में उनके प्रदर्शन की पुष्टि की जा सके, जिसमें सरकार ने हथकरघा एजेंसियों को विपणन परिसर की दुकानों की खरीद के लिए 3.35 करोड़ रुपये की 50% अनुदान सहायता प्रदान की है। यदि एनएचडीसी द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं किए जाने के कारण लीज डीड निष्पादित नहीं की जाती है तो योजना पर सरकारी खर्च व्यर्थ जा सकता है।</p>	<p>अप्रत्याशित परिस्थितियों और कोविड-19 महामारी के कारण 2018 से एनएचडीसी में विपणन परिसरों से संबंधित मुद्दे लंबित थे। बकाया भुगतान के लिए हुडको और आईएचसी के अधिकारियों के साथ 05/04/2022 को मुख्यालय में एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि विपणन परिसर के कब्जाधारी (आक्यूपन्ट) से ग्राउंड रेंट/मेंटेनेंस चार्ज/प्रॉपर्टी टैक्स प्राप्त होने के बाद ही हुडको/आईएचसी/एसडीएमसी को बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। विपणन परिसर के सभी कब्जाधारियों को अपने बकाया का तुरंत भुगतान करने के लिए पत्र जारी किए गए थे। बकाया राशि प्राप्त होने के बाद ही दुकानों का पंजीकरण किया जाएगा। देय राशियों की शीघ्र वसूली के लिए नियमित रूप से व्यक्तिगत दौरे और अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। आगे की स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा।</p>
16	<p>कंपनी ने वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय में 3 वर्षों से अधिक समय तक देनदारों के निमित्त 245.65 रुपये की राशि का कोई प्रावधान नहीं किया है, जिसमें से 194.22 करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दर्ज किए गए फर्जी, संदिग्ध लेनदेन से संबंधित हैं, जैसा कि ऊपर बिंदु संख्या (1) में उल्लिखित है। यह भी देखा गया है कि कंपनी ने 6.74 करोड़ रुपये के बकाया के निमित्त कोई प्रावधान नहीं किया है, क्योंकि इसे वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए क्लस्टर निधि संग्रह के निमित्त समायोज्य माना गया है, जिसे मार्जिन मनी के रूप में उपयोग किया जाना है। यह प्रावधान किए जाने से देनदारों के लिए 252.39 करोड़ रुपये की कमी आएगी और घाटा 252.39 करोड़ रुपये अधिक होगा।</p>	<p>2. समितियों/प्रयोक्ता एजेंसियों और आपूर्तिकर्ताओं से बकाया राशि का पता लगाने के लिए बोर्ड के निर्देश के अनुसार, 1 अप्रैल, 2017 से लेनदेन लेखा परीक्षा शुरू की गई है। इसके पूरा होने पर, यह रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।</p> <p>3. कार्यान्वयन एजेंसी से प्राप्त क्लस्टर निधि संग्रह 6.74 करोड़ रुपये है। क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत निधि संग्रह के रूप में प्राप्त 16.59 करोड़ रुपये की राशि के कारण निधि संग्रह का प्रावधान प्रदान नहीं किया जा सकता है।</p>

एनएचडीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

ह./-
सुश्री शुभ्रा
अध्यक्ष

दिनांक : 12.12.2022

स्थान : नई दिल्ली

S. N.	Comments of Statutory Auditors	Reply of the Board of Directors
15	<p>In respect of setting up of the Handloom Marketing Complex at HUDCO Plaza, Bikaji Cama Place New Delhi under the scheme of Ministry of Textiles, it is noticed that the following observations are being made in respect of by office of Principal Director of Audit New Delhi in their report dt 09/03/2022, for which no reply is provided by the Management:</p> <p>(a) No reason for non-payment of the dues were available on records. NHDC being the nodal/implementation agency, has failed to ensure that statutory payment of property tax made to SDMC after 2017 and further has not paid arrears of ground rent and the maintenance charges to the Builder (HUDCO) of Rs 157.17 lakh. This may affect the execution of lease deed with HUDCO. Further, penalty charges would accrue and penalty action may be taken against the NHDC since it is the original allottee of the shops.</p> <p>(b) NHDC has not taken any action against the beneficiary agencies who did not reimburse their share of expenditure, instead it itself has become defaulter to HUDCO.</p> <p>(c) There is no further instruction or arrangement of payment of dues by the beneficiary agencies who have been paying their dues regularly to NHDC.</p> <p>(d) No records of sale/business etc. by beneficiary agencies, from the shops allotted, was maintained by NHDC to vouch their performance in terms of benefits of the scheme wherein the Government has provided 50% grant assistance to Handloom Agencies Rs 3.35 crore for purchase of the shops of Marketing Complex. The government expenditure on the scheme may go waste if, lease deed is not made due to non-payment of dues by NHDC.</p>	<p>NHDC since 2018 due to unforeseen circumstances and Covid 19 pandemic, the issues related to marketing complexes were pending. A meeting was held on 05/04/2022 in head office with officials of HUDCO and IHC for payment of dues. It has been clearly stated in the meeting that only after receipt of ground rent/maintenance charges/property tax from occupants of marketing complex the dues shall be paid to HUDCO/IHC/SDMC. Letters were issued to all occupants of marketing complex to clear their dues immediately. Only after receipt of dues the shops shall be registered. Personal visits and follow up are being made regularly for speedy recovery of dues. Further status shall be intimated.</p>
16	<p>The Company has not made any provision against the Debtors for more than 3 years amounting to Rs 245.65 at Varanasi Regional Office of which Rs 194.22 crores relates to bogus, dubious transactions entered by Varanasi Regional Office during F.Y 2018-19 as referred in point no(1) above. It is further noticed that the company has not made any provision against outstanding of Rs 6.74 crores considering the same adjustable against the cluster corpus fund provided by Ministry of Textiles to be used as margin money. That the provision been made the Sundry Debtors would be lower by Rs 252.39 crores and loss would have been more by 252.39 crores.</p>	<ol style="list-style-type: none"> As narrated in point no. 1 Board shall give necessary instruction after ascertaining actual amount in transaction audit. Further, Rs. 6.74 Crores is cluster corpus fund received from Implementing Agency. Provision of corpus fund cannot be provided due to amount of Rs. 16.59 Crores received as Corpus Fund under cluster development program.

For and on behalf of Board of Directors

Date: 12.12.2022
Place: New Delhi

Sd/-
Shubhra
Chairperson

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सचिवीय लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों के संबंध में उत्तर

सं.	सचिवीय लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां	निदेशक मंडल का उत्तर
क)	<p>जैसा कि पिछले वर्ष की हमारी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट में सूचित किया गया था, निगम ने 31 दिसंबर 2020 को आयोजित अपनी 37 वीं एजीएम के बजाय 31 जून, 2021 को आयोजित अपनी स्थगित एजीएम में 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने लेखा विवरण को स्वीकार था, इसलिए निगम ने धारा 134 के साथ पठित धारा 96 और धारा 129 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों का उल्लंघन किया था। प्रबंधन ने सूचित किया है कि निगम के वार्षिक लेखाओं पर ऑडिट रिपोर्ट 4 जनवरी, 2021 को सांविधिक लेखा परीक्षकों से प्राप्त हुई थी और सी एंड एजी की पूरक लेखा परीक्षा के बाद, संशोधित हस्ताक्षरित ऑडिट रिपोर्ट निगम को 02 जून 2021 को ही प्राप्त हुई थी।</p>	<p>कोविड-19 के कारण, वित्त वर्ष 2019-20 की वार्षिक आम बैठक के संचालन के लिए 3 महीने का सामान्य विस्तार कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा उनके दिनांक 08.09.2020 के आदेश के माध्यम से दिया गया था।</p> <p>एनएचडीसी के निदेशक मंडल ने 19 नवंबर, 2020 को आयोजित अपनी 163 वीं बोर्ड बैठक में वित्त वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखों को मंजूरी दी। हालांकि, सांविधिक लेखा परीक्षकों को बार-बार अनुस्मारक के बावजूद, निगम को वित्त वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखा पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट और उस पर सीएंडएजी टिप्पणियां वित्त वर्ष 2019-20 की एजीएम की नियत तारीख यानी 31 दिसंबर, 2020 तक प्राप्त नहीं हुई थीं। तदनुसार, 31 दिसंबर, 2020 को आयोजित एनएचडीसी की 37 वीं एजीएम को वित्त वर्ष 2019-20 की सांविधिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर सीएंडएजी टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद की तारीख में आयोजित करने के लिए स्थगित कर दिया गया था। निगम को 4 जनवरी, 2021 को सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने निगम के वार्षिक लेखाओं की अनुपूरक लेखा परीक्षा की। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने सांविधिक लेखा परीक्षकों को निगम के वार्षिक लेखाओं पर दिनांक 30 दिसंबर, 2020 की अपनी रिपोर्ट को संशोधित करने का निर्देश दिया। इसके बाद सांविधिक लेखा परीक्षकों सीएंडएजी को अपनी संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत की। बाद में सीएंडएजी ने वित्त वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखाओं तथा संशोधित लेखा परीक्षक रिपोर्ट पर शून्य टिप्पणी जारी की। संशोधित लेखा परीक्षक की हस्ताक्षरित प्रति निगम को 02 जून, 2021 को प्राप्त हुई थी। कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रभाव के कारण वित्त वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखाओं को स्वीकार करने के लिए 30 जून, 2021 को बैठक आयोजित की गई थी।</p>
ख)	<p>जहां कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अहर्ता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) और 149 (5) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को कंपनी के बोर्ड में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति करना अपेक्षित था। एक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक, अर्थात् श्री अनिल कुमार सूद को तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, 18 अक्टूबर 2019 से नियुक्त किया गया था। इसके अलावा सुश्री योगिता सिंह को तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, 09 नवंबर, 2021 से गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। इसलिए कंपनी ने 08 नवंबर, 2021 तक उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।</p>	<p>निगम एक पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी कंपनी है और निदेशकों को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दिनांक 18 अक्टूबर, 2019 के स.आ. संख्या 11/26/82-डीसीएच/एनएचडीसी/(खंड IV) के तहत, भारत के माननीय राष्ट्रपति ने दिनांक 18 अक्टूबर, 2019 से श्री अनिल कुमार सूद को तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया था। कंपनी एक अन्य स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को लगातार पत्र लिख रही थी। इसके अलावा, दिनांक 09 नवंबर, 2021 के स.आ. संख्या 11/26/82-डीसीएच/एनएचडीसी/(खंड IV) के माध्यम से, भारत के माननीय राष्ट्रपति ने श्रीमती योगिता सिंह को तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया था।</p>

ANNEXURE D TO THE DIRECTORS REPORT

REPLY ON THE OBSERVATIONS OF THE SECRETARIAL AUDITORS FOR THE FY 2021-22

	OBSERVATIONS OF SECRETARIAL AUDITORS	REPLY OF THE BOARD OF DIRECTORS
a)	<p>As informed in our Secretarial Audit Report of previous year, the Corporation had adopted its statement of accounts for the financial year ended 31st March, 2020 in its adjourned AGM held on 30th June 2021 instead in its 37th AGM held on 31st December 2020, hence the Corporation had violated the provisions of Section 96 & Section 129 read with 134 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013. The management has informed that the Audit Report on the Annual Accounts of the Corporation was received from the Statutory Auditors on 4th January, 2021 and after the supplementary Audit of C&AG, the revised signed Audit Report was received by the Corporation only on 02nd June 2021.</p>	<p>Due to Covid 19, general extension of time by 3 months, for conduction of Annual General Meeting of FY 2019-20 was given by the Ministry of Corporate Affairs vide its order dated 08.09.2020.</p> <p>The Board of Directors of NHDC approved the Annual Accounts of FY 2019-20 in its 163rd Board meeting held on 19th November, 2020. However, in spite of repeated reminders to the Statutory Auditors, the Corporation had not received the Auditors Report and C&AG comments thereon on the Annual Accounts of FY 2019-20 till the due date of AGM of FY 2019-20, i.e. 31st December, 2020. Accordingly, the 37th AGM of NHDC held on 31st December, 2020 was adjourned to be held on a later date, after receiving the Statutory Auditor Report of FY 2019-20 and C&AG comments on the Annual Accounts and Auditor's Report. The Corporation had received the Statutory Auditors Report on 4th January, 2021. After submission of the Statutory Audit report with C&AG, C&AG conducted a supplementary Audit on the Annual Accounts of the Corporation. C&AG directed the Statutory Auditors to revise their report dated 30th Dec, 2020, on the Annual Accounts of the Corporation. The Statutory Auditors then submitted their revised report with C&AG. C&AG then issued NIL comments on the Annual Accounts and Revised Auditors Report for FY 2019-20. Signed copy of the revised Statutory Auditor Report was received by the Corporation only on 02nd June, 2021. Due to the impact of 2nd wave of Covid 19, the AGM for adoption of Annual Accounts of FY 2019-20 was held on 30th June, 2021.</p>
b)	<p>Where as in term of the provisions of Section 149(4) & 149(5) of the Companies Act, 2013 read with rule 4 of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, the Company was required to appoint at least two Independent Directors on the Board of the Company. One Non-official Independent Director, namely Shri Anil Kumar Sood was appointed for a period of three years or till further orders, whichever is earlier w.e.f. 18th October 2019. Further Ms. Yogita Singh was appointed as Non-official Independent Director for a period of three years or till further orders, whichever is earlier w.e.f. 09th November, 2021. Hence the Company has not complied with the aforesaid provisions till 08th November, 2021.</p>	<p>The Corporation is a wholly owned Government Company and Directors are appointed by the Hon'ble President of India. Vide GO no. 11/26/82-DCH/NHDC / (Vol. IV) dated 18th October, 2019 w.e.f. 18th October, 2019, Hon'ble President of India had appointed Shri Anil Kumar Sood as a Non- Official Independent Director for a period of three years or till further order whichever is earlier. The Company had been constantly writing to the administrative Ministry for appointing another Independent Director. Further, vide GO no 11/26/82-DCH/NHDC/(Vol. IV) dated 09th November, 2021, Hon'ble President of India had appointed Smt. Yogita Singh as a Non-Official Independent Director for a period of three years or till further order whichever is earlier.</p>

सं.	सचिवीय लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां	निदेशक मंडल का उत्तर
	<p>कंपनी (बोर्ड की बैठक और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (1) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को स्वतंत्र निदेशकों के बहुमत के साथ बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का गठन करना अपेक्षित था। हालांकि, निगम ने 08 दिसंबर 2021 को अपनी बोर्ड बैठक में स्वतंत्र निदेशकों की पर्याप्त संख्या के साथ बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन किया (केवल दूसरे एनओडी की नियुक्ति के बाद)। इसलिए, निगम ने 07 दिसंबर 2021 तक उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।</p>	<p>इसके अलावा, दूसरे एनओडी की नियुक्ति पर बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों के साथ पुनर्गठित किया गया था और कंपनी (बोर्ड की बैठक और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 (1) के प्रावधानों का अनुपालन किया गया था।</p>
ग)	<p>जहां कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को जोखिम प्रबंधन नीति की अपेक्षा थी, कंपनी ने कोई औपचारिक जोखिम प्रबंधन नीति नहीं अपनाई है। तथापि, प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कंपनी ने जोखिम प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक उपाय अपनाए हैं।</p>	<p>कंपनी ने कोई औपचारिक जोखिम प्रबंधन नीति नहीं अपनाई है। हालांकि, कंपनी ने जोखिम के प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक उपायों को अपनाया है।</p>
घ)	<p>लखनऊ शाखा कार्यालय में यार्न आपूर्ति योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के मामले में और पिछले वर्ष की हमारी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में, प्रबंधन ने सूचित किया है कि फॉरेंसिक लेखा परीक्षक और सतर्कता जांच की रिपोर्ट 28.09.2021 को आयोजित 167 वीं बोर्ड बैठक में रखी गई थी और क्रमशः फॉरेंसिक लेखा परीक्षक और सीवीओ टीम द्वारा निदेशक मंडल को 05 अक्टूबर, 2021 को आयोजित उनकी 168 वीं बोर्ड बैठक में प्रस्तुत की गई थी। उपर्युक्त 168वीं बैठक में निदेशक मंडल के निर्देशों पर, आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए फॉरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सतर्कता रिपोर्ट सीबीआई को प्रस्तुत की गई थी।</p> <p>इसके अलावा, इस मामले पर अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने 3 (तीन) अधिकारियों—श्री रवीश टंडन, प्रबंधक (वाणि.), श्री हसन अब्बास, अधिकारी (एफ एंड ए) और श्री बीके महापात्रा, वरिष्ठ अधिकारी (वाणि.) को दोषी पाया और उनके खिलाफ क्रमशः 11 मार्च, 2022 को सेवा से 'निरस्त' करने, जो सरकार या सरकार के स्वामित्व वाले या नियंत्रित सीपीएसई के तहत भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्यता नहीं माना जाएगा और 23 मार्च 2022 को 'अनिवार्य सेवानिवृत्ति' का दंड दिया गया।</p>	<p>वित्त वर्ष 2018-19 में लखनऊ कार्यालय में वाईएसएस से संबंधित 190.82 करोड़ रुपये की खरीद/बिक्री चालान रद्द कर दिए गए थे और निगम ने इस मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)/मुख्य सतर्कता आयोग (सीवीसी) को भेज दिया था। इस संबंध में सीबीआई ने एक पत्र जारी किया, जिसके अनुसार, प्रथम दृष्टया, ऐसा प्रतीत होता है कि आपूर्तिकर्ता मिलों द्वारा रद्द की गई बिक्री पर जीएसटी के भुगतान को छोड़कर, एनएचडीसी को जांच की गई बिक्री को रद्द करने के कारण कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह सलाह दी जाती है कि संबंधित अधिकारियों की संलिप्तता का पता लगाने के लिए मामले में गहन सतर्कता जांच की जाए और साथ ही यदि आवश्यक हो तो फॉरेंसिक लेखा परीक्षा की जाए ताकि सरकारी खजाने को हुई गैरकानूनी हानि की मात्रा, यदि कोई हो, का पता लगाया जा सके और तदनुसार मामले का निपटारा किया जा सके। हालांकि, अधिकारियों की संलिप्तता का पता चलने और नुकसान का पता चलने के बाद एनएचडीसी मामले को सीबीआई को वापस भेज सकता है।</p> <p>सीबीआई के पत्र के अनुसार, फॉरेंसिक ऑडिट और सतर्कता जांच प्रबंधन और सीवीओ द्वारा की गई थी। इस मामले पर फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट क्रमशः फॉरेंसिक ऑडिटर और सीवीओ टीम द्वारा निदेशक मंडल के समक्ष 05.10.2021 को प्रस्तुत की गई थी। निदेशक मंडल के निर्देशों और उपर्युक्त सीबीआई पत्र के अनुसार, इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए फॉरेंसिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट सीबीआई को प्रदान की गई है।</p>

	OBSERVATIONS OF SECRETARIAL AUDITORS	REPLY OF THE BOARD OF DIRECTORS
	In term of the provisions of Section 177(1) of the Companies Act, 2013 read with rule 6 of the Companies (Meeting of Board and its powers) Rules, 2014, the Company was required to constitute an Audit Committee of the Board with the majority of Independent Directors, however, the Corporation reconstituted the Audit Committee of Board with sufficient number of Independent Directors (only after the appointment of the second NOD) in its Board Meeting held on 08th December 2021. Hence, the Corporation has not complied with the aforesaid provisions till 07th December 2021.	Further, on appointment of second NOD the Audit Committee of the Board was reconstituted with the sufficient number of Independent Directors and complied with the provisions of Section 177(1) of the Companies Act, 2013 read with rule 6 of the Companies (Meeting of Board and its powers) Rules, 2014.
c)	Where as in term of the provisions of Section 134(3) of the Companies Act, 2013 the Company was required to have a Risk Management policy, the Company has not adopted any formal Risk Management policy. However as informed by the Management the Company has adopted all necessary measures for the management of the risk.	The Company has not adopted any formal Risk Management policy. However, the Company has adopted all necessary measures for the management of the risk
d)	<p>In the matter of irregularities in the implementation of Yarn Supply Scheme in Lucknow Branch Office and with reference to our Secretarial Audit Report of previous year, the management has informed that the report of the Forensic Auditor and the Vigilance probe were placed at the 167th Board meeting held on 28.09.2021 and were presented by the Forensic Auditor and the CVO team respectively, before the Board of Directors in its 168th Board meeting held on 05th October, 2021. On the directions of the Board of Directors in the aforementioned 168th meeting, the Forensic Audit Report and the Vigilance report were submitted to CBI for further necessary action.</p> <p>Further, on the matter, the Disciplinary Authority found 3 (three) officials namely-Shri Ravish Tandon, Manager (Comm), Shri Hasan Abbas, Officer (F&A) and Shri B.K. Mahapatra, Sr. Officer (Comm) guilty and imposed the 'Dismissal' on 11th March, 2022, Removal from Service, which shall not be a disqualification for future employment under the Government or the CPSE owned or controlled by the Government and 'Compulsory retirement' penalty on 23rd March 2022, against them respectively.</p>	<p>It had been reported in FY 2018-19, that purchase/sales invoices amounting to Rs.190.82 Crore pertaining to YSS were cancelled in Lucknow Office in FY 2018-19 and the Corporation had referred the matter to Central Bureau of Investigation (CBI) / Chief Vigilance Commission (CVC). In this regard, CBI issued a communication as per which, 'prima facie, it appears that there is no financial loss to NHDC incurred on account of cancellation of the questioned sale, except the payment of GST on the cancelled sale done by the supplier mills. In view of the above, it is advised to conduct a thorough vigilance probe in the matter to ascertain the culpability of the concerned officials as well as to conduct the forensic audit, if required in order to ascertain the quantum of unlawful loss caused, if any to the Government Exchequer and dispose of the matter accordingly. However, NHDC may revert back to CBI once culpability of officials is ascertained and the loss is established.'</p> <p>As per the CBI communication, the Forensic Audit and Vigilance probe were taken up by the management and the CVO. The Forensic Audit Report and the Vigilance Probe report on the matter were presented by the Forensic Auditor and the CVO team respectively, before the Board of Directors on 05.10.2021. As per the directions of the Board of Directors and the above mentioned CBI letter, the Forensic Audit Report and the Vigilance Probe Report has been provided to CBI for further necessary action in this regard.</p>

सं.	सचिवीय लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां	निदेशक मंडल का उत्तर
		सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17क के तहत पूर्व अनुमति मांगी है और संबंधित अधिकारियों द्वारा फिर से पुछताछ/जांच के लिए नई शिकायत मांगी गई है, इस पर निगम ने सीबीआई को एक नई शिकायत के साथ अनुमति देते हुए जवाब दिया है। निदेशक मंडल के अनुसार, समितियों/उपयोगकर्ता एजेंसियों और आपूर्तिकर्ताओं से बकाया राशि का पता लगाने के लिए, 1 अप्रैल 2017 से लेनदेन लेखा परीक्षा शुरू की गई है, इसके पूरा होने पर, इस संबंध में आगे आवश्यक निर्देशों के लिए रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।

एनएचडीसी लिमिटेड के निदेशक मंडल की ओर से

दिनांक : 12.12.2022
स्थान : नई दिल्ली

ह./—
सुश्री शुभ्रा
अध्यक्ष

	OBSERVATIONS OF SECRETARIAL AUDITORS	REPLY OF THE BOARD OF DIRECTORS
		<p>CBI has sought for prior permission u/s 17A of the Prevention of Corruption Act, 1988 & fresh complaint for further enquiry / investigation against the concerned officials, on this Corporation has replied giving permission along with a fresh complaint to CBI. As per the director of the Board, to ascertain amount outstanding from the societies/user agencies and the suppliers, transaction audit from 1st April 2017 onwards has been initiated, on completion, the report same will be presented to the Board for further necessary directions in this regard</p>

For and on behalf of Board of Directors

Sd/-
Shubhra
 Chairperson

Date: 12.12.2022
Place: New Delhi

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

(31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए)

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसरण में)

सेवा में,

सदस्य,

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालय, चौथा तल, वेगमेंस बिजनेस पार्क,
टावर-I, प्लॉट सं. 03, सेक्टर नॉलेज पार्क-III,
सूरजपुर-कासना मेन रोड, ग्रेटर नोएडा,
गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201306

हमने राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लि. (सीआईएन सं. यू17299यूपी1983जीओआई005974) (जिसे इसके पश्चात् कंपनी कहा गया है) द्वारा, लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छे कॉरपोरेट व्यवहार के पालन की सचिवीय लेखा परीक्षा की है। सचिवीय लेखा-परीक्षा इस तरीके से की गई थी जिसने हमें नैगमिक आचरणों/सांविधिक अनुपालनों का मूल्यांकन करने तथा उस पर अपने विचार व्यक्त करने का तर्कसंगत आधार प्रदान किया था।

सचिवीय लेखा-परीक्षा के दौरान पुस्तिकाओं, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फार्मों और फाइल किए गए रिटर्न (विवरणों) और कंपनी द्वारा रख-रखाव किए गए अन्य दस्तावेजों तथा कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के हमारे सत्यापन के आधार पर हम एतद्वारा यह सूचित करते हैं कि हमारी राय में, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष को शामिल करते हुए लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने इसके अंतर्गत सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और इसके पश्चात् दी गई सूचना की पद्धति और उसके अधीन सीमा तक कंपनी में समुचित बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र भी हैं:-

हमने 31 मार्च, 2022 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी की पुस्तिकाओं, कागजातों, कार्यवृत्त पुस्तिकाओं, फार्मों और फाइल किए गए रिटर्न (विवरणों) और कंपनी द्वारा रखरखाव किए गए अन्य दस्तावेजों की जांच, निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार की है:-

- (i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
- (ii) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम 1956 ('एससीआरए') और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों;-लागू नहीं क्योंकि कंपनी द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियां समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध नहीं थीं;
- (iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और विनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए उप-नियम-लागू नहीं क्योंकि कंपनी द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियां समाप्त नहीं की गई है और वे समीक्षाधीन अवधि के दौरान सूचीबद्ध नहीं थीं;
- (iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और बाह्य वाणिज्यिक उधारियों की सीमा तक इसके अंतर्गत बनाए गए नियम और विनियम-लागू नहीं क्योंकि कंपनी ने समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान कोई ऐसा लेन-देन नहीं किया है;

Secretarial Audit Report [For the Financial Year ended on 31st March, 2022]

[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No. 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,

The Members,

National Handloom Development Corporation Limited

Regd. Office: 4th Floor, Wegmans Business Park,

Tower-1, Plot No. 03, Sector Knowledge Park-III,

Surajpur- Kansa Main Road, Greater Noida,

Gautam Buddha Nagar, UP- 201306

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and adherence to good corporate practices by the **National Handloom Development Corporation Limited (CIN NO U17299UP1983GOI005974)** (hereinafter called the Company). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts / statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit, we hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period covering the financial year ended on **31st March 2022** complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board - Processes and Compliance -Mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the period ended on **31st March 2022** according to the provisions of:

- (i) The Companies Act, 2013 (**the Act**) and the Rules made thereunder;
- (ii) The Securities Contracts (Regulation) Act 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder; - **not applicable as the securities issued by Company were not listed during the period under review;**
- (iii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed there under; - **not applicable as the securities issued by Company are not dematerialized and were not listed during the period under review;**
- (iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the rules and regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings - **Not applicable as the Company has not made any such transaction during the financial year under review;**

- (v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत उल्लिखित निम्नलिखित विनियम और दिशानिर्देश कंपनी पर लागू नहीं थे क्योंकि कंपनी की प्रतिभूतियां संगत लेखापरीक्षा अवधि के दौरान सूचीबद्ध नहीं थी:-
- (क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयरों का व्यापक अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011;-
- (ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015;
- (ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (जारी पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम 2009;
- (घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014;
- (ङ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों जारी करना और सूचीबद्ध करना) विनियम, 2008;
- (च) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों की डिलिस्टिंग) विनियम, 2009;
- (छ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों को वापस लेना) विनियम, 2018;
- (ज) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (इश्यू और शेयर अंतरण एजेंट का पंजीयक) विनियम, 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक से संबंधित है; कंपनी, इश्यू के पंजीयक से संबंधित गतिविधियों में शामिल नहीं थी और यह शेयर अंतरण एजेंट के रूप में भी कार्य नहीं कर रही थी, अतएव, ये विनियम लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं थे।
- (vi) कंपनी के अन्य श्रम, पर्यावरण और लागू विशिष्ट अधिनियम/कानून, जिनकी पर्यावलोकन लेखा-परीक्षा के रूप में सचिवीय लेखा-परीक्षा की गई थी और यह सामान्यतः हमको उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों पर और कंपनी के प्रबंधन एवं अन्य लेखा-परीक्षा रिपोर्ट द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रबंधन पुष्टि प्रमाण-पत्र तथा अन्य पेशेवरों द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र पर आधारित/निर्भर था, कंपनी ने लेखा-परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू निम्नलिखित अधिनियमों/कानूनों का पालन किया है;
- (क) भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग), भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के लिए कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी दिशानिर्देश-मार्च, 2010;
- (ख) कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी जमा-संबद्ध बीमा योजना, 1976 तथा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952
- (ग) ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970
- (घ) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
- (ङ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
- (च) पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 और अन्य पर्यावरण कानूनों के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

- (v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act') **were not applicable to the company as the securities of the Company was not listed during the relevant audit period:**
- a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011; -
 - b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
 - c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009;
 - d) The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014;
 - e) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;
 - f) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009;
 - g) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018;
 - h) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Shares Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client; **The Company was not involved in the activities relating to Registrar to issue and also not acting as Share Transfer Agent hence the regulations were not applicable to the Company during the audit period;**
- (vi) Other labour, environment and specific applicable Acts / Laws to the Company for which Secretarial Audit was conducted as an overview audit and was generally based/ relied upon the documents provided to us and Management Confirmation Certificate provided by the Management of the Company & other audit report and certificates given by other professionals, the company has complied with the following Acts / Laws applicable to the Company during the audit period;
- (a) Guidelines on Corporate Social Responsibility for Central Public Sector Enterprises-March 2010 issued by the Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises (Department of Public Enterprises), Government of India;
 - (b) The Employees Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act 1952 & The Employees Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 and Employees Provident Fund Scheme, 1952
 - (c) The Contract Labour (Regulations and Abolition) Act 1970.
 - (d) Maternity Benefit Act 1961
 - (e) Minimum Wages Act, 1948
 - (f) Environment (Protection) Act 1986 read with The Environment (Protection) Rules 1986 and other Environment Laws.

- (छ) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) नियमावली, 2013 के साथ पठित कार्य-स्थल पर महिलाओं का यौन-उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013
- (ज) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

हमने भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानदंडों के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है।

हमने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे लागू वित्तीय कानूनों की जांच नहीं की है क्योंकि वे सांविधिक वित्तीय लेखा-परीक्षा और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अध्याधीन रहे हैं।

हम सूचित करते हैं कि समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानदंडों आदि का अनुपालन निम्नलिखित टिप्पणी के अध्याधीन किया है:—

- क) जबकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) और 149(5) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पठित कंपनी को कंपनी के बोर्ड में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने की आवश्यकता थी एक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक अर्थात् श्री अनिल कुमार सूद को तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, 18 अक्टूबर 2019 को नियुक्त किया गया था। सुश्री योगिता सिंह को तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, 09 नवंबर 2021 को गैर-आधिकारिक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। इसलिए कंपनी ने 8 नवंबर 2021 तक उक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।
- ख) इसके अलावा, कंपनी (बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(1) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी को अधिकांश स्वतंत्र निदेशकों के साथ बोर्ड की एक लेखा परीक्षा समिति का गठन करने की आवश्यकता थी, हालांकि, निगम ने 8 दिसंबर 2021 को आयोजित अपनी बोर्ड बैठक में पर्याप्त संख्या में स्वतंत्र निदेशकों (केवल दूसरी गैर-सरकारी निदेशक की नियुक्ति के बाद) के साथ बोर्ड की ऑडिट कमेटी का पुनर्गठन किया। इसलिए कंपनी ने 7 दिसम्बर 2021 तक उक्त प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।
- ग) जबकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को जोखिम प्रबंधन नीति की आवश्यकता थी, कंपनी ने कोई औपचारिक जोखिम प्रबंधन नीति नहीं अपनाई है। तथापि, जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, कंपनी ने जोखिम के प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक उपाय किए हैं।
- घ) पिछले वर्ष की हमारी सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि लखनऊ शाखा कार्यालय में सूत आपूर्ति योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं के मामले में प्रबंधन ने सूचित किया है कि मामले पर फॉरेंसिक लेखा परीक्षा और सतर्कता जांच की रिपोर्ट 28.09.2021 को आयोजित बोर्ड की 167वीं बैठक में रखी गई थी और दिनांक 5.10.2021 को आयोजित बोर्ड की 168 वीं बैठक में क्रमशः फॉरेंसिक लेखा परीक्षक और सीबीओ टीम द्वारा निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। उपरोक्त 168वीं बैठक में निदेशक मंडल के निर्देश पर फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और सतर्कता रिपोर्ट आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए सीबीआई को सौंपी गई थी।

इसके अलावा, अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने मामले पर, 3 (तीन) अधिकारियों – श्री रवीश टंडन, प्रबंधक (वाणिज्य), श्री हसन अब्बास, अधिकारी (एफएंडए) और श्री बी.के. महापात्रा, वरिष्ठ अधिकारी (वाणिज्य) को दोषी पाया है और 11 मार्च 2022 को 'बर्खास्तगी' लागू करते हुए, सेवा से निष्कासन, और 11 मार्च 2022 को 'बर्खास्तगी', सेवा से निष्कासन, जो सरकार या सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले सीपीएसई के तहत भविष्य के रोजगार के लिए अयोग्यता नहीं होगी' और 23 मार्च 2022 को उनके खिलाफ क्रमशः 'अनिवार्य सेवानिवृत्ति' जुर्माना लगाया।

- (g) The Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act 2013 read with The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Rules 2013.
- (h) Right to Information Act 2005.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India.

We have not examined the applicable financial laws, like direct and indirect tax laws, since the same have been subject to review by statutory financial audit and other designated professionals.

We report that during the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. as mentioned above subject to the following observation:

- a) *Whereas in term of the provisions of Section 149(4) & 149(5) of the Companies Act, 2013 read with rule 4 of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, the Company was required to appoint at least two Independent Directors on the Board of the Company. One Non-official Independent Director, namely Shri Anil Kumar Sood was appointed for a period of three years or till further orders, whichever is earlier w.e.f 18th October 2019. Further Ms. Yogita Singh was appointed as Non-official Independent Director for a period of three years or till further orders, whichever is earlier w.e.f 09th November 2021. Hence the Company has not complied with the aforesaid provisions till 8th November 2021.*
- b) *In term of the provisions of Section 177(1) of the Companies Act, 2013 read with rule 6 of the Companies (Meeting of Board and its powers) Rules, 2014, the Company was required to constitute an Audit Committee of the Board with the majority of Independent Directors, however, the Corporation reconstituted the Audit Committee of Board with sufficient number of Independent Directors (only after the appointment of the second NOD) in its Board Meeting held on 8th December 2021. Hence, the Corporation has not complied with the aforesaid provisions till 7th December 2021..*
- c) *Whereas in term of the provisions of Section 134(3) of the Companies Act, 2013 the Company was required to have a Risk Management policy, the Company has not adopted any formal Risk Management policy. However as informed by the Management the Company has adopted all necessary measures for the management of the risk.*
- d) *In the matter of irregularities in the implementation of Yarn Supply Scheme in Lucknow Branch Office and with reference to our Secretarial Audit Report of previous year, the management has informed that the reports of the Forensic Audit and the Vigilance Probe were placed at the 167th Board Meeting held on 28th September 2021 and were presented by the Forensic Auditor and the CVO team respectively before the Board of Directors in its 168th Board Meeting held on 5th October 2021. On the directions of the Board of Directors in the aforementioned 168th meeting, the Forensic Audit Report and the Vigilance report were submitted to CBI for further necessary action.*

Further, on the matter, the Disciplinary Authority found 3 (three) officials namely- Shri Ravish Tandon, Manager (Comm), Shri Hasan Abbas, Officer (F&A) & Shri B.K. Mahapatra, Sr. Officer (Comm) guilty and imposed the 'Dismissal' on 11th March 2022, Removal from Service, which shall not be a disqualification for future employment under the Government or the CPSE owned or controlled by the Government' and 'Compulsory retirement' penalty on 23rd March 2022, against them respectively.

आगे हम यह सूचित करते हैं कि:

1. जैसा कि पिछले वर्ष की हमारी सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट में सूचित किया गया था, निगम ने 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए अपने खातों के विवरण को 31 दिसंबर 2020 को आयोजित अपनी 37 वीं एजीएम के बजाय 30 जून 2021 को स्थगित एजीएम में अपनाया था, इसलिए निगम ने धारा 96 और धारा 129 के साथ पठित 134 और कंपनी अधिनियम 2013 के अन्य लागू प्रावधानों का उल्लंघन किया था। प्रबंधन ने सूचित किया है कि 4 जनवरी, 2021 को सांविधिक लेखा परीक्षकों से निगम के वार्षिक खातों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हुई थी और सीएंडएजी के पूरक ऑडिट के बाद, संशोधित हस्ताक्षरित ऑडिट रिपोर्ट निगम को 02 जून 2021 को ही प्राप्त हुई थी।
2. हमारे अवलोकन और प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार डीपीई के दिशानिर्देश के अनुसार कंपनी को विभिन्न अनिवार्य और अन्य मापदंडों के लिए वस्त्र मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) संपन्न करना होता है तथापि, 2017-18 के पश्चात् ऐसा कोई एमओयू संपन्न नहीं किया गया है। प्रबंधन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार निगम ने उन कारणों को स्पष्ट करते हुए प्रशासनिक मंत्रालय को वह सूचना भेजी है जिनके कारण निगम मापदंडों/लक्ष्यों को अंतिम रूप देने में असमर्थ रहा था और एमओयू संपन्न करने की छूट मांगी थी। इसके अलावा, जैसा कि प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया है, सरकारी योजना, जिसके लिए एनएचडीसी कार्यान्वयन एजेंसी है, को 25 अक्टूबर, 2021 को संशोधित किया गया था।
3. कंपनी ने उपर्युक्त को छोड़कर, कार्यपालक, गैर-कार्यकारी निदेशकों एवं स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ बोर्ड के गठन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई), के लिए कॉरपोरेट शासन (सीजी) दिशानिर्देश-2010 का अनुपालन किया है।
4. बोर्ड की बैठक निर्धारित करने के लिए कम से कम सात दिन अग्रिम में सभी निदेशकों को पर्याप्त नोटिस दिया गया है और इसके पश्चात् कार्यसूची तथा कार्यसूची संबंधी विस्तृत नोट भी सभी निदेशकों को अग्रिम में भेजा गया था और बैठक से पहले कार्यसूची मर्दों पर आगे की सूचना तथा स्पष्टीकरण मांगने और उसे प्राप्त करने तथा बैठक में सार्थक भागी दारी के लिए एक प्रणाली विद्यमान है। अल्प नोटिस के मामले में, कंपनी ने आईसीएसआई के सचिवीय मापदंड-1 के खंड 1.3.7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 के लागू प्रावधानों का अनुपालन किया है।
5. अधिकांश निर्णयों पर कार्रवाई की जाती है जबकि असंतुष्ट सदस्य के विचार, यदि कोई हों, को नोट किया जाता है और उसे कार्यवृत्त में अभिलेखित किया जाता है।
6. निदेशकों ने नियुक्ति के लिए अपनी पात्रता, अपने स्वतंत्र रहने और निदेशकों तथा प्रबंधन कार्मिकों के व्यवसाय आचार संहिता एवं नैतिकता के अनुपालन के संबंध में प्रकटीकरण अपेक्षाओं का पालन किया है।

आगे हम यह सूचित करते हैं कि प्राप्त सूचना और रखरखाव किए गए अभिलेखों के आधार पर कंपनी में उचित व्यवस्था और प्रक्रियाएं हैं जो अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमनों और दिशानिर्देशों को मॉनिटर करने तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालन के अनुरूप हैं।

आगे हम यह सूचित करते हैं कि लेखा-परीक्षा के दौरान निम्नलिखित के कोई दृष्टांत नहीं पाए गए:-

- क) सार्वजनिक/शेयरों का अधिमानी इश्यू/स्वेट इक्विटी

We further report that:

- 1) As informed in our Secretarial Audit Report of previous year, the Corporation had adopted its statement of accounts for the financial year ended 31st March 2020 in its adjourned AGM held on 30th June 2021 instead in its 37th AGM held on 31st December 2020, hence the Corporation had violated the provisions of Section 96 & Section 129 read with 134 and other applicable provisions of the Companies Act 2013. The Management has informed that the Audit Report on the Annual Accounts of the Corporation was received from the Statutory Auditors on 4th January, 2021 and after the supplementary Audit of C&AG, the revised signed Audit Report was received by the Corporation only on 02nd June 2021.
- 2) As observed by us and also informed by the management, that in terms of the DPE guidelines, the Company has to enter into a Memorandum of Understanding (MOU) with Ministry of Textiles for various compulsory and other Parameters, however after 2017-18, no such MOU has been executed. As informed by the management the Corporation has sent communications to the administrative Ministry, explaining the reasons due to which Corporation was unable to finalize the parameters/targets and seeking exemption from entering MOU. Further, as informed by the management, the Government scheme, for which NHDC is the implementing agency, was revised on 25th October, 2021.
- 3) The Company has complied with Companies Act 2013, Corporate Governance (CG) Guidelines for Central Public Sector Enterprises (CPSE), 2010 issued by Ministry of Heavy Industries and Public Enterprises, Department of Public Enterprises, Government of India in respect of constitution of the board with proper balance of Executive, Non-Executive Directors & Independent Directors except as stated above.
- 4) Adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meetings at least seven days in advance and agenda and detailed notes on agenda were also sent in advance to all the Directors subsequently, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting. In case of shorter notice, the Company has complied with the applicable provisions of Section 173 of the Companies Act 2013 read with clause 1.3.7 of the Secretarial Standard -1 of ICSI.
- 5) Majority decision is carried through while the dissenting member's views, if any, are captured and recorded as part of the minutes.
- 6) The Directors have complied with the disclosure requirements in respect of their eligibility of appointment, their being independent and compliance with the Code of Business Conduct & Ethics for Directors and Management Personnel;

We further report that based on the information received and records maintained there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with other applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period, there were no instances of:

- a) Public / Preferential Issue of Shares / Sweat Equity.

- ख) प्रतिभूतियों का बॉय-बैंक
- ग) विलय/आमेलन/पुनर्निर्माण आदि और
- घ) विदेशी तकनीकी सहयोग

कृते नवनीत के.अरोड़ा एण्ड कंपनी एलएलपी
कंपनी सचिव

ह./—

सीएस नवनीत अरोड़ा
प्रबंधन साझेदार

सीएस: 3214, सीओपी: 3005

दिनांक: 15 जुलाई, 2022

[आईसीएसआई फर्म का विशिष्ट पहचान कोड: P2009DE061500]

स्थान: नई दिल्ली

यूडीआईएन: F003214D000630379

(नोट: यह रिपोर्ट समान तारीख के हमारे पत्र के साथ पढ़ी जाए जो 'अनुबंध-क' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है)।

- b) Buy-back of Securities.
- c) Merger / Amalgamation / Reconstruction etc. and
- d) Foreign Technical Collaborations.

**For Navneet K Arora & Co LLP
Company Secretaries**

**CS Navneet Arora
Managing Partner
CS: 3214, COP: 3005
[ICSI Firm Unique Identification Code: P2009DE061500]
UDIN : F003214D000630379**

**Place: New Delhi
Date: 15th July 2022**

[Note: This report is to be read with our letter of even date which is annexed as “**Annexure-A**” and forms an integral part of this report].

सेवा में,

सदस्य,

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालय, चौथा तल, वेगमेंस बिजनेस पार्क,
टावर-1, प्लॉट सं. 03, सेक्टर नॉलेज पार्क-III,
सूरजपुर-कासना मैन रोड, ग्रेटर नोएडा,
गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-201306

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

1. सचिवीय रिकॉर्ड के रखरखाव की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट में इन सचिवीय रिकॉर्ड पर राय व्यक्त करना है।
2. हमने लेखा परीक्षा प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है जो सचिवीय रिकॉर्ड की विषय-वस्तु की सटीकता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। सत्यापन परीक्षण के आधार पर किया गया था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सचिवीय रिकॉर्ड में सही तथ्य परिलक्षित हों। हम मानते हैं कि जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का हमने पालन किया, वे हमारी राय के लिए एक युक्तिसंगत आधार प्रदान करते हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और बही खातों की सटीकता और उपयुक्तता की पुष्टि नहीं की है।
4. जहां भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों के अनुपालन और घटनाओं आदि के बारे में प्रबंधन प्रस्तुतिकरण प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जांच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।
6. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन है और न ही उस क्षमता या प्रभावशीलता के बारे में है जिसके जरिए प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

कृते नवनीत के.अरोड़ा एण्ड कंपनी एलएलपी
कंपनी सचिव

ह./-

सीएस नवनीत अरोड़ा
प्रबंधन साझेदार

सीएस: 3214, सीओपी: 3005

दिनांक: 15 जुलाई, 2022

स्थान: नई दिल्ली

[आईसीएसआई फर्म का विशिष्ट पहचान कोड: P2009DE061500]

यूडीआईएन: F003214D000630379

Annexure – “A”

To,

The Members,
National Handloom Development Corporation Limited
Regd. Office: 4th Floor, Wegmans Business Park,
Tower-1, Plot No. 03, Sector Knowledge Park-III,
Surajpur- Kansa Main Road, Greater Noida,
Gautam Buddha Nagar, UP- 201306

Our report of even date is to be read along with this letter as under:

- 1) Maintenance of secretarial record is the responsibility of the Management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records on our audit.
- 2) We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial Records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.
- 3) We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and books of accounts of the Company.
- 4) Where ever required, we have obtained the Management Representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.
- 5) The Compliance of the provisions of Corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of Management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.
- 6) The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the company.

**For Navneet K Arora & Co LLP
Company Secretaries**

**CS Navneet Arora
Managing Partner**

CS: 3214, COP: 3005

[ICSI Firm Unique Identification Code: P2009DE061500]

UDIN : F003214D000630379

Place: New Delhi

Date: 15th July 2022

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्य

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (एनएचडीसी)

सापेक्ष राय

हमने राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड ('निगम') के स्टैंड-अलोन वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2021 तक बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन के विवरण और नगद प्रवाह विवरण का सारांश और उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के नोट्स सहित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल हैं। उपरोक्त वित्तीय विवरणों में उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों – बेंगलुरु, कोलकाता, वाराणसी, पानीपत, हैदराबाद, कोयम्बटूर और गुवाहाटी के शाखा लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित रिटर्न शामिल किए गए हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों तथा संबंधित लेखा परीक्षकों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं.	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	शाखा लेखा परीक्षकों का नाम एवं पता
1	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक	मैसर्स उदय शंकर एंड कंपनी. चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नंबर 40, पहली मंजिल, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, के.आर. रोड, वाणीविलास के सामने अस्पताल, फोर्ट, बेंगलुरु।
2	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल	मैसर्स डी एन गुप्ता एंड एसोसिएट, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, 10, गणेश चन्द्र एवेन्यू, पांचवां तल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल 700013
3	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, वाराणसी, उत्तर प्रदेश	मैसर्स एस.एन. सिंह एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, के-67/111, नई बस्ती, ईश्वरगंज, जिला वाराणसी।
4	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, पानीपत, हरियाणा	मैसर्स एआरएन अग्रवाल एंड कंपनी (पहले नाम मैसर्स राकेश नीरज एंड कंपनी), चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, 886/21 कौशिक नगर, जींद, हरियाणा।
5	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाणा	मैसर्स आर.बी. एसोसिएट, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, 8-3-945/103, बी1 एंड बी2, पंकोम बिजनेस सेंटर, अमीरपेट, हैदराबाद।
6	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, कोयम्बटूर, तमिलनाडु	मैसर्स शन्मुग वदिवेल एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, "आजीश निवास" (पुराना नं. 93), 113 वल्लुवर स्ट्रीट सिवानान्दा कॉलोनी, कोयंबटूर।
7	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, गुवाहाटी, असम	मैसर्स खेतान अग्रवाल एंड कंपनी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, संमति प्लाजा, दूसरा तल, आईडीबीआई के सामने, जी.एस. रोड, गुवाहाटी।

हमारी राय एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, सापेक्ष राय खंड के लिए आधार में उल्लिखित मामले के प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 यथासंशोधित ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित सूचना उसी रूप में दी गई है जैसा कि अपेक्षित है और 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार कंपनी के मामले की स्थिति, उसकी हानि, इक्विटी में परिवर्तन और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए उसके नकदी प्रवाह के बारे में भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष मत दिया गया है।

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

**TO
THE MEMBERS
NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (NHDC)**

Qualified Opinion

We have audited the accompanying standalone financial statements of **NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED**, ("the Company") which comprise the Balance Sheet as at March 31 2022, the Statement of Profit and Loss, change in equity and the Cash Flow Statement for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information. The aforesaid financial statements incorporate the returns for the year ended on that date of the Corporation's Regional Offices at- Bengaluru, Kolkata, Varanasi, Panipat, Hyderabad, Coimbatore and Guwahati audited by the respective branch auditors. The detail of Regional Offices and the respective Auditors is being indicated as under: -

Sl. No.	Name of the Regional Office	Name & Address of the Branch Auditors
1	National Handloom Development Corporation Limited, Bengaluru, Karnatka	M/s Udaya Shankar & Co. Chartered Accountants, No 40, 1st Floor, Lakshmi Complex, K.R. Road, Opp- Vanivilas Hospital, Fort, Bengaluru.
2	National Handloom Development Corporation Limited, Kolkata, West Bengal	M/s D.N. Gupta & Associates, Chartered Accountants, 10, Ganesh Chandra Avenue, 5th floor,, Kolkata, West Bengal 700013
3	National Handloom Development Corporation Limited, Varanasi,	M/s. S N Singh & Co. Chartered Accountants, K- 67/111, Nai Basti, Ishwargangi. Dist. Varanasi.
4	Uttar Pradesh National Handloom Development Corporation Limited, Panipat, Haryana	M/s ARN Aggrawal & Co. (earlier name was M/s Rakesh Neeraj & Co), Chartered Accountants,, 886/21 Kaushik Nagar, Jind, Haryana.
5	National Handloom Development Corporation Limited, Hyderabad, Telangana.	M/s.R. B. Associates, .,Chartered Accountants, 8-3-945/103, B1 & B2, Pancom Business Center, Ameerpet, Hyderabad.
6	National Handloom Development Corporation Limited, Coimbatore, Tamilnadu	M/s. Shanmuga Vadivel & Co. Chartered Accountants, "AJISH NIVASA" (Old No. 93), 113 Valluvar Street Sivananda Colony, Coimbatore.
7	National Handloom Development Corporation Limited, Guwahati, Assam	M/s Khaitan Agarwal & Company Chartered Accountants,, SANMATI Plaza, 2nd Foor, Opp – IDBI, G.S. Road, Guwahati.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except for the effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion section of our report, the aforesaid financial statements give the information required by the Companies Act, 2013, as amended ("the Act") in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at March 31, 2022, its loss and its cash flows for the year ended on that date.

सापेक्ष राय का आधार

1. ऊपर यथाउल्लिखित एनएचडीसी के 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जहां हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हैंक यार्न की बिक्री/खरीद की जाती है जिसमें भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय 10% सब्सिडी तथा समय-समय पर घोषित योजना के अनुसार अन्य दावे (जिसमें माल-भाड़ा सब्सिडी तथा डिपो प्रभार शामिल हैं) उपलब्ध कराता है। जैसा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के वित्तीय लेखाओं के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में बताया गया है कि कंपनी के लखनऊ शाखा जो वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत था, ने शुरू में पिछले वर्ष 2018-19 के दौरान पिछले वर्ष अर्थात् 2018-19 की प्रथम तिमाही में 385.04 करोड़ रूपए की कुल बिक्री और खरीद की थी। इसमें से 190.82 करोड़ रूपए की बिक्री और खरीद को उक्त लखनऊ कार्यालय द्वारा ईआरपी लेखाकन प्रणाली में रद्द कर दिया गया।

सीबीआई पत्राचार के अनुसार, प्रबंधन और सीवीओ द्वारा फॉरेंसिक ऑडिट और सतर्कता जांच की गई थी। इस मामले पर फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट क्रमशः फॉरेंसिक ऑडिटर और सीवीओ टीम द्वारा निदेशक मंडल के समक्ष 05.10.2021 को प्रस्तुत की गई थी। निदेशक मंडल के निर्देशों और सीबीआई के पत्र के अनुसार, इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट सीबीआई को प्रदान की गई है।

कंपनी ने सतर्कता रिपोर्ट और इस संबंध में सीबीआई से प्राप्त आगे के पत्राचार/रिपोर्ट की प्रति हमें उपलब्ध नहीं कराई है। फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में की गई टिप्पणी के अनुसार बही खाते में कोई प्रविष्टि नहीं पाई गई है और न ही उनका लेखा-जोखा रखा गया है, इसलिए हम कुल देनदारों (संदर्भ नोट संख्या 14 (ii) तथा लेनदारों (संदर्भ नोट संख्या 5 (ii) में दिखाए गए क्रमशः 194.22 करोड़ रुपये के उक्त देनदारों और लेनदारों के संबंध में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में इंडियन ओवरसीज बैंक, लखनऊ शाखा द्वारा दो बार भुगतान किए गए 66061791/- रुपये की वसूली के लिए की गई कार्रवाई और कानूनी राय की कोई स्थिति प्रदान नहीं की है। फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, आज की तारीख तक पक्ष-वार किए गए दोहरे/अतिरिक्त भुगतान का मिलान नहीं किया गया है। हम बैंक द्वारा दो बार भुगतान किए गए 66061791/- रुपये की वसूली पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। कंपनी ने 28/08/2018 को मामले को सीबीआई को भेज दिया है।

3. 1.03.2018 से 31.03.2018 के दौरान 215.79 करोड़ रु. की बिक्री के कारण 22.66 करोड़ रुपये के एनएचडीसी सेवा शुल्क और सब्सिडी घटक कंपनी द्वारा वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान वापस कर दिया गया था क्योंकि वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) ने कंपनी को सब्सिडी राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की थी। इस तथ्य के परिणामस्वरूप कि एमओटी से 21.58 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई, कंपनी ने भारत सरकार से बकाया प्राप्तियों से 21.58 करोड़ रुपये कम कर दिए और उसे आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम के रूप में बुक किया गया। इसके अलावा, एनएचडीसी ने भारत सरकार से यह राशि प्राप्त नहीं होने के बावजूद, आपूर्तिकर्ताओं को सब्सिडी के रूप में 18.15 करोड़ रुपये का वितरण किया है। कंपनी ने इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया है; इसलिए हम रुपये की वसूली पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। 18.15 करोड़ का वितरण किया गया

4. टिप्पणी सं. '4ए' में यथा उल्लिखित, 22,10,60,097/- रूपए को कार्पस निधि (विपणन काम्प्लेक्स) में जमा किया गया है और तदनुसार उसे बैलेंस शीट की अनुसूची 11 के अनुसार मियादी जमा में निवेशित किया गया है। 31 मार्च, 2017 तक कार्पस निधि (विपणन काम्प्लेक्स) के मियादी जमा पर अर्जित ब्याज को संबंधित निधि संग्रह में जमा किया गया था लेकिन वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2018-19 में मियादी जमा के ब्याज क्रमशः 1.22 करोड़ रुपये एवं 1.20 करोड़ रुपये को कार्पस निधि (विपणन काम्प्लेक्स) में जमा करने की बजाय निगम की ब्याज आय के रूप में माना गया है। जबकि वित्तीय वर्ष 2019-20 से कार्पस निधि (विपणन काम्प्लेक्स) के एफडीआर से अर्जित ब्याज आय को कार्पस निधि (विपणन काम्प्लेक्स) में जमा किया गया है।

Basis for Qualified Opinion

1. NHDC having “7” Regional offices as mentioned above from where sale/purchase of Hank Yarn is undertaken to promote the Handloom Sector on which Government of India, Ministry of Textile office of the Development Commissioner, Handloom provide 10 % Subsidy and other claims (which includes freight subsidy and depot charges) as per scheme announced time to time. As pointed in Audit report on the Financial Accounts of FY 2018-19 and 2019-20 the Company’s Lucknow branch Office, which was under Varanasi Regional Office, had initially booked total Sales & Purchase during the Financial year 2018-19 amounting to Rs. 385.04 Crores in the 1st Quarter of Financial year i.e. 2018-19 respectively. Out of this, Sales and Purchase to the tune of Rs. 190.82 Crores have been cancelled by the said Lucknow Office in ERP accounting system.

As per the CBI communication, the Forensic Audit and Vigilance probe were taken up by the management and the CVO. The Forensic Audit Report and the Vigilance Probe report on the matter were presented by the Forensic Auditor and the CVO team respectively, before the Board of Directors on 05.10.2021. As per the directions of the Board of Directors and the CBI letter, the Forensic Audit Report and the Vigilance Probe Report has been provided to CBI for further necessary action in this regard.

The Company has not provided copy of Vigilance report and further communication/report received from CBI in this regard to us. No entries have been ascertained and accounted for in the books as per the observation made in Forensic Audit Report, hence we are unable to comment on the said debtors and creditors of Rs. 194.22 Crores respectively being shown in total debtors (Refer Note No. 14(ii)) as well as Creditors ((Refer Not No. 5 (ii)).

2. The Company has not provided any status of action taken and legal opinion for recovery of Rs 66061791/- paid twice by Indian Overseas Bank, Lucknow branch in Financial Year 2018-19. As per Forensic Audit report till date party wise double/excess payment made has not been reconciled. We are unable to comment on the recoverability of Rs 66061791/- paid twice by bank. The company has referred the matter to CBI on 28/08/2018.
3. Service charge and subsidy component of Rs 22.66 crore on account of sales of Rs 215.79 crore made during 01.03.2018 to 31.03.2018 was reversed by the Company during F Y 2018-2019 as Ministry of Textiles (MOT) did not reimburse the subsidy amount to the company. Consequent to the fact that subsidy of Rs 21.58 crore was not received from the MOT, the company reduced Rs 21.58 crore from receivables due from Government of India and booked the same as advance to suppliers. Further in respect of same, NHDC has disbursed Rs 18.15 crore as subsidy to the suppliers, even though the same is not received from Government of India.

The company has not provided any reply in this regard; hence we are unable to comment on the recoverability of Rs. 18.15 crore disbursed

4. As stated in Note No. “4A” Rs. 22,10,60,097/- is Standing to the Credit of Corpus Fund (Marketing Complex) and correspondingly invested in Fixed Deposits as Per Schedule 11 of the Balance Sheet. Interest earned on Fixed Deposits of Corpus Funds (Market Complexes) till 31st March 2017, was credited to respective Corpus Fund, but during the financial year 2017-18 and 2018-19 the interest on fixed deposit amounting to Rs. 1.22 Cr and Rs. 1.20 Cr respectively has been taken as interest income of the Corporation instead of crediting to the Corpus Fund (Marketing Complex). However, from financial year 2019-20 onwards, interest income earned on FDR of Corpus Funds (Market Complexes) has been credited to Corpus Funds (Market Complexes).

इस संबंध में कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया है; इसलिए हम ऊपर संदर्भित कॉर्पस फंड में वापसी योग्य अतिरिक्त राशि पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

5. टिप्पण सं. '4(बी)' में उल्लेख किए गए अनुसार 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार 11,20,27,418/-रुपए को कार्पस निधि (मेगा क्लस्टर) में 31, मार्च, 2017 तक जमा किया गया था, वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में मियादी जमा के ब्याज को कार्पस निधि (मेगा क्लस्टर) में जमा करने की बजाय निगम की ब्याज आय के रूप में माना गया है। जबकि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान कार्पस निधि (मेगा क्लस्टर) के एफडीआर से अर्जित ब्याज आय को कार्पस निधि (मेगा क्लस्टर) में जमा किया गया है।

इस संबंध में कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया है; इसलिए हम ऊपर संदर्भित कॉर्पस फंड में वापसी योग्य अतिरिक्त राशि पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

6. नोट संख्या 4 (ग) के अनुसार, 31-03-2022 तक निधि संग्रह (व्यापार सुविधा केंद्र) में जमा में 96,94,118 रुपये थे, कंपनी ने वसूल किए गए किराए, उस पर खर्चाँधकारों, निधि संग्रह में जमा नहीं की गई धनराशि पर अर्जित ब्याज, सुविधाओं के निर्माण के लिए देय राशि का मिलान उपलब्ध नहीं कराया है, इसलिए खातों पर इसके प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।
7. कंपनी ने वर्ष 18-19, 19-20 और 20-21 में आयोजित प्रदर्शनी पर किए गए खर्च के निमित्त वस्त्र मंत्रालय, केंद्र सरकार से वसूली योग्य क्रमश 52556/- रुपये, 16175813/- रुपये और 144057/- रुपये दर्शाए हैं, जो वस्त्र मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिपूर्ति योग्य नहीं हैं। अत 16372426/- रुपये की सीमा तक वस्त्र मंत्रालय से वसूल किए जाने वाले दावों का उल्लेख अधिक कर दिया गया है और घाटे को कम बताया गया है।
8. वित्त वर्ष 2017-18, 2019-20 और 2020-21 में आयोजित की जाने वाली प्रदर्शनियों के लिए क्रमश: 3640000/- रुपये, 5600000/- रुपये और 42315000/- रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है, लेकिन प्रदर्शनियों का आयोजन नहीं किया गया और न ही प्राप्त राशि वस्त्र मंत्रालय को वापस की गई। अनुदान की शर्तों के अनुसार, यदि राशि का उपयोग उस प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता है जिसके लिए इसे मंजूरी दी गई है, तो अनुदानकर्ता को ब्याज के साथ अनुदान की राशि 10% प्रति वर्ष की दर से या इस संबंध में समय-समय पर लागू दरों पर वापस करना होगा। कंपनी ने अनुदान पर देय ब्याज की राशि की गणना और हिसाब नहीं दिया है, इसलिए उस सीमा तक घाटे और वस्त्र मंत्रालय को वापस की जाने वाली राशि को कम करे बताया गया है।
9. कंपनी ने 112212721/- रुपये की प्राप्य अनुदान राशि और 31881478/- रुपये की अनुदान वापसी योग्य राशि के संबंध में कोई दस्तावेज और स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया है, जैसा कि संलग्न अनुबंध 'घ' में उल्लिखित है; इसलिए हम उस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
10. कंपनी ने क्लस्टर कारीगरों के मानचित्रण और वीडियो फिल्मांकन के लिए दिसंबर 2020 में प्राप्त अनुदान 90000000 रुपये के उपयोग की कोई स्थिति प्रदान नहीं की हैय इसलिए हम उस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
11. कंपनी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2021 के अवसर पर हस्तशिल्प पुरस्कार-2017 के आयोजन पर खर्च न किए गए 3504800/- रुपये के उपयोग/वापसी की कोई स्थिति प्रदान नहीं की है, इसलिए हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
12. कंपनी ने नवंबर, 2019 से मार्च, 2022 की अवधि के लिए संतुष्टी शॉप के संबंध में 3475824/- रुपये के व्यय का दावा किया है, हालांकि इस संबंध में सरकार से प्राप्त कोई अनुमोदन हमें प्रदान नहीं किया गया है, इसलिए हम इसकी वसूली पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
13. कंपनी ने प्रदर्शनियों पर किए गए व्यय के संबंध में लेखांकन के उपार्जन आधार का पालन नहीं किया है, क्योंकि यह देखा गया है कि ठेकेदार के खाते को चालान की प्राप्ति के समय नहीं बल्कि भुगतान किए जाने के समय जमा किया जाता है और टीडीएस भी केवल तभी काटा जाता है।

The company has not provided any reply in this regard; hence we are unable to comment on excess amount refundable to the Corpus Fund referred above.

5. As Per Note No. "4(B)", As on 31-03-2022 Rs, 11,20,27,418/- was standing to the Credit of Corpus Fund (Mega Cluster), till 31st March 2017, the interest on fixed deposit has been taken as Interest income of the Corporation, instead of crediting to the Corpus Fund (Mega Cluster) during the financial year 2017-18 and 2018-19, However, from financial year 2019-20, interest income earned on FDR of Corpus Fund (Mega Cluster) has been credited to Corpus Funds (Mega Cluster).

The company has not provided any reply in this regard; hence we are unable to comment on excess amount refundable to the Corpus Fund referred above.

6. As Per Note No '4(C)', As on 31-03-2022 Rs 96,94,118/- was standing to the Credit of Corpus Fund, (Trade Facilitation Centre), The Company has not been provided the reconciliation of rent recovered, expenses/taxes thereon, interest earned on the funds not credited to Corpus, amount payable for the construction of facility, Hence the impact thereof on the accounts cannot be ascertained.
7. The Company has shown Rs 52556/-, Rs 16175813/-and Rs 144057/- recoverable from Ministry of Textile, Central Government (here in after referred as "MOT") on account of expenses incurred on 'Exhibition organized in F Y 18-19,19-20 & 20-21 respectively, which as per guidelines of MOT are not reimbursable. Hence to the extent of Rs 16372426/- the claims recoverable from MOT are over stated and loss is under stated.
8. Grants for the exhibitions to be conducted in FY 2017-18,2019-20 & 2020-21 amounting to Rs 3640000/-, 5600000/- & 42315000/- respectively has been received but exhibitions were not held neither the amount received are refunded back to MOT. As per the terms of the grant if the amount is not utilized for the purpose for which the same has been sanctioned, the grantee will be required to refund the amount of the grant with interest thereon @10% per annum or rates applicable from time to time in this regard. The company has not calculated and accounted for the amount of interest payable on the grant, hence to that extent loss and amount refundable to MOT are under stated.
9. The company has not provided any documents and explanation with respect to Grants Receivable amounting to Rs 112212721/- and Grant Refundable amounting to Rs 31881478/- as referred in Annexure 'D' annexed here with; hence we are unable to comment thereon.
10. The Company has not provided any status of utilization of grant Rs 9000000 received in Dec 2020 for Mapping and Video filming of cluster arcticians; hence we are unable to comment thereon.
11. The Company has not provided any status of utilization/refund of Rs 3504800/- remaining unspent on organizing Handicrafts Awards-2017 on the occasion of National Handloom Day 7th August-2021, hence we are unable to comment thereon.
12. The Company has claimed expenditure of Rs 3475824 /- on santushti shop for the period November, 2019 to March, 2022, however no approval received from Government in this regard is provided to us hence we are unable to comment on the recoverability thereof.
13. The Company has not followed accrual basis of accounting with respect to expenditures incurred on exhibitions, as it is noticed that contractor's account is credited not at the time of receipt of invoice but at the time payment is made and TDS is also deducted then only.

14. कंपनी ने 12260292 /— रुपये के चालान पर माल और सेवा कर अधिनियम के तहत टीडीएस की कटौती नहीं की है।
15. वस्त्र मंत्रालय की योजना के अंतर्गत हुडको प्लाजा, बीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली में हथकरघा विपणन परिसर की स्थापना के संबंध में यह देखा गया है कि लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक कार्यालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 09/03/2022 की उनकी रिपोर्ट में निम्नलिखित टिप्पणियां की जा रही हैं, जिनके लिए प्रबंधन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है
 - (क) बकाया राशि का भुगतान न करने का कोई कारण रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं था। कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते एनएचडीसी यह सुनिश्चित करने में विफल रही है कि 2017 के बाद एसडीएमसी को संपत्ति कर का वैधानिक भुगतान किया गया है और आगे बिल्डर (हुडको) को 157.17 लाख रुपये के ग्राउंड रेंट और मेंटेनेंस चार्ज के बकाया का भुगतान नहीं किया गया है। इससे हुडको के साथ लीज डीड का निष्पादन प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा, जुर्माना शुल्क अर्जित होगा और एनएचडीसी के खिलाफ जुर्माना कार्रवाई की जा सकती है क्योंकि यह दुकानों का मूल आवंटी है।
 - (ख) एनएचडीसी ने उन लाभार्थी एजेंसियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है जिन्होंने अपने हिस्से के व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की, इसके बजाय यह स्वयं हुडको का डिफॉल्टर बन गया है।
 - (ग) एनएचडीसी को नियमित रूप से अपनी देय राशियों का भुगतान करने वाली लाभार्थी एजेंसियों द्वारा देय राशियों के भुगतान के लिए कोई और अनुदेश या व्यवस्था नहीं की गई है।
 - (घ) एनएचडीसी द्वारा आवंटित दुकानों में से लाभार्थी एजेंसियों द्वारा बिक्री/व्यवसाय आदि का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया था जिससे कि योजना के लाभों के संदर्भ में उनके प्रदर्शन की पुष्टि की जा सके, जिसमें सरकार ने हथकरघा एजेंसियों को विपणन परिसर की दुकानों की खरीद के लिए 3.35 करोड़ रुपये की 50% अनुदान सहायता प्रदान की है। यदि एनएचडीसी द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं किए जाने के कारण लीज डीड निष्पादित नहीं की जाती है तो योजना पर सरकारी खर्च व्यर्थ जा सकता है।
16. कंपनी ने वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय में 3 वर्षों से अधिक समय तक देनदारों के खिलाफ 245.65 रुपये की राशि का कोई प्रावधान नहीं किया है, जिसमें से 194.22 करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा दर्ज किए गए फर्जी, संदिग्ध लेनदेन से संबंधित हैं, जैसा कि ऊपर बिंदु संख्या (1) में उल्लिखित है। यह भी देखा गया है कि कंपनी ने 6.74 करोड़ रुपये के बकाया के निमित्त कोई प्रावधान नहीं किया है, क्योंकि इसे वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए क्लस्टर निधि संग्रह (कॉर्पस) के खिलाफ समायोज्य माना गया है, जिसे मार्जिन मनी के रूप में उपयोग किया जाना है। यह प्रावधान किए जाने से देनदारों के लिए 252.39 करोड़ रुपये की कमी आएगी और घाटा 252.39 करोड़ रुपये अधिक होगा।

हमने लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानदंडों (एसएएस) के अनुसार की है। उन मानदंडों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा हेतु लेखा परीक्षक के जिम्मेदारियों में विस्तार से परिभाषित किया गया है। हम कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं के साथ-साथ भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार स्वतंत्र संस्था हैं और हमने इन अपेक्षाओं तथा आईसीएआई आचार संहिता के अनुसार अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी सापेक्ष राय के लिए आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

एसए 701 के अनुसार प्रमुख लेखा परीक्षा मामलों की रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है क्योंकि यह एक असूचीबद्ध कंपनी है।

14. The Company has not deducted TDS under Goods and Service Tax Act, on invoices amounting to Rs 12260292/-.
15. In respect of setting up of the Handloom Marketing Complex at HUDCO Plaza, Bikaji Cama Place New Delhi under the scheme of Ministry of Textiles, it is noticed that the following observations are being made in respect of by office of Principal Director of Audit New Delhi in their report dt 09/03/2022, for which no reply is provided by the Management:
- No reason for non-payment of the dues were available on records. NHDC being the nodal/ implementation agency, has failed to ensure that statutory payment of property tax made to SDMC after 2017 and further has not paid arrears of ground rent and the maintenance charges to the Builder (HDCO) of Rs 157.17 lakh. This may affect the execution of lease deed with HUDCO. Further, penalty charges would accrue and penalty action may be taken against the NHDC since it is the original allottee of the shops.
 - NHDC has not taken any action against the beneficiary agencies who did not reimburse their share of expenditure, instead it itself has become defaulter to HUDCO.
 - There is no further instruction or arrangement of payment of dues by the beneficiary agencies who have been paying their dues regularly to NHDC.
 - No records of sale/business etc. by beneficiary agencies, from the shops allotted, was maintained by NHDC to vouch their performance in terms of benefits of the scheme wherein the Government has provided 50% grant assistance to Handloom Agencies Rs 3.35 crore for purchase of the shops of Marketing Complex. The government expenditure on the scheme may go waste if, lease deed is not made due to non-payment of dues by NHDC.
16. The Company has not made any provision against the Debtors for more than 3 years amounting to Rs 245.65 at Varanasi Regional Office of which Rs 194.22 crores relates to bogus, dubious transactions entered by Varanasi Regional Office during F.Y 2018-19 as referred in point no(1) above. It is further noticed that the company has not made any provision against outstanding of Rs 6.74 crores considering the same adjustable against the cluster corpus fund provided by Ministry of Textiles to be used as margin money. That the provision been made the Sundry Debtors would be lower by Rs 252.39 crores and loss would have been more by 252.39 crores.

We conducted our audit of the financial statements in accordance with the Standards on Auditing (SAs), as specified under section 143(10) of the Act. Our responsibilities under those Standards are further described in the 'Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements' section of our report. We are independent of Company's in accordance with the 'Code of Ethics' issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and the Rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the ICAI Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

Key Audit Matters

Reporting of key Audit matters as per SA 701 is not applicable to the Company as it is an unlisted Company.

मामले की प्रमुखता

जैसा कि वित्तीय विवरणों हेतु देनदारों से प्राप्त शेष संरचना, और ग्राहकअन्य से अग्रिम बकाया में नोट 14 (i) और 5 (i) में विशेष रूप से स्पष्ट किया गया है कि बकाया राशि क्रमशः 9.59%, 9.45% और 35.52% है, परिणामी समायोजन, जिसका प्रभाव यदि कोई हो, पता लगाने योग्य नहीं है और इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

उपर्युक्त मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी के निदेशक मंडल अन्य जानकारी की प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, बोर्ड की रिपोर्ट के अनुबंध सहित बोर्ड की रिपोर्ट, व्यावसायिक जिम्मेदारी रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन और शेयरधारक की जानकारी शामिल हैं, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संबंध में, हमारा उत्तरदायित्व अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करने में, यह विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या हमारे ऑडिट के दौरान प्राप्त हमारे ज्ञान के साथ वास्तविक रूप से असंगत है या अन्यथा वास्तविक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि अन्य जानकारी का एक वास्तविक गलत बयान है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना अपेक्षित है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कोई टिप्पणी नहीं है।

जब हम वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें वास्तव में कोई गलत विवरण है, तो हमें इस मामले को प्रभारी प्रशासन के आरोपी लोगों को सूचित करना होगा और उसे संबंधित कानूनों और विनियमों के तहत लागू आवश्यक कार्रवाई करनी होगी।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है जो भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इसमें कंपनी (लेखा) नियम, 2006 (यथा संशोधित) शामिल है, जो अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट है, जिसे कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाता है। इस उत्तरदायित्व में कंपनी की परिसंपत्तियों की संरक्षा हेतु अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड रखना तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकना एवं उनकी पहचान करना; उचित लेखांकन नीतियों का चयन एवं उपयोग निर्णय लेना एवं अनुमान लगाना कि वे तर्कसंगत तथा न्यायपूर्ण हैं; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण डिजाइन, कार्यान्वयन एवं रख-रखाव जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता एवं संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचालन में रहा हो, तथा स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने एवं प्रस्तुतिकरण के लिए संगत हो जिनपर सही एवं निष्पक्ष निष्कर्ष दिया गया हो और किसी धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वास्तविक गलत टिप्पणी नहीं की गई हो।

वित्तीय विवरणों की तैयारी में निदेशक मंडल वर्तमान कारोबार, प्रकटीकरण, वर्तमान कारोबार से संबंधित मामलों और लेखांकन के आधार पर वर्तमान कारोबार का उपयोग करके कंपनी की योग्यता का आकलन करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि निदेशक मंडल का या तो परिसमापन या फिर परिचालन को बंद करने का इरादा हो या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं हो।

Emphasis of Matter

As more specifically explained in Note 14(i) and 5 (i) to the financial statements, balance conformation received from Debtors, and Advance from customer/others is for 9.59%, 9.45% and 35.52% respectively of amount outstanding, consequential adjustments, effect of which if any is not ascertainable and cannot be commented upon.

Our opinion is not modified in respect of above matter.

Information Other than Financial Statements and Auditor's Report Thereon

The Company's Board of Directors is responsible for the presentation of the other information. The other information comprises the information included in the Management Discussion and Analysis, Board's Report including Annexure to Board's Report, Business responsibility Report, Corporate Governance and Shareholder's Information, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained during the course of our audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of the other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take necessary actions, as applicable under the relevant laws and regulations.

Responsibility of Management for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Company Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006 (as amended) specified under section 133 of the Act, read with the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का निरीक्षण करने के लिए भी उत्तरदायी है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में वास्तव में गलत विवरण दिया गया है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो और एक लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारे निष्कर्ष शामिल हैं। तर्कसंगत आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई मौजूदा लेखा परीक्षा हमेशा वास्तविक से गलत विवरणों का पता लगाएगी। ये गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और यदि व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से किए गए गलत विवरण हैं तो उसे वास्तविक माना जाता है तथा ये इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को यथोचित रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम संपूर्ण लेखा परीक्षा में पेशेवर निर्णय लेते हैं और पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। इसके साथ-साथ हम-

- वित्तीय विवरणों के वास्तविक रूप से किए गए गलत विवरणों के जोखिम की पहचान एवं आकलन करते हैं, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो, उन जोखिमों के अनुकूल लेखा परीक्षा तैयार करते हैं एवं उसे लागू करते हैं और लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारे निष्कर्ष को आधार देने के लिए पर्याप्त तथा यथोचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाले वास्तविक गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती हैं।
- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों के उपयुक्त हो। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हम अपने निष्कर्ष देने के प्रति भी उत्तरदायी हैं, चाहे कंपनी की पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था हो और ऐसे नियंत्रणों का प्रभावी रूप से प्रचालन हो रहा हो।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगतता और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन की वर्तमान कारोबार के आधार पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता के संबंध में निष्कर्ष निकालना, चाहे ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित वस्तुगत अनिश्चितता मौजूद हो, जो वर्तमान कारोबार के रूप में कंपनी की क्षमता को चालू रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वस्तुगत अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करने की अपेक्षा होती है अथवा यदि इस प्रकार का प्रकटीकरण अपर्याप्त होता है, तो हम अपने निष्कर्ष को संशोधित करते हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख को प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर होते हैं। तथापि, भावी घटनाक्रम अथवा स्थितियां कंपनी के वर्तमान कारोबार को बंद करने का कारण हो सकती हैं।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन करना कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रदर्शित करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है।
- वास्तविकता वित्तीय विवरणों में गलत बयानी का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि वित्तीय विवरणों के तार्किक जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारे लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में मात्रात्मक वास्तविकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; और (ii) वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचाने गए गलत बयानों के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं।

हम अन्य मामलों के अलावा, ऑडिट के नियोजित कार्यक्षेत्र और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के बारे में प्रभारित प्रशासन के साथ संप्रेषण करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमी शामिल है जिसकी हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते करते हैं।

The Board of Directors is also responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3)(i) of the Act, we are also responsible for expressing our opinion on whether the Company has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Materiality is the magnitude of misstatement in the financial statements that, individually or in aggregate, make it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

हम प्रभारित प्रशासन को एक बयान भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य मामलों को संप्रेषित किया है जिन्हें तार्किक रूप से हमारी स्वतंत्रता वहनीय रूप में सोचा जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय किए हैं।

अन्य मामले

हमने कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल '7' क्षेत्रीय कार्यालयों के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का ऑडिट नहीं किया, जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय सूचनाएं 31 मार्च, 2022 को 434.91 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए 798.56 करोड़ रुपये के कुल राजस्व को दर्शाती है, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में माना गया है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं की लेखा परीक्षा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्टें हमें प्रस्तुत कर दी गई हैं और जहां तक यह इन शाखाओं के संबंध में शामिल धनराशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, हमारी राय पूरी तरह से उन शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 (11) के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 ('आदेश') द्वारा यथा अपेक्षित अनुसार हमने स्वीकार्य सीमा तक आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में एक विवरण अनुबंध 'क' में दिया है।
2. हमने जैसा उचित समझा और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी की बही और अभिलेखों की ऐसी जांच के आधार पर हम अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों के संबंध में अपनी रिपोर्ट अनुबंध-'ख' में संलग्न कर रहे हैं।
3. अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा यथा अपेक्षित हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर हम निम्नलिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं:
 - क. हमने उपरोक्त सापेक्ष राय के पैराग्राफ के आधार पर उल्लिखित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर, सभी जानकारी और स्पष्टीकरण की मांग की है जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए हमारे लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।
 - ख. उपरोक्त निष्कर्ष पैराग्राफ के आधार पर वर्णित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर, हमारे निष्कर्ष अनुसार कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बही बनाए रखी है जैसा कि उन बही की अभी तक हमारी जांच से प्रतीत होता है।
 - ग. इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण बही-खातों से मेल खाते हैं;
 - घ. उपरोक्त सापेक्ष राय पैरा के आधार पर किए गए संदर्भ करे छोड़कर, उपर्युक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण यथासंशोधित भारतीय कंपनी लेखा मानक नियम 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों के अनुरूप हैं।
 - ङ. उपरोक्त सापेक्ष राय के पैराग्राफ के आधार पर उल्लिखित मामले के संभावित प्रभाव को छोड़कर, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की उपयुक्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालन प्रभाविकता के संबंध में अनबंध 'ग' में हमारी अलग से दी गई रिपोर्ट का संदर्भ ग्रहण करें।

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Other Matters

We did not audit the financial statements/information of “7” Regional offices included in the standalone financial statements of the Company whose financial statements / financial information reflect total assets of Rs.434.91 Crores as at 31st March, 2022 and total revenues of Rs. 798.56 Crores for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. The financial statements/information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these branches, is based solely on the report of such branch auditors

Our opinion is not modified in respect of the above matters.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor’s Report) Order, 2020 (“the Order”), issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we give in the “Annexure “A” a statement on the matters specified in paragraphs 3 and 4 of the Order.
2. We are enclosing our report in terms of section 143 (5) of the Act, on the basis of such checks of the books and records of the Company as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us, in the Annexure-“B” on the directions and sub directions issued by Comptroller and Auditor General of India.
3. As required by Section 143(3) of the Act, we report that:
 - (a) we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit except as referred in basis for Qualified Opinion para above;
 - (b) in our opinion proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books except as referred in basis for Qualified Opinion para above;
 - (c) the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of account;
 - (d) in our opinion, the aforesaid Standalone financial statements comply with the Accounting Standards specified under section 133 of the Act, read with Companies Indian Accounting Standards Rules 2015, as amended thereof except as referred in basis for Qualified Opinion para above.
 - (e) with respect to the adequacy of the internal financial controls over financial reporting of Company and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate report in Annexure “C”; Our report expresses an unmodified opinion on the adequacy and operating effectiveness of Company’s internal controls over financial reporting.

- च. कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियमावली, 2014 यथा संशोधित के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामले संबंधी हमारी राय हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हैं।
- कंपनी के पास कोई लंबित मुकदमा नहीं है जो इसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा
 - कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं थे, जिसके लिए कोई वास्तविक पूर्वाभासी हानि थी।
 - ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।
 - क) प्रबंधन ने प्रस्तुत किया है कि, अपनी जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा या विदेशी संस्थाओं ('मध्यस्थों') सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्थाओं में, चाहे लिखित या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कोई भी फंड अग्रिम या उधार नहीं लिया है या निवेश (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या अन्य प्रकार के धन से) नहीं किया गया है, समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी ('अंतिम लाभार्थी') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से अभिज्ञात अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार या निवेश नहीं करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की अन्य कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा।
ख) प्रबंधन ने प्रस्तुत किया है कि, अपनी जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी को विदेशी संस्थाओं ('फंडिंग पार्टियों') सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई फंड प्राप्त नहीं हुआ है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा दर्ज किया गया हो, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टियों ('अंतिम लाभार्थियों') द्वारा या उनकी ओर से किसी भी तरह से अभिज्ञात अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश नहीं करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह अन्य कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करेगी।
ग) उन लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों के अनुसार उचित और उपयुक्त माना गया था, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि नियम 11 (ड़) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (i) और (ii) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई वास्तविक गलत विवरण है।
- v. कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी लाभांश की घोषणा या भुगतान नहीं किया है।

कृते वेद एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 012019एन

(सीए पूजा गोयल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 2019098551
यूडीआईएन: 22098551BBVJEL9058

स्थान: गाजियाबाद
दिनांक: 2 नवंबर, 2022

- (f) with respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, as amended in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
- i. The Company does not have any pending litigations which would impact its financial position
 - ii. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses.
 - iii. There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.
 - iv.
 - a) The Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds have been advanced or loaned or invested (either from borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) by the Company to or in any other persons or entities, including foreign entities ("Intermediaries"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Intermediary shall, whether, directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Company ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.
 - b) The Management has represented that, to the best of its knowledge and belief, no funds have been received by the Company from any persons or entities, including foreign entities ("Funding Parties"), with the understanding, whether recorded in writing or otherwise, that the Company shall, whether, directly or indirectly, lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the Funding Parties ("Ultimate Beneficiaries") or provide any guarantee, security or the like on behalf of the Ultimate Beneficiaries.
 - c) Based on the audit procedures that were considered reasonable and appropriate in the circumstances, nothing has come to our notice that has caused us to believe that the representations under sub-clause (i) and (ii) of Rule 11(e) as provided under (i) and (ii) above contain any material mis-statement.
 - v. The Company has not declared or paid any dividend during the year.

For VED AND COMPANY
Chartered Accountants
FRN: 012019N

(CA POOJA GOEL)
Partner
Membership No. 098551
UDIN: 22098551BBVJEL9058

Place: Ghaziabad
Date: 2 November, 2022

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से संबंधित अनुबंध 'क'

(राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के सदस्यों के लिए समान तारीख की हमारी रिपोर्ट के अन्य विधि और विनियामक अपेक्षाओं के तहत पैराग्राफ "1" में उल्लिखित)

हम सूचित करते हैं कि:

- i. (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एमडी कार्यालय आरके पुरम को जारी किए गए पांच लैपटॉप को छोड़कर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों के मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाने वाले उचित रिकॉर्ड रख रही है, जिसके लिए ऑडिट के प्रधान निदेशक के कार्यालय द्वारा 09/03/2022 को उनकी रिपोर्ट में टिप्पणी भी की गई है।
(ख) हमें सूचित किया गया है कि कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान प्रबंधन द्वारा वास्तविक रूप से सत्यापित किए गए थे। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन पर कोई वास्तविक विसंगतियां नहीं देखी गईं, सिवाय इसके कि नवल जैन एंड कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई वास्तविक सत्यापन रिपोर्ट की पावती में, अधिकांश स्थानों पर परिसंपत्तियों के स्थान और परिसंपत्तियों के यूनिक कोड का उल्लेख नहीं किया गया है।
(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमें प्रदान किए गए हस्तांतरण विलेखों की जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि, भूमि और भवन की सभी अचल संपत्तियों को शामिल करते हुए, जो फ्रीहोल्ड हैं, कंपनी के नाम पर आयोजित किए जाते हैं, मुंबई के सीबीडी में सेक्टर 11 के प्लॉट नंबर 4 में 5 वीं मंजिल पर 221.7 वर्ग मी. के 13,14,15 नंबर वाले अपार्टमेंट को छोड़कर, बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार उक्त अपार्टमेंट के लिए मालिकाना हक के दस्तावेज अभी तक पंजीकृत नहीं हुए हैं।
(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (परिसंपत्तियों का उपयोग करने के अधिकार सहित) और अमूर्त संपत्ति का पुर्नमूल्यांकन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3 (i) (घ) लागू नहीं है।
(ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (2016 में यथासंशोधित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (i) (ङ) लागू नहीं है।
- ii. (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर इन्वेंट्री का वास्तविक सत्यापन किया गया है और ऐसे सत्यापन में कोई वास्तविक विसंगतियां नहीं पाई गई हैं;
(ख) कंपनी को चालू आस्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं से वर्ष के दौरान किसी भी समय कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है और इसलिए आदेश के खंड 3(ii)(ख) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- iii. अभिलेखों की जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पक्षों को सुरक्षित या असुरक्षित ऋणों की प्रकृति में कोई निवेश या गारंटी या प्रतिभूति प्रदान नहीं की है/कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है, तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3(iii) लागू नहीं है।
- iv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई ऋण या गारंटी या प्रतिभूति नहीं दी है या कोई निवेश नहीं किया है जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 का प्रावधान है। तदनुसार कंपनी के लिए आदेश का पैराग्राफ 3 (iv) लागू नहीं है।

ANNEXURE 'A' TO THE INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

(Referred to in paragraph "I" under 'Report on Other Legal and Regulatory Requirements Section of our report to the Members of National Handloom Development Corporation Limited of even date)

We report that:

- i. (a) According to the information and explanations given to us, the Company is maintaining proper records showing full particulars, including quantitative details and situation of Property, Plant and Equipment and intangible assets, except five laptops issued to M.D office R.K Puram for which observation is also made by office of Principal Director of Audit New Delhi in their report dt 09/03/2022.
- (b) We are informed that Property, Plant and Equipment of the Company were physically verified by the management during F. Y 2022-23. According to the information and explanations given to us, no material discrepancies were noticed on such verification, except that in the receipt of physical verification report provided to us dt Nil by naval Jain & Company, the location of assets and unique code of assets is not mentioned at most of the places.
- (c) According to the information and explanation given to us and based on the examination of conveyance deeds provided to us, we report that, the title deeds, comprising all the immovable properties of land and building which are freehold, are held in the name of the Company except in Mumbai, the apartment bearing no 13,14,15 on 5th floor, plot no 4, sector 11 at CBD measuring 221.7 sq.mt, the title deeds for the said apartment is yet to registered, as at the balance sheet date.
- (d) The Company has not revalued any of its property, Plant & Equipment (including right to use assets) and intangible assets during the year. According, paragraph 3(i)(d) of the Order is not applicable.
- (e) According to the information and explanation given to us, there are no proceedings initiated or pending against the Company as at March 31, 2022 for holding any benami property under the Benami Transaction (Prohibition) Act, 1988 (as amended in 2016) and Rules made thereunder. Accordingly, paragraph 3 (i) (e) of the Order is not applicable
- ii. (a) According to the information and explanations given to us, physical verification of Inventory has been conducted at reasonable intervals by the management and no material discrepancies were noticed on such verification;
- (b) The Company has not been sanctioned working capital limits in excess of five crore rupees, in aggregate, at any point of time during the year from Banks or financial institutions on the basis of security of current assets and hence reporting under clause 3(ii) (b) of the order is not applicable.
- iii. On the basis of examination of records and according to the information and explanations given to us, the Company has not made investment in/ provided any guarantee or security/ granted any loans or advances in the nature of loans, secured or unsecured, to companies, firms, Limited Liability Partnerships or other parties Accordingly, paragraph 3 (iii) of the Order is not applicable.
- iv. According to the information and explanation given to us, the company has not granted any loans or guarantees or security or made any investment to which provision of section 185 and 186 of the Companies Act, 2013. Accordingly paragraph 3 (iv) of the Order is not applicable to the Company.

- v. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 से 76 के प्रावधानों के तात्पर्य के अधीन जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। इसलिए उक्त आदेश का खंड V कंपनी पर लागू नहीं होता है।
- vi. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, निगम को लागत रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उपधारा (1) के तहत लागत रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए कंपनी के संबंध में निर्धारण नहीं किया है।
- vii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार:
- क) माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य सामग्री सांविधिक बकाया सहित निर्विवाद सांविधिक देय राशियों के संबंध में खातों में कटौती/अर्जित राशि; आम तौर पर कंपनी द्वारा उपयुक्त प्राधिकरणों में नियमित रूप से जमा किए जाते हैं।
- ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य सामग्री सांविधिक बकाया सहित कोई निर्विवाद वैधानिक बकाया नहीं है; देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार बकाया थे।
- ग) खंड (क) में उल्लिखित कोई सांविधिक देय राशि नहीं है जिसे विवाद के कारण जमा नहीं किया गया हो।
- viii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर जो आकलन में वर्ष के दौरान वापिस किए गए या आय के रूप में प्रकट किए गए हो, खाता बही में कोई लेनदेन दर्ज नहीं किया गया है। तदनुसार, आदेश का पैरा 3 (viii) लागू नहीं है।
- ix. क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने किसी भी ऋणदाता से कोई ऋण या अन्य उधार नहीं लिया है। इसलिए आदेश के खंड 3 (ix) (क) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण या अन्य ऋणदाता द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।
- ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई मीयादी ऋण नहीं लिया है और वर्ष के आरंभ में कोई बकाया मीयादी ऋण नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3 (ix) (ग) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई अल्पकालिक धन नहीं जुटाया है और इसलिए, आदेश के खंड 3 (ix) (घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- ङ) कंपनी के पास कोई सहायक/सहयोगी/संयुक्त उद्यम नहीं है और तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 (ix) (ङ) लागू नहीं है।
- च) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं उठाया है और इसलिए, आदेश के खंड 3 (ix) (च) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- छ) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए, आदेश के खंड 3 (ix) (छ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

- v. According to the information and explanations given to us, the Company has not accepted any deposits from the public within the meaning of the provisions of Section 73 to 76 of the Companies Act, 2013. Hence clause v of the said order is not applicable to the Company.
- vi. According to the information and explanations given to us, the Corporation is not required to maintain the cost records, as the central Government has not prescribed in respect of the Company to maintain the Cost records under sub section (1) of section 148 of the of the Companies Act, 2013.
- vii. According to the information and explanations given to us:
- (a) Amounts deducted/accrued in the books of accounts in respect of undisputed statutory dues including goods and service tax, provident fund, employees; state insurance, income-tax, service Tax, value added tax, cess and other material statutory dues have been generally regularly deposited by the Company with the appropriate authorities.
 - (b) According to the information and explanations given to us, there are no undisputed undisputed statutory dues including goods and service tax, provident fund, employees; state insurance, income-tax, service Tax, value added tax, cess and other material statutory dues were in arrears as at March 31, 2022 for a period of more than six months from the date they became payable.
 - (c) There is no statutory dues referred to in clause (a), which have not been deposited on account of dispute.
- viii. According to the information and explanation given to us, there is no transactions not recorded in the books of accounts that have been surrendered or disclosed as income during the year in the Tax assessments under Income Tax Act, 1961 (43 of 1961). Accordingly, paragraph 3 (viii) of the Order is not applicable.
- ix. (a) According to the information and explanation given to us, the Company has not taken any loans or other borrowing from any lender. Hence reporting under clause 3 (ix)(a) of the order is not applicable.
- (b) According to the information and explanation given to us, the Company is not declared wilful defaulter by any Bank or financial institution or Government or any Government authority or other lender.
- (c) According to the information and explanation given to us, the Company has not taken any term loan during the year and there is no outstanding term loan at the beginning of the year and hence, reporting under clause 3 (ix)(c) of the order is not applicable.
- (d) According to the information and explanation given to us, the Company during the year has not raised any short-term funds and hence, reporting under clause 3 (ix)(d) of the order is not applicable.
- (f) The Company does not have any subsidiaries/associates/joint-ventures and accordingly, paragraphs 3 (ix) (f) of the Order are not applicable.
- (g) The Company, has not raised any loans during the year and hence, reporting under clause 3 (ix)(g) of the order is not applicable.

- x. (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (पब्लिक ऑफर) या आगे की सार्वजनिक पेशकश (ऋण माध्यमों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (x) (क) लागू नहीं है।
- (ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्णत, आंशिक या वैकल्पिक परिवर्तनीय) का कोई अधिमान्य आबंटन अथवा निजी नियोजन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (x) (ख) लागू नहीं है।
- xi. (क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है और कंपनी के संबंध में कोई वास्तविक धोखाधड़ी नहीं पाई गई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।
- (ख) कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 के तहत इस रिपोर्ट की समाप्ति के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक केंद्र सरकार के पास कोई रिपोर्ट दायर नहीं की गई है।
- ग) कंपनी को वर्ष के दौरान कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
- xii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आदेश का खंड (xii) लागू नहीं है क्योंकि कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है।
- xiii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमें प्रदान की गई कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने संबंधित पक्षों के साथ कोई लेनदेन नहीं किया है, तदनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (क) हमारी राय में मुख्य लेखा परीक्षा रिपोर्ट में सापेक्ष राय के आधार पर की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए आंतरिक लेखा परीक्षा व्यवस्था में सुधार किए जाने की आवश्यकता है।
- (ख) हमने अपनी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने के लिए वर्ष के दौरान और आज तक कंपनी को जारी लेखापरीक्षाधीन वर्ष के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्टों पर विचार किया है।
- xiv. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और समग्र आधार पर समीक्षा के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनी ने अधिनियम की धारा 192 के अनुसार निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (xv) लागू नहीं है।
- xv. (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और समग्र आधार पर समीक्षा के आधार पर, कंपनी वित्तपोषण गतिविधि में कार्यरत नहीं है और इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत किए जाने की अपेक्षा नहीं है।
- (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार समूह में कोई कोर निवेश कंपनी नहीं है (जैसा कि कोर निवेश कंपनियों (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 में यथा परिभाषित किया गया है) और तदनुसार आदेश के खंड 3 (xvi) (घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- xvii. कंपनी को हमारे लेखापरीक्षा द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष के दौरान 26362409.38/- रुपये और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए 98127561.80/- रुपये का नकद घाटा हुआ है।
- xviii. वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (xviii) लागू नहीं है।

- x. (a) According to the information and explanation given to us, the company has not raised any money by way of initial public offer or further public offer (including debt instruments) during the year. Accordingly, paragraph 3(x)(a) of the order is not applicable.
- (b) According to the information and explanation given to us, the company has not made any preferential allotment or private placement of Shares or convertible debentures (fully, partly or optional convertible) during the year. Accordingly, paragraph 3(x)(b) of the order is not applicable.
- xi. (a) No Fraud by the Company and no material fraud on the Company has been noticed or reported during the year.
- (b) No report under sub-section (12) of section 143 of the Companies Act has been filed in form ADT-4 as prescribed under Rule 13 of Companies (Audit & Auditors) Rules 2014 with the central Government, during the year and up to the date of this report.
- (c) The Company has not received any whistle blower complaint during the year.
- xii. according to the information and explanations given to us, clause (xii) of the order is not applicable as the Company is not a Nidhi Company.
- xiii. According to the information and explanations given to us and on the basis of our examination of the records of the Company provided to us, the Company has not entered into any transactions with the related parties, accordingly provisions of section 177 and 188 of Companies Act, 2013, are not applicable to the Company.
- xiii. (a) In our opinion the internal audit system needs to be improved in view of observations made at Basis of qualified opinion in main audit report.
- (b) we have considered, the internal audit reports for the year under audit, issued to the Companye during the year and till date, in determining the nature, timing and extent of our audit procedures.
- xiv. According to the information and explanations given to us and on the basis of review on an overall basis, the Companye during the year has not entered into non cash transactions, in terms of section 192 of the Act, with directors or persons connected with them. Accordingly, paragraph 3(xv) of the order is not applicable.
- xv. (a) According to the information and explanations given to us and on the basis of review on an overall basis, the Company is not engaged in financing activity and hence is not required to be registered under section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934.
- (b) As per information and explanations (b) given to us there is no Core Investment Company with in the Group (as defined in the Core Investment Companies (Reserve Bank) Directions, 2016) and accordingly reporting under clause 3(xvi)(d) of the Order is not applicable.
- xvii. the Company has incurred Cash Losses during the Financial year covered by our audit amounting to Rs.26362409.38/- and the immediately preceding financial year Rs.98127561.80/-
- xviii. There has been no resignation of the Statutory Auditors of the Company during the year. Accordingly, paragraph 3(xviii) of the order is not applicable.

- xix. वित्तीय अनुपातों, उम्र बढ़ने और वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की परिपक्वता तथा पूर्णता की संभावित तारीखों, वित्तीय विवरणों और हमारे ज्ञान के साथ अन्य जानकारी और कंपनी द्वारा उपलब्ध सबूतों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख को कोई वास्तविक अनिश्चितता मौजूद है जो दर्शाती है कि कंपनी बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर जब भी वे देय होते हैं, बैलेंस शीट की तारीख में मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम उल्लेख करते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में आश्वासन नहीं है। हम आगे उल्लेख करते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा निर्वहन किया जाएगा।
- xx. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से संबंधित प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए इस वर्ष के लिए आदेश के खंड 3 (xx) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- xxi. ये कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण हैं, इसलिए आदेश के खंड 3 (xxi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

कृते वेद एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 012019एन

(सीए पूजा गोयल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 098551:
यूडीआईएन: 22098551BBVJEL9058

स्थान: गाजियाबाद
दिनांक: 2 नवंबर, 2022

- xviii. On the basis of the financial ratios, ageing and expected dates of realisation of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements and our knowledge and based on our examination of the evidences available the Company, nothing has come to our attention, which causes us to believe that any material uncertainty exists as on the date of the audit report indicating that Company is not capable of meeting its liabilities existing at the date of Balance Sheet as and when they fall due within a period of one year from the Balance Sheet date. We however, state that this is not an assurance as to the future viability of the Company. We further state that our reporting is based on the facts up to the date of the audit report and we neither give any guarantee nor any assurance that all liabilities falling due within a period of one year from the Balance Sheet date, will get discharged by the Company as and when they fall due.
- xix. As per information and explanations given to us the provisions relating to Corporate Social Responsibility (CSR) under section 135 of the Companies Act, 2013 are not applicable to the Company and hence the reporting under clause 3(xx) of the order is not applicable for the year.
- xx. These are the standalone financial statements of the Company, hence reporting under clause 3(xxi) of the order is not applicable.

For VED AND COMPANY
Chartered Accountants
FRN: 012019N

(CA POOJA GOEL)
Partner
Membership No. 098551
UDIN: 22098551BBVJEL9058

Place: Ghaziabad
Date: 02 November, 2022

स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट से संबंधित अनुबंध 'ख'

(राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के सदस्यों के लिए हमारी रिपोर्ट के अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं के तहत पैराग्राफ "II" में उल्लिखित)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा द्वारा जारी निर्देशों में वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (स्टैंडअलोन) के वार्षिक लेखाओं की लेखा परीक्षा प्रक्रिया के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जांच किए जाने वाले क्षेत्रों को दर्शाया गया है

1.	क्या कंपनी में आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेन-देन की प्रक्रिया की व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो वित्तीय निहितार्थ सहित लेखाओं की सत्यनिष्ठा के संबंध में आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन-देन की प्रक्रियाओं के निहितार्थ, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाए।	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी में यह व्यवस्था है और निगम सभी लेखांकन लेन-देन प्रक्रिया ईआरपी के माध्यम से करता है। ईआरपी व्यवस्था में वित्तीय लेखांकन (एफआई), नियंत्रक (सीओ), बिक्री तथा वाणिज्यिक बिलिंग आदि जैसी सभी प्रक्रियाएं कार्यान्वित की गई हैं।
2.	क्या ऋण के भुगतान न किए जाने की कंपनी की असमर्थता के कारण लेनदार द्वारा मौजूदा ऋण अथवा माफी/ऋण को बट्टे खाते में डालने/ऋणों/ब्याज के मामलमलों की कोई पुनर्संरचना की गयी है? यदि हां, तो उसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख कीजिए।	हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर भुगतान न किए जाने की कंपनी की अक्षमता के कारण लेनदार द्वारा ऋण/माफी/ऋण को बट्टे खाते में डालने/ऋणों/ब्याज की कोई पुनर्संरचना की गयी है।
3.	क्या केंद्र की विशिष्ट योजनाओं/राज्य एजेंसियों से प्राप्त निधि/प्राप्य निधियों की समुचित गणना की गई है/उसके नियम एवं शर्तों के अनुरूप उसका उपयोग किया गया है? विषय परिवर्तन मामलों की सूची उपलब्ध कराएं।	<p>केंद्र की विशिष्ट योजनाओं/राज्य एजेंसियों से प्राप्त निधि/प्राप्तियों का उपयुक्त लेखा-जोखा रखा गया है/उसके नियम एवं शर्तों के अनुरूप उसका उपयोग किया गया है।</p> <p>1. एनएचडीसी के ऊपर उल्लिखित 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनके तहत हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हैक यार्न की बिक्री/खरीद की जाती है, जिस पर भारत सरकार, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, समय-समय पर घोषित योजना के अनुसार 10% सब्सिडी और अन्य दावे (जिसमें माल भाड़ा सब्सिडी और डिपो प्रभार शामिल हैं) प्रदान करता है। जैसा कि वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के वित्तीय लेखा के संबंध में ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है, कंपनी के लखनऊ शाखा कार्यालय, जो वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन था, ने शुरु में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान क्रमशः वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही यानी 2018-19 में 385.04 करोड़ रुपये की कुल बिक्री और खरीद बुक की थी। इसमें से 190.82 करोड़ रुपये की बिक्री और खरीद को ईआरपी लेखा व्यवस्था में उक्त लखनऊ कार्यालय द्वारा रद्द कर दिया गया है।</p>

ANNEXURE “B” TO THE INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

(Referred to in paragraph “II” under ‘Report on Other Legal and Regulatory Requirements section of our report to the Members of National Handloom Development Corporation Limited of even date)

Directions issued by the Comptroller & Auditor General of India under Section 143(5) of the Companies Act, 2013 indicating the areas to be examined by the Statutory Auditors during the course of audit of annual accounts of National handloom development Corporation Limited (Standalone) for the FY 2021-22

S.No	PARTICULARS	Our Reply
1	Whether the Company has system in place to process all the accounting transactions through IT system. If yes, the implications of processing of accounting transactions outside IT system on the integrity of the accounts along with the financial implications, if any may be stated.	As per the information and explanations given to us, the Regional Office has a system in place and the corporation process all the accounting transactions through ERP. ERP system has been implemented for all the processes like Financial accounting (FI), Controlling (CO), Sale and Commercial billing etc.
2	Whether there is any restructuring of an existing loan or cases of waiver / write off of debts / loans / interest etc. made by a lender due to the company’s inability to repay the loan? If yes, the financial impact may be stated.	According to the information and explanations given to us and based on our examination of the records of the Regional Office, there has been no restructuring/ waiver/ write off of debts/ loans/ interest etc. made by a lender due to the company’s inability to repay the loan
3	Whether fund received / receivable for specific schemes from Central / State agencies were properly accounted for / Utilized as per its term and conditions? List the cases of deviation.	<p>Fund received / receivable for specific schemes from Central /State agencies were not properly accounted for /utilized as per the provided terms and conditions in certain cases as referred below:</p> <ol style="list-style-type: none"> NHDC having “7” Regional offices as mentioned above from where sale/purchase of Hank Yarn is undertaken to promote the Handloom Sector on which Government of India, Ministry of Textile office of the Development Commissioner, Handloom provide 10 % Subsidy and other claims (which includes freight subsidy and depot charges) as per scheme announced time to time. As pointed in Audit report on the Financial Accounts of FY 2018-19 and 2019-20 the Company’s Lucknow branch Office, which was under Varanasi Regional Office, had initially booked total Sales & Purchase during the Financial year 2018-19 amounting to Rs. 385.04 Crores in the 1st Quarter of Financial year i.e. 2018-19 respectively. Out of this, Sales and Purchase to the tune of Rs. 190.82 Crores have been cancelled by the said Lucknow Office in ERP accounting system.

		<p>सीबीआई पत्राचार के अनुसार, प्रबंधन और सीवीओ द्वारा फॉरेंसिक ऑडिट और सतर्कता जांच की गई थी। इस मामले पर फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट क्रमशः फॉरेंसिक ऑडिटर और सीवीओ टीम द्वारा निदेशक मंडल के समक्ष 05.10.2021 को प्रस्तुत की गई थी। निदेशक मंडल के निर्देशों और सीबीआई के पत्र के अनुसार, इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट सीबीआई को प्रदान की गई है।</p> <p>कंपनी ने सतर्कता रिपोर्ट और इस संबंध में सीबीआई से प्राप्त आगे के पत्राचार/रिपोर्ट की प्रति हमें उपलब्ध नहीं कराई है। फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में की गई टिप्पणी के अनुसार बही खाते में कोई प्रविष्टि नहीं पाई गई है और न ही उनका लेखा-जोखा रखा गया है, इसलिए हम कुल देनदारों (संदर्भ नोट संख्या 14 (ii)) तथा लेनदारों (संदर्भ नोट संख्या 5 (ii)) में दिखाए गए क्रमशः 194.22 करोड़ रुपये के उक्त देनदारों और लेनदारों के संबंध में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।</p> <p>2. जैसा कि नोट संख्या '4 क' में उल्लेख किया गया है, 22,10,60,097/- रुपये निधि संग्रह (मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स) में जमा रखे हुए हैं और तदनुसार बैलेंस शीट की अनुसूची 11 के अनुसार सावधि जमा में निवेश किए गए हैं। 31 मार्च 2017 तक निधि संग्रह (मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स) की सावधि जमा पर अर्जित ब्याज संबंधित निधि संग्रह में जमा किया गया था, लेकिन वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान क्रमशः 1.22 करोड़ रुपये और 1.20 करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि पर ब्याज को निधि संग्रह (मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स) में जमा करने के बजाय निगम की ब्याज आय के रूप में लिया गया है। हालांकि, वित्त वर्ष 2019-20 से, निधि संग्रह (मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स) के एफडीआर पर अर्जित ब्याज आय को निधि संग्रह (मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स) में जमा किया गया है।</p> <p>कंपनी ने इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया है; इसलिए हम ऊपर उल्लिखित निधि संग्रह में वापस की जाने वाली अतिरिक्त राशि पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।</p>
--	--	---

		<p>As per the CBI communication, the Forensic Audit and Vigilance probe were taken up by the management and the CVO. The Forensic Audit Report and the Vigilance Probe report on the matter were presented by the Forensic Auditor and the CVO team respectively, before the Board of Directors on 05.10.2021. As per the directions of the Board of Directors and the CBI letter, the Forensic Audit Report and the Vigilance Probe Report has been provided to CBI for further necessary action in this regard.</p> <p>The Company has not provided copy of Vigilance report and further communication/ report received from CBI in this regard to us. No entries have been ascertained and accounted for in the books as per the observation made in Forensic Audit Report, hence we are unable to comment on the said debtors and creditors of Rs. 194.22 Crores respectively being shown in total debtors (Refer Note No. 14(ii)) as well as Creditors ((Refer Not No. 5 (ii)).</p> <p>2. As stated in Note No. "4A" Rs. 22,10,60,097/- is Standing to the Credit of Corpus Fund (Marketing Complex) and correspondingly invested in Fixed Deposits as Per Schedule 11 of the Balance Sheet. Interest earned on Fixed Deposits of Corpus Funds (Market Complexes) till 31st March 2017, was credited to respective Corpus Fund, but during the financial year 2017-18 and 2018-19 the interest on fixed deposit amounting to Rs. 1.22 Cr and Rs. 1.20 Cr respectively has been taken as interest income of the Corporation instead of crediting to the Corpus Fund (Marketing Complex). However, from financial year 2019-20 onwards, interest income earned on FDR of Corpus Funds (Market Complexes) has been credited to Corpus Funds (Market Complexes).</p> <p>The company has not provided any reply in this regard; hence we are unable to comment on excess amount refundable to the Corpus Fund referred above.</p>
--	--	---

	<p>3. नोट संख्या '4(ख)' के अनुसार, 31-03-2022 को 11,20,27,418 रुपये निधि संग्रह (मेगा क्लस्टर) में जमा रखे थे, 31 मार्च 2017 तक, सावधि जमा पर ब्याज को वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान निधि संग्रह (मेगा क्लस्टर) में जमा करने के बजाय निगम की ब्याज आय के रूप में लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 से, निधि संग्रह (मेगा क्लस्टर) के एफडीआर पर अर्जित ब्याज आय को निधि संग्रह (मेगा क्लस्टर) में जमा किया गया है।</p> <p>कंपनी ने इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया है; इसलिए हम ऊपर उल्लिखित निधि संग्रह में वापस की जाने वाली अतिरिक्त राशि पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।</p> <p>4. नोट संख्या 4 (ग) के अनुसार, 31-03-2022 तक निधि संग्रह (व्यापार सुविधा केंद्र) में जमा में 96,94,118 रुपये थे, कंपनी ने वसूल किए गए किराए, उस पर खर्चों/करों, निधि संग्रह में जमा नहीं की गई धनराशि पर अर्जित ब्याज, सुविधाओं के निर्माण के लिए देय राशि का मिलान उपलब्ध नहीं कराया है, इसलिए खातों पर इसके प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।</p> <p>5. कंपनी ने वर्ष 18-19, 19-20 और 20-21 में आयोजित प्रदर्शनी पर किए गए खर्च के निमित्त वस्त्र मंत्रालय, केंद्र सरकार से वसूली योग्य क्रमश 52556/- रुपये, 16175813/- रुपये और 144057/- रुपये दर्शाए हैं, जो वस्त्र मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिपूर्ति योग्य नहीं हैं। अत 16372426/- रुपये की सीमा तक वस्त्र मंत्रालय से वसूल किए जाने वाले दावों का उल्लेख अधिक कर दिया गया है और घाटे को कम बताया गया है।</p> <p>6. वित्त वर्ष 2017-18, 2019-20 और 2020-21 में आयोजित की जाने वाली प्रदर्शनियों के लिए क्रमश: 3640000/- रुपये, 5600000/- रुपये और 42315000/- रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है, लेकिन प्रदर्शनियों का आयोजन नहीं किया गया और न ही प्राप्त राशि वस्त्र मंत्रालय को वापस की गई। अनुदान की शर्तों के अनुसार, यदि राशि का उपयोग उस प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता है जिसके लिए इसे मंजूरी दी गई है, तो अनुदानकर्ता को ब्याज के साथ अनुदान की राशि 10% प्रति वर्ष की दर से या इस संबंध में समय-समय पर लागू दरों पर वापस करना होगा। कंपनी ने अनुदान पर देय ब्याज की राशि की गणना और हिसाब नहीं दिया है, इसलिए उस सीमा तक घाटे और वस्त्र मंत्रालय को वापस की जाने वाली राशि को कम करके बताया गया है।</p>
--	---

		<p>3. As Per Note No. "4(B)", As on 31-03-2022 Rs, 11,20,27,418/- was standing to the Credit of Corpus Fund (Mega Cluster), till 31st March 2017, the interest on fixed deposit has been taken as Interest income of the Corporation, instead of crediting to the Corpus Fund (Mega Cluster) during the financial year 2017-18 and 2018-19, However, from financial year 2019-20, interest income earned on FDR of Corpus Fund (Mega Cluster) has been credited to Corpus Funds (Mega Cluster).</p> <p>The company has not provided any reply in this regard; hence we are unable to comment on excess amount refundable to the Corpus Fund referred above.</p> <p>4. As Per Note No '4(C)', As on 31-03-2022 Rs 96,94,118/- was standing to the Credit of Corpus Fund, (Trade Facilitation Centre), The Company has not been provided the reconciliation of rent recovered, expenses/taxes thereon, interest earned on the funds not credited to Corpus, amount payable for the construction of facility, Hence the impact thereof on the accounts cannot be ascertained.</p> <p>5. The Company has shown Rs 52556/-, Rs 16175813/-and Rs 144057/- recoverable from Ministry of Textile, Central Government (here in after referred as "MOT") on account of expenses incurred on 'Exhibition organized in F Y 18-19,19-20 & 20-21 respectively, which as per guidelines of MOT are not reimbursable. Hence to the extent of Rs 16372426/- the claims recoverable from MOT are over stated and loss is under stated.</p> <p>6. Grants for the exhibitions to be conducted in FY 2017-18,2019-20 & 2020-21 amounting to Rs 3640000/-, 5600000/- & 42315000/- respectively has been received but exhibitions were not held neither the amount received are refunded back to MOT. As per the terms of the grant if the amount is not utilized for the purpose for which the same has been sanctioned, the grantee will be required to refund the amount</p> <p>of the grant with interest thereon @10% per annum or rates applicable from time to time in this regard. The company has not calculated and accounted for the amount of interest payable on the grant, hence to that extent loss and amount refundable to MOT are under stated.</p>
--	--	--

	<p>7. कंपनी ने 112212721/- रुपये की प्राप्य अनुदान राशि और 31881478/- रुपये की अनुदान वापसी योग्य राशि के संबंध में कोई दस्तावेज और स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया है, जैसा कि संलग्न अनुबंध 'घ' में उल्लिखित है। इसलिए हम उस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।</p> <p>8. कंपनी ने क्लस्टर कारीगरों के मानचित्रण और वीडियो फिल्मांकन के लिए दिसंबर 2020 में प्राप्त अनुदान 9000000 रुपये के उपयोग की कोई स्थिति प्रदान नहीं की है; इसलिए हम उस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।</p> <p>9. कंपनी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2021 के अवसर पर हस्तशिल्प पुरस्कार-2017 के आयोजन पर खर्च न किए गए 3504800/- रुपये के उपयोग/वापसी की कोई स्थिति प्रदान नहीं की है, इसलिए हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।</p> <p>10. कंपनी ने नवंबर, 2019 से मार्च, 2022 की अवधि के लिए संतुष्टी शॉप के संबंध में 3475824/- रुपये के व्यय का दावा किया है, हालांकि इस संबंध में सरकार से प्राप्त कोई अनुमोदन हमें प्रदान नहीं किया गया है, इसलिए हम इसकी वसूली पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।</p> <p>11. वस्त्र मंत्रालय की योजना के अंतर्गत हुडको प्लाजा, बीकाजी कामा प्लेस नई दिल्ली में हथकरघा विपणन परिसर की स्थापना के संबंध में यह देखा गया है कि लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक कार्यालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 09/03/2022 की उनकी रिपोर्ट में निम्नलिखित टिप्पणियां की जा रही हैं, जिनके लिए प्रबंधन द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया है</p> <p>(क) बकाया राशि का भुगतान न करने का कोई कारण रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं था। कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते एनएचडीसी यह सुनिश्चित करने में विफल रही है कि 2017 के बाद एसडीएमसी को संपत्ति कर का वैधानिक भुगतान किया गया है और आगे बिल्डर (हुडको) को 157.17 लाख रुपये के ग्राउंड रेंट और मेंटेनेंस चार्ज के बकाया का भुगतान नहीं किया गया है। इससे हुडको के साथ लीज डीड का निष्पादन प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा, जुर्माना शुल्क अर्जित होगा और एनएचडीसी के खिलाफ जुर्माना कार्रवाई की जा सकती है क्योंकि यह दुकानों का मूल आवंटी है।</p>
--	--

		<p>7. The company has not provided any documents and explanation with respect to Grants Receivable amounting to Rs 112212721/- and Grant Refundable amounting to Rs 31881478/- as referred in Annexure 'D' annexed here with; hence we are unable to comment thereon.</p> <p>8. The Company has not provided any status of utilization of grant Rs 9000000 received in Dec 2020 for Mapping and Video filming of cluster artisans; hence we are unable to comment thereon.</p> <p>9. The Company has not provided any status of utilization/refund of Rs 3504800/- remaining unspent on organizing Handicrafts Awards-2017 on the occasion of National Handloom Day 7th August-2021, hence we are unable to comment thereon.</p> <p>10. The Company has claimed expenditure of Rs 3475824 /- on santushti shop for the period November, 2019 to March, 2022, however no approval received from Government in this regard is provided to us hence we are unable to comment on the recoverability thereof.</p> <p>11. In respect of setting up of the Handloom Marketing Complex at HUDCO Plaza, Bikaji Cama Place New Delhi under the scheme of Ministry of Textiles, it is noticed that the following observations are being made in respect of by office of Principal Director of Audit New Delhi in their report dt 09/03/2022, for which no reply is provided by the Management:</p> <p>(a) No reason for non-payment of the dues were available on records. NHDC being the nodal/implementation agency, has failed to ensure that statutory payment of property tax made to SDMC after 2017 and further has not paid arrears of ground rent and the maintenance charges to the Builder (HDCO) of Rs 157.17 lakh. This may affect the execution of lease deed with HUDCO. Further, penalty charges would accrue and penalty action may be taken against the NHDC since it is the original allottee of the shops.</p>
--	--	---

	<p>(ख) एनएचडीसी ने उन लाभार्थी एजेंसियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है जिन्होंने अपने हिस्से के व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की, इसके बजाय यह स्वयं हुडको का डिफॉल्टर बन गया है।</p> <p>(ग) एनएचडीसी को नियमित रूप से अपनी देय राशियों का भुगतान करने वाली लाभार्थी एजेंसियों द्वारा देय राशियों के भुगतान के लिए कोई और अनुदेश या व्यवस्था नहीं की गई है।</p> <p>(घ) एनएचडीसी द्वारा आवंटित दुकानों में से लाभार्थी एजेंसियों द्वारा बिक्री/व्यवसाय आदि का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया था जिससे कि योजना के लाभों के संदर्भ में उनके प्रदर्शन की पुष्टि की जा सके, जिसमें सरकार ने हथकरघा एजेंसियों को विपणन परिसर की दुकानों की खरीद के लिए 3.35 करोड़ रुपये की 50% अनुदान सहायता प्रदान की है। यदि एनएचडीसी द्वारा बकाया राशि का भुगतान नहीं किए जाने के कारण लीज डीड निष्पादित नहीं की जाती है तो योजना पर सरकारी खर्च व्यर्थ जा सकता है।</p>
--	---

कृते वेद एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 012019एन

(सीए पूजा गोयल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 098551
यूडीआईएन: 22098551BBVJEL9058

स्थान: गाजियाबाद
दिनांक: 2 नवंबर, 2022

		<p>(b) NHDC has not taken any action against the beneficiary agencies who did not reimburse their share of expenditure, instead it itself has become defaulter to HUDCO.</p> <p>(c) There is no further instruction or arrangement of payment of dues by the beneficiary agencies who have been paying their dues regularly to NHDC.</p> <p>(d) No records of sale/business etc. by beneficiary agencies, from the shops allotted, was maintained by NHDC to vouch their performance in terms of benefits of the scheme wherein the Government has provided 50% grant assistance to Handloom Agencies Rs 3.35 crore for purchase of the shops of Marketing Complex. The government expenditure on the scheme may go waste if, lease deed is not made due to non-payment of dues by NHDC.</p>
--	--	--

For VED AND COMPANY
Chartered Accountants
FRN: 012019N

Place: Ghaziabad
Date: 02nd November, 2022

Sd/-
(CA POOJA GOEL)
Partner
Membership No. 098551
UDIN: 22098551BBVJEL9058

स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट से संबंधित अनुबंध 'ग'

(31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं के संबंध में राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों संबंधी हमारी समान तारीख की रिपोर्ट के लिए उल्लिखित अनुबंध)

कंपनी अधिनियम, 2013 ('एक्ट')की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों संबंधी रिपोर्ट

हमने 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संयोजन में राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड (कंपनी) की वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा की है

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी निदेशक मंडल चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटक पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को संस्थापित करने और उनके बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करना, उसका कार्यान्वयन तथा उसको बनाए रखना शामिल हैं जिनका उनके व्यवसाय को विधिपूर्वक तथा दक्षता से संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से संचालन हो रहा हो जिसमें कंपनी की नीतियों का अनुपालन, उसकी परिसंपत्तियों की संरक्षा, धोखाधड़ी एवं त्रुटि को रोकना एवं पता लगाना, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता एवं पूर्णता और अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय पर तैयार करना शामिल हैं।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय देना है। हमने लेखा परीक्षा का संचालन वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों ('मार्गदर्शन टिप्पण') संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण तथा आईसीएआई द्वारा जारी एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्धारित किए गए लेखा परीक्षा मानकों के अनुसरण में किया गया है जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए स्वीकार्य सीमा के अंतर्गत है तथा दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए स्वीकार्य है और दोनों भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों तथा मार्गदर्शन टिप्पण में अपेक्षा है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें और उनके अनुसार युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की योजना एवं कार्य करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए एवं बनाए रखे गए हैं और यदि हां, तो क्या इस प्रकार के नियंत्रणों को सभी वस्तुगत पहलुओं में प्रभावी रूप से संचालित किया गया है।

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनकी प्रचालन प्रभावकारिता के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की सटीकता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन शामिल है। हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वित्तीय रिपोर्टिंग के समय आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समक्ष प्राप्त करना, वस्तुगत कमजोरी वाले जोखिम का आंकलन, और आंकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन, प्रचालन प्रभाविकता का परीक्षण एवं मूल्यांकन शामिल हैं। चयनित प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं जिसमें वित्तीय विवरणों के वस्तुगत गलत विवरण के जोखिम का आंकलन शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखा परीक्षा साक्ष्य कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कंपनी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के संबंध में हमारी लेखा परीक्षा राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त एवं उचित हैं।

ANNEXURE “C” TO THE INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT

ANNEXURE REFERED TO IN OUR REPORT OF EVEN DATE ON THE STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS OF THE NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED ON THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2022

Report on the Internal Financial Controls under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013 (“the Act”)

We have audited the internal financial controls over financial reporting of **NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED** (“the Company”) as on March 31, 2022 in conjunction with our audit of the financial statements of the Company for the year ended on that date.

Management’s Responsibility for Internal Financial Controls

The board of directors of the Company is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India. These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Company’s policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013.

Auditors’ Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Company’s internal financial controls over financial reporting based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls over Financial Reporting (the “Guidance Note”) and the Standards on Auditing, issued by ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Companies Act, 2013, to the extent applicable to an audit of internal financial controls, both applicable to an audit of Internal Financial Controls and, both issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls over financial reporting was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system over financial reporting and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls over financial reporting included obtaining an understanding of internal financial controls over financial reporting, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor’s judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Company’s internal financial controls system over financial reporting.

वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का तात्पर्य

वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करने की प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियों एवं प्रक्रियाओं शामिल हैं जो

- (1) रिकॉर्ड रख-रखाव से संबंधित जिसमें कंपनी की परिसंपत्तियों के अंतरण तथा स्थितियों का तर्कसंगत, सटीक एवं निष्पक्ष ब्यौरा प्रकट किया गया हो;
- (2) तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करना जिसमें लेन-देन को आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए आवश्यक रूप में रिकॉर्ड किया गया हो तथा जिसमें कंपनी की प्राप्तियां एवं खर्च केवल कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकों के प्रमाणीकरण के अनुसार किए जा रहे हो; तथा
- (3) कंपनी की परिसंपत्तियों का प्राधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, अथवा स्थिति का निवारण अथवा समय पर पता लगाने के संबंध में तर्कसंगत आश्वासन प्रदान करना जिसका वित्तीय विवरणों पर वस्तुगत प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत की संभावना या अनुचित प्रबंधन, नियंत्रणों की अवहेलना शामिल हैं। त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण वस्तुगत गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अध्यधीन हैं जो कि वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या यह कि नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की स्थिति बिगड़ सकती है।

सापेक्ष राय

हमारी राय में और नीचे की गई टिप्पणियों के आधार पर, कंपनी के पास वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था नहीं है और वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिट संबंधी मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों संबंधी आंतरिक नियंत्रणों के आधार पर 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी ढंग से संचालन में थे।

1. एनएचडीसी के ऊपर उल्लिखित 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनके तहत हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हैंक यार्न की बिक्री/खरीद की जाती है, जिस पर भारत सरकार, विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, समय-समय पर घोषित योजना के अनुसार 10% सब्सिडी और अन्य दावे (जिसमें माल भाड़ा सब्सिडी और डिपो प्रभार शामिल हैं) प्रदान करता है। जैसा कि वित्त वर्ष 2018-19 और 2019-20 के वित्तीय लेखा के संबंध में ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है, कंपनी के लखनऊ शाखा कार्यालय, जो वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन था, ने शुरू में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान क्रमशः वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही यानी 2018-19 में 385.04 करोड़ रुपये की कुल बिक्री और खरीद बुक की थी। इसमें से 190.82 करोड़ रुपये की बिक्री और खरीद को ईआरपी लेखा व्यवस्था में उक्त लखनऊ कार्यालय द्वारा रद्द कर दिया गया है।

सीबीआई पत्राचार के अनुसार, प्रबंधन और सीवीओ द्वारा फॉरेंसिक ऑडिट और सतर्कता जांच की गई थी। इस मामले पर फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट क्रमशः फॉरेंसिक ऑडिटर और सीवीओ टीम द्वारा निदेशक मंडल के समक्ष 05.10.2021 को प्रस्तुत की गई थी। निदेशक मंडल के निर्देशों और सीबीआई के पत्र के अनुसार, इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट और सतर्कता जांच रिपोर्ट सीबीआई को प्रदान की गई है।

Meaning of Internal Financial Controls over Financial Reporting

A Company's internal financial control over financial reporting is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. A Company's internal financial control over financial reporting includes those policies and procedures that

- (1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Company;
- (2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Company are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the Company; and
- (3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Company's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls Over Financial Reporting

Because of the inherent limitations of internal financial controls over financial reporting, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls over financial reporting to future periods are subject to the risk that the internal financial control over financial reporting may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Qualified Opinion

In our opinion and on the basis of observations made below, the Company does not have adequate internal financial controls system over financial reporting and such internal financial controls over financial reporting were operating effectively as at March 31, 2022, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

1. NHDC having "7" Regional offices as mentioned above from where sale/purchase of Hank Yarn is undertaken to promote the Handloom Sector on which Government of India, Ministry of Textile office of the Development Commissioner, Handloom provide 10 % Subsidy and other claims (which includes freight subsidy and depot charges) as per scheme announced time to time. As pointed in Audit report on the Financial Accounts of FY 2018-19 and 2019-20 the Company's Lucknow branch Office, which was under Varanasi Regional Office, had initially booked total Sales & Purchase during the Financial year 2018-19 amounting to Rs. 385.04 Crores in the 1st Quarter of Financial year i.e. 2018-19 respectively. Out of this, Sales and Purchase to the tune of Rs. 190.82 Crores have been cancelled by the said Lucknow Office in ERP accounting system.

As per the CBI communication, the Forensic Audit and Vigilance probe were taken up by the management and the CVO. The Forensic Audit Report and the Vigilance Probe report on the matter were presented by the Forensic Auditor and the CVO team respectively, before the Board of Directors on 05.10.2021. As per the directions of the Board of Directors and the CBI letter, the Forensic Audit Report and the Vigilance Probe Report has been provided to CBI for further necessary action in this regard.

कंपनी ने सतर्कता रिपोर्ट और इस संबंध में सीबीआई से प्राप्त आगे के पत्राचार/रिपोर्ट की प्रति हमें उपलब्ध नहीं कराई है। फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में की गई टिप्पणी के अनुसार बही खाते में कोई प्रविष्टि नहीं पाई गई है और न ही उनका लेखा-जोखा रखा गया है, इसलिए हम कुल देनदारों (संदर्भ नोट संख्या 14 (ii)) तथा लेनदारों (संदर्भ नोट संख्या 5 (ii)) में दिखाए गए क्रमशः 194.22 करोड़ रुपये के उक्त देनदारों और लेनदारों के संबंध में टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

2. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में इंडियन ओवरसीज बैंक, लखनऊ शाखा द्वारा दो बार भुगतान किए गए 66061791/- रुपये की वसूली के लिए की गई कार्रवाई और कानूनी राय की कोई स्थिति प्रदान नहीं की है। फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, आज की तारीख तक पक्ष-वार किए गए दोहरे/अतिरिक्त भुगतान का मिलान नहीं किया गया है। हम बैंक द्वारा दो बार भुगतान किए गए 66061791/- रुपये की वसूली पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। कंपनी ने 28/08/2018 को मामले को सीबीआई को भेज दिया है।
3. वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी द्वारा 01.03.2018 से 31.03.2018 के दौरान की गई 215.79 करोड़ रुपये की बिक्री के बाबत 22.66 करोड़ रुपये का सेवा शुल्क और सब्सिडी घटक वापस ले लिया गया क्योंकि वस्त्र मंत्रालय (एमओटी) ने कंपनी को सब्सिडी राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की। इस तथ्य के परिणामस्वरूप कि वस्त्र मंत्रालय से 21.58 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्राप्त नहीं हुई थी, कंपनी ने भारत सरकार से बकाया प्राप्तियों से 21.58 करोड़ रुपये कम कर दिए और आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम के रूप में बुक किए। इसके अलावा, इस संबंध में एनएचडीसी ने आपूर्तिकर्ताओं को सब्सिडी के रूप में 18.15 करोड़ रुपये वितरित किए हैं, बशर्ते कि यह भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

कंपनी ने इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया है; इसलिए हम संवितरित 18.15 करोड़ रुपये की वसूली पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

4. जैसा कि नोट संख्या '4क' में उल्लेख किया गया है, 22,10,60,097/- रुपये निधि संग्रह (मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स) में जमा रखे हुए हैं और तदनुसार बैलेंस शीट की अनुसूची 11 के अनुसार सावधि जमा में निवेश किए गए हैं। 31 मार्च 2017 तक निधि संग्रह (मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स) की सावधि जमा पर अर्जित ब्याज संबंधित निधि संग्रह में जमा किया गया था, लेकिन वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान क्रमशः 1.22 करोड़ रुपये और 1.20 करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि पर ब्याज को निधि संग्रह (मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स) में जमा करने के बजाय निगम की ब्याज आय के रूप में लिया गया है। हालांकि, वित्त वर्ष 2019-20 से, निधि संग्रह (मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स) के एफडीआर पर अर्जित ब्याज आय को निधि संग्रह (मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स) में जमा किया गया है।

कंपनी ने इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया है; इसलिए हम ऊपर उल्लिखित निधि संग्रह में वापस की जाने वाली अतिरिक्त राशि पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

5. नोट संख्या '4(ख)' के अनुसार, 31-03-2022 को 11,20,27,418 रुपये निधि संग्रह (मेगा क्लस्टर) में जमा रखे थे, 31 मार्च 2017 तक, सावधि जमा पर ब्याज को वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के दौरान निधि संग्रह (मेगा क्लस्टर) में जमा करने के बजाय निगम की ब्याज आय के रूप में लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2019-20 से, निधि संग्रह (मेगा क्लस्टर) के एफडीआर पर अर्जित ब्याज आय को निधि संग्रह (मेगा क्लस्टर) में जमा किया गया है।

कंपनी ने इस संबंध में कोई जवाब नहीं दिया है; इसलिए हम ऊपर उल्लिखित निधि संग्रह में वापस की जाने वाली अतिरिक्त राशि पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

6. नोट संख्या 4 (ग) के अनुसार, 31-03-2022 तक निधि संग्रह (व्यापार सुविधा केंद्र) में जमा में 96,94,118 रुपये थे, कंपनी ने वसूल किए गए किराए, उस पर खर्चों/करों, निधि संग्रह में जमा नहीं की गई धनराशि पर अर्जित ब्याज, सुविधाओं के निर्माण के लिए देय राशि का मिलान उपलब्ध नहीं कराया है, इसलिए खातों पर इसके प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सकता है।

7. कंपनी ने वर्ष 18-19, 19-20 और 20-21 में आयोजित प्रदर्शनी पर किए गए खर्च के निमित्त वस्त्र मंत्रालय, केंद्र सरकार से वसूली योग्य क्रमशः 52556/- रुपये, 16175813/- रुपये और 144057/- रुपये दर्शाए हैं, जो वस्त्र

The Company has not provided copy of Vigilance report and further communication/report received from CBI in this regard to us. No entries have been ascertained and accounted for in the books as per the observation made in Forensic Audit Report, hence we are unable to comment on the said debtors and creditors of Rs. 194.22 Crores respectively being shown in total debtors (Refer Note No. 14(ii)) as well as Creditors ((Refer Not No. 5 (ii)).

2. The Company has not provided any status of action taken and legal opinion for recovery of Rs 66061791/- paid twice by Indian Overseas Bank, Lucknow branch in Financial Year 2018-19. As per Forensic Audit report till date party wise double/excess payment made has not been reconciled. We are unable to comment on the recoverability of Rs 66061791/- paid twice by bank. The company has referred the matter to CBI on 28/08/2018.
3. Service charge and subsidy component of Rs 22.66 crore on account of sales of Rs 215.79 crore made during 01.03.2018 to 31.03.2018 was reversed by the Company during F Y 2018-2019 as Ministry of Textiles (MOT) did not reimburse the subsidy amount to the company. Consequent to the fact that subsidy of Rs 21.58 crore was not received from the MOT, the company reduced Rs 21.58 crore from receivables due from Government of India and booked the same as advance to suppliers. Further in respect of same, NHDC has disbursed Rs 18.15 crore as subsidy to the suppliers, even though the same is not received from Government of India.

The company has not provided any reply in this regard; hence we are unable to comment on the recoverability of Rs. 18.15 crore disbursed

4. As stated in Note No. "4A" Rs. 22,10,60,097/- is Standing to the Credit of Corpus Fund (Marketing Complex) and correspondingly invested in Fixed Deposits as Per Schedule 11 of the Balance Sheet. Interest earned on Fixed Deposits of Corpus Funds (Market Complexes) till 31st March 2017, was credited to respective Corpus Fund, but during the financial year 2017-18 and 2018-19 the interest on fixed deposit amounting to Rs. 1.22 Cr and Rs. 1.20 Cr respectively has been taken as interest income of the Corporation instead of crediting to the Corpus Fund (Marketing Complex). However, from financial year 2019-20 onwards, interest income earned on FDR of Corpus Funds (Market Complexes) has been credited to Corpus Funds (Market Complexes).

The company has not provided any reply in this regard; hence we are unable to comment on excess amount refundable to the Corpus Fund referred above.

5. As Per Note No. "4(B)", As on 31-03-2022 Rs, 11,20,27,418/- was standing to the Credit of Corpus Fund (Mega Cluster), till 31st March 2017, the interest on fixed deposit has been taken as Interest income of the Corporation, instead of crediting to the Corpus Fund (Mega Cluster) during the financial year 2017-18 and 2018-19, However, from financial year 2019-20, interest income earned on FDR of Corpus Fund (Mega Cluster) has been credited to Corpus Funds (Mega Cluster).

The company has not provided any reply in this regard; hence we are unable to comment on excess amount refundable to the Corpus Fund referred above.

6. As Per Note No '4(C)', As on 31-03-2022 Rs 96,94,118/- was standing to the Credit of Corpus Fund, (Trade Facilitation Centre), The Company has not been provided the reconciliation of rent recovered, expenses/taxes thereon, interest earned on the funds not credited to Corpus, amount payable for the construction of facility, Hence the impact thereof on the accounts cannot be ascertained.
7. The Company has shown Rs 52556/-, Rs 16175813/-and Rs 144057/- recoverable from Ministry of Textile, Central Government (here in after referred as "MOT") on account of expenses incurred on

मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिपूर्ति योग्य नहीं हैं। अतः 16372426/- रुपये की सीमा तक वस्त्र मंत्रालय से वसूल किए जाने वाले दावों का उल्लेख अधिक कर दिया गया है और घाटे को कम बताया गया है।

8. वित्त वर्ष 2017-18, 2019-20 और 2020-21 में आयोजित की जाने वाली प्रदर्शनियों के लिए क्रमशः 3640000/- रुपये, 5600000/- रुपये और 42315000/- रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ है, लेकिन प्रदर्शनियों का आयोजन नहीं किया गया और न ही प्राप्त राशि वस्त्र मंत्रालय को वापस की गई। अनुदान की शर्तों के अनुसार, यदि राशि का उपयोग उस प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता है जिसके लिए इसे मंजूरी दी गई है, तो अनुदानकर्ता को ब्याज के साथ अनुदान की राशि 10% प्रति वर्ष की दर से या इस संबंध में समय-समय पर लागू दरों पर वापस करना होगा। कंपनी ने अनुदान पर देय ब्याज की राशि की गणना और हिसाब नहीं दिया है, इसलिए उस सीमा तक घाटे और वस्त्र मंत्रालय को वापस की जाने वाली राशि को कम करे बताया गया है।
9. कंपनी ने 112212721/- रुपये की प्राप्य अनुदान राशि और 31881478/- रुपये की अनुदान वापसी योग्य राशि के संबंध में कोई दस्तावेज और स्पष्टीकरण प्रदान नहीं किया है, जैसा कि संलग्न अनुबंध 'घ' में उल्लिखित है; इसलिए हम उस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
10. कंपनी ने क्लस्टर कारीगरों के मानचित्रण और वीडियो फिल्मांकन के लिए दिसंबर 2020 में प्राप्त अनुदान 9000000 रुपये के उपयोग की कोई स्थिति प्रदान नहीं की है इसलिए हम उस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
11. कंपनी ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2021 के अवसर पर हस्तशिल्प पुरस्कार-2017 के आयोजन पर खर्च न किए गए 3504800/- रुपये के उपयोग/वापसी की कोई स्थिति प्रदान नहीं की है, इसलिए हम इस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
12. कंपनी ने नवंबर, 2019 से मार्च, 2022 की अवधि के लिए संतुष्टी शॉप के संबंध में 3475824/- रुपये के व्यय का दावा किया है, हालांकि इस संबंध में सरकार से प्राप्त कोई अनुमोदन हमें प्रदान नहीं किया गया है, इसलिए हम इसकी वसूली पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।
13. कंपनी ने प्रदर्शनियों पर किए गए व्यय के संबंध में लेखांकन के उपार्जन आधार का पालन नहीं किया है, क्योंकि यह देखा गया है कि ठेकेदार के खाते को चालान की प्राप्ति के समय नहीं बल्कि भुगतान किए जाने के समय जमा किया जाता है और टीडीएस भी केवल तभी काटा जाता है।
14. कंपनी ने 12260292/- रुपये के चालान पर माल और सेवा कर अधिनियम के तहत टीडीएस की कटौती नहीं की है।

कृते वेद एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन: 012019एन

(सीए पूजा गोयल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 098551
यूडीआईएन: 22098551BBVJEL9058

स्थान: गाजियाबाद
दिनांक: 2 नवंबर, 2022

'Exhibition organized in F Y 18-19,19-20 & 20-21 respectively, which as per guidelines of MOT are not reimbursable. Hence to the extent of Rs 16372426/- the claims recoverable from MOT are over stated and loss is under stated.

8. Grants for the exhibitions to be conducted in FY 2017-18,2019-20 & 2020-21 amounting to Rs 3640000/-, 5600000/- & 42315000/- respectively has been received but exhibitions were not held neither the amount received are refunded back to MOT. As per the terms of the grant if the amount is not utilized for the purpose for which the same has been sanctioned, the grantee will be required to refund the amount of the grant with interest thereon @10% per annum or rates applicable from time to time in this regard. The company has not calculated and accounted for the amount of interest payable on the grant, hence to that extent loss and amount refundable to MOT are under stated.
9. The company has not provided any documents and explanation with respect to Grants Receivable amounting to Rs 112212721/- and Grant Refundable amounting to Rs 31881478/- as referred in Annexure 'D' annexed here with; hence we are unable to comment thereon.
10. The Company has not provided any status of utilization of grant Rs 9000000 received in Dec 2020 for Mapping and Video filming of cluster arcticians; hence we are unable to comment thereon.
11. The Company has not provided any status of utilization/refund of Rs 3504800/- remaining unspent on organizing Handicrafts Awards-2017 on the occasion of National Handloom Day 7th August-2021, hence we are unable to comment thereon.
12. The Company has claimed expenditure of Rs 3475824 /- on santushti shop for the period November, 2019 to March, 2022, however no approval received from Government in this regard is provided to us hence we are unable to comment on the recoverability thereof.
13. The Company has not followed accrual basis of accounting with respect to expenditures incurred on exhibitions, as it is noticed that contractor's account is credited not at the time of receipt of invoice but at the time payment is made and TDS is also deducted then only.
14. The Company has not deducted TDS under Goods and Service Tax Act, on invoices amounting to Rs 12260292/-.

For VED AND COMPANY
Chartered Accountants
FRN: 012019N

Place: Ghaziabad

Date: 02nd November, 2022

Sd/-
(CA POOJA GOEL)
Partner
Membership No. 098551
UDIN: 22098551BBVJEL9058

अनुलग्नक 'घ'

प्राप्य अनुदान और देय अनुदान के संबंध में स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

क्र.सं.	विवरण	प्राप्य राशि	देय राशि
1	थीमेटिक हैडीक्राफ्ट्स प्रदर्शनी (आसनसोल)	21,000	
2	दिल्ली हाट में निर्माता कंपनियों के प्रतिभागियों के लिए टीए/डीए	57,147	
3	विविध अनुदान खाते (प्रदर्शनी)	4,57,835	
4	जेम को-ऑर्डिनेटर का टीए/डीए	9,919	
5	24वां बंग संस्कृति उत्सव 2021	1,00,000	
6	डिजाइन और तकनीकी विकास कार्यशाला 2020-21		40,48,000
7	कलात्मक जनजातीय वस्त्र कढ़ाई शिल्प पर पोशाक सामग्री के अनुसूचित जनजाति के शिल्पी		1,32,00,000
8	वाराणसी हथकरघा मेघा क्लस्टर 04 एक्सटेंशन काउंटर		2,84,474
9	आईएचबी प्रमाणन के लिए एनएचडीपी का विपणन सहायता घटक		2,89,500
10	अभोनी-2019 का सहयोग और प्रायोजन	1,50,000	
11	सूचना शिक्षा और संचार के लिए अनुदान		48,05,406
12	हथकरघा पार्ट्स की आपूर्ति के लिए अनुदान		9,17,251
13	2000 बैटरी लिंकड इन्वर्टर लाइटिंग यूनिट्स के वितरण हेतु अनुदान		56,33,148
14	बीएलआईएलयू के वितरण हेतु प्रशासन लागत के लिए अनुदान		2,56,759
15	बीएलआईएलयू के तहत अनुबंधित कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए अनुदान		4,66,538
16	सीएफसी वाराणसी के लिए अनुदान	28,03,880	
17	6 आईआईएचटी को पुरस्कार/पुरस्कार वितरण के लिए अनुदान		6,78,000
18	मल्टिपल बूटी मशीन के शुरुआत करने के लिए व्यय हेतु अनुदान		5,138
19	चौपहिया वाहन किराए पर लेने और विविध व्यय के लिए अनुदान डबल्यूएससी वाराणसी		96,400
20	6 डबल्यूएससी के लिए डेस्कटॉप की आपूर्ति हेतु अनुदान		3,00,000
21	राष्ट्रीय हथकरघा अभियान (आईएचबी ब्रांड)	53,11,513	
22	बुनकर जागरूकता शिविर		7,60,175
23	8 मार्च 2017 को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के तहत जीआई पंजीकृत हथकरघा हस्तशिल्प उत्पाद पर फिल्म	37,634	
24	शिल्प संग्रहालय नई दिल्ली में 1 अगस्त 2017 को डिजाइनर चौपाल का आयोजन	2,64,381	
25	7 अगस्त 2017 को गुवाहाटी में तीसरा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस	54,13,973	
26	अहमदाबाद में 31 जुलाई से 2 अगस्त 2017 तक अंतरराष्ट्रीय वस्त्र मेला	60,32,737	
27	22.09.2017 को टीएफसी और सीएम का उद्घाटन कार्यक्रम	2,41,005	
28	हस्तकला सहयोग शिविर (फेज 1)	37,65,242	
29	हस्तकला सहयोग शिविर (फेज 2)	10,67,660	
30	स्वदेशी मेला चंडीगढ़ 2017-2018	5,00,000	

Annexure 'D'

Explanation not provided with respect to Grants Receivable and Grant Payable.

S. No	Particulars	Amount Receivable	Amount Payable
1	Thematic Handicraft Exhibition (Aasansole)	21,000	
2	TA/DA for Participants of Producer Companies in Dilli Haat	57,147	
3	Miscellaneous Grant Accouns (Exhibition)	4,57,835	
4	TA/DA of Gem Co-ordinator	9,919	
5	24 th Banga Sanskriti Utsav 2021	1,00,000	
6	Design and Techinal Development Workshop 2020-21		40,48,000
7	ST Artisans of Dress Material on Artistic Tribal Textile Embroidery Crafts		1,32,00,000
8	Varanasi H/L Megha Cluster 04 Extension Counter		2,84,474
9	Marketing Assistance Component of NHDP for IHB Certification		2,89,500
10	Collaboration and Sponsorship of Abhoni-2019	1,50,000	
11	Grant for Information Education & Communication		48,05,406
12	Grants for Supply of H/L Parts		9,17,251
13	Grant for Distribution of 2000 Battery Linked Inverter Lighting Units		56,33,148
14	Grant for Admn. Cost for Dist. Of BLILU		2,56,759
15	Grant for Hiring Contractual Staff Under BLILU		4,66,538
16	Grant for CFC Varanasi	28,03,880	
17	Grant for Award/Prize distribution to 6 IIHTS		6,78,000
18	Grant for Exp Introduction of Multiple Buti Machine		5,138
19	Grant for Hiring Four Wheeler and Misc. Exp.WSC Varanasi		96,400
20	Grant for Supply of Desktop For 6 WSCs		3,00,000
21	National Handloom Campaign (IHB BRAND)	53,11,513	
22	Weavers Awareness Camp		7,60,175
23	Film GI Registered Handloom Handicraft Product 8th March 2017 Under International Women Day	37,634	
24	Organise Desigeners Chaupalat Craft Musem New Delhi 1stAugust 2017	2,64,381	
25	3 rd National Handloom Day on 7 th August 2017 at Guwahati	54,13,973	
26	International Textile Fare at Ahmedabad from 31 st July to 2 nd August.2017	60,32,737	
27	Inauguration Programme on 22.09.2017 TFC and CM	2,41,005	
28	Hastkala Sayog Shivar (Phase1)	37,65,242	
29	Hastkala Sahyog Shivar (Phase2)	10,67,660	
30	Swadeshi Mela Chandigarh 2017-2018	5,00,000	

31	सीएफसी वाराणसी मेगा हथकरघा क्लस्टर में 15 बुनकर चौपाल		2,679
32	परियोजना प्रबंधन लेनदेन सलाह (पीएमटीए जेएलएल)	1,22,024	
33	12/03/2018 को फ्रांस के राष्ट्रपति का टीएफसी दौरा	8,97,474	
34	दीन दयाल हस्तकला संकुल व्यापार और संग्रहालय केंद्र (टीएफसी)	2,07,80,811	
35	कौशाम्बी महोत्सव 2018 (4 अप्रैल 2018 से 5 अप्रैल 2018)	99,000	
36	लखनऊ में 05.10.2018 से 08.10.2018 तक एचएसएफ 2018 का चौथा संस्करण	1,65,700	
37	जीआई पंजीकृत हथकरघा/हस्तशिल्प उत्पाद पर 12 फिल्मों (2018-2019)	1,40,373	
38	जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करने के लिए (एनएचडीपी के तहत)	14,18,704	
39	दीन दयाल हस्तकला संकुल व्यापार संग्रहालय केंद्र (टीएफसी) रसीद	1,78,15,548	
40	5वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (2019-2020)	1,60,33,508	
41	7 सीएफसी के निर्माण के लिए अनुदान	1,24,96,280	
42	सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी), वाराणसी के लिए अनुदान	10,81,993	
43	डिजाइन विकास और पैटर्न बनाना, वाराणसी		17,863
44	बुनकर मित्र हथकरघा हेल्पलाइन केंद्र	11,80,125	
45	विशिष्ट हथकरघा उत्पादों के खुदरा बिक्री केंद्र (फ्लैगशिप स्टोर)	19,80,267	
46	श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति	1,13,573	
47	हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए आउटरीच कार्यक्रम (एनजेपी कोलकाता) 7-01-2019 से 13-01-2019 तक	2,10,000	
48	एमएसएमई का आउटरीच कार्यक्रम (डब्ल्यूएससी जनवरी 2019 से फरवरी 2019)	16,68,691	
49	हथकरघा संवर्धन सहायता 22.12.2016 वीएनएस	30,96,110	
50	क्लस्टर विकास कार्यक्रम (बर्दवान)		1,20,147
51	सिल्क फैब ईटानगर 17-18	9,26,631	
52	सिल्क फैब बड़ौदा 17-18	6,62,793	
53	सिल्क फैब वाराणसी 17-18	1,80,085	
54	सिल्क फैब गंगटोक 17-18	8,88,722	
55	सिल्क फैब चन्नई 18-19	9,42,522	
55	सिल्क फैब रायपुर 18-19	2,88,000	
56	नेशनल हैंडलूम एक्सपो नागपुर-18-19	50,815	
57	नेशनल हैंडलूम एक्सपो इंदौर-18-19	7,63,923.8	
58	नेशनल हैंडलूम एक्सपो पटना-18-19	6,82,278	
59	एक्सक्लूसिव हैंडलूम एक्सपो 21-22	12,92,844	

31	15 Bankar Choupals in CFC Varanasi Mega Handloom Cluster		2,679
32	Project Management Transaction Advisory (PMTA JLL)	1,22,024	
33	Visit of French President to T F C on 12/03/2018	8,97,474	
34	Din Dyal Hastkala Sankul Trade & Museum Centre (TFC)	2,07,80,811	
35	Kaushambi Mahotsav 2018 (4 th April 2018 to 5 th April 2018)	99,000	
36	4 th Edition of HSF 2018 at Lucknow from 05.10.2018 to 08.10.2018	1,65,700	
37	12 Films on GI Registered Handloom / Handicraft Product (2018-2019)	1,40,373	
38	To Organise District Level Events (Under NHDP)	14,18,704	
39	Din Dyal Hastkala Sankul Trade Museum Centre (TFC) Receipt	1,78,15,548	
40	5 th National Handloom Day (2019-2020)	1,60,33,508	
41	Grant for Construction of 7 CFCs	1,24,96,280	
42	Grant for Common Service Centres (CSC), Varanasi	10,81,993	
43	Designs Development & Pattern Making Varanasi		17,863
44	Bunkar Mitra Handloom Helpline Centre	11,80,125	
45	Retail Outlet Of Exclusive Handloom Products (Flagship Stores)	19,80,267	
46	Parliamentary Standing Committee on Labour	1,13,573	
47	Outreach Programme for Promotion of Handlooms (NJB Kolkotta) from 7-01-2019 to 13-01-2019	2,10,000	
48	Outreach Programme of MSME (WSC Jan 2019 to Feb 2019)	16,68,691	
49	Hatkharaha Samvardhan Sahayata 22.12.2016 VNS	30,96,110	
50	Cluster Dev. Programme (Burdwan)		1,20,147
51	Silk fab Itanagar 17-18	9,26,631	
52	Silk fab Baroda 17-18	6,62,793	
53	Silk fab Varanasi 17-18	1,80,085	
54	Silk fab Gangtok 17-18	8,88,722	
55	Silk fab Channai 18-19	9,42,522	
55	Silk fab Raipur 18-19	2,88,000	
56	National Handloom Expo Nagpur-18-19	50,815	
57	National Handloom Expo Indore-18-19	7,63,923.8	
58	National Handloom Expo Patna-18-19	6,82,278	
59	Exclusive handloom Expo 21-22	12,92,844	

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा हमें दिए गए निदेशों/उप-निदेशों के अनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के लेखाओं की लेखा परीक्षा की है और हम प्रमाणित करते हैं कि हमने दिनांक 02/11/2022 की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हमें जारी किए गए सभी निदेशों/उप-निदेशों का अनुपालन किया है।

कृते वेद एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफ.आर.सं: 012019एन

हस्त./—
(सीए पूजा गोयल)
भागीदार
सदस्यता संख्या 098551
यूडीआईएन: 22098551BBVJEL9058

स्थान: गाजियाबाद
दिनांक: 2 नवंबर, 2022

COMPLIANCE CERTIFICATE

We have conducted the audit, of accounts of National Handloom Development Corporation Limited for the year ended 31st March, 2022 in accordance with the directions/Sub-directions to us by the C & AG of India under Section 143 (5) of the Companies Act, 2013 and we certify that we have complied with all the directions/Sub-directions issued to us by submitting our report dated 02/11/2022.

For VED AND COMPANY
Chartered Accountants
F.R.No:012019N

Sd/-
CA POOJA GOEL
Partner
Member No.098551
UDIN: 22098551BBVJEL9058

Dated: 2nd November, 2022
Place: Ghaziabad

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग संरचना के अनुसरण में 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। उल्लेख किया जाता है कि यह उनके द्वारा दिनांक 02 नवम्बर, 2022 की संशोधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखा परीक्षा न करने का निर्णय लिया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
और उसकी ओर से

हस्ता./—
(एस. अहलादिनी पांडा)
प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा
(उद्योग और कॉर्पोरेट कार्य)
नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 01.12.2022

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2022

The preparation of financial statements of National Handloom Development Corporation Limited for the year ended 31 March 2022 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139 (5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 02 November 2022.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have decided not to conduct the supplementary audit of the financial statements of National Handloom Development Corporation Limited for the year ended 31 March 2022 under section 143(6)(a) of the Act.

**For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India**

**Sd/-
(S. Ahladini Panda)
Principal Director of Audit
(Industry & Corporate Affair)
New Delhi**

**Place: New Delhi
Date: 01.12.2022**

महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

लेखाकरण पद्धतियां:

लेखा तैयार करने का आधार:

वित्तीय वक्तव्य भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों (जीएएपी) का अनुपालन करने के लिए तैयार किए गए हैं, जिसमें कंपनी अधिनियम 2013 के तहत अधिसूचित लेखाकरण मानक के संबंधित प्रावधानों भी शामिल हैं। वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत पद्धतियों के अंतर्गत प्रोद्भूत आधार पर तैयार किए गए हैं। लेखांकन नीतियों को कंपनी द्वारा नियमित रूप से लागू किया गया है, सिवाय इसके कि किसी नए जारी लेखांकन-मानक को हाल ही में अपनाया गया हो या किसी मौजूदा लेखांकन-मानक के संशोधन से अब तक उपयोग में आ रही किसी भी लेखांकन-नीति में परिवर्तन की आवश्यकता है, या अन्यथा प्रकट किया गया है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण:

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (मूर्त परिसंपत्तियां) अधिग्रहण की लागत पर बताए गए हैं (आंतरिक माल-भाड़ा, कर या किसी खरीद/निर्माण/संस्थापना से संबन्धित हुये आकस्मिक व्यय को जोड़कर, एवं जीएसटी इनपुट क्रेडिट को छोड़कर संचित मूल्यह्रास और क्षति, यदि कोई हो)। पूंजीगत कार्य-प्रगति में वह संपत्ति, संयंत्र और उपकरण भी शामिल है जो अभी तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) की तारीख तक उपयोग हेतु पूर्णतः तैयार नहीं हैं किन्तु प्रत्यक्ष लागत का मूल्य निर्धारित करती है, अन्य संबंधित आकस्मिक व्यय और प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लागतें।

सॉफ्टवेयर (अमूर्त परिसंपत्तियां) को उनके स्थायी उपयोगी जीवन कार्यकाल के आधार पर यथोचित मूल्यांकन करने के बाद पूंजीकृत किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के निपटान पर आए लाभ और हानि को लाभ-हानि विवरण में स्वीकृत किया गया है।

मूल्यह्रास:

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यह्रास का आंकलन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट संपत्ति की उपयोग हेतु जीवनकाल की सरल रेखा पद्धति के द्वारा किया जाता है। वर्ष के दौरान खरीदे गए/बिक्री किए गए संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर हुये मूल्यह्रास को मासिक आधार पर आनुपातिक रूप से प्रभारित किया जाता है। वर्ष के दौरान खरीदी गई अचल परिसंपत्तियां जिनकी लागत 5000 रुपये से अधिक न हो, उनका मूल्यह्रास 100% की दर पर किया जाता है। सॉफ्टवेयर का मूल्यह्रास 10 वर्षों की अनुमानित उपयोगी जीवनकाल के बाद माना गया है।

परिसंपत्तियों की क्षति:

किसी परिसंपत्ति की क्षति तब होती है जब परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक है। एक क्षति को उस वर्ष के लाभ और हानि लेखा के विवरण में प्रभारित किया जाता है, जिस वर्ष में किसी परिसंपत्ति की पहचान की जाती है। पूर्व लेखा-अवधियों में पहचानी गयी परिसंपत्ति क्षति को, वसूली योग्य अनुमानित राशि में परिवर्तन आने पर उलट दिया जाता है।

अनुदान:

सहायता अनुदानों के सापेक्ष व्यय विशिष्ट प्रयोजनों के संबंध में किए गए हैं और उन्हें सरकार से प्राप्त विशिष्ट अनुदान के अनुसार समायोजित किया गया है। सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान/प्राप्तियों को इसके अंतिम संग्रह की निश्चितता को ध्यान में रखते हुए प्रोद्भूत आधार पर स्वीकार किया जाता है।

माल सूची:

स्टॉक का मूल्य निर्धारण लागत मूल्य पर या शुद्ध वसूली मूल्य पर, जो भी न्यूनतम हो, के आधार पर किया जाता है। विक्रय वापसी के कारण या अन्य किसी कारण मार्गस्थ माल को खरीद मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

SIGNIFICANT ACCOUNTS POLICIES

ACCOUNTING CONVENTIONS:

Basis of preparation of Accounts:

The financial statements have been prepared to comply with the Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAPs), including the Accounting Standards notified under the relevant provisions of the Companies Act, 2013. The financial statements have been prepared under the historical cost convention on an accrual basis. The accounting policies have been consistently applied by the company, except where a newly issued accounting standard is initially adopted or a revision to an existing accounting standard requires a change in the accounting policy hitherto in use, or as otherwise disclosed.

Property, Plant & Equipment:

Property, Plant and Equipment (Tangible Assets) are stated at cost of acquisition (inclusive of inward freight, taxes and incidental expenses related to purchase/construction/ installation and exclusive of GST input credit less accumulated depreciation and impairment loss, if any. Capital work-in-progress comprises cost of Property, Plant and Equipment that are not yet ready for their intended use at the balance sheet date and are carried at cost comprising direct cost, related incidental expenses and other directly attributable costs.

The software (Intangible Assets) is capitalized where it is reasonably estimated that the software has an enduring useful life.

Profit or loss on disposal of property, plant & equipment is recognized in the Statement of Profit & Loss.

Depreciation:

Depreciation on Property, Plant and Equipment is provided on straight-line method as per useful life of the assets specified in Schedule II of the Companies Act, 2013. Depreciation on Property, Plant and Equipment purchased/ sold during the year is proportionately charged on monthly basis. Depreciation on fixed assets purchased during the year whose cost does not exceed Rs. 5000/- is provided @ 100%. . Software is depreciated over an estimated useful life of 10 years.

Impairment of Assets:

An asset is impaired when the carrying amount of the asset exceeds its recoverable amount. An impairment loss is charged to Statement of Profit and Loss Account in the year in which an asset is identified as impaired. An impairment loss recognized in prior accounting periods is reversed if there has been a change in the estimate of recoverable amount.

Grants:

The expenses against Grants-in-aid have been incurred on specific purposes and are adjusted accordingly in specific grant received from Government. Grants/ Receivable from Government are recognized on accrual basis keeping in view the certainty of its ultimate collection.

Inventories:

The valuation of stocks is at cost or net realizable value, whichever is lower. Goods-in-transit due to sales return or otherwise are valued at purchase price.

राजस्व अभिज्ञान:

यार्न, रंग-रसायन और फ़ैब्रिक की बिक्री का आंकलन, ग्राहकों को प्रेषित उत्पादों के आधार पर किया जाता है। बिक्री का खुलासा शुद्ध जीएसटी, तथा आवृत्ति/अस्वीकृति के आधार पर किया जाता है।

ब्याज की आय को बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय-अनुपात के आधार पर स्वीकार किया गया है।

व्यय का वर्गीकरण:

सभी व्यय और आय का लेखांकन साधारण लेखा शीर्ष के अंतर्गत किया जाता है। जहां भी आवश्यक हुआ है, वहां कार्यात्मक आधार पर व्यय का आवंटन किया गया है।

अतिदेय बिलों पर ब्याज:

अतिदेय बिलों पर विलंबित भुगतानों के लिए ब्याज उनके लिए तय की गई क्रेडिट की शर्तों के अनुसार प्रदान किया गया है। जो अतिदेय ब्याज वसूले नहीं हुये है उन्हें आस्थगित उपार्जित ब्याज के रूप में दर्शाया गया है।

वित्त शुल्क:

रंग एवं रसायनों के ग्राहकों हेतु लगाए गए वित्त शुल्क को उसके अंतिम संग्रह में अनिश्चितता को देखते हुए "प्राप्ति के आधार पर राजस्व" के रूप में स्वीकार किया गया है।

सेवानिवृत्ति के लाभों का लेखाकरण:

- (क) एएस-15 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेच्युटी के प्रति देयता प्रदान की जाती है।
- (ख) एएस-15 के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर अवकाश नकदीकरण के प्रति देयता प्रदान की जाती है।
- (ग) निगम के नियमों के अनुसार अवकाश यात्रा रियायत को अनुमति दी जाती है और उस वर्ष के खातों में प्रविष्टि की जाती है जिसमें कर्मचारियों द्वारा इसका लाभ उठाया जाता है।

पूर्व अवधि संबंधी समायोजन:

पूर्व अवधि संबंधी समायोजन, मूलभूत त्रुटियों और चूक के सुधार किए जाने से पूर्व अवधि के लिए लागू/प्रयोज्य समायोजन हैं।

विकास क्रियाकलापों के लिए आरक्षित:

भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से अतिरिक्त व्यय सहित अपने स्वयं के स्रोतों से निगम द्वारा विकासात्मक क्रियाकलापों पर किए गए व्यय को सीधे विकासात्मक क्रियाकलापों के लिए आरक्षित (रिजर्व) से प्रभारित किया जाता है, जिन्हें निगम के लाभ से बाहर विनियोजित किया गया है।

खण्ड-वार (सेगमेंट) लेखाकरण नीति:

खण्ड-वार लेखाकरण नीतियां निगम की लेखाकरण नीतियों के अनुरूप हैं। तथापि, खण्ड रिपोर्टिंग के लिए निम्नलिखित विशिष्ट लेखाकरण नीतियों का पालन किया गया है:

खण्ड राजस्व में अंतर-खण्ड राजस्व सहित सेगमेंट के लिए निर्धारित/आबंटित किए जाने योग्य बिक्री और अन्य आय सम्मिलित है। जो आय पूर्णतया निगम से संबंधित है और खण्ड के लिए आवंटित किए जाने योग्य नहीं है, उनको 'अन्य गैर-आवंटन योग्य आय' में सम्मिलित किया जाता है।

Revenue Recognition:

Sales of yarn, dyes & chemical and fabrics are accounted on dispatch of products to customers. Sales are disclosed net of GST and returns/ rejections.

Interest income is recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable.

Classification of Expenditure:

All expenses and Incomes are accounted for under natural heads of account. Wherever necessary, allocation of expenditure on the functional basis has been made.

Interest on Overdue bills:

Interest on overdue bills has been provided for delayed payments as per terms of credit decided with them. The unrealized overdue interest is shown as Deferred Accrued Interest.

Finance Charge:

Finance charges levied on customers of Dyes & Chemicals are recognized as revenue on receipt basis in view of uncertainty in its ultimate collection.

Accounting of Retirement Benefits:

- (a) Liability towards Gratuity is provided based on the actuarial valuation as per AS-15.
- (b) Liability towards Leave Encashment is provided based on the actuarial valuation as per AS-15.
- (c) Leave travel concession is allowed as per rules of the corporation and booked in accounts in the year in which it is availed by the employees.

Prior Period Adjustments:

Prior Period Adjustments are those adjustments applicable to prior periods arising from correction of fundamental errors & omissions.

Reserve for Developmental Activities:

Expenditure incurred by the Corporation on developmental activities from its own sources including expenditure incurred over and above the grant-in-aid received from Government of India are charged to Reserve for Developmental Activities directly which have been appropriated out of profits of the Corporation.

Segment Accounting Policy:

Segment Accounting policies are in line with the accounting policies of the corporation. However, the following specific accounting policies have been followed for segment reporting:

Segment Revenue includes sales and other income directly identifiable with/ allocable to the segments including inter-segment revenue. The income, which relate to the corporation as a whole and not allocable to the segments is included in "Other Un-allocable Income".

जो व्यय सीधे खण्ड के लिए निर्धारित/आवंटित किए जाने योग्य है, उन्हें खण्ड परिणाम के निर्धारण के लिए लिए विचार किया जाता है। जो व्यय पूर्णतया निगम से संबंधित है और खण्ड के लिए आवंटित किए जाने योग्य नहीं है, उनको 'अन्य गैर-आवंटन योग्य व्यय' में सम्मिलित किया जाता है।

खण्ड परिसंपत्तियों और देनदारियों में संबंधित खण्डों के साथ सीधे तौर पर अभिज्ञेय शामिल हैं। गैर-आवंटन योग्य निगमित संपत्ति और देनदारियां उन परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रदर्शित करती हैं जो पूर्णतया निगम से संबंधित हैं और किसी भी खण्ड के लिए आवंटित किए जाने योग्य नहीं हैं।

आय पर कर:

चालू अवधि के लिए आय कर का निर्धारण, आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार और मूल्यांकनों/अपीलों के संभावित परिणामों के आधार पर परिकल्पित कर-योग्य आय और जमा कर के आधार पर किया जाता है।

किसी वर्ष में भुगतान किया गया न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) को वर्तमान कर के रूप में लाभ और हानि विवरण पर प्रभारित किया जाता है। कंपनी केवल इस हद तक एक परिसंपत्ति के रूप में उपलब्ध मैट क्रेडिट को मान्यता देती है कि इस बात के ठोस सबूत हैं कि कंपनी निर्दिष्ट अवधि के दौरान सामान्य आयकर का भुगतान करेगी, यह वह अवधि है जिसके लिए मैट क्रेडिट को आगे ले जाने की अनुमति दी जाती है।

लेखाकरण आय और कर योग्य आय के समयान्तराल हेतु आस्थगित कर का निर्धारण उस वर्ष की कर-दरों और कर-कानूनों का उपयोग करके रखा जाता है जो तुलन-पत्र (बैलेंस शीट) की तिथि पर अधिनियमित है या प्रभावित रूप से अधिनियमित की गई हो। समयान्तराल के द्वारा उत्पन्न परिसंपत्ति पर आस्थगित कर को इस हद तक मान्यता दी जाती है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी।

अनुमानों का उपयोग:

वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए आंकलन और अनुमानों की आवश्यकता होती है, जो वित्तीय वक्तव्य की तारीख को परिसंपत्तियों और देनदारियों की कथित राशि और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की कथित राशि को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर को उस अवधि में मान्यता दी गई है जिसमें परिणाम ज्ञात/भौतिककृत होते हैं।

प्रावधान और आकस्मिक व्यय:

एक प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है जब पिछले प्रसंग के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और यह संभव है कि किसी संसाधन के बहिर्वाह की आवश्यकता उस दायित्व को निपटाने के लिए होगी जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। इनकी प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती है और मौजूदा अनुमानों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है। आकस्मिक देनदारियों का खुलासा इनमें शामिल तथ्य और कानूनी पहलुओं के मूल्यांकन के बाद किया जाता है।

ह/-
जितेंद्र वी. पुरोहित
उप महाप्रबंधक
(वित्त एवं लेखा/सी.एफ.ओ)

ह/-
रीता प्रेम हेमराजानी
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन - 0009478824

ह/-
संजय रस्तोगी
अध्यक्ष
डीआईएन सं. - 07722405
समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते वेद एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11 अक्टूबर, 2022

ह/-
भागीदार : पूजा गोयल
स. नं. 098551
एफ.आर.नं. 012019N

Expenses that are directly identifiable with/ allocable to the segments are considered for determining the segments result. The expenses, which relate to the corporation as a whole and not allocable to the segments are included under “Other Un-allocable Expenditure”.

Segment assets and liabilities include those directly identifiable with the respective segments. Un-allocable corporate assets and liabilities represent the assets and liabilities that relate to the corporation as a whole and not allocable to any segment.

Taxes on Income:

Tax income for the current period is determined on the basis of taxable income and tax credits computed in accordance with the provisions of Income Tax Act 1961 and based on the expected outcome of assessments/ appeals.

Minimum Alternate Tax (MAT) paid in a year is charged to the Statement of Profit and Loss as current tax. The Company recognizes MAT credit available as an asset only to the extent that there is convincing evidence that the company will pay normal income tax during the specified period, i.e. the period for which MAT credit is allowed to be carried forward.

Deferred tax for timing difference between the book profits and taxable income for the year is accounted using tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted at the Balance Sheet date. Deferred tax asset arising from the timing difference is recognized to the extent there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available.

Use of estimates:

The preparation of financial statements requires estimates and assumptions to be made that affect the reported amount of assets and liabilities on the date of the financial statements and the reported amount of revenues and expenses during the reporting period. Difference between the actual results and estimates are recognized in the period in which the results are known/ materialized.

Provision and Contingencies

A provision is recognized when there is a present obligation as a result of past event and it is probable that an outflow of a resource will be required to settle the obligation, in respect of which a reliable estimate can be made. These are reviewed at each Balance Sheet date and adjusted to reflect the current estimates. Contingent liabilities are disclosed after an evaluation of the fact and legal aspects of the matter involved.

Sd/-
Jitendra V Purohit
DGM(F&A)/CFO

Sd/-
Rita Prem Hemrajani
Managing Director
DIN No. – 0009478824

Sd/-
Sanjay Rastogi
Chairman
DIN No. - 07722405
As per our Report of even date
For Ved and Company
Chartered Accountants

Place: New Delhi
Date: 11 October, 2022

Sd/-
Partner : Pooja Goel
M.No. : 098551
F.R.No. : 012019N

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
31 मार्च 2022 के अनुसार बैलेंस शीट

(रुपये लाख में)

	विवरण	नोट सं.	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
	1	2	3	4
I.	इक्विटी और देयताएं			
1	शेयरधारक की निधियां			
क)	शेयर पूंजी	1	1,900.00	1,900.00
ख)	रिजर्व और अधिशेष	2	5,776.16	5,958.76
2	गैर-चालू देयताएं			
क)	अन्य दीर्घकालिक देनदारियां समग्र (कॉर्पस)	4	9,163.84	9,896.73
3	चालू देनदारियां			
क)	व्यापार देनदारियां	5	36,072.97	33,348.89
ख)	अन्य चालू देनदारियां	6	5,726.58	5,086.17
ग)	अल्पकालिक प्रावधान	7	1,770.92	1,732.38
	कुल		60,410.47	57,922.93
II.	परिसंपत्तियां			
	गैर चालू संपत्तियां			
i)	मूर्त परिसंपत्तियां	8	1,140.59	1,176.12
ii)	अमूर्त संपत्तियां	9	23.39	57.75
ख)	आस्थगित कर आस्तियां (निवल)	3	345.79	238.71
ग)	लंबी अवधि के ऋण और अग्रिम	10	-	-
घ)	अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां (कॉर्पस)	11	7,504.74	8,237.64
ङ)	अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां (गैर-कॉर्पस)	12	3.08	3.08
2	वर्तमान संपत्ति			
क)	माल सूची	13	223.10	177.25
ख)	व्यापार प्राप्य	14	31,814.36	30,133.05
ग)	नकद और नकदी के समतुल्य	15	13,755.99	13,390.78
घ)	अल्पावधि ऋण और अग्रिम	16	4,907.47	4,162.10
ङ)	अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां	17	691.96	346.45
	कुल		60,410.47	57,922.93

नोट 1 से 35 और वर्तमान समीक्षावधि के अंत में तुलन-पत्र के साथ संलग्न महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का विवरण लेखकों का एक अभिन्न अंग है।

ह/-
जितेंद्र वी. पुरोहित
उप महाप्रबंधक
(वित्त एवं लेखाधूसी.एफ.ओ)

ह/-
रीता प्रेम हेमराजानी
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन - 0009478824

ह/-
संजय रस्तोगी
अध्यक्ष
डीआईएन सं. - 07722405

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते वेद एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11 अक्टूबर, 2022

ह/-
भागीदार : पूजा गोयल
स. नं. 098551
एफ.आर.नं. 012019N

NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH 2022

(Rs. In Lakhs)

	PARTICULARS	NOTE NO.	As on 31-03-2022	As on 31-03-2021
	1	2	3	4
I.	EQUITY AND LIABILITIES			
1	Shareholder's funds			
a)	Share Capital	1	1,900.00	1,900.00
b)	Reserves and Surplus	2	5,776.16	5,958.76
2	Non- current liabilities			
a)	Other long term liabilities (Corpus)	4	9,163.84	9,896.73
3	Current liabilities			
a)	Trade payables	5	36,072.97	33,348.89
b)	Other current liabilities	6	5,726.58	5,086.17
c)	Short term provisions	7	1,770.92	1,732.38
	TOTAL		60,410.47	57,922.93
II.	ASSETS			
	Non current assets			
i)	Property, Plant and Equipment	8	1,140.59	1,176.12
ii)	Intangible assets	9	23.39	57.75
b)	Deferred tax Assets (Net)	3	345.79	238.71
c)	Long term loans and advances	10	-	-
d)	Other non current assets(Corpus)	11	7,504.74	8,237.64
e)	Other non current assets(Non Corpus)	12	3.08	3.08
2	Current assets			
a)	Inventories	13	223.10	177.25
b)	Trade receivable	14	31,814.36	30,133.05
c)	Cash and cash equivalents	15	13,755.99	13,390.78
d)	Short term loans and advances	16	4,907.47	4,162.10
e)	Other current assets	17	691.96	346.45
	TOTAL		60,410.47	57,922.93

Note 1 to 35 and significant Accounting Policies annexed to Balance sheet as at the end of current reporting period and Statement of Profit and Loss, Change in Equity and Cash Flow for the year ended on that date form an integral part of Accounts.

Sd/-
Jitendra V Purohit
DGM(F&A)/CFO

Sd/-
Rita Prem Hemrajani
Managing Director
DIN No. – 0009478824

Sd/-
Sanjay Rastogi
Chairman
DIN No. - 07722405
As per our Report of even date
For Ved and Company
Chartered Accountants

Place: New Delhi
Date: 11 October, 2022

Sd/-
Partner : Pooja Goel
M.No. : 098551
F.R.No. : 012019N

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

(रुपये लाख में)

विवरण	नोट सं.	वित्त वर्ष 2021-22 (01-04-2021 जव 31-03-2022) के लिए	वित्त वर्ष 2020-21 (01-04-2020 जव 31-03-2021) के लिए
I. (क) कार्य संचालनों से प्राप्त राजस्व	18	79,856.28	57,203.63
(ख) यार्न आपूर्ति योजना/कच्ची सामग्रीआपूर्ति योजना के अंतर्गत व्यय की प्रतिपूर्ति के निमित्त सहायता अनुदान	18	2,819.55	2,149.37
II. अन्य आय	19	682.33	793.75
III. कुल राजस्व (I+II)		83,358.16	60,146.75
IV. व्यय:			
व्यापार में स्टॉक की खरीद	20	79,618.94	57,002.33
परिवहन/डिपो प्रभारों की प्रतिपूर्ति	21	1,578.24	1,471.75
व्यापार में सूची/स्टॉक में परिवर्तन	22	(45.85)	(27.14)
कर्मचारी लाभ संबंधी व्यय	23	1,730.14	2,015.97
वित्तीय लागत	24	0.12	-
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	8 & 9	76.78	98.02
अन्य व्यय	25	661.32	544.19
कुल व्यय		83,619.69	61,105.12
V. आपवादिक और असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ (III-IV)		(261.53)	(958.37)
VI. आपवादिक मदें	26	2.09	22.91
VII कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय	27	-	-
VIII. असाधारण मदों और कर से पहले लाभ (V-VI-VII)		(263.62)	(981.28)
IX असाधारण मदें			
X कर पूर्व लाभ (VIII- IX)		(263.62)	(981.28)
XI कर व्यय:			
1 वर्तमान कर (प्रावधान)	28	-	-
2 आस्थगित कर	3	(107.08)	(18.12)
XII. निरंतर संचालन से अवधि के दौरान लाभ (हानि) (X-XI)		(156.54)	(963.15)
XIII. परिचालन बंद करने से लाभ/हानि		-	-
XIV. परिचालन बंद करने का कर व्यय		-	-
XV. परिचालन बंद करने से लाभ/(हानि) (कर पश्चात) (XIII-XIV)		-	-
XVI. उक्त अवधि के लिए लाभ (हानि) (XII + XV)		(156.54)	(963.15)
XVII. (i) प्रति इक्विटी शेयर आय (असाधारण मदों से पूर्व)			
(1) मूलभूत		(8.24)	(50.69)
(2) मिश्रित		(8.24)	(50.69)
(ii) प्रति इक्विटी शेयर आय (असाधारण मदों के पश्चात)			
(1) मूलभूत		(8.24)	(50.69)
(2) मिश्रित		(8.24)	(50.69)

नोट 1 से 35 और वर्तमान समीक्षावधि के अंत में बैलेंस शीट के साथ संलग्न महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का विवरण लेखाओं का एक अभिन्न अंग है।

ह/-
जितेंद्र वी. पुरोहित
उप महाप्रबंधक
(वित्त एवं लेखा/सी.एफ.ओ)

ह/-
रीता प्रेम हेमराजानी
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन - 0009478824

ह/-
संजय रस्तोगी
अध्यक्ष
डीआईएन सं. - 07722405
समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते वेद एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11 अक्टूबर, 2022

ह/-
भागीदार : पूजा गोयल
स. नं. 098551
एफ.आर.नं. 012019N

NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2022

(Rs. In Lakhs)

	PARTICULARS	NOTE NO.	For FY 2021-22 (01-04-2021 to 31-03-2022)	For FY 2020-21 (01-04-2020 to 31-03-2021)
I. (a)	Revenue from operations	18	79,856.28	57,203.63
(b)	Grant in-aid against reimbursement of expenditure under Yarn Supply Scheme/Raw Material Supply Scheme	18	2,819.55	2,149.37
II.	Other Income	19	682.33	793.75
III.	Total Income (I+II)		83,358.16	60,146.75
IV.	Expenses:			
	Purchases of stock in trade	20	79,618.94	57,002.33
	Reimbursement of Transportation/depot charges	21	1,578.24	1,471.75
	Changes in inventories/stock in trade	22	(45.85)	(27.14)
	Employee benefits expenses	23	1,730.14	2,015.97
	Finance costs	24	0.12	-
	Depreciation and amortization expenses	8 & 9	76.78	98.02
	Other expenses	25	661.32	544.19
	Total Expenses		83,619.69	61,105.12
V.	Profit before exceptional and extraordinary items and tax (III-IV)		(261.53)	(958.37)
VI.	Exceptional items	26	2.09	22.91
VII.	Corporate social responsibility (CSR) Expenses	27	-	-
VIII.	Profit before extraordinary items and tax (V-VI-VII)		(263.62)	(981.28)
IX.	Extraordinary Items			
X.	Profit before tax (VIII- IX)		(263.62)	(981.28)
XI.	Tax expense:			
1	Current Tax (Provision)	28	-	-
2	Deferred Tax -Current Year	3	(107.08)	(18.12)
XII.	Profit (Loss) for the period from continuing operations (X-XI)		(156.54)	(963.15)
XIII.	Profit/loss from discontinuing operations		-	-
XIV.	Tax expenses of discontinuing operations		-	-
XV.	Profit/(loss) from discontinuing operations (after tax) (XIII-XIV)		-	-
XVI.	Profit(Loss) for the period (XII + XV)		(156.54)	(963.15)
XVII.	(i) Earnings per equity share (Before extra ordinary items)			
(1)	Basic		(8.24)	(50.69)
(2)	Diluted		(8.24)	(50.69)
(ii)	Earnings per equity share (After extra ordinary items)			
(1)	Basic		(8.24)	(50.69)
(2)	Diluted		(8.24)	(50.69)

Note 1 to 35 and significant Accounting Policies annexed to Balance sheet as at the end of current reporting period and Statement of Profit and Loss, Change in Equity and Cash Flow for the year ended on that date form an integral part of Accounts.

Sd/-
Jitendra V Purohit
DGM(F&A)/CFO

Sd/-
Rita Prem Hemrajani
Managing Director
DIN No. – 0009478824

Sd/-
Sanjay Rastogi
Chairman
DIN No. - 07722405
As per our Report of even date
For Ved and Company
Chartered Accountants

Place: New Delhi
Date: 11 October, 2022

Sd/-
Partner : Pooja Goel
M.No. : 098551
F.R.No. : 012019N

लेखाओं पर टिप्पणी

1 शेयर पूंजी

विवरण		31.03.2022 के अनुसार (लाख रु. में)		31.03.2021 के अनुसार (लाख रु. में)
प्राधिकृत				
20,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 20,00,000 इक्विटी शेयर) प्रत्येक 100/-रु.		2,000.00		2,000.00
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त				
प्रत्येक 100/- रुपये के 18,98,465 इक्विटी शेयर को वि. आ.हथकरघा का कार्यालय के माध्यम से भारत सरकार द्वारा धारित नकद में पूरी तरह से भुगतान किया गया (पिछले वर्ष: प्रत्येक 100/- रुपये के 18,98,465 के इक्विटी शेयर)	1,898.46		1,898.46	
प्रत्येक 100/- रुपये के 1,535 इक्विटी शेयर पूरी तरह से भुगतान के बिना नकद में प्राप्त किया जा रहा है (कंपनी के निगमन व्यय के बदले डीसीएच कार्यालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को आवंटित शेयर (पिछले वर्ष 1,535 इक्विटी शेयर 100/- रुपये के प्रत्येक)	1.54	1,900.00	1.54	1,900.00
कुल		1,900.00		1,900.00

इक्विटी परिवर्तन के विवरण में इक्विटी संबंधी नोट

विवरण	राशि लाख रुपए में
31 मार्च, 2020 की समाप्ति पर शेष	1,900.00
पूर्व की अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2021 की समाप्ति पर शेष	1,900.00
पूर्व की अवधि की त्रुटियों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च, 2022 की समाप्ति पर शेष	1,900.00

प्रमोटर्स की शेयरधारिता

वर्ष की समाप्ति पर प्रमोटर्स की शेयरधारिता				वर्ष के दौरान परिवर्तन %
क्र.सं.	प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का%	
1	भारत की केंद्र सरकार	19,00,000	100%	-

NOTES ON ACCOUNTS

1 SHARE CAPITAL

Particulars		As on 31-03-2022 (Rs.in Lakhs)		As on 31-03-2021 (Rs.in Lakhs)
Authorized				
20,00,000 Equity shares (Previous year 20,00,000 Equity shares) of Rs. 100/- each		2,000.00		2,000.00
Issued, Subscribed & Paid-up				
18,98,465 Equity shares of Rs. 100/- each fully paid in cash held by Government of India through DCH office (Previous year: '18,98,465 Equity shares of Rs. 100/- each)	1,898.46		1,898.46	
1,535 Equity shares of Rs. 100/- each fully paid up without payment being received in cash (Shares allotted to The President of India through DCH Office against company's incorporation expenses (Previous year 1,535 equity shares of Rs. 100/- each)	1.54	1,900.00	1.54	1,900.00
TOTAL		1,900.00		1,900.00

Note on Equity in Statement of Changes in Equity

Particulars	Amount (Rs.in Lakhs)
Balance at the end of March 31, 2020	1,900.00
Changes in equity share capital due to prior period errors	-
Changes in equity share capital during the year	-
Balance at the end of March 31, 2021	1,900.00
Changes in equity share capital due to prior period errors	-
Changes in equity share capital during the year	-
Balance at the end of March 31, 2022	1,900.00

Shareholding of Promoters

Shares held by promoters at the end of the year				% Change during the year
S. No	Promoter name	No. of Shares	%of total shares	
1	Central Government of India	19,00,000	100%	-

2 रिजर्व एवं अधिशेष

(रुपये लाख में)

	विवरण	31.03.2022 के अनुसार (रु.)	31.03.2021 के अनुसार (रु.)
(क)	रिजर्व		
(I)	पिछली तुलन-पत्र के अनुसार विकासात्मक कार्यों के लिए रिजर्व	24.62	24.62
	जोड़ें : राशि लाभ एवं हानि के विवरण से अंतरित की गई	-	-
	घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
	कुल(i)	24.62	24.62
(II)	सेवानिवृत्ति के बाद अंतरित की गयी चिकित्सा निधि	56.21	76.08
	जोड़ें : लाभ और हानि के विवरण से हस्तांतरित राशि	-	-
	जोड़ें : वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	2.47	3.50
	घटाएं: वर्ष के दौरान उपयोग	28.52	23.37
	कुल(ii)	30.16	56.21
	कुल(i+ii)	54.78	80.83
(ख)	अधिशेष		
	पिछली तुलन-पत्र के अनुसार	5,877.93	6,841.08
	जोड़ें: लाभ और हानि के विवरण से हस्तांतरित राशि – वर्तमान वर्ष का लाभ	(156.54)	(963.15)
	घटाएं:-		
	लाभांश	-	-
	लाभांश पर नैगमिक कर	-	-
	विकासात्मक गतिविधियों के लिए आरक्षित निधि में अंतरित राशि	-	-
	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा कोष में स्थानांतरित राशि	-	-
	अधिशेष (ख)	5,721.39	5,877.93
	कुल (क+ख)	5,776.16	5,958.76

3. आस्थगित कर देयता (निवल)

वर्तमान समीक्षावधि के अंत में निवल आस्थगित कर देयता का विवरण निम्नानुसार है:

आस्थगित कर देयता और आस्थगित कर देयता के घटक	31-03-2022 के अनुसार	
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां	आस्थगित कर देयता
विलंबित कर की देनदारियां		
खाता बही के अनुसार मूल्यहास योग्य संपत्ति और कर मूल्यहास के अनुसार बट्टे खाते डाले गए मूल्य के बीच अंतर		15.37
अन्य आस्थगित कर देयता समय में अंतर उत्पन्न कर रही है		59.87
आस्थगित कर आस्तियां		
आयकर दर प्रावधान के आधार पर सदिग्ध ऋणों और अग्रिमों आदि के लिए प्रावधान	201.47	
अवकाश वेतन का प्रावधान	117.44	
मृत कर्मचारी योजना के लिए प्रावधान	1.43	
अदत्त सांविधिक देयताएं लाभ और हानि खातों में जमा	50.08	
समय संबंधी अंतर के लिए अन्य आस्थगित कर परिसंपत्ति-(वीआरएस)	47.75	
कुल	418.17	75.24

2 RESERVES & SURPLUS

(Rs. in Lakhs)

	Particulars	As on 31-03-2022	As on 31-03-2021
(A)	RESERVES:		
(I)	Reserve for developmental Activities as per last Balance sheet	24.62	24.62
	Add : Amount transferred from Statement of Profit & Loss	-	-
	Less : Utilization during the year	-	-
	Total(i)	24.62	24.62
(II)	Post Retirement Medical Corpus As per last Balance sheet	56.21	76.08
	Add : Amount transferred from Statement of Profit & Loss	-	-
	Add : Interest Earned during the year	2.47	3.50
	Less: Utilization during the year	28.52	23.37
	Total(ii)	30.16	56.21
	Total(i+ii)	54.78	80.83
(B)	SURPLUS		
	As per last Balance sheet	5,877.93	6,841.08
	Add: Amount transferred from Statement of Profit & Loss-Current year profit	(156.54)	(963.15)
	Less:-		
	Dividend	-	-
	Corporate Tax on Dividend	-	-
	Amount transferred to reserve for developmental activity	-	-
	Transferred to post retirement medical corpus	-	-
	SURPLUS(B)	5,721.39	5,877.93
	TOTAL (A+B)	5,776.16	5,958.76

3. DEFERRED TAX ASSETS (Net)

The break up of net deferred tax assets as at the end of current reporting period is as under:

Components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liability	As on 31-03-2022	
	Deferred Tax Assets	Deferred Tax Liability
Deferred Tax Liabilities		
Difference between book value of depreciable assets as per books of accounts and written down value as per tax depreciation		15.37
Other deferred tax liability giving rise to timing difference		59.87
Deferred Tax Assets		
Provision for doubtful debts and advances etc. based on Income Tax Rate of Provision	201.47	
Provision for leave salary	117.44	
Provision for Deceased Employee Scheme	1.43	
Unpaid statutory Liability debited to Profit & Loss Accounts	50.08	
Other deferred tax asset giving rise to timing difference- (VRS)	47.75	
Total	418.17	75.24

आस्थगित कर देयता और आस्थगित कर देयता के घटक	31-03-2022 के अनुसार	
	आस्थगित कर परिसंपत्तियां	आस्थगित कर देयता
वर्तमान समीक्षावधि के अंत में निवल आस्थगित कर देयता / (परिसंपत्ति)		(342.93)
पिछली समीक्षावधि के अंत में निवल आस्थगित कर देयता / (परिसंपत्ति)		(238.71)
वर्तमान समीक्षावधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण पर प्रभारित निवल देयता / (परिसंपत्ति)		(104.22)
पिछले वर्ष का समायोजन		2.86
पिछले वर्ष के समायोजन के पश्चात वर्तमान समीक्षाधीन अवधि के दौरान लाभ एवं हानि के विवरण हेतु प्रभारित निवल देयताएं		(107.08)
पिछले वर्ष के समायोजन के पश्चात वर्तमान समीक्षाधीन अवधि की समाप्ति पर निवल आस्थगित कर देयताएं / (परिसंपत्ति)		(345.79)

पिछले वर्ष के 2.86 लाख रूपए के समायोजन के पश्चात लाभ एवं हानि हेतु प्रभारित 107.08 की निवल परिसंपत्ति, वर्तमान समीक्षाधीन अवधि की वास्तविक परिसंपत्ति 104.22 लाख रूपए है

4 गैर मौजूदा देयताएं—अन्य गैर मौजूदा देयताएं

1) गैर मौजूदा देयता (कॉर्पस)

(रूपये लाख में)

	विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(क)	संग्रह निधि (विपणन परिसर)		
	क) भारत सरकार से आज तक प्राप्ति	825.81	825.81
	ख) घटाएं: समायोजित / आज तक सरकार को लौटाई गई राशि	481.59	481.59
	ग) सरकार को लाटाए जाने योग्य मूल धन (क-ख)	344.22	344.22
	घ) आज तक के समायोजन सहित एजेंसियों से वसूल की गई राशि	982.85	982.85
	ड) घटाएं: एजेंसियों की ओर से परिसरों के लिए जगह / अन्य खर्च आदि के अधिग्रहण के लिए भुगतान की गई राशि	967.60	967.60
	च) एजेंसियों को लौटाए जाने योग्य (घ-ड)	15.25	15.25
	छ) शेष राशि (ए-बीडी-ई) या (सीएफ)	359.47	359.47
	ज) आज तक के विविध व्यय को घटाकर अर्जित ब्याज की राशि	1,851.13	1,741.86
	कुल (छ+ज)	2,210.60	2,101.33

i) उपयोगकर्ता एजेंसियों की ओर से मुंबई, इंदौर, जयपुर और नई दिल्ली में मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स की एकमुश्त खरीद के लिए कुल 825.81 लाख रुपये (पिछले वर्ष 825.81 लाख रुपये) की राशि भारत की सरकार द्वारा प्रदान की गई थी। शुरु में उन्हें संग्रह राशि (मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स) खाते में जमा करने के बाद, फंड का उपयोग मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स की खरीद के लिए किया गया है। उपयोगकर्ता एजेंसियों से प्राप्त 982.85 लाख रुपये (पिछले वर्ष 982.85) की राशि को संग्रह राशि में जमा कर दिया गया है और मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स की स्थापना पर खर्च किए गए 967.60 लाख रुपये (पिछले वर्ष 967.60 लाख रुपये) को संग्रह राशि में चार्ज किया गया है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, विविध को समायोजित करने के बाद, अव्ययित कॉर्पस फंड से सृजित सावधि जमा पर अर्जित ब्याज 109.27 लाख रुपये (पिछले वर्ष 105.77 लाख रुपये) की राशि का व्यय, यदि कोई हो, को कॉर्पस फंड (विपणन परिसर) में जमा किया गया है। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स कॉर्पस में जमा नहीं किए गए ब्याज के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई बोर्ड के अनुमोदन के बाद की जाएगी।

Components of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liability	As on 31-03-2022	
	Deferred Tax Assets	Deferred Tax Liability
Net Deferred Tax Liability/ (Asset) as at the end of current reporting period		(342.93)
Net Deferred Tax Liability/ (Asset) as at the end of previous reporting period		(238.71)
Net Liability / (Asset) charged to Statement of Profit and Loss during the current reporting period		(104.22)
Previous years adjustment		2.86
Net Liability / (Asset) charged to Statement of Profit and Loss during the current reporting period after adjustment of previous years adjustment		(107.08)
Net Deferred Tax Liability/ (Asset) as at the end of current reporting period after adjustment of previous years adjustment		(345.79)

Net Assets of Rs. 107.08 Lakhs charged to Profit and Loss account after previous years adjustments of Rs. 2.86 Lakhs, actual assets of current reporting period is Rs. 104.22 Lakhs.

4 NON CURRENT LIABILITIES – OTHER LONG TERM LIABILITIES

l) Other Long Term Liability (Corpus)

(Rs. in Lakhs)

Particulars	As on	
	31-03-2022	31-03-2021
(A) Corpus Fund (Marketing Complex)		
a) Receipt from Govt. of India upto date	825.81	825.81
b) Less: Amount adjusted/ refunded to Govt. upto date	481.59	481.59
c) Principle amount refundable to Govt. (a-b)	344.22	344.22
d) Amount realized from agencies including adjustments upto date	982.85	982.85
e) Less: Amount paid for acquisition of space/ other expenses etc. for complexes on behalf of agencies upto date	967.60	967.60
f) Refundable to agencies (d-e)	15.25	15.25
g) Balance (a-b+d-e) or (c+f)	359.47	359.47
h) Amount of Interest earned less miscellaneous expenditure upto date	1,851.13	1,741.86
Total (g+h)	2,210.60	2,101.33

- i) Total Funds amounting to Rs. 825.81 Lakhs (Previous Year Rs. 825.81 Lakhs) for outright purchases of Marketing Complexes at Mumbai, Indore, Jaipur, and New Delhi on behalf of user agencies were provided by the Govt. of India. After initially crediting them to Corpus Fund (Marketing Complex) Account, the funds have been utilized for purchase of Marketing Complexes. The amount of Rs 982.85 Lakhs (Previous Year Rs 982.85 Lakhs) received from user agencies has been credited to the corpus fund and expenditure incurred on setting up of marketing complexes amounting to Rs 967.60 Lakhs (Previous Year Rs 967.60 Lakhs) has been charged to the corpus fund.

During the year 2021-22, interest earned on fixed deposits created from unspent corpus fund, after adjusting the Misc. expenditure if any, amounting to Rs 109.27 Lakhs (Previous Year Rs. 105.77 Lakhs) has been credited to the Corpus Funds (Marketing Complex). Further, corrective action with respect to interest not credited to Marketing Complex Corpus for the financial year 2017-18 and 2018-19 shall be taken after approval of the Board.

	विवरण	31.03.2022 के अनुसार (लाख रु. में)	31.03.2021 के अनुसार (लाख रु. में)
(ख)	कार्पस निधि (मेगा क्लस्टर)		
	क) आज तक भारत सरकार से प्राप्ति	950.00	950.00
	ख) अर्जित ब्याज की राशि	170.27	110.37
	ग) घटाएं : आय के लिए हस्तांतरण	-	-
	कुल	1,120.27	1,060.37

- i) सरकार के निर्देशों के अनुसार, भारत सरकार द्वारा जारी कुल 950.00 लाख की राशि(पिछले वर्ष 950.00 लाख रुपये) का उपयोग मेगा क्लस्टर में हथकरघा बुनकरों को यार्न आपूर्ति की व्यवस्था के लिए वाराणसी, शिवसागर, गोड्डा, मुर्शिदाबाद और प्रकाशम मेगा क्लस्टर में हथकरघा बुनकरों को यार्न की आपूर्ति के लिए किया गया है। वर्ष 2021-22 के दौरान 59.90 लाख (पिछले वर्ष- 53.37 लाख रुपये) का ब्याज कॉर्पस फंड (मेगा क्लस्टर) में जमा किया गया है। इसके अलावा, मेगा क्लस्टर कॉर्पस में जमा नहीं किए गए ब्याज के संबंध में सुधारात्मक कार्यवाई बोर्ड के अनुमोदन के बाद की जाएगी।

	विवरण	31.03.2022 के अनुसार (लाख रु. में)	31.03.2021 के अनुसार (लाख रु. में)
(ग)	संग्रह निधि (व्यापार सुविधा केंद्र)		
	क) आज तक भारत सरकार से प्राप्ति	26,869.17	26,869.17
	ख) आज तक किए गए समायोजन/प्रस्तुत की गई यूसी की राशि और अन्य खर्च	441.56	441.56
	ग) अनुदान खाते में अंतरित राशि	72.36	72.36
	घ) कुल (क-ख+ग)	26,499.97	26,499.97
	ड) घटाएं: आजतक परियोजना प्रबंधन एजेंसी को हस्तांतरित राशि (एनबीसीसी)	26,031.08	26,031.08
	च) घटाएं : आज तक की आर्किटेक्ट शुल्क (सिक्का)	371.95	371.95
	शेष (घ-ड-च)	96.94	96.94

- i) किए गए समायोजन/प्रस्तुत की गई यूसी की राशि और अन्य व्यय रु. 369.20 लाख (पिछले वर्ष रु. 369.20 लाख) रु.उपयोगिता प्रमाणपत्र 72.36 लाख रुपए अनुदान खाते में अंतरित कर दिया गया है।

	विवरण	31.03.2022 के अनुसार (लाख रु. में)	31.03.2021 के अनुसार (लाख रु. में)
घ)	हथकरघा पार्क पोचमपल्ली		
	क) केंद्र/राज्य से प्राप्ति	2,900.00	2,900.00
	ख) वर्ष के दौरान प्राप्ति	-	-
	ग) अर्जित ब्याज की राशि/व्यय घटाएं	747.63	600.56
	घ) भुगतान की गई ब्याज की राशि	661.26	544.93
	ड) कुल (क+ख+ग-घ)	2,986.37	2,955.63
	च) घटाएं: पोचमपल्ली को हस्तांतरित राशि (अग्रिम भुगतान)	100.00	100.00
	छ) घटाएं: कच्चे माल के लिए हस्तांतरित राशि	100.00	100.00
	शेष राशि (ड-च-छ)	2,786.37	2,755.63

	Particulars	As on 31-03-2022 (Rs. in Lakhs)	As on 31-03-2021 (Rs. in Lakhs)
(B)	Corpus Fund (Mega Cluster)		
	a) Receipt from Govt. of India upto date	950.00	950.00
	b) Amount of interest earned	170.27	110.37
	c) Less : transfer to income	-	-
	Total	1,120.27	1,060.37

- i) As per Government directives, the total fund released by Govt. of India amounting to Rs. 950.00 Lakhs (Previous Year Rs. 950.00 Lakhs) for supply of yarn to the handloom weavers in Varanasi, Sivsagar, Godda, Murshidabad and Prakasham Mega cluster have been utilized for arranging the yarn supply to handloom weavers in Mega Cluster. During the year 2021-22 interest of Rs 59.90 Lakhs (Previous Year- Rs. 53.37 Lakhs) has been credited to the Corpus Funds (Mega Cluster). Further, corrective action with respect to interest not credited to Mega Cluster Corpus shall be taken after approval of the Board

	Particulars	As on 31-03-2022 (Rs. in Lakhs)	As on 31-03-2021 (Rs. in Lakhs)
(C)	Corpus Fund (Trade Facilitation Centre)		
	a) Receipt from Govt. of India upto date	26,869.17	26,869.17
	b) Amount of Adjustment/UC Submitted & Other expenses up to date	441.56	441.56
	c) Amount transferred to Grant account	72.36	72.36
	d) Total (a-b+c)	26,499.97	26,499.97
	e) Less: Amount transferred to Project Management Agency upto date(NBCC)	26,031.08	26,031.08
	f) Less : Architect fee upto date (SIKKA)	371.95	371.95
	Balance (d-e-f)	96.94	96.94

- i) Amount of Adjustment/UC Submitted & Other expenses Rs 369.20 Lakhs (Previous Year Rs.369.20 Lakhs) Utilisation certificate for Rs.72.36 Lakhs has been transferred to grant account.

	Particulars	As on 31-03-2022 (Rs. in Lakhs)	As on 31-03-2021 (Rs. in Lakhs)
(D)	Pochampally for Handloom Park		
	a) Receipt from Central / State	2,900.00	2,900.00
	b) Receipt during the year	-	-
	c) Amount of Interest earned/ Less Expenses	747.63	600.56
	d) Amount of Interest paid	661.26	544.93
	e) Total (a+b+c-d)	2,986.37	2,955.63
	f) Less: Amount transferred to Pochampally (Advance paid)	100.00	100.00
	g) Less: Amount transferred for Raw Material	100.00	100.00
	Balance (e-f-g)	2,786.37	2,755.63

(रुपये लाख में)

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(ड) संग्रह निधि (हथकरघा संवर्धन सहायता योजना)		
क) आज तक भारत सरकार से प्राप्ति	1,206.72	1,206.72
ख) आज तक नोडल एजेंसियों से प्राप्ति	1,801.34	1,801.34
ग) अर्जित ब्याज की राशि	431.42	397.83
घ) घटाएं : जारी की गई राशि	2,813.79	2,670.26
कुल	625.69	735.63

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
(च) समर्थ-वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना		
ड) आज तक भारत सरकार से प्राप्ति	3,649.94	2,202.23
च) घटाएं : जारी की गई राशि	2,985.07	714.51
कुल	664.87	1,487.72
(छ) निधि संग्रह (क्लस्टर विकास)	1,659.10	1,659.10
कुल योग (क+ख+ग+घ+ड+च+छ)	9,163.84	9,896.73

5 वर्तमान देयताएं – व्यापारिक देनदारियां

विवरण	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार
विविध ऋणदाता	33,747.33	31,563.82
ग्राहकों/अन्य से अग्रिम	2,325.64	1,785.07
कुल	36,072.97	33,348.89

- i) शेष राशि की पुष्टि एक सतत प्रक्रिया है। वर्तमान समीक्षावधि के अंत में वर्ष के अंत में शेष राशि सभी लेनदारों और अन्य पार्टियों को पुष्टि के लिए भेज दी गई है, हालांकि, पुष्टि निम्नानुसार प्राप्त हुई है: –

विवरण	कुल		31-03-2022 के अनुसार प्राप्त पुष्टि		31-03-2022 के अनुसार शेष राशि की पृष्टि का %	
	एजेंसियों की संख्या	बकाया राशि (रु.)	एजेंसियों की संख्या	बकाया राशि (रु.)	एजेंसियों की संख्या (%)	बकाया राशि (रु.) (%)
देनदार	383	33,747.33	130.00	3,187.72	33.94%	9.45%
ग्राहक/अन्य से अग्रिम	2,141	2,325.64	639.00	826.09	29.85%	35.52%

- i) ऊपर दिखाए गए पुष्टि किए गए शेष में वे शामिल नहीं हैं, जहां कोई विवाद है, लेकिन केवल वे शेष राशि जहां अंतर/समाधान के कारण प्रविष्टियां दोनों पक्षों को स्वीकार्य हैं। पुष्टि के लिए लंबित शेष राशि की समीक्षा की जाएगी और नियत समय में इसका समाधान किया जाएगा और इन मामलों में समायोजन, यदि कोई हो, का समाधान होते ही किया जाएगा।
- ii) 33747.33 लाख रुपये के लिए देय व्यापार (पिछले वर्ष 31563.82 लाख रुपये) में लखनऊ शाखा कार्यालय से संबंधित 25405.91 लाख रुपये (पिछले वर्ष – 25405.91 लाख रुपये) शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, उपरोक्त मामले की फॉरेंसिक ऑडिटर और सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जा रही थी। फॉरेंसिक ऑडिटर और सतर्कता जांच की रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है और बोर्ड के निर्देशों के अनुसार इसे इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए सीबीआई को भेजा गया है। बोर्ड के निदेशक के अनुसार, सोसायटी/उपभोक्ता एजेंसियों और आपूर्तिकर्ताओं से बकाया राशि का पता लगाने के लिए, 1.4.2017 से आगे लेनदेन ऑडिट शुरू किया गया है, संकलन होने पर, यह रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी।

(Rs. in Lakhs)

	Particulars	As on 31-03-2022	As on 31-03-2021
(E)	Corpus Fund (Hathkargha Samverdhan Sahayata Yojana)		
	a) Receipt from Govt. of India upto date	1,206.72	1,206.72
	b) Receipt from Nodal agencies upto date	1,801.34	1,801.34
	c) Amount of interest earned	431.42	397.83
	d) Less : Amount Released	2,813.79	2,670.26
	Total	625.69	735.63

	Particulars	As on 31-03-2022	As on 31-03-2021
(F)	Samarth - Scheme Capacity Building in Textiles Sector		
	e) Receipt from Govt. of India upto date	3,649.94	2,202.23
	f) Receipt from Nodal agencies upto date	2,985.07	714.51
	Total	664.87	1,487.72
	(G) Corpus fund (Cluster development)	1,659.10	1,659.10
	GRAND TOTAL (A+B+C+D+E+G)	9,163.84	9,896.73

5 CURRENT LIABILITIES – TRADE PAYABLES

Particulars	As on 31-03-2022	As on 31-03-2021
Sundry creditors	33,747.33	31,563.82
Advance from customers/ others	2,325.64	1,785.07
Total	36,072.97	33,348.89

- i) The balance confirmation is a continuous process. The year end balances as at the end of current reporting period has been sent to all the creditors and other parties for confirmation, however, confirmation has been received as follows:-

Particulars	Total		Confirmation received as on 31-03-2022		% of Confirmation of balances as on 31-03-2022	
	No. of agencies	Amount outstanding	No. of agencies	Amount outstanding	No. of agencies	Amount outstanding
		(Rs.)		(Rs.)	(%)	(%)
Creditors	383	33,747.33	130.00	3,187.72	33.94%	9.45%
Advance from customers/ others.	2,141	2,325.64	639.00	826.09	29.85%	35.52%

- i) The confirmed balances shown above do not include those, where there is any dispute, but only those balances where the entries on account of difference/ reconciliation are acceptable to both the parties. The balances which are pending for confirmation will be reviewed and reconciled in due course and the adjustment, if any, required in these cases will be made as soon as reconciled.
- ii) Trade Payable for Rs. 33,747.33 Lakhs (Previous year Rs 31,563.82 Lakhs) include a sum of Rs 25,405.91 Lakhs (Previous year - Rs.25,405.91 Lakhs) relating to Lucknow branch office. During PY 2020-21, the aforementioned matter was under investigation by Forensic Auditor & Vigilance department. Reports of the Forensic Auditor and Vigilance probe have been received and the same have been sent to CBI for further necessary action in this regard is as per directions of the Board. As per the director of the Board, to ascertain amount outstanding from the societies/user agencies and the suppliers, transaction audit from 1st April 2017 onwards has been initiated, on completion, the report same will be presented to the Board

- iii) विविध लेनदारों में 157.45 लाख रुपये की राशि (पिछले वर्ष 245.07 लाख रूपए) लघु उद्योगों को देय राशि शामिल है। राशि वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में 30 दिनों से अधिक के लिए बकाया है। उपरोक्तानुसार लेनदारों के लघु उद्योग होने के कारण राशि उनके साथ की गई व्यवस्था पर आधारित है, जिसमें संबंधित देनदारों से भुगतान की वसूली के बाद उन्हें भुगतान रिलीज किया जाएगा।
- iv) उपरोक्त के अलावा, कोई सूक्ष्म और लघु उद्यम नहीं हैं, जिन पर कंपनी का बकाया है जो वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में 45 दिनों से अधिक के लिए बकाया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत इस जानकारी का खुलासा करना आवश्यक होता है और निगम के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर इस तरह की पार्टियों की पहचान की गई है। लेखा परीक्षकों द्वारा इस पर भरोसा किया गया है।

31.03.2022 के अनुसार
लाख रु. में

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
एमएसएमई	2,230.27	3.61	0.10	4.43	2,238.41
अन्य	4,774.75	21.70	5.54	1,301.01	6,103.01
विवादित देय – एमएसएमई	-	-	-	-	-
विवादित देय – अन्य	-	-	-	25,405.91	25,405.91

31.03.2021 के अनुसार
लाख रु. में

विवरण	भुगतान की नियत तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				कुल
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
एमएसएमई	1,786.90	2.57	0.10	4.43	1,794.00
अन्य	3,318.35	17.06	44.04	984.45	4,363.91
विवादित देय – एमएसएमई	-	-	-	-	-
विवादित देय – अन्य	-	-	13,084.93	12,320.98	25,405.91

6 वर्तमान देयताएं – अन्य वर्तमान देयताएं

विवरण	31.03.2022 के अनुसार (लाख रु. में)	31.03.2021 के अनुसार (लाख रु. में)
जमा –अन्य	100.00	100.00
सुरक्षा जमा	12.14	12.14
सरकार अनुदानभागीदारी राशि	991.85	884.68
प्रतिधारण धन	3.42	3.42
अग्रिम धन	30.30	22.30
परिवहन और डिपो को देय	3,940.30	3,295.82
सांविधिक देयताएं	124.30	96.19
अन्य देयताएं	524.27	671.62
कुल	5,726.58	5,086.17

विवरण	31-03-2021 तक शेष राशि	वर्ष के दौरान/ हस्तांतरण	शेष
सरकारी अनुदान/भागीदारी राशि	884.68	(107.17)	991.85

- iii) Sundry Creditors includes a sum of Rs. 157.45 Lakhs (Previous year Rs. 245.07 Lakhs) payable to Small Scale Industries, outstanding for more than 30 days as at the end of current reporting period. The amount due to creditors being small scale industries as above is based on the arrangement with them, wherein, the payment will be released to them after realization of the payment from the corresponding debtors.
- iv) Besides above, there are no micro and small enterprises, to whom the company owes dues which are outstanding for more than 45 days as at the end of current reporting period. This information is required to be disclosed under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 and has been determined to the extent such parties had been identified on the basis of information available with the corporation. This has been relied upon by the auditors.

As on 31.03.2022**Rs. In Lakhs**

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment				Total
	Less than 1 year	1 to 2 years	2 to 3 years	More than 3 years	
MSME	2,230.27	3.61	0.10	4.43	2,238.41
Others	4,774.75	21.70	5.54	1,301.01	6,103.01
Disputed dues – MSME	-	-	-	-	-
Disputed dues – Others	-	-	-	25,405.91	25,405.91

As on 31.03.2021**Rs. In Lakhs**

Particulars	Outstanding for following periods from due date of payment				Total
	Less than 1 year	1 to 2 years	2 to 3 years	More than 3 years	
MSME	1,786.90	2.57	0.10	4.43	1,794.00
Others	3,318.35	17.06	44.04	984.45	4,363.91
Disputed dues – MSME	-	-	-	-	-
Disputed dues – Others	-	-	13,084.93	12,320.98	25,405.91

6 CURRENT LIABILITIES – OTHER CURRENT LIABILITIES

Particulars	As on 31-03-2022 (Rs. In Lakhs)	As on 31-03-2021 (Rs. In Lakhs)
Deposits - Others	100.00	100.00
Security deposits	12.14	12.14
Govt. grants/participation money	991.85	884.68
Retention money	3.42	3.42
Earnest money	30.30	22.30
Transportation and depot payable	3,940.30	3,295.82
Statutory Liabilities	124.30	96.19
Other Liabilities	524.27	671.62
Total	5,726.58	5,086.17

Particulars	Balance as on 31-03-2021	Adjustment/Transfer during the year	Balance
Govt. grants/participation money	884.68	(107.17)	991.85

7 वर्तमान देयताएं – अल्पकालिक प्रावधान

(राशि लाख में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	कुल	भुगतान/ उपयोग/ शुल्क लिया गया	वर्ष के दौरान रिटर्न बैंक/ समायोजन	31.03.2022 को शेष राशि
आय कर	-	-	-	-	-	-
उपार्जित अवकाश	435.38	79.92	515.30	41.38	-	473.92
उपदान देयता के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-	-
अनुग्रह राशि का प्रावधान	150.00	-	150.00	-	-	150.00
प्रस्तावित लाभांश	-	-	-	-	-	-
प्रस्तावित लाभांश पर कॉर्पोरेट कर	-	-	-	-	-	-
वेतन बकाया का प्रावधान (वेतन संशोधन)	1,147.00	-	1,147.00	-	-	1,147.00
	1,732.38	79.92	1,812.30	41.38	-	1,770.92

i) परिभाषित लाभ योजना

शोधित एएस-15 के अनुसार अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमाकिक मूल्यांकन द्वारा निर्धारित दायित्व के वर्तमान मूल्य के आधार पर अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी के दायित्व को मान्यता दी जाती है।

लीव इनकैशमेंट और ग्रेच्युटी के संबंध में परिभाषित लाभ दायित्व के उद्घाटन और समापन शेष का मिलान निम्नानुसार है: –

(राशि लाख रु. में)

विवरण	अवकाश नकदीकरण	
	31-03-2022 के अनुसार	31-03-2021 के अनुसार
बीमाकिक मूल्यांकन के अनुसार वर्ष की शुरुआत में परिभाषित लाभ दायित्व	435.38	601.98
जोड़ें: अन्य पीएसयू से नए ज्वाइनी आदि से प्राप्त राशि।	-	-
जोड़ें: मौजूदा वर्ष के खर्चों के लिए चार्ज करके प्रदान की गई राशि	79.92	62.15
घटाएं: वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाला गया अतिरिक्त प्रावधान	-	-
घटाएं: भुगतान किए गए लाभ/नकदीकरण किए गए अवकाश	41.38	228.75
वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व	473.92	435.38

(राशि लाख रु. में)

विवरण	उपदान	
	31-03-2022 के अनुसार	31-03-2021 के अनुसार
एलआईसी के साथ वर्ष की शुरुआत में परिभाषित लाभ दायित्व	812.28	1,173.83
जोड़ें: योजना संपत्ति पर वास्तविक रिटर्न	54.11	65.94
जोड़ें: वर्ष के दौरान एलआईसी को भुगतान किया गया योगदान।	37.03	18.05
घटाएं: एलआईसी द्वारा भुगतान किए गए लाभ/दावे का निपटान	42.46	445.54
एलआईसी के साथ वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व।	860.96	812.28
अतिरिक्त: ग्रेच्युटी फंड में योगदान के खिलाफ आगे का प्रावधान।	-	-
जोड़ें: ग्रेच्युटी फंड में योगदान के खिलाफ आगे का प्रावधान।	-	-
घटाएं: ग्रेच्युटी फंड में योगदान के खिलाफ अतिरिक्त प्रावधान वापस लिखा गया	-	-
घटाएं: भविष्य के समायोजन के लिए एलआईसी के पास पड़े ग्रेच्युटी ट्रस्ट के पास जमा	860.96	812.28
प्रावधान के बाद वर्ष के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व		

7 CURRENT LIABILITIES – SHORT TERM PROVISIONS

(Rs. In Lakhs)

Particulars	Balance as on 31-03-2021	Addition during the year	Total	Payment/ utilization/ charged off	Written back / Adjustment during the year	Balance as on 31-03-2022
Income tax	-	-	-	-	-	-
Accrued leave	435.38	79.92	515.30	41.38	-	473.92
Provision for gratuity liability	-	-	-	-	-	-
Provision for ex-gratia	150.00	-	150.00	-	-	150.00
Dividend	-	-	-	-	-	-
Corporate tax on dividend	-	-	-	-	-	-
Provision for Salary Arrears (pay revision)	1,147.00	-	1,147.00	-	-	1,147.00
	1,732.38	79.92	1,812.30	41.38	-	1,770.92

i) Defined Benefit Plan

The obligation for leave encashment and gratuity is recognized based on the present value of obligation determined by actuarial valuation using the Projected Unit Credit Method as per revised AS-15.

The reconciliation of opening and closing balances of defined benefit obligation in respect of leave encashment and gratuity is as below:-

(Rs. In Lakhs)

Particulars	LEAVE ENCASHMENT	
	As on 31.03.2022	As on 31.03.2021
Defined benefit obligation at the beginning of the year as per actuarial valuation	435.38	601.98
Add: Amount received from new joinee etc. from other PSU.	-	-
Add: Amount provided by charging to current year's expenses	79.92	62.15
Less: Excess Provision written back during the year	-	-
Less : Benefit paid/ leaves en-cashed	41.38	228.75
Defined benefit obligation at year end	473.92	435.38

(Rs. In Lakhs)

Particulars	GRATUITY	
	As on 31.03.2022	As on 31.03.2021
Defined benefit obligation at the beginning of the year with LIC	812.28	1,173.83
Add : Actual Return on Plan Asset	54.11	65.94
Add : Contribution paid to LIC during the year.	37.03	18.05
Less : Benefit paid/ claim settled by LIC	42.46	445.54
Defined benefit obligation at year end with LIC.	860.96	812.28
Add : Further provision made against contribution towards Gratuity fund.	-	-
Less : Deposit with Gtaruuity Trust lying with LIC for future adjustment.	-	-
Less : Excess provision made against contribution towards Gratuity fund written back	-	-
Defined benefit obligation at year end after provision.	860.96	812.28

8 गैर मौजूदा परिसंपत्तियां-वास्तविक परिसंपत्तियां

(राशि लाख रु. में)

विवरण	मौजूदा समीक्षा अवधि के लिए										पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए		
	भूमि	भवन	फर्नीचर एवं फिक्सर	कार्यालय एवं विद्युत उपकरण	विद्युत उपकरण और स्थापना	कार्यालय उपकरण	प्रयोगशाला उपकरण	वाहन	कम्प्यूटर			कुल	
									कम्प्यूटर एवं डाटा प्रोसेसिंग यूनिट	सर्वर एवं नेटवर्क			
सकल ब्लॉक													
वर्ष की शुरुआत के अनुसार	759.09	356.01	133.07	-	226.61	93.74	4.21	43.75	111.28	24.53	1,752.29	1,746.52	
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-	2.10	-	-	2.80	-	-	2.56	-	7.46	5.77	
वर्ष के दौरान स्थानांतरण/ बिक्री/ समायोजन	-	-	-	-	-	(0.08)	-	-	(3.45)	-	(3.53)	(128.10)	
वर्ष के दौरान स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	1.66	-	1.66	128.10	
वर्ष के अंत तक	759.09	356.01	135.17	-	226.61	96.46	4.21	43.75	112.05	24.53	1,757.88	1,752.29	
अवमूल्यन													
वर्ष की शुरुआत के अनुसार	-	119.02	86.77	-	130.02	79.87	3.37	33.21	100.16	23.76	576.16	524.64	
वर्ष के दौरान स्थानांतरण/ बिक्री/ समायोजन	-	(0.78)	-	-	-	0.73	-	-	0.05	-	-	(3.25)	
वर्ष के दौरान स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.31)	-	(1.31)	(74.55)	
वर्ष के दौरान मूल्यहास (आरक्षित और अधिशेष में स्थानांतरण)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.55	
वर्ष के दौरान मूल्यहास (लाम और हानि खाते में स्थानांतरण)	-	5.27	9.14	-	18.14	6.69	0.45	2.46	0.23	0.04	42.43	54.77	
वर्ष के अंत तक	-	123.51	95.91	-	148.16	87.28	3.82	35.67	99.13	23.80	617.28	576.16	
निवल ब्लॉक													
वर्ष की शुरुआत के अनुसार	759.09	236.99	46.30	-	96.59	13.37	0.84	10.55	11.13	0.77	1,176.12	1,221.88	
वर्ष के अंत तक	759.09	232.50	39.26	-	78.45	9.18	0.39	8.08	12.92	0.73	1,140.59	1,176.12	

- (i) अचल संपत्तियों में कार्यालय भवन, संपत्ति की लंबित हस्तांतरण औपचारिकता और उपयुक्त अधिकारियों के साथ पंजीकरण, मुंबई में 33.58 लाख रुपये (पिछले वर्ष 33.58 लाख रुपये) की राशि शामिल है, जिसके लिए कब्जा ले लिया गया है, लेकिन जब खर्च किया जाएगा तो इसके लिए पंजीकरण शुल्क लिया जाएगा।
- (ii) किसी परिसंपत्ति को तब खराब हुआ माना जाता है जब परिसंपत्ति की वहन लागत उसके वसूली योग्य मूल्य से अधिक हो जाती है। उस परिसंपत्ति की खराब संबंधी हानि को उस वर्ष में लाम और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है जिसमें परिसंपत्ति को खराब हुआ के रूप में पहचाना जाता है। वर्ष के अंत में निगम के बही खातों में प्रदर्शित होने वाली संपत्ति का मूल्य वह है जिस पर वे उसमें दिखाई दे रहे हैं और हानि, यदि कोई हो, को बैलेंस शीट में दिखाया गया है।
- (iii) भूमि और भवन की सभी अचल संपत्ति जो फ्रीहोल्ड है, को कम्पनी के नाम पर तुलन-पत्र की तारीख में रखा जाता है।

8 NON CURRENT ASSETS- TANGIBLE ASSETS

(Rs. In Lakhs)

Items	For the current reporting period										For the previous reporting period	
	Land	Building	Furniture & Fixture	Office And Electrical Equipments	Electrical Equipment And Installation	Office Equipment	Laboratory Equipments	Vehicle	COMPUTERS			TOTAL
									Computer & Data processing Units	Servers & Networks		
GROSS BLOCK												
As at beginning of the year	759.09	356.01	133.07	-	226.61	93.74	4.21	43.75	111.28	24.53	1,752.29	1,746.52
Addition during the year	-	-	2.10	-	-	2.80	-	-	2.56	-	7.46	5.77
Transfer/ Sale/ Adjustments during the year	-	-	-	-	-	(0.08)	-	-	(3.45)	-	(3.53)	(128.10)
Transfer to during the year	-	-	-	-	-	-	-	-	1.66	-	1.66	128.10
As at end of the year	759.09	356.01	135.17	-	226.61	96.46	4.21	43.75	112.05	24.53	1,757.88	1,752.29
DEPRECIATION												
As at beginning of the year	-	119.02	86.77	-	130.02	79.87	3.37	33.21	100.16	23.76	576.16	524.64
Transfer/ Sale/ Adjustments during the year	-	(0.78)	-	-	-	0.73	-	-	0.05	-	-	(3.25)
Transfer to during the year	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.31)	-	(1.31)	(74.55)
Depreciation during the year (Transfer to Reserve and Surplus)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74.55
Depreciation during the year (Transfer to Profit and Loss account)	-	5.27	9.14	-	18.14	6.69	0.45	2.46	0.23	0.04	42.43	54.77
As at end of the year	-	123.51	95.91	-	148.16	87.28	3.82	35.67	99.13	23.80	617.28	576.16
NET BLOCK												
As at beginning of the year	759.09	236.99	46.30	-	96.59	13.87	0.84	10.55	11.13	0.77	1,176.12	1,221.88
As at end of the year	759.09	232.50	39.26	-	78.45	9.18	0.39	8.08	12.92	0.73	1,140.59	1,176.12

- (i) Fixed Assets include office building, pending transfer formality of the property and registration with the Appropriate Authorities, amounting to Rs.33.58 Lakhs (Previous year Rs.33.58 Lakhs) at Mumbai, for which possession has been taken but Registration charges for the same will be capitalized as and when incurred.
- (ii) An asset is treated as impaired when the carrying cost of asset exceeds its recoverable value. An impairment loss is charged to the statement of profit and loss in the year in which the asset is identified as impaired. The assets as appearing in the books of accounts of the corporation at year end have the value at which they are appearing therein and the impairment, if any, has been shown in to the balance sheet.
- (iii) The title deeds compressing all the Immovable Property of Land and Building which are free hold, are held in the name of the company as at the balance sheet date.

iv) पूंजी-कार्य-प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी) – सीडब्ल्यूआईपी सहबद्ध कार्यसूची

लाख रूपए में

सीडब्ल्यूआईपी	निम्नलिखित अवधि में सीडब्ल्यूआईपी में राशि				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगति के अधीन परियोजनाएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

9 गैर मौजूदा परिसंपत्तियां-वास्तविक परिसंपत्तियां

विवरण	कम्प्यूटर साफ्टवेयर	
	मौजूदा समीक्षा अवधि के लिए	पिछली समीक्षा अवधि के लिए
समग्र ब्लॉक		
वर्ष की शुरुआत के अनुसार	247.08	247.08
वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
वर्ष के दौरान स्थानांतरण/बिक्री/समायोजन	-	(0.41)
वर्ष के दौरान स्थानांतरण	-	0.41
वर्ष के अंत तक	247.08	247.08
मूल्यहास		
वर्ष की शुरुआत के अनुसार	189.33	142.83
वर्ष के दौरान समायोजन	-	3.25
वर्ष के दौरान स्थानांतरण	-	(0.38)
सामान्य रिजर्व में हस्तांतरण	-	0.38
वर्ष के दौरान मूल्यहास	34.36	43.25
वर्ष के अंत तक	223.69	189.33
निवल ब्लॉक		
वर्ष की शुरुआत के अनुसार	57.75	104.25
वर्ष के अंत तक	23.39	57.75

10 गैर मौजूदा परिसंपत्तियां – लंबी अवधि के ऋण और अग्रिम

विवरण	31.03.2022 के अनुसार (लाख रु. में)	31.03.2021 के अनुसार (लाख रु. में)
कुल	-	-

कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपीएस और अन्य संबंधित पार्टियों को ऋण की प्रकृति में कोई भी ऋण और अग्रिम प्रदान नहीं किया है जो कि मांग पर या चुकौती की किसी भी शर्त या अवधि के बिना चुकाया जा सकता है।

iv) Capital-Work-in Progress (CWIP) - CWIP aging schedule

Rs. In Lakhs

CWIP	Amount in CWIP for a period of				Total
	Less than 1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
Projects in progress	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Projects temporarily suspended	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

9 NON CURRENT ASSETS- INTANGIBLE ASSETS

Rs. In Lakhs

Particulars	COMPUTER SOFTWARE	
	For the current reporting period	For the previous reporting period
GROSS BLOCK		
As at beginning of the year	247.08	247.08
Addition during the year	-	-
Transfer/ Sale/ Adjustments during the year	-	(0.41)
Transfer to during the year	-	0.41
As at end of the year	247.08	247.08
DEPRICIATION		
As at beginning of the year	189.33	142.83
Adjustment during the year	-	3.25
Tansfer to during the year	-	(0.38)
Transfer to general reserve	-	0.38
Depriciation during the year	34.36	43.25
As at end of the year	223.69	189.33
NET BLOCK		
As at beginning of the year	57.75	104.25
As at end of the year	23.39	57.75

10 NON CURRENT ASSETS - LONG TERM LOAN AND ADVANCES

Particulars	As on 31-03-2022 (Rs. In Lakhs)	As on 31-03-2021 (Rs. In Lakhs)
TOTAL	-	-

The company has not granted any loan and advances in the nature of loan to promoters, directors, KMPS and other related parties that are repayable on demand or without specified any terms or period of repayment.

11 अन्य गैर मौजूदा परिसंपत्तियां (संग्रह)

	विवरण	31-03-2022 के अनुसार (रु. लाख में)	31-03-2021 के अनुसार (रु. लाख में)
(क)	कॉर्पस निधि का नियोजन (मार्केटिंग कॉम्प्लैक्स)	2,210.60	2,101.33
(ख)	कॉर्पस का नियोजन (मेगा कलस्टर)	1,120.27	1,060.37
(ग)	कॉर्पस निधि का नियोजन (व्यापार सुविधा केंद्र)	96.94	96.94
(घ)	कॉर्पस निधि पोचमपल्ली का नियोजन	2,786.37	2,755.63
(ङ)	हथकरघा संवर्धन सहायता योजना	625.69	735.64
(च)	समर्थ – वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण की योजना	664.87	1,487.73
	कुल	7,504.74	8,237.64

उपरोक्त कॉर्पस निधि का नियोजन सावधि जमा और मौजूदा खाते में है।

12 गैर मौजूदा परिसंपत्तियां (असंग्रहित)

	विवरण	31-03-2022 के अनुसार (रु. लाख में)	31-03-2021 के अनुसार (रु. लाख में)
	सुरक्षा राशि	3.08	3.08
	कुल	3.08	3.08

13 वर्तमान परिसंपत्तियां- सूची

	विवरण	31-03-2022 के अनुसार (रु. लाख में)	31-03-2021 के अनुसार (रु. लाख में)
	(प्रबंधन द्वारा मूल्यांकित और प्रमाणित)		
	माल बिक्री में, लागत पर या शुद्ध प्राप्त मूल्य (अप्रचलन के लिए कम लिखा गया), जो भी कम हो से लिया गया है	223.10	177.25
	दूसरी जगह ले जाया जाता सामान	-	-
	कुल	223.10	177.25

कंपनी ने भौतिक रूप से उचित अंतराल पर इन्वेंट्री की पुष्टि की है और इस तरह के सत्यापन के दौरान इन्वेंट्री के प्रत्येक वर्ग के कुल योग में 10% या उससे अधिक की कोई विसंगति नहीं है।

11 OTHER NON CURRENT ASSETS (CORPUS)

	Particulars	As on 31-03-2022 (Rs. In Lakhs)	As on 31-03-2021 (Rs. In Lakhs)
(A)	Deployment of Corpus Fund (Marketing Complexes)	2,210.60	2,101.33
(B)	Deployment of Corpus Fund (Mega Cluster)	1,120.27	1,060.37
(C)	Deployment of Corpus Fund (Trade Facilitation Centre)	96.94	96.94
(D)	Deployment of Corpus Fund Pochampally	2,786.37	2,755.63
(E)	Hathkargha Samverdhan Sahayeta Yojana	625.69	735.64
(F)	Samarth - Scheme for Capacity Building in Textiles Sector	664.87	1,487.73
	TOTAL	7,504.74	8,237.64
The above Deployment of Corpus funds are in fixed deposit and current account.			

12 NON CURRENT ASSETS – (NON CORPUS)

	Particulars	As on 31-03-2022 (Rs. In Lakhs)	As on 31-03-2021 (Rs. In Lakhs)
	Security Deposit	3.08	3.08
	TOTAL (b)	3.08	3.08

13 CURRENT ASSETS - INVENTORIES

	Particulars	As on 31-03-2022 (Rs. In Lakhs)	As on 31-03-2021 (Rs. In Lakhs)
	(As taken, valued and certified by the management)		
	Stock-in-trade - At cost (less written off for obsolescence) or net realizable value, whichever is less.	223.10	177.25
	Goods in Transit	-	-
	TOTAL	223.10	177.25
The Company has physically verified the inventories at reasonable intervals and there are no discrepancies of 10% or more in the aggregate of each class of inventories were noticed during such verification.			

14 वर्तमान परिसंपत्तियां— व्यापार प्राप्य

विवरण	31-03-2022 के अनुसार (रु. लाख में)		31-03-2021 के अनुसार (रु. लाख में)	
	विविध देनदार (असुरक्षित)			
i) छह महीने से अधिक				
— अच्छा माना गया	26,469.48		26,517.79	
— संदिग्ध माना गया	572.15		570.71	
	27,041.63		27,088.50	
—घटाएं: संदिग्ध के लिए प्रावधान	(572.15)	26,469.48	(570.71)	26,517.79
ii) अन्य (अच्छा माना गया)		5,344.88		3,615.26
कुल		31,814.36		30,133.05
i) शेष राशि की पुष्टि एक सतत प्रक्रिया है। वर्तमान समीक्षावधि के अंत में वर्ष के अंत में शेष सभी व्यापार प्राप्तियों को पुष्टि के लिए भेज दिया गया है, हालांकि, पुष्टि निम्नानुसार प्राप्त हुई है: —				

विवरण	कुल		31-03-2022 के अनुसार प्राप्त पुष्टि		31-03-2022 के अनुसार शेष की पुष्टि का %	
	एजेंसियों की सं.	बकाया राशि (लाख रु में)	एजेंसियों की संख्या	बकाया राशि (लाख रु में)	एजेंसियों की संख्या (%)	बकाया राशि (%)
व्यापार की प्राप्ति	1,166.00	32,386.51	278.00	3,105.38	23.84%	9.59%

- i) ऊपर दिखाए गए पुष्टि किए गए शेष में वे शामिल नहीं हैं, जहां कोई विवाद है, लेकिन केवल वे शेष राशि शामिल है जहां अंतर/समाधान के कारण प्रविष्टियां दोनों पक्षों को स्वीकार्य हैं। पुष्टि के लिए लंबित शेष राशि की समीक्षा की जाएगी और नियत समय में इसका समाधान किया जाएगा और इन मामलों में समायोजन, यदि कोई हो, का समाधान यथाशीघ्र ही किया जाएगा।
- ii) 32,386.51 लाख रुपये के लिए व्यापार प्राप्य (पिछले वर्ष 30703.77 लाख रुपये) में 24564.75 लाख रुपये (पिछले वर्ष – 24564.75 लाख रुपये) की राशि शामिल है। जोकि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान लखनऊ शाखा कार्यालय द्वारा की गई बिक्री से संबंधित है, उपरोक्त मामले की फॉरेंसिक ऑडिटर और सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जा रही थी। फॉरेंसिक ऑडिटर और विजिलेंस जांच की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है और इसे इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए सीबीआई को भेज दिया गया है। तदनुसार, बोर्ड के निर्देशों के अनुसार मामले को निपटारा किया जाएगा। बोर्ड के निदेश के अनुसार समिति/उपयोगकर्ता एजेंसियों और आपूर्तिकर्ताओं से बकाया राशि का पता लगाने के लिए 1.4.2017 से लेनदेन ऑडिट का संकलन शुरू किया गया है, जो बोर्ड के समक्ष रखा जायेगा।
- iii) 32386.51 लाख रुपये के लिए व्यापार प्राप्य (पिछले वर्ष 30703.77 लाख रुपये) में 206.75 लाख रुपये (पिछले वर्ष: 182.69 लाख रुपये) की राशि शामिल है, जिसके लिए निगम द्वारा उपयुक्त अदालतों में मुकदमा दायर किया गया है। इसके अलावा, व्यापार प्राप्तियों में 189.24 लाख रुपये (पिछले वर्ष 189.24 लाख रुपये) शामिल हैं, जो वस्त्र की आपूर्ति के सापेक्ष प्राप्य हैं, जिसमें निगम के पास लेनदारों को संबंधित बकाया है, जो कि वसूली के बाद ही देय है। फैंब्रिक लेनदारी 210.11 लाख रुपये (पिछले वर्ष 210.11 लाख रुपये) है। व्यापार प्राप्तियों में रुपये 1219.73 (पिछले वर्ष 1163.05 लाख रुपये) की राशि भी शामिल है जिसमें निगम द्वारा कॉर्पस निधि (क्लस्टर डेवलपमेंट) के रूप में प्राप्त रिवॉल्विंग एडवांस के सापेक्ष आपूर्ति की गई है।

14 CURRENT ASSETS- TRADE RECEIVABLE

Particulars	As on		As on	
	31-03-2022 (Rs. In Lakhs)		31-03-2021 (Rs. In Lakhs)	
SUNDRY DEBTORS (unsecured)				
i) Over six months				
- Considered good	26,469.48		26,517.79	
- Considered doubtful	572.15		570.71	
	27,041.63		27,088.50	
- Less: Provision for doubtful debts	(572.15)	26,469.48	(570.71)	26,517.79
ii) Others (Considered good)		5,344.88		3,615.26
TOTAL		31,814.36		30,133.05
i) The balance confirmation is a continuous process. The year end balances as at the end of current reporting period has been sent to all the Trade Receivables for confirmation, however, confirmation has been received as follows:-				

Particulars	Total		Confirmation received as on		% of Confirmation of	
	No. of agencies	Amount outstanding (Rs. In Lakhs)	No. of agencies	Amount outstanding (Rs. In Lakhs)	No. of agencies (%)	Amount outstanding (%)
Trade Receivables	1,166.00	32,386.51	278.00	3,105.38	23.84%	9.59%

- i) The confirmed balances shown above do not include those, where there is any dispute, but only those balances where the entries on account of difference/ reconciliation are acceptable to both the parties. The balances which are pending for confirmation will be reviewed and reconciled in due course and the adjustment, if any, required in these cases will be made as soon as reconciled.
- ii) Trade Receivables for Rs. 32,386.51 Lakhs (Previous year Rs 30,703.77 Lakhs) include a sum of Rs 24,564.75 Lakhs (Previous year - Rs.24,564.75 Lakhs).relating to sale made by Lucknow branch office. During PY 2020-21, the aforementioned matter was under investigation by Forensic Auditor & Vigilance department. Reports of the Forensic Auditor and Vigilance probe have been received and the same have been sent to CBI for further necessary action in this regard. Accordingly, the matter will be dealt as per directions of the Board. As per the director of the Board, to ascertain amount outstanding from the societies/user agencies and the suppliers, transaction audit from 1st April 2017 onwards has been initiated, on completion, the report same will be presented to the Board
- iii) Trade Receivables for Rs. 32,386.51 Lakhs (Previous year Rs 30,703.77 Lakhs) include a sum of Rs 206.75 Lakhs (Previous year: Rs 182.69 Lakhs) for which suits have been filed by the corporation with appropriate courts. Further, Trade Receivables include Rs.189.24 Lakhs (Previous year Rs. 189.24 Lakhs) receivable against supply of fabric wherein the corporation is having corresponding dues to creditors, payable only after realization. The fabric creditors are Rs 210.11 Lakhs (Previous year Rs. 210.11 Lakhs). Trade Receivables also includes a sum of Rs. 1,219.73 Lakhs (Previous year Rs.1,163.05 Lakhs) wherein supplies have been made against the revolving advance received by the corporation as Corpus Fund (Cluster Development).

v) व्यापार प्राप्य न तो कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों के लिए या तो अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से प्राप्य हैं, और न ही कोई व्यापार या अन्य प्राप्य क्रमशः फर्म या निजी कंपनियों से देय हैं जिनमें कोई निदेशक एक भागीदार/निदेशक या सदस्य है।

iv) संदिग्ध व्यापार प्राप्तियों के लिए प्रावधान का विवरण नीचे दिया गया है: -

लाख रूपए में

विवरण	31-03-2021 के अनुसार शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	कुल	वसूल/समायोजित राशि	वर्ष के दौरान बड़े खाते में डाला गया	31-03-2022 के अनुसार शेष
संदिग्ध व्यापार प्राप्तियों के लिए प्रावधान	570.71	2.09	572.81	0.66	-	572.15

31.03.2022 के अनुसार

लाख रूपए में

विवरण	अदेय	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
		6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है		5,344.88	127.11	83.07	36.43	1,658.11	7,249.60
ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - संदिग्ध माना जाता है		-	-	-	-	367.44	367.44
i) विवादित व्यापार प्राप्तियां अच्छी मानी जाती हैं		-	-	-	-	-	-
iv) विवादित व्यापार प्राप्तियां संदिग्ध मानी जाती हैं		-	-	-	-	24,769.47	24,769.47

31.03.2021 के अनुसार

लाख रूपए में

विवरण	अदेय	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					कुल
		6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है		3,615.26	29.52	74.93	128.58	1,720.02	5,568.31
ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - संदिग्ध माना जाता है		-	-	-	-	408.80	408.80
i) विवादित व्यापार प्राप्तियां अच्छी मानी जाती हैं		-	-	-	-	-	-
iv) विवादित व्यापार प्राप्तियां संदिग्ध मानी जाती हैं		-	-	-	13,719.83	11,006.84	24,726.67

- iv) Trade receivables are neither receivable for directors or other officers of the company either severally or jointly with any other person, nor any trade or other receivable are due from firm or private companies respectively in which any director is a partner/ director or member.
- v) The details of provision for doubtful Trade Receivables is placed herein below:-

(Rs. In Lakhs)

Particulars	Balance as on 31-03-2021	Addition during the year	Total	Amount realized/ adjusted	Written off during the year	Balance as on 31-03-2022
Provision for doubtful Trade Receivables.	570.71	2.09	572.81	0.66	-	572.15

As on 31.03.2022

(Rs. In Lakhs)

Particulars	Not Due	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
		Less than 6 months	6 months -1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
i) Undisputed Trade receivables – considered good		5,344.88	127.11	83.07	36.43	1,658.11	7,249.60
ii) Undisputed Trade Receivables – considered doubtful		-	-	-	-	367.44	367.44
i) Disputed Trade Receivables considered good		-	-	-	-	-	-
iv) Disputed Trade Receivables considered doubtful		-	-	-	-	24,769.47	24,769.47

As on 31.03.2021

(Rs. In Lakhs)

Particulars	Not Due	Outstanding for following periods from due date of payment					Total
		Less than 6 months	6 months -1 year	1-2 years	2-3 years	More than 3 years	
i) Undisputed Trade receivables – considered good		3,615.26	29.52	74.93	128.58	1,720.02	5,568.31
ii) Undisputed Trade Receivables – considered doubtful		-	-	-	-	408.80	408.80
i) Disputed Trade Receivables considered good		-	-	-	-	-	-
iv) Disputed Trade Receivables considered doubtful		-	-	-	13,719.83	11,006.84	24,726.67

15 वर्तमान परिसंपत्तियां – नकद और नकद समकक्ष

विवरण	31-03-2022 के अनुसार (रु. लाख में)	31-03-2021 के अनुसार (रु. लाख में)
अनुसूचित बैंक के साथ शेष राशि	823.04	768.23
गैर-अनुसूचित बैंक के पास शेष राशि	0.35	0.35
एफडीआर	12,932.60	12,622.20
कुल	13,755.99	13,390.78

16 मौजूदा परिसंपत्तियां – अल्प अवधि के ऋण और अग्रिम

विवरण	31-03-2022 के अनुसार (रु. लाख में)		31-03-2021 के अनुसार (रु. लाख में)	
(i) सुरक्षित ऋण (अच्छा माना गया)				
–वाहनों के हाइपोथेकेशन के खिलाफ कर्मचारियों को वाहन ऋण		0.06		0.72
(ii) अग्रिम (अप्रतिभूत)				
(नकद या वस्तु में वसूली योग्य या मूल्य प्राप्त करने के लिए)				
– आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम राशि				
– अच्छा माना गया	2,417.01		2,435.15	
– संदिग्ध माना गया	11.22		11.22	
	2,428.23		2,446.37	
– घटाएं: संदिग्ध के लिए प्रावधान अग्रिम	(11.22)	2,417.01	(11.22)	2,435.15
(iii) स्टाफ को अग्रिम				
– अच्छा माना गया	17.08		12.12	
– संदिग्ध माना गया	1.26		1.26	
	18.34		13.38	
– घटाएं: संदिग्ध के लिए प्रावधान अग्रिम	(1.26)	17.08	(1.26)	12.12
(iv) अन्य को अग्रिम				
– अच्छा माना गया	680.88		286.76	
– संदिग्ध माना गया	1.35		1.35	
	682.23		288.11	
–घटाएं: संदिग्ध के लिए प्रावधान अग्रिम	(1.35)	680.88	(1.35)	286.76
(v) पूर्वदात व्यय		4.83		1.39
(vi) स्रोत पर कर कटौती सहित अग्रिम आयकर		39.11		28.79
(vii) जमा (असुरक्षित लेकिन अच्छा माना जाता है)				
– सरकारी विभागों के पास		-		-
– परिसरों/अन्य के किराए के लिए				
– अच्छा माना गया	69.88		49.54	
– संदिग्ध माना गया	0.86		0.86	
	70.74		50.40	
– घटाएं: संदिग्ध के लिए प्रावधान जमा	(0.86)	69.88	(0.86)	49.54

15 CURRENT ASSETS - CASH & CASH EQUIVALENTS

Particulars	As on 31-03-2022 (Rs. in Lakhs)	As on 31-03-2021 (Rs. in Lakhs)
Balances with scheduled bank	823.04	768.23
Balances with non- scheduled bank	0.35	0.35
FDR	12,932.60	12,622.20
TOTAL	13,755.99	13,390.78

16 CURRENT ASSETS - SHORT TERM LOANS AND ADVANCES

	Particulars	As on 31-03-2022 (Rs.in Lakhs)		As on 31-03-2021 (Rs.in Lakhs)	
(i)	Secured loans (considered good)				
	- Vehicle loan to staff against hypothecation of vehicles		0.06		0.72
(ii)	Advances (Unsecured)				
	(Recoverable in cash or kind or for value to be received)				
	- Advance to suppliers				
	- Considered good	2,417.01		2,435.15	
	- Considered doubtful	11.22		11.22	
		2,428.23		2,446.37	
	- Less: Provision for doubtful advances	(11.22)	2,417.01	(11.22)	2,435.15
(iii)	Advance to staff				
	- Considered good	17.08		12.12	
	- Considered doubtful	1.26		1.26	
		18.34		13.38	
	- Less: Provision for doubtful advances	(1.26)	17.08	(1.26)	12.12
(iv)	Advance to others				
	- Considered good	680.88		286.76	
	- Considered doubtful	1.35		1.35	
		682.23		288.11	
	- Less: Provision for doubtful advances	(1.35)	680.88	(1.35)	286.76
(v)	Prepaid expenses		4.83		1.39
(vi)	Advance income tax including tax deducted at source		39.11		28.79
(vii)	DEPOSITS (Unsecured but considered good)				
	- With Government departments		-		-
	- For rent of complexes/ others				
	- Considered good	69.88		49.54	
	- Considered doubtful	0.86		0.86	
		70.74		50.40	
	- Less: Provision for doubtful deposits	(0.86)	69.88	(0.86)	49.54

(viii)	प्राप्य				
	– भारत सरकार से सहायता अनुदान के विरुद्ध		1,616.52		1,285.52
	– प्राप्य दावे		40.25		40.25
	– मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स के सापेक्ष बकाया/अन्य				
	– अच्छा माना गया	21.85		21.86	
	– संदिग्ध माना गया	16.64		16.64	
		38.50		38.50	
	– घटाएं: संदिग्ध के लिए प्रावधान प्राप्य	(16.64)	21.85	(16.64)	21.86
(ix)	उपयोगकर्ता एजेंसी से प्राप्य ब्याज				
	आस्थगित उपार्जित ब्याज				
	– अच्छा माना गया	-		-	
	– संदिग्ध माना गया	179.35		179.35	
		179.35		179.35	
	– घटाएं: संदिग्ध के लिए प्रावधान ब्याज	(179.35)	-	(179.35)	-
	कुल		4,907.47		4,162.10

i) संदिग्ध परिसंपत्तियों के प्रावधान का विवरण नीचे दिया गया है:-

(लाख रुपए में)

	विवरण	31-03-2021 के अनुसार शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	कुल	वसूली/समायोजित की गई राशि	वर्ष के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि	31.03.2022 को शेष राशि
क)	आपूर्तिकर्ताओं को संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान।	11.22		11.22	-	-	11.22
ख)	कर्मचारियों को संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान।	1.26	-	1.26	-	-	1.26
ग)	अन्य को संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान।	1.35	-	1.35	-	-	1.35
घ)	संदिग्ध जमाराशियों के लिए प्रावधान।	0.86	-	0.86	-	-	0.86
ङ)	संदिग्ध प्राप्य के लिए प्रावधान।	16.64	-	16.64	-	-	16.64
च)	संदिग्ध आस्थगित उपार्जित ब्याज के लिए प्रावधान।	179.35	-	179.35	-	-	179.35
	कुल	210.69	-	210.69	-	-	210.69

i) कंपनी ने प्रमोटर्स, निदेशकों, केपीएमएस और अन्य संबंधित पक्ष को ऋण के स्वरूप में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है, जो मांग पर या पुनर्भुगतान की अवधि की शर्तों की दृष्टि से निर्दिष्ट किए बिना चुकाए जा सकते हैं।

ii) आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम राशि 2428.23 लाख रुपये (पिछले वर्ष 2446.37 लाख रुपये) में 2157.93 लाख रुपये की राशि शामिल है, जिसमें वर्ष 2017-2018 के लिए यार्न आपूर्ति योजना के तहत 10% यार्न सब्सिडी घटक शामिल है। 2157.93 लाख रुपये की 10% सब्सिडी की राशि (यानी 215.79 करोड़ रुपये का 10%) मार्च, 2018 की बिक्री के लिए) एनएचडीसी को उपयोगकर्ता एजेंसियों से केवल 90% हिस्सा प्राप्त हुआ और आपूर्तिकर्ता मिलों के लिए 100% का भुगतान किया गया। इस

(viii)	RECEIVABLES				
	- From the Government of India against grant-in-aid		1,616.52		1,285.52
	- Claims receivable		40.25		40.25
	- Outstanding against marketing Complex/ others				
	- Considered good	21.85		21.86	
	- Considered doubtful	16.64		16.64	
		38.50		38.50	
	- Less: Provision for doubtful receivables	(16.64)	21.85	(16.64)	21.86
(ix)	Interest outstanding from user Agencies				
	Deferred accrued Interest				
	- Considered good	-		-	
	- Considered doubtful	179.35		179.35	
		179.35		179.35	
	- Less: Provision for doubtful interest	(179.35)	-	(179.35)	-
	TOTAL		4,907.47		4,162.10

i) The details of provision for doubtful assets is placed herein below:-

(Rs. In Lakhs)

Particulars	Balance as on 31-03-2021	Addition during the year	Total	Amount realized/ adjusted	Written off during the year	Balance as on 31-03-2022
a) Provision for doubtful advances to suppliers.	11.22		11.22	-	-	11.22
b) Provision for doubtful advances to staff.	1.26	-	1.26	-	-	1.26
c) Provision for doubtful advances to others.	1.35	-	1.35	-	-	1.35
d) Provision for doubtful deposits.	0.86	-	0.86	-	-	0.86
e) Provision for doubtful receivables.	16.64	-	16.64	-	-	16.64
f) Provision for doubtful deferred accrued interest.	179.35	-	179.35	-	-	179.35
Total	210.69	-	210.69	-	-	210.69

- i) The company has not granted any loan or advance in the nature of loan to promotes, directors, KPMS and other related parties that are repayable on demand or without specified any terms of period of repayment.
- ii) Advances to suppliers amounting to Rs. 2428.23 Lakhs (Previous year Rs.2446.37 Lakhs) including a sum of Rs 2157.93 Lakhs of 10% yarn subsidy component under Yarn Supply Scheme for the year 2017-2018. The amount of 10% subsidy of Rs.2157.93 Lakhs (i.e.10% of Rs.215.79 crore for the sales of March,2018) NHDC received only 90% share from user agencies and paid 100% to the supplier mills. Considering the fact that the Ministry of Textiles, Government of India didn't

तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार मार्च 2018 की सब्सिडी की उपरोक्त राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की, निगम ने आपूर्तिकर्ताओं को जमा सब्सिडी को समायोजित किया है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, उपरोक्त मामला फॉरेंसिक ऑडिटर और सतर्कता विभाग द्वारा जांच के अधीन था। फॉरेंसिक ऑडिटर की रिपोर्ट और सतर्कता जांच प्राप्त हुई है और इसे आगे की कार्रवाई के लिए सीबीआई को भेज दिया गया है। इसके अलावा, इस संबंध में पहले ही प्राप्त सी एंड ए जी की टिप्पणियां वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत कर दी गई हैं। बोर्ड के निदेशक के अनुसार, सोसाइटियों/प्रयोक्ता एजेंसियों और आपूर्तिकर्ताओं से बकाया राशि का पता लगाने के लिए, लेन-देन का 1 अप्रैल 2017 से ऑडिट शुरू किया गया है, इसके पूरा होने पर बोर्ड के निर्देशों के अनुसार रिपोर्ट को प्रस्तुत बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

- iii) अन्य को अग्रिम राशि में, निगम की ग्रेच्युटी निधि के निमित्त भारतीय जीवन बीमा निगम के पास अग्रिम के लिए शून्य रुपये की राशि शामिल है (पिछले वर्ष 13.14 लाख रुपये)।
- iv) 24,28.23 लाख रुपये के आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम (पिछले वर्ष 24,46.37 लाख रुपये) में 7.27 लाख रुपये (पिछले वर्ष 7.27 लाख रुपये) की राशि शामिल हैं, जिसके लिए उपयुक्त न्यायालयों में निगम द्वारा मुकदमा द्वारा दायर किया गया है।
- v) भारत सरकार से प्राप्तियों में सहायता अनुदान के निमित्त 1425.96 लाख रुपये शामिल हैं (पिछले वर्ष 1722.03 लाख रुपये), ये उन घटनाओं के संबंध में, जहां सरकार को दावे प्रस्तुत किए जाने हैं

विवरण	31-03-2021 के अनुसार शेष	वर्ष के दौरान खर्च की गई अतिरिक्त राशि और जमा किया गया यूसी	वर्ष के दौरान समायोजन और जमा की जाने वाली शेष राशि, अनुदान शेष	भारत सरकार से वर्ष के दौरान प्राप्त राशि	31-03-2022 के अनुसार शेष
यार्न आपूर्ति सब्सिडी योजना					
10% हैंक यार्न सब्सिडी	(618.33)	6,160.73		5,515.63	26.77
वाईएसएस दावे (एमजीपीएस)	181.82	2,819.55		2,837.58	163.79
कार्पस सहित अन्य अनुदान	1,722.03	678.83	116.76	1,091.66	1,425.96
कुल	1,285.52	9,659.11	116.76	9,444.87	1,616.52

- v) 179.35 लाख रुपये का दावा प्राप्य (पिछले वर्ष 179.35 लाख रुपये), जो कि आयकर अधिकारियों द्वारा वापस किया जाना है, जिसमें निगम द्वारा पिछले वर्षों की मांग के आधार पर विरोध के तहत बड़ी राशि जमा की गई है।

17 वर्तमान परिसंपत्तियां – अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

	विवरण	31-03-2022 के अनुसार (रु. लाख में)		31-03-2021 के अनुसार (रु. लाख में)	
क)	ब्याज अर्जित किंतु प्राप्त नहीं हुआ		661.80		290.24
ख)	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा कॉर्पस				
	– चिकित्सा कॉर्पस के सापेक्ष एफडीआर	30.16		56.21	
	– शेड्यूल बैंक के साथ शेष चालू खाता	-	30.16	-	56.21
	कुल (क+ख)		691.96		346.45

मदों का अंश और विभाजक सहित सपष्ट अनुपात – पीवाई की तुलना में 25% या उससे अधिक अंतर के कारण

reimburse the aforesaid amount of subsidy of March 2018, Corporation adjusted the subsidy amount by debiting to the suppliers. During PY 2020-21, the aforementioned matter was under investigation by Forensic Auditor & Vigilance department. Reports of the Forensic Auditor and Vigilance probe have been received and the same have been sent to CBI for further necessary action in this regard. Further, comments of C&AG received in this regard have already been submitted to the Ministry of Textiles, Government of India. As per the director of the Board, to ascertain amount outstanding from the societies/user agencies and the suppliers, transaction audit from 1st April 2017 onwards has been initiated, on completion, the report same will be presented to the Board for further necessary directions in this regard.

- iii) Advance to Others include an amount of Rs NIL (Previous Year Rs. 13.14 Lakhs) for advance lying with LIC of India against Gratuity Fund of the corporation.
- iv) Advances to suppliers of Rs. 2,428.23 Lakhs (Previous year Rs. 2,446.37 Lakhs) include a sum of Rs 7.27 Lakhs (Previous year Rs7.27 Lakhs) for which suit have been filed by the Corporation with appropriate courts.
- v) Receivable from Government of India against grant-in-aid includes Rs 1,425.96 Lakhs (Previous year Rs 1,722.03 Lakhs) in respect of events wherein claims are to be submitted to the Government.

Particulars	Balance as on 31-03-2021	Addition, Amount spent during the year & UC submitted	Adjustment during the year & Balance UC to be submitted, Grant Balance	Amount received during the year from Govt. of India	Balance as on 31-03-2022
Yarn Supply Subsidy Scheme/ Raw Material Supply Scheme					
10%/15% Hank Yarn Subsidy	(618.33)	6,160.73		5,515.63	26.77
YSS CLAIMS (MGPS)	181.82	2,819.55		2,837.58	163.79
Other Grants Including Corpus	1,722.03	678.83	116.76	1,091.66	1,425.96
Total	1,285.52	9,659.11	116.76	9,444.87	1,616.52

- v) In respect of Deferred accrued interest for Rs.179.35 Lakhs (Previous year Rs. 179.35 Lakhs) as shown above, the suit has been filed by the corporation with appropriate court.

17 CURRENT ASSETS - OTHER CURRENT ASSETS

	Particulars	Balance as on 31-03-2022 (Rs. In Lakhs)		Balance as on 31-03-2021 (Rs. In Lakhs)	
A)	Interest accrued but not received		661.80		290.24
B)	Post Retirement Medical Corpus				
	-FDR against Medical Corpus	30.16		56.21	
	-Balance with Scheduled Bank in Current Account	-	30.16	-	56.21
	TOTAL (A+B)		691.96		346.45

Ratios with explanation for items included in numerator & denominator - Reasons for 25% or more variation as compared to PY

विवरण	अंश	विभाजक	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार	परिवर्तन का %	परिवर्तन का कारण (अनुपात में कोई भी परिवर्तन सकारात्मक या नकारात्मक 25% से अधिक है)
(क) वर्तमान अनुपात	वर्तमान संपत्ति	वर्तमान में दायित्व	1.18	1.20	1.72%	
(ख) ऋण इक्विटी अनुपात			NA	NA		कोई उधार नहीं। लागू नहीं
(ग) कर्ज सेवा कवरेज अनुपात			NA	NA		कोई उधार नहीं। लागू नहीं
(घ) इक्विटी अनुपात पर रिटर्न	करों के बाद शुद्ध लाभ	औसत शेयरधारक की इक्विटी	-8.24%	-50.69%	83.75%	परिचालन से राजस्व में 40% की वृद्धि और अक्टूबर 2021 से एनएचडीसी सेवा में वृद्धि के कारण। इसलिए पीवाई की तुलना में आरओई में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है
(ङ) इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात,	बेचे गए माल की कीमत	औसत इन्वेंटरी	397.74	348.51	-14.13%	—
(च) व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात,	संचालन से राजस्व	औसत व्यापार प्राप्य	2.58	1.92	-34.14%	परिचालन से राजस्व में 40% की वृद्धि और अक्टूबर 2021 से एनएचडीसी सेवा में वृद्धि के कारण। इसलिए पीवाई की तुलना में व्यापार प्राप्य कारोबार में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है
(ज) व्यापार देय टर्नओवर अनुपात,	व्यापार में स्टॉक की खरीद	औसत व्यापार देय	2.29	1.71	-34.20%	खरीद में 40% की वृद्धि के कारण। इसलिए पीवाई की तुलना में देय व्यापार कारोबार में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है
झ) शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात,	संचालन से राजस्व	शुद्ध पूंजी नियोजित	10.40	7.28	-42.92%	परिचालन से राजस्व में 40% की वृद्धि के कारण। इसलिए पीवाई पर शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है
(त्र) शुद्ध लाभ अनुपात,	करों के बाद शुद्ध लाभ	संचालन से राजस्व	-0.20%	-1.68%	88.36%	परिचालन से राजस्व में 40% की वृद्धि और अक्टूबर 2021 से एनएचडीसी सेवा में वृद्धि के कारण। इसलिए पीवाई की तुलना में निवल लाभ अनुपात में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है
(त) नियोजित पूंजी पर रिटर्न,	ब्याज और करों से पहले कमाई	शुद्ध पूंजी नियोजित	(0.03)	(0.12)	72.50%	परिचालन से राजस्व में 40% की वृद्धि और अक्टूबर 2021 से एनएचडीसी सेवा में वृद्धि के कारण। इसलिए पीवाई पर नियोजित पूंजी पर रिटर्न में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है
(ठ) निवेश पर प्रतिफल।	ब्याज और करों से पहले कमाई	कुल शुद्ध संपत्ति	-2.04%	-12.26%	83.36%	परिचालन से राजस्व में 40% की वृद्धि और अक्टूबर 2021 से एनएचडीसी सेवा में वृद्धि के कारण। इसलिए पीवाई पर नियोजित पूंजी पर रिटर्न में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है

Particulars	Numerator	Denominator	As on 31-03-2022	As on 31-03-2021	% of Variance	Reason for Variance (any change positive or negative in the ratio by more than 25%)
(a) Current Ratio,	Current Assets	Current Liability	1.18	1.20	1.72%	
(b) Debt-Equity Ratio,			NA	NA		No Borrowings. Not applicable
(c) Debt Service Coverage Ratio,			NA	NA		No Borrowings. Not applicable
(d) Return on Equity Ratio,	Net Profit after taxes	Average Shareholder's Equity	-8.24%	-50.69%	83.75%	Due to Increase in Revenue from Operations by 40% and increase NHDC service charges from October 2021 onwards. Hence there is significant improvement in ROE over PY
(e) Inventory turnover ratio,	Cost of goods Sold	Average Inventory	397.74	348.51	-14.13%	-
(f) Trade Receivables turnover ratio,	Revenue from operations	Average trade receivables	2.58	1.92	-34.14%	Due to Increase in Revenue from Operations by 40% and increase NHDC service charges from October 2021 onwards. Hence there is significant improvement in Trade Receivable turnover over PY
(g) Trade payables turnover ratio,	Purchases of stock in trade	Average trade payables	2.29	1.71	-34.20%	Due to Increase in Purchase by 40%. Hence there is significant improvement in Trade Payable turnover over PY
(h) Net capital turnover ratio,	Revenue from operations	Net Capital Employed	10.40	7.28	-42.92%	Due to Increase in Revenue from Operations by 40%. Hence there is significant improvement in Net capital turnover ratio over PY
(i) Net profit ratio,	Net Profit after taxes	Revenue from operations	-0.20%	-1.68%	88.36%	Due to Increase in Revenue from Operations by 40% and increase NHDC service charges from October 2021 onwards. Hence there is significant improvement in Net profit ratio over PY
(j) Return on Capital employed,	Earning before Interest and taxes	Net Capital Employed	(0.03)	(0.12)	72.50%	Due to Increase in Revenue from Operations by 40% and increase NHDC service charges from October 2021 onwards. Hence there is significant improvement in Return on capital employed over PY
(k) Return on investment.	Earning before Interest and taxes	Total net worth	-2.04%	-12.26%	83.36%	Due to Increase in Revenue from Operations by 40% and increase NHDC service charges from October 2021 onwards. Hence there is significant improvement in Return on investment over PY

क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी का विवरण।

वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी ने क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी में व्यापार या निवेश नहीं किया, इसलिए इससे संबंधित खुलासा लागू नहीं होता है।

18 परिचालकों से राजस्व

	विवरण	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)	31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)
(क)	बिक्री कम रिटर्न		
	यार्न – यार्न आपूर्ति योजना/कच्चा माल आपूर्ति योजना	73,147.05	52,143.15
	सामान्य योजना	897.25	524.86
	– रंग और रसायन	5,811.98	4,535.62
	– फ़ैब्रिक	-	-
	कुल (क)	79,856.28	57,203.63
(ख)	यार्न आपूर्ति योजना/कच्चा माल आपूर्ति योजना के तहत व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए सहायता अनुदान		
	यातायात भुगतान	973.73	765.01
	डिपो प्रभार	604.51	706.74
	सेवा शुल्क	1,241.31	677.62
	कुल (ख)	2,819.55	2,149.37
	कुल(क+ख)	82,675.83	59,353.00

- i) यार्न आपूर्ति योजना/कच्चे माल की आपूर्ति योजना के अंतर्गत व्यय की प्रतिपूर्ति के विरुद्ध सहायता अनुदान की राशि रु. 2819.55 लाख (पिछले वर्ष रु. 2149.37 लाख) को सूत की आपूर्ति के लिए उपाजित आधार पर लेखाबद्ध किया गया है। जिनमें से कुल 163.79 लाख रुपये (पिछले वर्ष 181.82 लाख रुपये) के दावे वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक सरकार को प्रस्तुत करने के लिए लंबित हैं।

19 अन्य योजना

	विवरण	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)	31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ	0.80	-
	विविध रसीद/निविदा शुल्क	12.73	9.46
	डिपो शुल्क प्राप्त हुआ	30.35	37.39
	बैंकधवाहन ऋण/अन्य से ब्याज	637.71	728.51
	नकद छूट/कमीशन	0.74	3.95
	प्रावधान देनदारियां/अधिकता के वापस लिखित	-	0.86
	प्रावधान जो अब वापस लिखित को आवश्यकता नहीं है	-	13.58
	कुल	682.33	793.75

The details of crypto currency or virtual currency.

The company did not trade or invest in crypto currency or virtual currency during the financial year hence, disclosure relating to it are not applicable.

18 REVENUE FROM OPERATIONS

	Particulars	For the year ended 31-03-2022 (Rs. In Lakhs)	For the year ended 31-03-2021 (Rs. In Lakhs)
(a)	Sales less returns		
	-Yarn - Yarn Supply Scheme/Raw Material Supply Scheme	73,147.05	52,143.15
	General Scheme	897.25	524.86
	-Dyes & chemicals	5,811.98	4,535.62
	-Fabrics	-	-
	Total (a)	79,856.28	57,203.63
(b)	Grant-in-aid against reimbursement of expenditure under Yarn Supply Scheme/Raw Material Supply Scheme		
	Transportation Charges	973.73	765.01
	Depot Charges	604.51	706.74
	Service charges	1,241.31	677.62
	Total (b)	2,819.55	2,149.37
	TOTAL (a+b)	82,675.83	59,353.00

- i) Grant in aid against reimbursement of expenditure under Yarn Supply Scheme/Raw Material Supply Scheme amounting to Rs 2,819.55 Lakhs (Previous year Rs. 2,149.37 Lakhs) on account of supply of yarn has been accounted for on accrual basis. Out of which, claims totaling Rs.163.79 Lakhs (Previous year Rs.181.82 Lakhs) are pending for submission to the government as at the end of current reporting period.

19 OTHER INCOME

	Particulars	For the year ended 31-03-2022 (Rs. In Lakhs)	For the year ended 31-03-2021 (Rs. In Lakhs)
	Profit on sale of assets	0.80	-
	Miscellaneous receipt/ tender Fees	12.73	9.46
	Depot charges received	30.35	37.39
	Interest from bank/ vehicle loan/ others	637.71	728.51
	Cash discount/ commission	0.74	3.95
	Liabilities/ excess provisions written back	-	0.86
	Provision no longer required written back	-	13.58
	TOTAL	682.33	793.75

20 व्यापारिक में स्टॉक की खरीद

विवरण	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)	31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)
खरीद घटाकर लाभ		
यार्न	74,073.19	52,651.40
रंग एवं रसायन	5,545.75	4,350.93
फैब्रिक्स	-	-
कुल	79,618.94	57,002.33

- i) वर्ष 2021-22 के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) (एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) से खरीदे गए यार्न का मूल्य, पिछले वर्ष 2020-21 के दौरान 24547.91 लाख रुपये (खरीदे गए कुल यार्न का 43.07%)के मुकाबले 30113.97 लाख रुपये (कुल खरीदे गए यार्न का 37.83%) है।

21 परिवहन/डिपो शुल्क

विवरण	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)	31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)
परिवहन शुल्क	973.73	765.01
डिपो शुल्क	604.51	706.74
कुल	1,578.24	1,471.75

- i) यार्न आपूर्ति योजना के अन्तर्गत परिवहन एवं डिपो प्रभारों की राशि 1578.24 लाख रुपये (पिछले वर्ष रु.1471.75 लाख रुपये) सूत की आपूर्ति के मद में प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में ली गई है। जिसमें से, कुल 163.79 लाख रुपये (पिछले वर्ष 181.82 लाख रुपये) के खर्च के दावे वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक सरकार को प्रस्तुत करने के लिए लंबित हैं। प्रयोक्ता एजेंसियों को देय परिवहन एवं डिपो शुल्क का प्रावधान योजना के अनुसार किया गया है।

22 तैयार माल की सूची में परिवर्तन प्रगति पर है और व्यापार में स्टॉक है

(रु. लाख में)

विवरण	आरंभिक स्टॉक 01-04-2021 को	अंतिम स्टॉक 31-03-2022 को	वृद्धि (-)/ कमी (+)
यार्न	160.40	203.76	(43.36)
रंग एवं रसायन	16.85	19.34	(2.49)
फैब्रिक्स	-	-	-
कुल	177.25	223.10	(45.85)

20 PURCHASES OF STOCK IN TRADE

Particulars	For the year ended 31-03-2022 (Rs. In Lakhs)	For the year ended 31-03-2021 (Rs. In Lakhs)
Purchases less returns		
-Yarn	74,073.19	52,651.40
-Dyes & chemicals	5,545.75	4,350.93
-Fabrics	-	-
TOTAL	79,618.94	57,002.33

- i) The value of Yarn procured from Micro and Small Enterprises (MSEs) (including MSEs owned by SC/ST entrepreneurs) during the year 2021-22 is Rs 30,113.97 Lakhs (37.83 % of total yarn procured) as against Rs 24,547.91 Lakhs (43.07 % of total yarn procured) during the previous year 2020-21.

21 TRANSPORTATION/ DEPOT CHARGES

Particulars	For the year ended 31-03-2022 (Rs. In Lakhs)	For the year ended 31-03-2021 (Rs. In Lakhs)
Transportation Charges	973.73	765.01
Depot Charges	604.51	706.74
TOTAL	1,578.24	1,471.75

- i) Transportation and depot charges under Yarn Supply Scheme/Raw Material Supply Scheme amounting to Rs 1578.24 Lakhs (Previous year Rs. 1,471.75 Lakhs) on account of supply of yarn has been accounted for on accrual basis. Out of which, claims for expenses totaling Rs .163.79 Lakhs (Previous year Rs.181.82 Lakhs) are pending for submission to the government as at the end of current reporting period. Provision for transportation and depot charges payable to the user agencies has been made in accordance with the scheme.

22 CHANGES IN INVENTORIES OF FINISHED GOODS WORK IN PROGRESS AND STOCK IN TRADE

Particulars	(Rs. In Lakhs)		
	OPENING STOCK ON 01-04-2021	CLOSING STOCK ON 31-03-2022	INCREASE (-)/ DECREASE (+)
YARN	160.40	203.76	(43.36)
DYES & CHEMICALS	16.85	19.34	(2.49)
FABRICS	-	-	-
TOTAL	177.25	223.10	(45.85)

विवरण	आरंभिक स्टॉक 01-04-2021 को	अंतिम स्टॉक 31-03-2022 को	वृद्धि (-)/ कमी (+)
यार्न	129.53	160.40	(30.87)
रंग एवं रसायन	20.58	16.85	3.73
फैब्रिक्स	-	-	-
कुल	150.11	177.25	(27.14)

23 कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)	31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)
क) वेतन एवं मजदूरी		
वेतन और भत्ता	1,372.57	1,483.62
वेतन और भत्ता (प्रबंध निदेशक)	10.65	-
अवकाश नकदीकरण – उपार्जित अवकाश के प्रावधान सहित	79.92	65.23
अनुग्रह राशि	-	-
बाल शिक्षा की प्रतिपूर्ति	-	-
वाहन प्रतिपूर्ति	-	0.22
भर्ती पर व्यय	0.56	-
वीआर एस मुआवजा	-	236.16
चिकित्सा व्यय	32.93	22.37
कार्मिकों को प्रशिक्षण	5.90	1.46
उप जोड़ (क)	1,502.53	1,809.06
ख) पीएफ एवं अन्य निधि में अंशदान		
सीपीएफ और एफपीएफ/ईडीएलआई योजना/एनपीएस में नियोक्ता का योगदान	153.45	162.28
ग्रेच्युटी	37.04	18.05
उप जोड़ (ख)	190.49	180.33
ग) कर्मचारी कल्याण व्यय		
कर्मचारी कल्याण व्यय (मानदेय, इनाम वर्दी और पोशाक सहित)	28.74	17.53
समूह व्यक्तिगत दुर्घटना और ग्रेच्युटी बीमा	-	-
मृतक कर्मचारी को भुगतान योजना	8.38	9.05
उप जोड़ (ग)	37.12	26.58
जोड़ (क+ख+ग)	1,730.14	2,015.97

क) लेखांकन मानक-15 'कर्मचारी लाभ' के अनुसार, लेखा मानक में परिभाषित कर्मचारी लाभों का प्रकटीकरण नीचे दिया गया है:

Particulars	OPENING STOCK ON 01-04-2021	CLOSING STOCK ON 31-03-2022	INCREASE (-)/ DECREASE (+)
YARN	129.53	160.40	(30.87)
DYES & CHEMICALS	20.58	16.85	3.73
FABRICS	-	-	-
TOTAL	150.11	177.25	(27.14)

23 EMPLOYEE BENEFITS EXPENSES

Particulars	For the year ended 31-03-2022 (Rs. In Lakhs)	For the year ended 31-03-2021 (Rs. In Lakhs)
a) Salary & Wages		
Salary and allowances	1,372.57	1,483.62
Salary and allowances (Managing Director)	10.65	-
Leave encashment-Including provision for accrued leave	79.92	65.23
Ex-Gratia	-	-
Children education reimbursement	-	-
Conveyance reimbursement	-	0.22
Recruitment Expenses	0.56	-
VRS Compensation	-	236.16
Medical expenses	32.93	22.37
Training to personnel	5.90	1.46
Sub Total (a)	1,502.53	1,809.06
b) Contribution to PF & other Fund		
Employers contribution to CPF & FPF/ EDLI scheme/NPS	153.45	162.28
Gratuity	37.04	18.05
Sub Total (b)	190.49	180.33
c) Staff Welfare expenses		
Staff welfare expenses (including honorarium, reward uniform & liveries)	28.74	17.53
Group personal accident and Gratuity insurance	-	-
Payment to Deceased Employee Scheme	8.38	9.05
Sub Total (c)	37.12	26.58
Total (a+b+c)	1,730.14	2,015.97

- a) As per Accounting Standard -15 "Employee Benefits", the disclosures of Employee Benefits as defined in the Accounting Standard is given below:-

परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना में योगदान, जिसे वर्ष के लिए व्यय के रूप में माना गया है, निम्नानुसार है:

विवरण	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)	31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)
सीपीएफ/एफपीएफ/एनपीएस/डीडीई और ईडीएलआई योजनाओं में नियोक्ता का योगदान।	161.83	171.33

निगम की भविष्य निधि को कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 17 के तहत छूट दी गई है। छूट की शर्त यह निर्धारित करती है कि नियोक्ता वैधानिक दर के सापेक्ष ट्रस्ट द्वारा घोषित ब्याज दर में अच्छी कमी, यदि कोई हो, तो करेगा।

ख) वर्ष 2021-22 के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों (केएमपी) को भुगतान किया गया पारिश्रमिक निम्नानुसार है: -
(लाख रुपये में)

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			
		प्रबंध निदेशक	सीएफओ	कंपनी सचिव	कुल
01.	कुल वेतन	10.65	21.97	12.75	45.38
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन				-
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभों का मूल्य				-
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले लाभ				-
02.	स्टॉक विकल्प				-
03.	स्वेट इक्विटी				-
04.	कमीशन				-
	- लाभ के % के रूप में				-
	- अन्य, दर्शाएं				-
05.	अन्य, कृपया दर्शाएं	0.38			0.38
	कुल	11.03	21.97	12.75	45.75
*18.01.2022 से प्रभार संभाला					

23 वित्तीय लागत

विवरण	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)	31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)
बैंक/अन्य को ब्याज	0.12	-
अन्य उधार लागत	-	-
कुल	0.12	-

Defined Contribution Plan

Contribution to Defined Contribution Plan, recognized as expense for the year is as under:

Particulars	For year ended 31-03-2022 (Rs. In Lakhs)	For year ended 31-03-2021 (Rs. in Lakhs)
Employer's contribution to CPF/ FPF/NPS/DDE & EDLI Schemes.	161.83	171.33

Corporation's provident fund is exempted u/s 17 of Employee's Provident Fund Act, 1952. Condition to exemptions stipulates that the employer shall make good deficiency, if any, in the interest rate declared by the trust against the statutory rate.

b) Remuneration paid to Key Managerial Personnels (KMP) during the year 2021-22 is as below:-

(Rs. In Lakhs)

SI No.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel			
		MD*	CFO	Co. Secretary	TOTAL
01.	Gross Salary	10.65	21.97	12.75	45.38
	(a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961				-
	(b) Value of Perquisites u/s 17(2) of Income Tax Act, 1961				-
	(c) Profits in lieu of salary u/s 17(3) of Income Tax Act, 1961				-
02.	Stock Option				-
03.	Sweat Equity				-
04.	Commission				
	- as % of Profit				-
	- others, specify.....				-
05.	Others, please specify - Lease rent	0.38			0.38
	TOTAL	11.03	21.97	12.75	45.75
	* Joined from 18th January 2022				

24 FINANCE COSTS

Particulars	For the year ended 31-03-2022 (Rs. In Lakhs)	For the year ended 31-03-2021 (Rs. In Lakhs)
Interest to bank/ others	0.12	-
Other Borrowing cost	-	-
Total	0.12	-

25 अन्य व्यय

	विवरण	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)	31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)
(क)	प्रशासनिक व्यय		
	यात्रा व्यय	45.20	27.53
	लेखा परीक्षकों को भुगतान	5.62	3.44
	बोर्ड बैठक खर्च (बैठक शुल्क)	3.93	0.55
	किताबें और पत्रिकाएं	0.36	0.24
	वाहन व्यय	14.21	17.83
	बिजली/पानी शुल्क	20.96	23.18
	बीमा	4.82	5.18
	कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	62.18	36.08
	सदस्यता शुल्क और सब्सक्रिप्शन (अंशदान)	0.45	0.13
	कार्यालय रखरखाव	11.25	11.71
	प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	15.05	10.43
	डाक/टेलीग्राम/टेलीफोन और टेलेक्स	20.36	23.37
	किराया, दरें और कर (वसूली का शुद्ध)	152.67	144.47
	मरम्मत एवं रखरखाव	18.45	6.97
	सेवा वाहन व्यय	28.98	13.29
	सुरक्षा व्यय	70.91	58.47
	विविध व्यय	1.24	0.13
	कुल (क)	476.64	383.00

i) लेखापरीक्षकों को किया गया भुगतान इस प्रकार है:-

	लेखा परीक्षा शुल्क	4.97	2.89
	अन्य क्षमता	0.65	0.55
	कुल	5.62	3.44

(ख) व्यापार

	विवरण	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)	31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)
	विज्ञापन एवं प्रचार	3.09	2.39
	व्यवसाय संवर्धन	34.12	26.55
	रियायत,कमीशन एवं छूट	1.95	2.95
	बैंक शुल्क	0.95	0.68
	भाड़ा एवं अन्य शुल्क	44.74	45.96
	बैठक व्यय	2.56	1.71
	सॉफ्टवेयर कार्यान्वयन/रखरखाव खर्च	62.21	50.13
	डाटा एंट्री शुल्क	35.06	30.82
	कुल (ख)	184.68	161.19
	कुल (क+ख)	661.32	544.19

25 OTHER EXPENSES

	Particulars	For the year ended 31-03-2022 (Rs. In Lakhs)	For the year ended 31-03-2021 (Rs. In Lakhs)
(a)	ADMINISTRATIVE EXPENSES		
	Travelling expenses	45.20	27.53
	Payment to auditors	5.62	3.44
	Board meeting expenses (Sitting fees)	3.93	0.55
	Books & periodicals	0.36	0.24
	Conveyance expenses	14.21	17.83
	Electricity/water charges	20.96	23.18
	Insurance	4.82	5.18
	Legal & professional charges	62.18	36.08
	Membership fees & subscription	0.45	0.13
	Office upkeep	11.25	11.71
	Printing & stationery	15.05	10.43
	Postage/telegram/telephone & telex	20.36	23.37
	Rent, rates & taxes (net of recoveries)	152.67	144.47
	Repair & maintenance	18.45	6.97
	Service vehicle expenses	28.98	13.29
	Security expenses	70.91	58.47
	Miscellaneous expenses	1.24	0.13
	TOTAL (a)	476.64	383.00

i) Payment made to auditors is as below:-

Audit Fee	4.97	2.89
Other Capacity	0.65	0.55
TOTAL	5.62	3.44

(b) TRADE

Particulars	For the year ended 31-03-2022 (Rs. In Lakhs)	For the year ended 31-03-2021 (Rs. In Lakhs)
Advertisement & publicity	3.09	2.39
Business promotion	34.12	26.55
Discount, commission & rebate	1.95	2.95
Bank charges	0.95	0.68
Freight & other charges	44.74	45.96
Meeting expenses	2.56	1.71
Software implementation/ maintenance expenses	62.21	50.13
Data entry charges	35.06	30.82
TOTAL (b)	184.68	161.19
TOTAL (a+b)	661.32	544.19

- i) व्यावसायिक प्रचार व्यय में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृत बजट के अलावा प्रदर्शनी और अन्य आयोजनों/गतिविधियों पर किए गए खर्च शामिल हैं।

26 असाधारण मदें

	विवरण	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)	31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)
क)	प्रावधान, बढ़ा खाता आदि		
	परिसंपत्तियों की बिक्री पर हानि	-	-
	संदिग्ध देनदारों के लिए प्रावधान	2.09	22.91
	बढ़ा खाता देनदार	-	-
	आपूर्तिकर्ता को संदिग्ध अग्रिमों का प्रावधान	-	-
	उप जोड़	2.09	22.91
ख)	पूर्व अवधि समायोजन	-	-
	कुल (क+ख+ग)	2.09	22.91

27 नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय

	विवरण	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)	31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)
	नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय	-	-
	कुल	-	-

जब कंपनी धारा 135 के तहत कवर की जाती है तो उसका प्रकटीकरण

क)	वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि	शून्य
ख)	पूर्व वर्ष की अप्रयुक्त अग्रेषित राशि (अतिरिक्त खर्च)	शून्य
ग)	किए गए खर्च की राशि	शून्य
घ)	वर्ष के अंत में कमी (प्रयुक्त की गयी अग्रेषित अधिक राशि)	शून्य
ङ)	पिछले वर्ष की कुल कमी	शून्य
च)	कमी के कारण	लागू नहीं
छ)	सीएसआर गतिविधियों का स्वरूप	शून्य
ज)	पार्टी लेनदेन से संबन्धित ब्योरा – एएस के अनुसार कंपनी द्वारा नियंत्रित ट्रस्ट के लिए अंशदान	लागू नहीं
झ)	जहां उपगत दायित्व से प्रावधान किया जाता है, वर्ष के दौरान प्रावधान में परिवर्तन दिखाया जाना चाहिए	

- i) Business promotion expenses includes expenses incurred on exhibition and other events/ activities over and above the sanctioned budget during the current financial year.

26 EXCEPTIONAL ITEMS

	Particulars	For the year ended 31-03-2022 (Rs. In Lakhs)	For the year ended 31-03-2021 (Rs. In Lakhs)
a)	PROVISION, WRITE OFF ETC.		
	Loss on sale of assets	-	-
	Provision for doubtful debtors	2.09	22.91
	Write off debtors	-	-
	Provision for doubtful advances to supplier	-	-
	Sub Total	2.09	22.91
b)	Prior Period Adjustments	-	-
	Total (a+b+c)	2.09	22.91

27 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EXPENSES

Particulars	For the year ended 31-03-2022 (Rs. In Lakhs)	For the year ended 31-03-2021 (Rs. In Lakhs)
Expenses on Corporate Social Responsibility	-	-
Total	-	-

When the company is covered under section 135 disclosure of:

- | | | |
|----|---|-----|
| a. | Amount required to be spent during the year | Nil |
| b. | Amount unspent (excess spent) carried forward from earlier year | Nil |
| c. | Amount of expenditure incurred | Nil |
| d. | Shortfall at the end of the year (excess amount spent carried forward) | Nil |
| e. | Total of previous years shortfall | Nil |
| f. | Reason for shortfall | NA |
| g. | Nature of CSR activities | Nil |
| h. | Details of related party transactions, - contribution to trust controlled by Co as per AS | NA |
| i. | Where a provision is made w.r.t liability incurred, the movement in provision during the year should be shown separately. | |

विवरण	मौजूदा वर्ष के दौरान भुगतान	अभी भुगतान किया जाना है	कुल
	शून्य	-	शून्य
कुल	-	-	-

28 कर व्यय-वर्तमान कर

विवरण	31-03-2022 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)	31-03-2021 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. लाख में)
मौजूदा वर्ष के लिए आयकर	-	-
पिछले वर्ष के लिए आयकर	-	-
कुल	-	-

- 29 बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है
- 30 कंपनी के पास उपलब्ध जानकारी पर विचारते हुये कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत कंपनी के साथ कोई लेन-देन नहीं किया गया था।
- 31 कंपनी के पास कोई परेंट कंपनी नहीं है और तदनुसार कंपनी नियम 2017 (प्रतिबंध परतों की संख्या) के साथ पठित अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के तहत निर्धारित परतों की संख्या का अनुपालन इस वर्ष के लिए लागू नहीं है।
- 32 वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित व्यवस्था की कोई योजना नहीं है।
- 33 कंपनी ने इस समझ के साथ (चाहे वह लिखित रूप में दर्ज हो या अन्य बातों के साथ) किसी अन्य व्यक्ति या विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थ) के लिए न तो अग्रिम किया है, न ही ऋण लिया है और न ही निवेश किया है (या तो उधार लिया गया धन या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधि का प्रकार) कि मध्यस्थ (i) कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचान किए गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश (अंतिम लाभार्थी) या (ii) अंतिम लाभार्थियों के लिए या उनकी ओर से कोई गारंटी सुरक्षा प्रदान करना।
- 34 कंपनी के पास कोई ऐसा लेन-देन नहीं है जो किसी वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में आय के रूप में आत्मसमर्पण या खुलासा किए गए खातों की किताबों में दर्ज नहीं किया गया है।

35 अन्य टिप्पणियां

1 आकस्मिक देनदारियां और प्रतिबद्धताएं:-

- (क) प्रतिबद्ध देनदारियां :-
- (क) वित्त वर्ष 2010-11 के लिए निर्धारण प्राधिकारी बिक्री कर कार्यालय लखनऊ द्वारा 95.21 लाख रुपये की मांग के सापेक्ष सहायक आयुक्त बिक्री कर वाराणसी के पास एक अपील लंबित है। बिक्री कर केस 2010-11 6.90 लाख रुपये के निपटारण और वित्त वर्ष 2021-22 में बंद कर दिया गया है और बिक्री कर का वर्ष 2014-15 तक आंकलन किया जा चुका है।

(Rs. In Lakhs)

Particulars	Paid during current year	Yet to be paid	Total
	Nil	-	Nil
Total	-	-	-

28 TAX EXPENSES - Current Tax

Particulars	For the year ended 31-03-2022 (Rs. In Lakhs)	For the year ended 31-03-2021 (Rs. In Lakhs)
Income Tax for Current year	-	-
Income Tax for earlier year	-	-
Total	-	-

- 29 There is no proceeding initiated or are pending against the company for holding any benami Property under the Benami transaction (prohibition) act, 1988 (45 of 1988) and rules made there under.
- 30 The company did not have any transaction with company struck off under section 248 of Company act, 2013 or section 560 of Company act, 1956 considering the information available with the company.
- 31 The company does not have any parent company and accordingly, compliance with the number of layers prescribed under clause (87) of section 2 of the act, read with Company (restriction on number of layers) Rules, 2017 is not applicable for the year under consideration.
- 32 There are no schemes of arrangements approved by the Competent Authority in terms of section 230 of the Company act, 2013 during the year.
- 33 The company has not advanced or loaned or invested funds (either borrowed funds or share premium or any other sources or kind of funds) to any other person(s) or entity (ies) including foreign entities (intermediaries) with the understanding (whether recorded in writing or otherwise) that the intermediary shall (i) directly or indirectly lend or invest in other persons or entities identified in any manner whatsoever by or on behalf of the company (Ultimate Beneficiaries) or (ii) provide any guarantee security or the like to or on behalf of the Ultimate Beneficiaries.
- 34 The Company does not have any transaction which are not recorded in the books of accounts that has been surrendered or disclosed as income in the tax assessments under the Income Tax Act, 1961 during any of the years.

35 OTHER NOTES**1 CONTINGENT LIABILITIES & COMMITMENTS :-**

(A) Contingent Liabilities:-

- (a) Sales tax-An appeal is pending with Assistant Commissioner Sales Tax Varanasi against demand raised for Rs. 95.21 Lakhs by assessing authority sales Tax office Lucknow for the F.Y. 2010-2011 (Previous year- Nil), Sales tax case for FY 2010-11 closed in FY 2021-22 demand settled amounting to Rs. 6.90 Lakhs and Sales tax Assessment till F.Y 2014-15 completed.

(ख) निगम के सापेक्ष दावों/मांगों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया।

- (i) आपूर्तिकर्ताओं द्वारा 293000 रुपये (पिछले वर्ष 293000 रुपये) दावा किए गए बकाया पर ब्याज
- (ii) कंपनी के सापेक्ष कोर्ट केस – शून्य रुपये (पिछले वर्ष शून्य)
- (iii) मैसर्स यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पक्ष में जारी बैंक गारंटी – 200000 रुपये (पिछले वर्ष 200000 रुपये)।
- (iv) लखनऊ विकास प्राधिकरण सामान्य सेवा शुल्क– 4577446 रुपये (पिछले वर्ष 4577446 रुपये) बहुत लंबी अवधि से बकाया है। 31 मार्च 2021 को अधिक आकस्मिक देयता और भी हो सकती है

(ख) प्रतिबद्धता:—

- 1 चूंकि संबंधित बिक्री कर प्राधिकारियों द्वारा निर्धारण को अंतिम रूप दिए जाने तक राशि का पता लगाने योग्य नहीं है, इसलिए सूत, रंग और रसायन और फैब्रिक की बिक्री के संबंध में केंद्रीय और विभिन्न राज्य बिक्री कर अधिनियमों के प्रावधान के तहत बिक्री कर देयता और जीएसटी, यदि कोई हो, का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- 2 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III भाग II के अनुसार अतिरिक्त जानकारी:—

क) उत्पादन की लाइसेंस प्राप्त और स्थापित क्षमता – लागू नहीं।

ख) प्रारंभिक स्टॉक, खरीद, बिक्री और अंतिम स्टॉक के संबंध में मात्रा संबंधी जानकारी निम्नानुसार है: —

क्रम सं.	विवरण	यार्न		रंग एवं रसायन		फैब्रिक	
		यूनिट लाख में	मूल्य लाख में	यूनिट लाख में	मूल्य लाख में	यूनिट लाख में	मूल्य लाख में
1	प्रारंभिक स्टॉक – मौजूदा वर्ष	0.32	160.41	0.27	16.85		
	– पिछले वर्ष	0.26	129.53	0.29	20.34		
2	खरीद – मौजूदा वर्ष	245.02	74,073.19	38.47	5,545.75		-
	– पिछले वर्ष	218.14	52,651.40	35.15	4,350.93		-
3	बिक्री – मौजूदा वर्ष	245.11	74,044.30	38.50	5,811.99		-
	– पिछले वर्ष	218.09	52,668.00	35.16	4,535.62		-
4	अंतिम स्टॉक – मौजूदा वर्ष	0.23	203.76	0.25	19.34		
	– पिछले वर्ष	0.32	160.41	0.27	16.85		

ग) सीआईएफ के आधार पर आयात का मूल्य (i) रंगों और रसायनों के संबंध में शून्य रुपये है। (पिछले वर्ष शून्य) और (ii) कच्चे माल (iii) घटकों और स्पेयर पार्ट्स (iv) पूंजीगत सामान के संबंध में रु. शून्य (पिछले वर्ष – शून्य रु.)।

घ) विदेशी मुद्रा में आय–शून्य (पिछले वर्ष – शून्य रु.)।

ङ) विदेशी मुद्रा में किया गया व्यय – शून्य (पिछले वर्ष – शून्य रु.)।

च) आयातित कच्चे माल, स्पेयर पार्ट्स और खपत किए गए घटकों का मूल्य – शून्य रु. (पिछले वर्ष – शून्य रु.)।

- (b) Claims/ demands against the corporation not acknowledged as debts.
- Interest on outstanding claimed by the suppliers Rs 2,93,000 (Previous year Rs.2,93,000)
 - Court cases against the company - Rs. Nil (Previous year Nil)
 - Bank guarantee issued in favour of M/s U P Pollution Control Board - Rs 2,00,000 (Previous year Rs.2,00,000).
 - Lucknow Development Authority common service charges- Rs45,77,446.(Previous Year Rs. 45,77,446) since this is from long period. There may be more contingent liability as on 31st March 2021

(B) Commitment:-

- Since the amount is not ascertainable pending finalization of assessment by the concerned sales tax authorities, no provision for sales tax liability & GST, if any, under the provision of Central and various State Sales Tax Acts has been made in respect of sales of yarn, dyes & chemicals and fabrics.
- Additional information pursuant to Schedule III Part II to the Companies Act, 2013:-

A) Licensed and installed capacity of production - Not applicable.

B) Quantitative information in respect of Opening Stock, Purchases, Sales and Closing stock are as under:-

Sl. No.	Particulars	YARN		DYES & CHEMICAL		FABRIC	
		Unit in Lakhs	Rs. In Lakhs	Unit in Lakhs	Rs. In Lakhs	Unit in Lakhs	Rs. In Lakhs
1	Opening Stock - Current Year	0.32	160.41	0.27	16.85		
	- Previous Year	0.26	129.53	0.29	20.34		
2	Purchase - Current Year	245.02	74,073.19	38.47	5,545.75		-
	- Previous Year	218.14	52,651.40	35.15	4,350.93		-
3	Sale - Current Year	245.11	74,044.30	38.50	5,811.99		-
	- Previous Year	218.09	52,668.00	35.16	4,535.62		-
4	Closing Stock - Current Year	0.23	203.76	0.25	19.34		
	- Previous Year	0.32	160.41	0.27	16.85		

- C)** Value of Import on CIF basis in respect of (i) Dyes & chemicals is Rs. Nil (Previous year Rs.Nil) and in respect of (ii) Raw Material (iii) Components & spare parts (iv) Capital goods is Rs. Nil (Previous year – Rs. Nil).
- D)** Earnings in Foreign Currency – Rs. Nil (Previous Year- Rs.Nil).
- E)** Expenditure incurred in foreign Currency - NIL (Previous year - Rs. Nil).
- F)** Value of imported raw material, spare parts and components consumed - Rs. Nil (Previous year - Rs. Nil).

3 लेखा मापदंड-17 की आवश्यकताओं के अनुसार, अर्थात आईसीएआई द्वारा जारी किए गए सेगमेंट रिपोर्टिंग, यार्न, रंग एवं रसायन और फ़ैब्रिक्स से युक्त रिपोर्टिंग सेगमेंट के रूप में गतिविधिवार वित्तीय जानकारी निम्नानुसार है:-

(राशि लाख में)

	विवरण	यार्न	रंग एवं रसायन	फ़ैब्रिक्स	कुल
क)	प्राथमिक सूचना				
1	खंड-वार राजस्व	74,044.30	5,811.99	-	79,856.28
2	खंड-वार परिणाम	83.35	191.60	-	274.95
3	अनावंटित ओवरहेड	-	-	-	1,220.90
4	बैंक एवं अन्य से ब्याज	-	-	-	637.92
5	अन्य आय	-	-	-	44.41
6	अवधि पूर्व समायोजन	-	-	-	-
7	सीएसआर व्यय				-
8	कर पूर्व लाभ	-	-	-	(263.62)
9	पिछले वर्ष के समायोजन सहित कर का प्रावधान	-	-	-	-
10	आस्थगित कर	-	-	-	107.08
11	कर पश्चात लाभ	-	-	-	(156.54)
12	खंड-वार परिसंपत्तियां	38,371.33	278.31	143.44	38,793.08
13	गैर-आवंटित नैगमिक परिसंपत्तियां (वित्तीय परिसंपत्ति सहित)।	-	-	-	21,617.39
14	कुल परिसंपत्तियां				60,410.47
15	खंड-वार देनदारियों में बैंक से उधार लेना शामिल है	38,371.33	278.31	143.44	38,793.08
16	गैर-आवंटित नैगमिक देनदारियां (बैंक उधार सहित)	-	-	-	21,617.39
17	कुल देनदारियां				60,410.47
18	खंड-वार अवमूल्यन	25.05	0.02	-	76.78

टिप्पणी:- i. खंड-वार राजस्व में कोई अंतर सेगमेंट लेनदेन नहीं है।

(राशि रु. में)

ख)	द्वितीयक सूचना	क्षेत्र का नाम	सेगमेंट राजस्व
1	उस खंड के लिए भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार खंड राजस्व जिसका राजस्व सभी भौगोलिक क्षेत्रों के कुल राजस्व का 10% या अधिक है।	क्षे. का. कोयंबटूर	29,353.51
		क्षे. का. हैदराबाद	12,795.72
		क्षे. का. बंगलुरु	10,331.94
		क्षे. का. पानीपत	9,906.51
		क्षेत्र का नाम	संपत्ति
2	उस खंड की संपत्ति की भौगोलिक स्थिति के आधार पर संपत्ति का सेगमेंट जिसकी संपत्ति सभी भौगोलिक क्षेत्रों की कुल संपत्ति का 10% या अधिक है।	क्षे. का. वाराणसी	26,989.48

- 3 In accordance with the requirements of AS-17, i.e. Segment Reporting as issued by ICAI, Activity wise financial information as reporting segments consisting of Yarn, Dyes & Chemicals and Fabrics is as under:-

(Rs. In Lakhs)

	Particulars	Yarn	Dyes & Chemicals	Fabrics	Total
A)	Primary information				
1	Segment wise Revenue	74,044.30	5,811.99	-	79,856.28
2	Segment wise Results	83.35	191.60	-	274.95
3	Unallocated overheads	-	-	-	1,220.90
4	Interest from Bank & others	-	-	-	637.92
5	Other Income	-	-	-	44.41
6	Prior period adjustments	-	-	-	-
7	CSR Expenditure				-
8	Profit before tax	-	-	-	(263.62)
9	Provision for Tax including earlier year adjustments	-	-	-	-
10	Deferred tax	-	-	-	107.08
11	Profit after tax	-	-	-	(156.54)
12	Segment-wise assets	38,371.33	278.31	143.44	38,793.08
13	Unallocable Corporate Assets (Including Financial Assets).	-	-	-	21,617.39
14	Total Assets				60,410.47
15	Segment wise liabilities includes Bank Borrowing	38,371.33	278.31	143.44	38,793.08
16	Unallocable Corporate liabilities (Including Bank Borrowings)	-	-	-	21,617.39
17	Total liabilities				60,410.47
18	Depreciation segment-wise	25.05	0.02	-	76.78

Notes:- i. There is no inter segment transaction in segment-wise revenue.

(Rs. In Lakhs)

B)	Secondary Information	Name of the Region	Segment Revenue
1	Segment Revenue by geographical area for the segment whose revenue is 10% or more of total revenue of all geographical segments.	RO Coimbatore	29,353.51
		RO Hyderabad	12,795.72
		RO Bengaluru	10,331.94
		RO Panipat	9,906.51
		Name of the Region	Assets
2	Segment assets by geographical location of assets of the segment whose assets are 10% or more of total assets of all geographical segments.	RO Varanasi	26,989.48

		क्षेत्र का नाम	फिक्स संपत्ति में वृद्धि
3	उस खंड के लिए अचल संपत्तियों में वृद्धि जहां संपत्ति सभी भौगोलिक क्षेत्रों की कुल संपत्ति का 10% या अधिक है।	शून्य	शून्य

- वर्तमान समीक्षावधि को समाप्त वर्ष के लिए नोट 1 से 35 और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तुलन-पत्र के अंत में जुड़ी है एवं लाभ और हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन और नकदी प्रवाह का विवरण, उस वर्ष की अंतिम तिथि के खातों का एक अभिन्न अंग है।
- पिछले वर्ष के आँकड़ों को वर्तमान वर्ष के आँकड़ों के साथ तुलनीय बनाने के लिए जहाँ कहीं आवश्यक हो, पुनः कास्ट/पुनः समूहित किया गया है।
- आंकड़े को निकटतम रुपये में पूर्णांकित किया गया है।

पुनर्वर्गीकरण की प्रकृति	पुनर्वर्गीकृत प्रत्येक मद की मात्रा		पुनर्वर्गीकरण का कारण
	31.03.2022 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार	
अब तक, अन्य चालू वित्तीय देनदारियों में दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता को शामिल किया गया था। अनुसूची iii में संशोधनों के तहत आवश्यकता के अनुसार इसे 'अल्पकालिक उधारी' के तहत एक अलग लाइन के रूप में पेश किया गया है और पिछले वर्ष के आंकड़े को फिर से स्पष्ट किया गया है।	लागू नहीं	लागू नहीं	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची iii में संशोधनों द्वारा अपेक्षित
पहले लीज देनदारियां अन्य वित्तीय देनदारियों के हिस्से के रूप में प्रस्तुत की गई थीं, हालांकि अनुसूची पपप में संशोधनों के तहत आवश्यकता के अनुसार, इसे 'वित्तीय देनदारियों' के तहत बैलेंस शीट के चेहरे पर अलग-अलग लाइन आइटम के रूप में प्रस्तुत किया गया है और पिछले वर्ष के आंकड़े को तदनुसार संशोधित किया गया है।	लागू नहीं	लागू नहीं	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची iii में संशोधनों द्वारा अपेक्षित

ह/-
जितेंद्र वी. पुरोहित
उप महाप्रबंधक
(वित्त एवं लेखा/सी.एफ.ओ)

ह/-
रीता प्रेम हेमराजानी
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन - 0009478824

ह/-
संजय रस्तोगी
अध्यक्ष
डीआईएन सं. - 07722405

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते वेद एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11 अक्टूबर, 2022

ह/-
भागीदार : पूजा गोयल
स. नं. 098551
एफ.आर.नं. 012019N

		Name of the Region	Addition to Fixed Assets
3	Additions to fixed assets for the segment where assets are 10% or more of the total assets of all geographical segments.	NIL	NIL

- 4 Note 1 to 35 and significant Accounting Policies annexed to Balance sheet as at the end of current reporting period and Statement of Profit and Loss, Change in Equity and Cash Flow for the year ended on that date form an integral part of Accounts.
- 5 The figures of previous year have been re-casted/ re-grouped wherever necessary to render them comparable with the figures of current year.
- 6 Figures have been rounded off to the nearest rupees .

Nature of reclassification	Amount of each item reclassified		Reason for the reclassification
	As at March 31, 2022	As at March 31, 2021	
Hitherto, Current maturities of long term borrowings was included in Other Current Financial Liabilities. As per the requirement under amendments to Schedule III, the same has been presented under "Short Term Borrowings" as a separate line and previous year figure has been reclassified.	NA	NA	As required by Amendments to Schedule III to the Companies Act, 2013
Earlier Lease Liabilities were presented as part of Other Financial Liabilities, however as per the requirement under amendments to Schedule III, the same has been presented as separate line item on the face of Balance Sheet under the head "Financial Liabilities" after Borrowings and previous year figure has been reclassified accordingly.	NA	NA	As required by Amendments to Schedule III to the Companies Act, 2013

Jitendra V Purohit
DGM(F&A)/CFO

Rita Prem Hemrajani
Managing Director
DIN No. - 0009478824

Sanjay Rastogi
Chairman
DIN No. - 07722405

As per our Report of even date
For Ved and Company
Chartered Accountants

Place: New Delhi
 Date: 11 October, 2022

Partner : Pooja Goel
 M.No. : 098551
 F.R.No. : 012019N

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण'

(राशि रु. में)

	विवरण	2021-22	2020-21
(क)	प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
	कर पूर्व लाभ	(263.62)	(981.28)
	समायोजन :		
i	मूल्यहास	76.78	98.02
ii	विकासत्मक गतिविधियों पर व्यय/संबंधित निधि पर प्रभारित चिकित्सा कोष	(26.05)	(19.87)
iii	वर्ष के दौरान वापस लिखा गया प्रावधान	0.00	(14.44)
iv	बैंक/वाहन ऋण/अन्य से ब्याज	(637.71)	(728.51)
v	संपत्ति की बिक्री से लाभ	(0.80)	-
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	(851.40)	(1,646.07)
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन (नकद और बैंक शेष को छोड़कर)		
	वृद्धि/कमी:		
i	मालसूची	(45.85)	(27.38)
ii	बुक-ऋण	(1,681.31)	(742.52)
iii	ऋण एवं अग्रिम	(728.85)	(17.61)
iv	प्राप्य	(351.70)	998.59
v	व्यापार एवं अन्य देयता	3,403.03	173.81
	प्रचालनों से प्राप्त नकद	(256.09)	(1,261.18)
	घटाएं : प्रदत्त आय कर'	(10.32)	(16.29)
	परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (क)	(266.41)	(1,277.47)
(ख)	निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
i	अचल संपत्तियों की बिक्री	1.38	-
ii	अचल संपत्तियों/डब्ल्यूआईपी में वृद्धि	(7.46)	(5.77)
iii	बैंक/वाहन ऋण/अन्य से ब्याज	637.71	728.51
	निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (ख)	631.63	722.74
(ग)	वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
i	लाभांश का भुगतान	-	-
	वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (ग)	-	-
(घ)	नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध परिवर्तन (क+ख+ग)	365.22	(554.74)
(ड.)	नकद और नकद समकक्ष-प्रारंभिक शेष राशि	13,390.77	13,945.51
(च)	कुल	13,755.99	13,390.78
(छ)	नकद और नकद समतुल्य- अंतिम शेष	13,755.99	13,390.78
	नकद और नकद समकक्ष प्रदर्शित करते हैं:		
1	रोकड़ शेष	-	-
2	चालू और सावधि जमा खाते में बैंकों में शेष राशि	13,755.99	13,390.78
	कुल	13,755.99	13,390.78

टिप्पणी: 1. आईसीआई द्वारा जारी एस-3 में निर्धारित अप्रत्यक्ष पद्धति के तहत नकद प्रवाह विवरण तैयार किया गया है।

2. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां कहीं लागू हो पुनर्वर्गीकृत/पुनः वर्गीकृत किया गया है।

ह/-
जितेंद्र वी. पुरोहित
उप महाप्रबंधक
(वित्त एवं लेखा/सी.एफ.ओ)

ह/-
रीता प्रेम हेमराजानी
प्रबन्ध निदेशक
डीआईएन - 0009478824

ह/-
संजय रस्तोगी
अध्यक्ष
डीआईएन सं. - 07722405

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते वेद एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11 अक्टूबर, 2022

ह/-
भागीदार : पूजा गोयल
स. नं. 098551
एफ.आर.नं. 012019N

NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LTD
CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2022

(Amount In Rs.)

	PARTICULARS	2021-22	2020-21
(A)	CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
	Profit before tax	(263.62)	(981.28)
	Adjustments :		
i	Depreciation	76.78	98.02
ii	Expenditure on developmental activities/medical corpus charged to relevant fund	(26.05)	(19.87)
iii	Provision written back during the year	0.00	(14.44)
iv	Interest from bank/ vehicle loan/ others	(637.71)	(728.51)
v	Profit on Sale of Assets	(0.80)	-
	OPERATING PROFIT BEFORE WORKING CAPITAL CHANGES	(851.40)	(1,646.07)
	CHANGES IN WORKING CAPITAL		
	(Excluding Cash & Bank Balances)		
	Increase/Decrease in:		
i	Inventories	(45.85)	(27.38)
ii	Book-debts	(1,681.31)	(742.52)
iii	Loans & Advances	(728.85)	(17.61)
iv	Receivables	(351.70)	998.59
v	Trade & other Payables	3,403.03	173.81
	Cash Generated from Operations	(256.09)	(1,261.18)
	Less : Income Tax paid	(10.32)	(16.29)
	NET CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES (A)	(266.41)	(1,277.47)
(B)	CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
i	Sale of Fixed Assets	1.38	-
ii	Addition to Fixed Assets/W.I.P	(7.46)	(5.77)
iii	Interest from bank/ vehicle loan/ others	637.71	728.51
	NET CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES (B)	631.63	722.74
(C)	CASH FLOW FROM FINANCIAL ACTIVITIES		
i	Payment of Dividend	-	-
	NET CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES (C)	-	-
(D)	NET CHANGES IN CASH AND CASH EQUIVALENT (A+B+C)	365.22	(554.74)
(E)	CASH AND CASH EQUIVALENT- OPENING BALANCE	13,390.77	13,945.51
(F)	TOTAL	13,755.99	13,390.78
(G)	CASH AND CASH EQUIVALENT- CLOSING BALANCE	13,755.99	13,390.78
	Cash & Cash Equivalent represent :		
1	Cash in Hand	-	-
2	Balance with Banks in Current & Fixed deposit Account	13,755.99	13,390.78
	Total	13,755.99	13,390.78

Notes : 1 Cash flow statement has been prepared under the indirect method as set out in the AS-3, issued by the ICAI.

2 Previous year's figures have been regrouped/ re-classified wherever applicable.

Jitendra V Purohit
DGM(F&A)/CFO

Rita Prem Hemrajani
Managing Director
DIN No. - 0009478824

Sanjay Rastogi
Chairman
DIN No. - 07722405

As per our Report of even date
For Ved and Company
Chartered Accountants

Place: New Delhi
Date: 11 October, 2022

Partner : Pooja Goel
M.No. : 098551
F.R.No. : 012019N

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, लखनऊ
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

(क) इक्विटी शेयर पूंजी		(राशि रु. में)	
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि	
190000000	-	190000000	

(ख) अन्य इक्विटी		(राशि रु. में)	
लंबित आर्टन में शेयर आवेदन की धनराशि	मिश्रित वित्तीय साधनों का इक्विटी घटक	रिजर्व और शेष	कुल
		पूंजी रिजर्व	
		प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व	
		विकास क्रियाकलाप और विक्रिसा कार्पस के लिए अन्य रिजर्व (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	
		प्रतिधारित आय	
		अन्य व्यापक आय के माध्यम से ऋण साधन प्रभावी भाग	
		पुनर्मुल्यांकन अधिशेष	
		विदेशी परिवालन के वित्तीय विकरणों का परिवर्तित करने पर लेनिमय मतभेद	
		अन्य व्यापक आय की अन्य मदें (प्रकृति निर्दिष्ट करें)	
		शेयर वारंट के विरुद्ध प्राप्त धन	
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि		80.83	5,877.93
पूर्व अवधि की त्रुटियों की लेखा नीति में परिवर्तन		-	-
रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्निर्धारित शेष राशि		-	-
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय		-	-
लामांश		-	-
प्रतिधारित आय में स्थानांतरण		2.47	(156.55)
कोई अन्य परिवर्तन (निर्दिष्ट किया जाना है)		28.52	-
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष राशि		54.77	5,721.38

ह/-
जितेंद्र वी. पुरोहित
उप महाप्रबंधक
(वित्त एवं लेखा/सी.एफ.ओ)

ह/-
रीता प्रेम हेमराजानी
प्रबंध निदेशक
डीआईएन - 0009478824

ह/-
संजय रस्तोगी
अध्यक्ष
डीआईएन सं. - 07722405

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते वेद एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 11 अक्टूबर, 2022

ह/-
भागीदार : पूजा गोयल
सं. नं. 098551
एफ.आर.नं. 012019N

NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT CORPORATION LTD, LUCKNOW
STATEMENT OF CHANGE IN EQUITY FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH 2022

(Amount in Rs.)

(A) Equity Share Capital	Changes in equity share capital during the year	Balance at the end of the reporting period
Balance at the beginning of the reporting period	-	190000000
		190000000

(Amount in Rs.)

	Share application money pending allotment	Equity component of compound financial instruments	Reserves and Surplus				Debt instruments through other Comprehensive income	Effective portion on Cash Flow Hedges	Revaluation Surplus	Exchange differences on translating the financial statements of a foreign operation	Other items of other comprehensive Income (specify nature)	Money received against share warrants	Total
			Capital Reserve	Securities Premium Reserve	Other Reserves (specify nature) Reserve for Development Activity and Medical Corpus	Retained earnings							
Balance at the beginning of the reporting period					80.83	5,877.93							
Changes in accounting policy of prior period errors					-	-							
Restated balance at the beginning of the reporting period					-	-							
Total Comprehensive Income for the year					-	-							
Dividends						-							
Transfer to retained earnings					2.47	(156.55)							
Any other change (to be specified)					28.52	-							
Balance at the end of the reporting period					54.77	5,721.38							

Rita Prem Hemrajani
Managing Director
DIN No. - 0009478824

Sanjay Rastogi
Chairman
DIN No. - 07722405

As per our Report of even date
For Ved and Company
Chartered Accountants

Place: New Delhi
Date: 11 October, 2022

Partner : Pooja Goel
M.No. : 098551
F.R.No. : 012019N

i) अनुदान का विवरण

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए सरकारी अनुदान और प्रतिभागियों के पैसे का विवरण

(राशि लाख में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2021 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त		कुल	वर्ष के दौरान लेनदेन		कुल	31.03.2022 को शेष
			सरकार से	प्रतिभागियों / अन्य से		व्यय	रिटर्न / समायोजन / अंतरण		
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7	8	9 (7+8)	10 (6+9)
(क)	विपणन प्रदर्शनी व्यय								
	सिल्क फ़ैब बड़ौदा 2017-18	6.63	-	-	6.63	-	-	-	6.63
	सिल्क फ़ैब प्रदर्शनी गंगटोक 2017-2018	8.89	-	-	8.89	-	-	-	8.89
	सिल्क फ़ैब प्रदर्शनी गुवाहाटी 2017-2018	9.07	-	-	9.07	-	-	-	9.07
	सिल्क फ़ैब प्रदर्शनी इंदौर 2017-2018	6.05	-	-	6.05	-	-	-	6.05
	सिल्क फ़ैब प्रदर्शनी ईटानगर 2017-2018	9.27	-	-	9.27	-	-	-	9.27
	सिल्क फ़ैब वाराणसी (एनएचई) 2017-2018	1.80	-	-	1.80	-	-	-	1.80
	वूल फ़ैब प्रदर्शनी वाराणसी 2017-2018	1.47	-	-	1.47	-	-	-	1.47
	नेशनल हैंडलूम एक्सपो नागपुर 2018-2019	0.51	-	-	0.51	-	-	-	0.51
	नेशनल हैंडलूम एक्सपो- इंदौर (2018-19)	7.64	-	-	7.64	-	-	-	7.64
	सिल्क फ़ैब चेन्नई (2018-19)	9.43	-	-	9.43	-	-	-	9.43
	नेशनल हैंडलूम एक्सपो- पटना (2018-19)	6.82	-	-	6.82	-	-	-	6.82
	सिल्क फ़ैब रायपुर 2018-2019	2.88	-	-	2.88	-	-	-	2.88
	सिल्क फ़ैब, चेन्नई 2019-20	28.67	-	-	28.67	-	4.84	(4.84)	23.84
	सिल्क फ़ैब, एर्नाकुलम 2019-20	25.18	-	-	25.18	-	1.22	(1.22)	23.96
	सिल्क फ़ैब, मुंबई 2019-20	38.85	23.99	-	14.87	-	-	-	14.87
	सिल्क फ़ैब, सूरत 2019-20	26.40	23.82	-	2.59	-	2.59	(2.59)	-
	नेशनल हैंडलूम एक्सपो दिल्ली हाट (2019-2020)	(18.62)	-	-	(18.62)	-	(18.62)	18.62	-
	नेशनल हैंडलूम एक्सपो नई दिल्ली (2019-2020)	46.59	-	-	46.59	-	17.82	(17.82)	28.77
	नेशनल हैंडलूम एक्सपो, इंदौर 2019-20	4.62	-	-	4.62	1.78	-	1.78	6.40
	नेशनल हैंडलूम एक्सपो, लखनऊ 2019-20	30.22	-	-	30.22	-	0.94	(0.94)	29.29
	एनएलएसएचई आगरा (2019-2020)	(14.00)	-	-	(14.00)	-	-	-	(14.00)
	एनएलएसएचई जबलपुर (2019-2020)	8.30	-	-	8.30	1.12	-	1.12	9.42
	एनएलएसएचई जमशेदपुर (2019-2020)	6.13	-	-	6.13	-	(1.67)	1.67	7.81
	एनएलएसएचई जोधपुर (2019-2020)	1.33	-	-	1.33	0.88	-	0.88	2.21
	एनएलएसएचई नागपुर (2019-2020)	4.77	5.67	-	(0.90)	0.90	-	0.90	-
	एसएचई (हैंडलूम ऑफ इंडिया), ग्रेटर नोएडा 2019-20	24.16	-	-	24.16	-	2.36	(2.36)	21.80
	एसएचई (हैंडलूम ऑफ इंडिया), जोधपुर 2019-20	18.72	18.06	-	0.67	-	0.67	(0.67)	-
	एसएचई (हैंडलूम ऑफ इंडिया), वाराणसी 2019-20	16.67	-	-	16.67	-	0.47	(0.47)	16.19
	एसएचई (सिल्क फ़ैब), अमृतसर 2019-20	9.37	-	-	9.37	-	0.13	(0.13)	9.24
	एसएचई (सिल्क फ़ैब), बेंगलुरु 2019-20	9.77	-	-	9.77	0.20	-	0.20	9.97

i) Grant Statement

DETAILS OF GOVERNMENT GRANTS & PARTICIPANTS MONEY FOR THE CURRENT REPORTING PERIOD

(Rs. In Lakhs)

Sl. No.	Particulars	Balance As On 31.03.2021	Received During The Year		Total	Transactions During The Year		Total	Balance As On 31.03.2022
			From Govt.	From Participants/ Others		Expenses	Refund/ Adjustment/ Transfer		
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7	8	9 (7+8)	10 (6+9)
(A)	MARKETING EXHIBITION EXPENSES								
	Silk Fab Baroda 2017-18	6.63	-	-	6.63	-	-	-	6.63
	SILK FAB EXHIBITION GANGTOK 2017-2018	8.89	-	-	8.89	-	-	-	8.89
	SILK FAB EXHIBITION GUWAHATI 2017-2018	9.07	-	-	9.07	-	-	-	9.07
	SILK FAB EXHIBITION INDORE 2017-2018	6.05	-	-	6.05	-	-	-	6.05
	SILK FAB EXHIBITION ITANAGAR 2017-2018	9.27	-	-	9.27	-	-	-	9.27
	SILK FAB VARANASI (NHE) 2017-2018	1.80	-	-	1.80	-	-	-	1.80
	WOOL FAB EXHIBITION VARANASI 2017-2018	1.47	-	-	1.47	-	-	-	1.47
	NATIONAL HANDLOOM EXPO NAGPUR 2018-2019	0.51	-	-	0.51	-	-	-	0.51
	NATIONAL HANDLOOM EXPO-Indore(2018-19)	7.64	-	-	7.64	-	-	-	7.64
	Silk Fab Chennai (2018-19)	9.43	-	-	9.43	-	-	-	9.43
	NATIONAL HANDLOOM EXPO-Patna(2018-19)	6.82	-	-	6.82	-	-	-	6.82
	SILK FAB RAIPUR 2018-2019	2.88	-	-	2.88	-	-	-	2.88
	SILK FAB , CHENNAI 2019-20	28.67	-	-	28.67	-	4.84	(4.84)	23.84
	SILK FAB , ERNAKULAM 2019-20	25.18	-	-	25.18	-	1.22	(1.22)	23.96
	SILK FAB , MUMBAI 2019-20	38.85	23.99	-	14.87	-	-	-	14.87
	SILK FAB , SURAT 2019-20	26.40	23.82	-	2.59	-	2.59	(2.59)	-
	NATIONAL HANDLOOM EXPO DELHI HAT (2019-2020)	(18.62)	-	-	(18.62)	-	(18.62)	18.62	-
	National Handloom Expo New Delhi (2019-2020)	46.59	-	-	46.59	-	17.82	(17.82)	28.77
	National Handloom Expo, Indore 2019-20	4.62	-	-	4.62	1.78	-	1.78	6.40
	National Handloom Expo, Lucknow 2019-20	30.22	-	-	30.22	-	0.94	(0.94)	29.29
	NLSHE AGRA (2019-2020)	(14.00)	-	-	(14.00)	-	-	-	(14.00)
	NLSHE JABALPUR (2019-2020)	8.30	-	-	8.30	1.12	-	1.12	9.42
	NLSHE JAMSHEDPUR (2019-2020)	6.13	-	-	6.13	-	(1.67)	1.67	7.81
	NLSHE JODHPUR (2019-2020)	1.33	-	-	1.33	0.88	-	0.88	2.21
	NLSHE NAGPUR (2019-2020)	4.77	5.67	-	(0.90)	0.90	-	0.90	-
	SHE (Handloom of India), Greater Noida 2019-20	24.16	-	-	24.16	-	2.36	(2.36)	21.80
	SHE (Handloom of India), Jodhpur 2019-20	18.72	18.06	-	0.67	-	0.67	(0.67)	-
	SHE (Handloom of India), Varanasi 2019-20	16.67	-	-	16.67	-	0.47	(0.47)	16.19
	SHE (Silk Fab), Amritsar 2019-20	9.37	-	-	9.37	-	0.13	(0.13)	9.24
	SHE (Silk Fab), Bengaluru 2019-20	9.77	-	-	9.77	0.20	-	0.20	9.97



क्रम सं.	विवरण	31.03.2021 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त		कुल	वर्ष के दौरान लेनदेन		कुल	31.03.2022 को शेष
			सरकार से	प्रतिभागियों / अन्य से		व्यय	रिटर्न / समायोजन / अंतरण		
1	2	3	4	5	6 (3+4-5)	7	8	9 (7+8)	10 (6+9)
	एसएचई (सिल्क फैब), भोपाल 2019-20	1.71	-	-	1.71	5.35	(8.97)	14.31	16.02
	एसएचई (सिल्क फैब), भुवनेश्वर 2019-20	29.48	-	-	29.48	-	5.66	(5.66)	23.82
	एसएचई (सिल्क फैब), चंडीगढ़ 2019-20	17.17	-	-	17.17	-	-	-	17.17
	एसएचई (सिल्क फैब), कोयम्बटूर 2019-20	13.57	-	-	13.57	-	4.56	(4.56)	9.01
	एसएचई (सिल्क फैब), देहरादून 2019-20	24.63	-	-	24.63	-	1.48	(1.48)	23.15
	एसएचई (सिल्क फैब), दिल्ली 2019-20	22.22	-	-	22.22	-	1.80	(1.80)	20.41
	एसएचई (सिल्क फैब), गुवाहाटी 2019-20	1.06	-	-	1.06	5.68	-	5.68	6.74
	एसएचई (सिल्क फैब), हैदराबाद 2019-20	(14.00)	-	-	(14.00)	-	-	-	(14.00)
	एसएचई (सिल्क फैब), जम्मू 2019-20	23.41	-	-	23.41	0.43	-	0.43	23.83
	एसएचई (सिल्क फैब), कोलकाता 2019-20	20.12	19.95	-	0.16	-	0.16	(0.16)	-
	एसएचई (सिल्क फैब), नागपुर 2019-20	5.71	-	-	5.71	8.61	(5.50)	14.11	19.82
	एसएचई (सिल्क फैब), पटना 2019-20	4.53	-	-	4.53	1.88	-	1.88	6.40
	एसएचई (सिल्क फैब), पुणे 2019-20	23.24	-	-	23.24	-	0.64	(0.64)	22.60
	एसएचई (सिल्क फैब), रायपुर 2019-20	4.10	-	-	4.10	1.26	-	1.26	5.36
	एसएचई (सिल्क फैब), विशाखापत्तनम 2019-20	8.17	-	-	8.17	1.09	-	1.09	9.26
	एसएचई (वूल फैब), इलाहाबाद 2019-20	6.40	-	-	6.40	-	6.40	(6.40)	-
	एसएचई (वूल फैब), भोपाल 2019-20	24.95	14.00	-	10.95	0.93	-	0.93	11.88
	एसएचई (वूल फैब), लखनऊ 2019-20	7.56	-	-	7.56	0.73	-	0.73	8.29
	सिल्क फैब अहमदाबाद 2019-2020	39.74	23.92	-	15.83	-	-	-	15.83
	सिल्क फैब प्रदर्शनी 2019-2020 जबलपुर	30.92	23.87	-	7.05	-	-	-	7.05
	सिल्क फैब प्रदर्शनी 2019-2020 जमशेदपुर	23.50	23.50	-	-	-	-	-	-
	सिल्क फैब प्रदर्शनी 2019-2020 लेह-लद्दाख	19.43	-	-	19.43	-	-	-	19.43
	हैंडलूम मार्क के तहत विशेष हैंडलूम एक्सपो (एसएचई)	(5.00)	-	-	(5.00)	7.55	-	7.55	2.55
	ज्वाइंट एक्सपो इलाहाबाद 2019-2020	11.43	12.00	-	(0.57)	7.86	-	7.86	7.29
	स्वदेशी जागरण मंच, लखनऊ	-	-	-	-	4.00	-	4.00	4.00
	जिला हथकरघा एक्सपो इम्फाल 2021-22	-	-	-	-	6.00	-	6.00	6.00
	7वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2021-22	-	13.05	-	(13.05)	165.73	-	165.73	152.68
	सिल्क फैब प्रदर्शनी लखनऊ 2020-21	21.72	-	-	21.72	2.00	-	2.00	23.72
	सीएचडी-वाराणसी मेगा क्लस्टर एक्सटेंशन काउंटर 4 नंबर	(2.87)	-	-	(2.87)	-	-	-	(2.87)
	क्लस्टर विकास कार्यक्रम (बर्दवान)	(1.20)	-	-	(1.20)	-	-	-	(1.20)
	डिजाइन विकास और पैटर्न बनाना-वाराणसी	(0.18)	-	-	(0.18)	-	-	-	(0.18)
	ब्लिस के जिले के लिए प्रशासन के लिए अनुदान लागत	(2.57)	-	-	(2.57)	-	-	-	(2.57)

Sl. No.	Particulars	Balance As On 31.03.2021	Received During The Year		Total	Transactions During The Year		Total	Balance As On 31.03.2022
			From Govt.	From Participants/ Others		Expenses	Refund/ Adjustment/ Transfer		
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7	8	9 (7+8)	10 (6+9)
	SHE (Silk Fab), Bhopal 2019-20	1.71	-	-	1.71	5.35	(8.97)	14.31	16.02
	SHE (Silk Fab), Bhubaneswar 2019-20	29.48	-	-	29.48	-	5.66	(5.66)	23.82
	SHE (Silk Fab), Chandigarh 2019-20	17.17	-	-	17.17	-	-	-	17.17
	SHE (Silk Fab), Coimbatore 2019-20	13.57	-	-	13.57	-	4.56	(4.56)	9.01
	SHE (Silk Fab), Dehradun 2019-20	24.63	-	-	24.63	-	1.48	(1.48)	23.15
	SHE (Silk Fab), Delhi 2019-20	22.22	-	-	22.22	-	1.80	(1.80)	20.41
	SHE (Silk Fab), Guwahati 2019-20	1.06	-	-	1.06	5.68	-	5.68	6.74
	SHE (Silk Fab), Hyderabad 2019-20	(14.00)	-	-	(14.00)	-	-	-	(14.00)
	SHE (Silk Fab), Jammu 2019-20	23.41	-	-	23.41	0.43	-	0.43	23.83
	SHE (Silk Fab), Kolkata 2019-20	20.12	19.95	-	0.16	-	0.16	(0.16)	-
	SHE (Silk Fab), Nagpur 2019-20	5.71	-	-	5.71	8.61	(5.50)	14.11	19.82
	SHE (Silk Fab), Patna 2019-20	4.53	-	-	4.53	1.88	-	1.88	6.40
	SHE (Silk Fab), Pune 2019-20	23.24	-	-	23.24	-	0.64	(0.64)	22.60
	SHE (Silk Fab), Raipur 2019-20	4.10	-	-	4.10	1.26	-	1.26	5.36
	SHE (Silk Fab), Vishakhapatnam 2019-20	8.17	-	-	8.17	1.09	-	1.09	9.26
	SHE (Wool Fab), Allahabad 2019-20	6.40	-	-	6.40	-	6.40	(6.40)	-
	SHE (Wool Fab), Bhopal 2019-20	24.95	14.00	-	10.95	0.93	-	0.93	11.88
	SHE (Wool Fab), Lucknow 2019-20	7.56	-	-	7.56	0.73	-	0.73	8.29
	SILK FAB AHMEDABAD 2019-2020	39.74	23.92	-	15.83	-	-	-	15.83
	SILK FAB EXHIBITION 2019-2020 JABALPUR	30.92	23.87	-	7.05	-	-	-	7.05
	SILK FAB EXHIBITION 2019-2020 JAMSHEDPUR	23.50	23.50	-	-	-	-	-	-
	SILK FAB EXHIBITION 2019-2020 LEH-LADDAKH	19.43	-	-	19.43	-	-	-	19.43
	SPECIAL HANDLOOM EXPO (SHE) UNDER HANDLOOM MARKETING ASSISTANCE (AGA KHAN CENTRE)	(5.00)	-	-	(5.00)	7.55	-	7.55	2.55
	JOINT EXPO ALLAHABAD 2019-2020	11.43	12.00	-	(0.57)	7.86	-	7.86	7.29
	Swadeshi Jagran Manch, Lucknow	-	-	-	-	4.00	-	4.00	4.00
	District Handloom Expo Imphal 2021-22	-	-	-	-	6.00	-	6.00	6.00
	7th National Handloom Day 2021-22	-	13.05	-	(13.05)	165.73	-	165.73	152.68
	Silk Fab Exhibition Lucknow 2020-21	21.72	-	-	21.72	2.00	-	2.00	23.72
	Chds-Varanasi Mega Cluster 4 No.Extension Counter	(2.87)	-	-	(2.87)	-	-	-	(2.87)
	CLUSTER DEV. PROGRAMME (BURDWAN)	(1.20)	-	-	(1.20)	-	-	-	(1.20)
	DESIGNS DEV AND PATTERN MAKING-VARANASI	(0.18)	-	-	(0.18)	-	-	-	(0.18)
	GRANT FOR ADMN. COST FOR DIST. OF BLILUS	(2.57)	-	-	(2.57)	-	-	-	(2.57)



क्रम सं.	विवरण	31.03.2021 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त		कुल	वर्ष के दौरान लेनदेन		कुल	31.03.2022 को शेष
			सरकार से	प्रतिभागियों / अन्य से		व्यय	रिटर्न / समायोजन / अंतरण		
1	2	3	4	5	6 (3+4-5)	7	8	9 (7+8)	10 (6+9)
	2000 बैटरी से जुड़े निवेश के वितरण के लिए अनुदान	(56.33)	-	-	(56.33)	-	-	-	(56.33)
	बिलस के लिए संविदात्मक स्टाफ की भर्ती के लिए अनुदान,	(4.67)	-	-	(4.67)	-	-	-	(4.67)
	हथकरघा हेल्पलाइन केंद्र (एमएसडी)	11.80	56.46	-	(44.66)	49.40	-	49.40	4.74
	इंडिया हैंडलूम ब्रांड	53.12	-	-	53.12	-	-	-	53.12
	एनएचडीपी का विपणन सहायता घटक	(2.90)	-	-	(2.90)	-	-	-	(2.90)
	विषयगत हस्तकला प्रदर्शनी (आसनसोल)	0.21	-	-	0.21	-	0.21	(0.21)	-
	सिल्क फेब देहरादून 2020-21	7.89	-	-	7.89	1.35	-	1.35	9.24
	सिल्क फेब पुणे 2020-21	(22.40)	-	-	(22.40)	-	-	-	(22.40)
	सिल्क फेब एर्नाकुलम 2020-21	(14.00)	-	-	(14.00)	-	-	-	(14.00)
	सिल्क फेब जम्मू 2020-21	5.79	-	-	5.79	0.56	-	0.56	6.35
	सिल्क फेब गुवाहाटी 2020-21	5.01	-	-	5.01	0.37	-	0.37	5.38
	सिल्क फेब रायपुर 2020-21	5.75	-	-	5.75	2.00	-	2.00	7.75
	सिल्क फेब सूरत 2020-21	(13.83)	-	-	(13.83)	6.43	-	6.43	(7.41)
	सिल्क फेब हैदराबाद 2020-21	(0.05)	-	-	(0.05)	0.52	-	0.52	0.47
	सिल्क फेब पटना 2020-21	(14.00)	-	-	(14.00)	20.15	-	20.15	6.15
	दिल्ली हाट में निर्माता कंपनियों के प्रतिभागियों के लिए टीए/डीए	0.57	0.57	-	-	-	-	-	-
	विषयगत प्रदर्शनी 2020-21 का आयोजन	(66.15)	-	-	(66.15)	-	-	-	(66.15)
	सिल्क फेब अहमदाबाद 2020-21	32.88	-	-	32.88	3.49	-	3.49	36.37
	डिजाइन संसाधन केंद्र 2020-21	-	-	-	-	4.23	-	4.23	4.23
	मेरा हथकरघा मेरी शान प्रदर्शनी दिल्ली हाट 2021-22	-	-	-	-	45.72	-	45.72	45.72
	आजादी का अमृत महोत्सव, धलाई जिला, त्रिपुरा	-	-	-	-	2.00	-	2.00	2.00
	एक्सक्लूसिव हैंडलूम एक्सपो वित्त वर्ष 2021-22 दिल्ली	-	16.10	-	(16.10)	3.17	-	3.17	(12.93)
	एनएचडीपी लिमिटेड वित्त वर्ष 2021-22 का 39वां स्थापना दिवस	-	7.14	-	(7.14)	7.01	-	7.01	(0.13)
	झरोखा- भारत के शिल्प का उत्सव अजमेर वित्तीय वर्ष 2021-22	-	6.65	-	(6.65)	9.50	-	9.50	2.85
	एक्सक्लूसिव हैंडलूम एक्सपो कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली 2021-	-	20.65	-	(20.65)	19.97	-	19.97	(0.68)
	योजना 2021-22 के प्रसार पर संगोष्ठी	-	16.49	-	(16.49)	21.42	-	21.42	4.93
	सिल्क फेब जमशेदपुर 2021-22	-	21.00	-	(21.00)	-	-	-	(21.00)
	सिल्क फेब लखनऊ 2021-22	-	21.00	-	(21.00)	-	-	-	(21.00)
	सिल्क फेब भोपाल 2021-22	-	21.00	-	(21.00)	-	-	-	(21.00)

Sl. No.	Particulars	Balance As On 31.03.2021	Received During The Year		Total	Transactions During The Year		Total	Balance As On 31.03.2022
			From Govt.	From Participants/ Others		Expenses	Refund/ Adjustment/ Transfer		
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7	8	9 (7+8)	10 (6+9)
	GRANT FOR DISTRIBUTION OF 2000 BATTERY LINKED INVERTER LIGHTING UNITS	(56.33)	-	-	(56.33)	-	-	-	(56.33)
	GRANT FOR HIRING CONTRANCTUAL STAFF FOR BLILUS, WSC VARANASI	(4.67)	-	-	(4.67)	-	-	-	(4.67)
	HANDLOOM HELPLINE CENTRE (MSD)	11.80	56.46	-	(44.66)	49.40	-	49.40	4.74
	INDIA HAND LOOM BRAND	53.12	-	-	53.12	-	-	-	53.12
	MARKETING ASSISTANCE COMPONENT OF NHDP	(2.90)	-	-	(2.90)	-	-	-	(2.90)
	THEMATIC HANDICRAFT EXHIBITION (AASANSOLE)	0.21	-	-	0.21	-	0.21	(0.21)	-
	Silk Fab Dehradun 2020-21	7.89	-	-	7.89	1.35	-	1.35	9.24
	Silk Fab Pune 2020-21	(22.40)	-	-	(22.40)	-	-	-	(22.40)
	Silk Fab Ernakulam 2020-21	(14.00)	-	-	(14.00)	-	-	-	(14.00)
	Silk Fab Jammu 2020-21	5.79	-	-	5.79	0.56	-	0.56	6.35
	Silk Fab Guwahati 2020-21	5.01	-	-	5.01	0.37	-	0.37	5.38
	Silk Fab Raipur 2020-21	5.75	-	-	5.75	2.00	-	2.00	7.75
	Silk Fab Surat 2020-21	(13.83)	-	-	(13.83)	6.43	-	6.43	(7.41)
	Silk Fab Hyderabad 2020-21	(0.05)	-	-	(0.05)	0.52	-	0.52	0.47
	Silk Fab Patna 2020-21	(14.00)	-	-	(14.00)	20.15	-	20.15	6.15
	TA/DA for Participants of Producer Companies in Dilli Haat	0.57	0.57	-	-	-	-	-	-
	Organizing Thematic Exhibition 2020-21	(66.15)	-	-	(66.15)	-	-	-	(66.15)
	Silk Fab Ahmedabad 2020-21	32.88	-	-	32.88	3.49	-	3.49	36.37
	Design Resource Centre 2020-21	-	-	-	-	4.23	-	4.23	4.23
	My Handloom My Pride Exhibition Dilli Haat 2021-22	-	-	-	-	45.72	-	45.72	45.72
	Aazadi ka Amrit Mahotsav,Dhalai District, Tripura	-	-	-	-	2.00	-	2.00	2.00
	Exclusive Handloom Expo FY 2021-22 Delhi	-	16.10	-	(16.10)	3.17	-	3.17	(12.93)
	39th Foundation Day of NHDC LTD FY 2021-22	-	7.14	-	(7.14)	7.01	-	7.01	(0.13)
	Jharokha- Celebrating Crafts of India Ajmer FY 2021-22	-	6.65	-	(6.65)	9.50	-	9.50	2.85
	Exclusive Handloom Expo Constitution Club of India Delhi 2021-22	-	20.65	-	(20.65)	19.97	-	19.97	(0.68)
	Seminar on Dissemination of Scheme 2021-22	-	16.49	-	(16.49)	21.42	-	21.42	4.93
	Silk Fab Jamshedpur 2021-22	-	21.00	-	(21.00)	-	-	-	(21.00)
	Silk Fab Lucknow 2021-22	-	21.00	-	(21.00)	-	-	-	(21.00)
	Silk Fab Bhopal 2021-22	-	21.00	-	(21.00)	-	-	-	(21.00)
	Silk Fab Chandigarh 2021-22	-	21.00	-	(21.00)	-	-	-	(21.00)
	Silk Fab Patna 2021-22	-	21.00	-	(21.00)	-	-	-	(21.00)



क्रम सं.	विवरण	31.03.2021 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त		कुल	वर्ष के दौरान लेनदेन		कुल	31.03.2022 को शेष
			सरकार से	प्रतिभागियों / अन्य से		व्यय	रिटर्न / समायोजन / अंतरण		
1	2	3	4	5	6 (3+4-5)	7	8	9 (7+8)	10 (6+9)
	सिल्क फैब चंडीगढ़ 2021-22	-	21.00	-	(21.00)	-	-	-	(21.00)
	सिल्क फैब पटना 2021-22	-	21.00	-	(21.00)	-	-	-	(21.00)
	सिल्क फैब देहरादून 2021-22	-	21.00	-	(21.00)	-	-	-	(21.00)
	सिल्क फैब सूरत 2021-22	-	21.00	-	(21.00)	-	-	-	(21.00)
	सिल्क फैब पुणे 2021-22	-	21.00	-	(21.00)	-	-	-	(21.00)
	सिल्क फैब भुवनेश्वर 2021-22	-	21.00	-	(21.00)	-	-	-	(21.00)
	सिल्क फैब जबलपुर 2021-22	-	21.00	-	(21.00)	18.23	-	18.23	(2.77)
	सिल्क फैब हैदराबाद 2021-22	-	21.00	-	(21.00)	8.54	-	8.54	(12.46)
	सिल्क फैब गुवाहाटी 2021-22	-	21.00	-	(21.00)	-	-	-	(21.00)
	वूल फैब लखनऊ 2021-22	-	21.00	-	(21.00)	-	-	-	(21.00)
	वूल फैब भोपाल 2021-22	-	21.00	-	(21.00)	-	-	-	(21.00)
	वूल फैब प्रयागराज 2021-22	-	21.00	-	(21.00)	-	-	-	(21.00)
	सिल्क फैब अहमदाबाद 2021-22	-	21.00	-	(21.00)	12.87	-	12.87	(8.13)
	सिल्क फैब इंदौर 2021-22	-	21.00	-	(21.00)	-	-	-	(21.00)
	सिल्क फैब जोधपुर 2021-22	-	21.00	-	(21.00)	-	-	-	(21.00)
	सिल्क फैब वाराणसी 2021-22	-	21.00	-	(21.00)	-	-	-	(21.00)
	सिल्क फैब रांची 2021-22	-	21.00	-	(21.00)	-	-	-	(21.00)
	सिल्क फैब रायपुर 2021-22	-	21.00	-	(21.00)	-	-	-	(21.00)
	प्रचार गतिविधियों का आयोजन 7 डीआरसी 2021-22	-	8.67	-	(8.67)	-	-	-	(8.67)
	जिला हथकरघा एक्सपो वाराणसी 2021-22	-	4.20	-	(4.20)	9.78	-	9.78	5.58
	8वीं भारतीय राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह-मेला कोलकाता 2021-22 का आयोजन	-	1.44	-	(1.44)	-	-	-	(1.44)
	10 डीएचई का आयोजन 2021-22	-	42.00	-	(42.00)	25.35	-	25.35	(16.65)
	गुवाहाटी में क्रेता-विक्रेता मीट (बीएसएम) 2021-22	-	6.40	-	(6.40)	6.81	-	6.81	0.41
	25वां बंग संस्कृति उत्सव वित्त वर्ष 2022	-	-	-	-	1.00	-	1.00	1.00
	झरोखा- सेलिब्रेटिंग क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया दीमपुर वित्त वर्ष 2021-22	-	7.35	-	(7.35)	10.03	-	10.03	2.68
	झरोखा- सेलिब्रेटिंग क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया अहमदाबाद वित्त वर्ष 2021-22	-	9.77	-	(9.77)	9.77	-	9.77	-
	विविध अनुदान खाता (प्रदर्शनी)	4.58	-	-	4.58	16.39	-	16.39	20.97
ख	अन्य अनुदान	-	-	-	-	-	-	-	-
	जीआई पंजीकृत हथकरघा/हस्तशिल्प उत्पाद पर 12 फिल्मों (2018-2019)	1.40	-	-	1.40	-	-	-	1.40
	सीएफसी वाराणसी मेगा हथकरघा क्लस्टर में 15 बुनकर चौपाल	(0.03)	-	-	(0.03)	-	-	-	(0.03)
	गुवाहाटी में 7 अगस्त 2017 को तीसरा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस	54.14	-	-	54.14	-	-	-	54.14

Sl. No.	Particulars	Balance As On 31.03.2021	Received During The Year		Total	Transactions During The Year		Total	Balance As On 31.03.2022
			From Govt.	From Participants/ Others		Expenses	Refund/ Adjustment/ Transfer		
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7	8	9 (7+8)	10 (6+9)
	Silk Fab Dehradun 2021-22	-	21.00	-	(21.00)	-	-	-	(21.00)
	Silk Fab Surat 2021-22	-	21.00	-	(21.00)	-	-	-	(21.00)
	Silk Fab Pune 2021-22	-	21.00	-	(21.00)	-	-	-	(21.00)
	Silk Fab Bhubaneshwar 2021-22	-	21.00	-	(21.00)	-	-	-	(21.00)
	Silk Fab Jabalpur 2021-22	-	21.00	-	(21.00)	18.23	-	18.23	(2.77)
	Silk Fab Hyderabad 2021-22	-	21.00	-	(21.00)	8.54	-	8.54	(12.46)
	Silk Fab Guwahati 2021-22	-	21.00	-	(21.00)	-	-	-	(21.00)
	Wool Fab Lucknow 2021-22	-	21.00	-	(21.00)	-	-	-	(21.00)
	Wool Fab Bhopal 2021-22	-	21.00	-	(21.00)	-	-	-	(21.00)
	Wool Fab Pragagraj 2021-22	-	21.00	-	(21.00)	-	-	-	(21.00)
	Silk Fab Ahmedabad 2021-22	-	21.00	-	(21.00)	12.87	-	12.87	(8.13)
	Silk Fab Indore 2021-22	-	21.00	-	(21.00)	-	-	-	(21.00)
	Silk Fab Jodhpur 2021-22	-	21.00	-	(21.00)	-	-	-	(21.00)
	Silk Fab Varanasi 2021-22	-	21.00	-	(21.00)	-	-	-	(21.00)
	Silk Fab Ranchi 2021-22	-	21.00	-	(21.00)	-	-	-	(21.00)
	Silk Fab Raipur 2021-22	-	21.00	-	(21.00)	-	-	-	(21.00)
	Organizing promotional activities 7 DRC 2021-22	-	8.67	-	(8.67)	-	-	-	(8.67)
	District Handloom Expo Varanasi 2021-22	-	4.20	-	(4.20)	9.78	-	9.78	5.58
	Organizing 8th Indian National Exhibition Cum-Fair Kolkata 2021-22	-	1.44	-	(1.44)	-	-	-	(1.44)
	Organization of 10 DHE 2021-22	-	42.00	-	(42.00)	25.35	-	25.35	(16.65)
	Buyers Sellers Meet (BSM) at Guwahati 2021-22	-	6.40	-	(6.40)	6.81	-	6.81	0.41
	25th Banga Sanskriti Utsav FY 2022	-	-	-	-	1.00	-	1.00	1.00
	Jharokha- Celebrating Crafts of India Dimpur FY 2021-22	-	7.35	-	(7.35)	10.03	-	10.03	2.68
	Jharokha- Celebrating Crafts of India Ahmedabad FY 2021-22	-	9.77	-	(9.77)	9.77	-	9.77	-
	MISCELLANEOUS GRANT ACCOUNT (EXHIBITION)	4.58	-	-	4.58	16.39	-	16.39	20.97
B	OTHERS GRANTS	-	-	-	-	-	-	-	-
	12 FLIMS ON GI REGISTERED HANDLOOM / HANDICRAFT PRODUCT (2018-2019)	1.40	-	-	1.40	-	-	-	1.40
	15 BUNKAR CHOUPALS IN CFC VARANASI MEGA HANDLOOM CLUSTER	(0.03)	-	-	(0.03)	-	-	-	(0.03)
	3RD NATIONAL HANDLOOM DAY ON 7TH AUGUST 2017 AT GUWAHATI	54.14	-	-	54.14	-	-	-	54.14
	National Handloom Day 2020-21	33.39	46.61	-	(13.22)	13.39	-	13.39	0.16
	4TH EDITION OF HSF 2018 AT LUCKNOW FROM 05.10.2018 TO 08.10.2018	1.66	-	-	1.66	-	-	-	1.66
	5th NATIONAL HANDLOOM DAY (2019-2020)	160.34	163.00	-	(2.66)	3.58	-	3.58	0.92



क्रम सं.	विवरण	31.03.2021 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त		कुल	वर्ष के दौरान लेनदेन		कुल	31.03.2022 को शेष
			सरकार से	प्रतिभागियों/ अन्य से		व्यय	रिटर्न/ समायोजन/ अंतरण		
1	2	3	4	5	6 (3+4-5)	7	8	9 (7+8)	10 (6+9)
	राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2020-21	33.39	46.61	-	(13.22)	13.39	-	13.39	0.16
	लखनऊ में एचएसएफ 2018 का चौथा संस्करण 05.10.2018 से 08.10.2018	1.66	-	-	1.66	-	-	-	1.66
	5वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (2019-2020)	160.34	163.00	-	(2.66)	3.58	-	3.58	0.92
	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (2019-2020)	12.99	12.99	-	-	-	-	-	-
	6वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2020-2021 वि.आ. हस्तशिल्प	(107.51)	-	-	(107.51)	75.00	-	75.00	(32.51)
	अबहोनी -2019 (महात्मा गांधी) का सहयोग और प्रायोजन	1.50	-	-	1.50	-	-	-	1.50
	8 मार्च 2017 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तहत जीआई पंजीकृत हथकरघा हस्ताशिल्प उत्पाद पर फिल्म	0.38	-	-	0.38	-	-	-	0.38
	6 आईआईएचटीएस को ईनाम/पुरस्कार वितरण के लिए अनुदान	(6.78)	-	-	(6.78)	-	-	-	(6.78)
	सीएफसी वाराणसी के लिए अनुदान	28.04	-	-	28.04	-	-	-	28.04
	सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) वाराणसी के लिए अनुदान	(10.82)	-	-	(10.82)	-	-	-	(10.82)
	7 सीएफसी के निर्माण के लिए अनुदान	124.96	-	-	124.96	-	-	-	124.96
	मल्टीपल बूटी मशीन की शुरुआत में खर्च हेतु अनुदान	(0.05)	-	-	(0.05)	-	-	-	(0.05)
	डब्ल्यूएससी वाराणसी को चार पहिया किराए पर लेने और विविध व्यय के लिए अनुदान	(0.96)	-	-	(0.96)	-	-	-	(0.96)
	सूचना, शिक्षा एवं संचार हेतु अनुदान	(48.05)	-	-	(48.05)	-	-	-	(48.05)
	6 डब्ल्यूएससी के लिए डेस्कटॉप की आपूर्ति के लिए अनुदान	(0.30)	-	-	(0.30)	-	-	-	(0.30)
	हैंडलूम पाटर्स की आपूर्ति के लिए अनुदान	(9.17)	-	-	(9.17)	-	-	-	(9.17)
	हस्तकला सहयोग शिविर (चरण 1)	37.65	-	-	37.65	-	-	-	37.65
	हस्तकला सहयोग शिविर (चरण 2)	10.68	-	-	10.68	-	-	-	10.68
	31 जुलाई से 2 अगस्त 2017 तक अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय वस्त्र मेला	60.33	-	-	60.33	-	-	-	60.33
	कौशाम्बी महोत्सव 2018 (4 अप्रैल 2018 से 5 अप्रैल 2018)	0.99	-	-	0.99	-	-	-	0.99
	शिल्प संग्रहालय नई दिल्ली 01 अगस्त 2017 में डिजाइनर्स चौपाल का आयोजन	2.64	-	-	2.64	-	-	-	2.64
	हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए आउटरीच कार्यक्रम(एनजेबी कोलकाता) 7-01-2019 से 13-01-2019 तक	2.10	-	-	2.10	-	-	-	2.10
	एमएसएमई का आउटरीच कार्यक्रम (डब्ल्यूएससी जनवरी 2019 से फरवरी 2019)	13.69	-	-	13.69	-	-	-	13.69
	श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति	1.14	-	-	1.14	-	-	-	1.14
	विशिष्ट हथकरघा उत्पादों के खुदरा आउटलेट (प्लैगशिप स्टोर्स)	19.80	-	-	19.80	14.96	-	14.96	34.76

Sl. No.	Particulars	Balance As On 31.03.2021	Received During The Year		Total	Transactions During The Year		Total	Balance As On 31.03.2022
			From Govt.	From Participants/ Others		Expenses	Refund/ Adjustment/ Transfer		
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7	8	9 (7+8)	10 (6+9)
	INTER NATIONAL WOMEN'S DAY (2019-2020)	12.99	12.99	-	-	-	-	-	-
	6th National Handloom Day 2020-2021 DC Handicraft	(107.51)	-	-	(107.51)	75.00	-	75.00	(32.51)
	COLLABORATION AND SPONSORSHIP OF ABAHONI -2019 (MAHATMA GANDHI)	1.50	-	-	1.50	-	-	-	1.50
	FILM ON GI REGISTERED HANDLOOM HANDICRAFT PRODUCT 8TH MARCH 2017 UNDER INTERNATIONAL WOMEN DAY	0.38	-	-	0.38	-	-	-	0.38
	GRANT FOR AWARD/ PRIZE DISTRIBUTION TO 6 IIHTS	(6.78)	-	-	(6.78)	-	-	-	(6.78)
	GRANT FOR CFC VARANASI	28.04	-	-	28.04	-	-	-	28.04
	GRANT FOR COMMON SERVICE CENTRES (CSC), VARANASI	(10.82)	-	-	(10.82)	-	-	-	(10.82)
	GRANT FOR CONSTRUCTION OF 7 CFCs	124.96	-	-	124.96	-	-	-	124.96
	GRANT FOR EXP. INTRODUCTION OF MULTIPLE BUTI MACHINE	(0.05)	-	-	(0.05)	-	-	-	(0.05)
	GRANT FOR HIRING FOUR WHEELER AND MISC EXP. WSC VARANASI	(0.96)	-	-	(0.96)	-	-	-	(0.96)
	GRANT FOR INFORMATION EDUCATION & COMMUNICATION	(48.05)	-	-	(48.05)	-	-	-	(48.05)
	GRANT FOR SUPPLY OF DESKTOP FOR 6 WSCs	(0.30)	-	-	(0.30)	-	-	-	(0.30)
	GRANT FOR SUPPLY OF H/L PARTS	(9.17)	-	-	(9.17)	-	-	-	(9.17)
	HASTKALA SAHYOG SHIVIR (PHASE 1)	37.65	-	-	37.65	-	-	-	37.65
	HASTKALA SAHYOG SHIVIR (PHASE 2)	10.68	-	-	10.68	-	-	-	10.68
	INTERNATIONAL TEXTILE FARE AT AHMEDABAD FROM 31ST JULY TO 2ND AUG. 2017	60.33	-	-	60.33	-	-	-	60.33
	KAUSHAMBI MAHOTSAV 2018 (4TH APRIL 2018 TO 5TH APRIL 2018)	0.99	-	-	0.99	-	-	-	0.99
	ORGANIZE DESIGNERS CHAUPAL AT CRAFT MUSEUM NEW DELHI IST AUG.2017	2.64	-	-	2.64	-	-	-	2.64
	OUTREACH PROGRAMME FOR PROMOTION OF HANDLOOMS (NJB KOLKOTTA) FROM 7-01-2019 TO 13-01-2019	2.10	-	-	2.10	-	-	-	2.10
	OUTREACH PROGRAMME OF MSME (WSC JAN 2019 TO FEB.2019)	13.69	-	-	13.69	-	-	-	13.69
	PARLIAMENTARY STANDING COMMITTEE ON LABOUR	1.14	-	-	1.14	-	-	-	1.14
	RETAIL OUTLET OF EXCLUSIVE HANDLOOM PRODUCTS (FLAGSHIP STORES)	19.80	-	-	19.80	14.96	-	14.96	34.76
	SWADESHI MELA CHANDHIGARH 2017-2018	5.00	-	-	5.00	-	-	-	5.00
	TO ORGANISE DISTRICT LEVEL EVENTS (UNDER NHDP)	14.19	-	-	14.19	-	0.14	(0.14)	14.05
	Mapping of Cluster Artisans	(45.00)	-	-	(45.00)	-	-	-	(45.00)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2021 को शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त		कुल	वर्ष के दौरान लेनदेन		कुल	31.03.2022 को शेष
			सरकार से	प्रतिभागियों/ अन्य से		व्यय	रिटर्न/ समायोजन/ अंतरण		
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7	8	9 (7+8)	10 (6+9)
	स्वदेशी मेला चंडीगढ़ 2017-2018	5.00	-	-	5.00	-	-	-	5.00
	जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करने के लिए (एनएचडीपी के तहत)	14.19	-	-	14.19	-	0.14	(0.14)	14.05
	क्लस्टर कारीगरों का मानचित्रण	(45.00)	-	-	(45.00)	-	-	-	(45.00)
	चयनित क्लस्टर क्षेत्रों के कुशल शिल्प कौशल को प्रदर्शित करने वाली वीडियो फिल्म	(45.00)	-	-	(45.00)	41.66	-	41.66	(3.34)
	जीईएम समन्वयक का टीए/डीए	0.10	-	-	0.10	-	-	-	0.10
	24 वां बंग संस्कृति उत्सव 2021	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-
	डिजाइन और तकनीकी विकास कार्यशाला 2020-21	(40.48)	-	-	(40.48)	-	-	-	(40.48)
	कलात्मक जनजातीय वस्त्र कढ़ाई शिल्प पर पोशाक सामग्री के अनुसूचित जनजाति कारीगर	(132.00)	-	-	(132.00)	-	-	-	(132.00)
	2021-22 डब्ल्यूएससी में डिजाइन रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन	-	4.23	-	(4.23)	-	-	-	(4.23)
	बुनकर जागरूकता शिविर	(7.60)	-	-	(7.60)	-	-	-	(7.60)
	दीन दयाल हस्तकला संकुल व्यापार संग्रहालय केंद्र (टीएफसी) रसीद	(178.16)	-	-	(178.16)	-	(178.16)	178.16	-
	पीएमटीए (टीएफसी) जेएलएल	1.22	-	-	1.22	-	-	-	1.22
	22.09.2017 को उद्घाटन कार्यक्रम टीएफसी और सीएम	2.41	-	-	2.41	-	-	-	2.41
	टीएफसी का उद्घाटन समारोह (22.12.16 वाराणसी)	30.96	-	-	30.96	-	-	-	30.96
	दीन दयाल हस्तकला संकुल व्यापार संग्रहालय केंद्र (टीएफसी) भुगतान	207.81	-	-	207.81	-	178.16	(178.16)	29.65
	12/03/2018 को फ्रांस के राष्ट्रपति की टीएफसी यात्रा	8.97	-	-	8.97	-	-	-	8.97
	कुल	837.35	1,091.66	-	(237.19)	678.83	-	671.30	434.11
	कुल डेबिट (प्राप्तियों में अंतरण)	1,722.03	1,091.66	-	(237.19)	678.83	-	671.30	1,425.96
	कुल क्रेडिट (अनुदान खाते में स्थानांतरण)	(884.68)	-	-	-	-	-	-	(991.85)
	कुल योग	837.35	-	-	-	-	-	-	434.11

वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए सरकारी अनुदान और प्रतिभागियों के पैसे का विवरण

(राशि लाख में)

क्र. सं.	विवरण	1.4.2021 को आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान प्राप्त		कुल	वर्ष के दौरान प्राप्त		कुल	31.03.2022 को शेष
			सरकार से	प्रतिभागियों/ अन्य से		सरकार से	प्रतिभागियों/ अन्य से		
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7	8	9 (7+8)	10(6+9)
	यार्न आपूर्ति योजना सब्सिडी								
1	10% हैक यार्न सब्सिडी	(618.33)	5,515.63	-	(6,133.96)	6,160.73	-	6,160.73	26.77
2	वाईएसएस दावे (एमजीपीएस)	181.82	2,837.58	-	(2,655.76)	2,819.55	-	2,819.55	163.79
	कुल	(436.52)	8,353.20	-	(8,789.72)	8,980.29	-	8,980.29	190.56
	कुल अनुदान	1,285.52	9,444.86	-	(8,159.35)	9,659.12	116.76	9,775.87	1,616.52

Sl. No.	Particulars	Balance As On 31.03.2021	Received During The Year		Total	Transactions During The Year		Total	Balance As On 31.03.2022
			From Govt.	From Participants/ Others		Expenses	Refund/ Adjustment/ Transfer		
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7	8	9 (7+8)	10 (6+9)
	Video film showcasing the skilful craftsmanship of chosen cluster areas	(45.00)	-	-	(45.00)	41.66	-	41.66	(3.34)
	TA/DA of GeM Co-ordinator	0.10	-	-	0.10	-	-	-	0.10
	24th Banga Sanskriti Utsav 2021	1.00	1.00	-	-	-	-	-	-
	Design and Technical Development Workshop 2020-21	(40.48)	-	-	(40.48)	-	-	-	(40.48)
	ST Artisans of Dress Material on Artistic Tribal Textile Embroidery Crafts	(132.00)	-	-	(132.00)	-	-	-	(132.00)
	Inauguration of Design Resource Centre at WSC 2021-22	-	4.23	-	(4.23)	-	-	-	(4.23)
	WEAVERS AWARENESS CAMP	(7.60)	-	-	(7.60)	-	-	-	(7.60)
	DIN DYAL HASTKALA SANKUL TRADE MUSEUM CENTRE (TFC) RECEIPT	(178.16)	-	-	(178.16)	-	(178.16)	178.16	-
	PMTA (TFC) JLL	1.22	-	-	1.22	-	-	-	1.22
	INAUGURATION PROGRAMME ON 22.09.2017 TFC AND CM	2.41	-	-	2.41	-	-	-	2.41
	INAUGURAL FUNCTION OF TFC (22.12.16 VARANASI)	30.96	-	-	30.96	-	-	-	30.96
	DIN DYAL HASTKALA SANKUL TRADE MUSEUM CENTRE (TFC) PAYMENT	207.81	-	-	207.81	-	178.16	(178.16)	29.65
	VISIT OF FRENCH PRESIDENT TO T F C ON 12/03/2018	8.97	-	-	8.97	-	-	-	8.97
	TOTAL	837.35	1,091.66	-	(237.19)	678.83	-	671.30	434.11
	TOTAL DEBIT (TRANSFER TO RECEIVABLES)	1,722.03	1,091.66	-	(237.19)	678.83	-	671.30	1,425.96
	TOTAL CREDIT (TRANSFER TO GRANT ACCOUNT)	(884.68)	-	-	-	-	-	-	(991.85)
	GRAND TOTAL	837.35	-	-	-	-	-	-	434.11

DETAILS OF GOVERNMENT GRANTS & PARTICIPANTS MONEY FOR THE CURRENT REPORTING PERIOD

(Rs. In Lakhs)

Sl. No.	PARTICULARS	OPENING BALANCE 1.4.2021	RECEIVED DURING THE YEAR		TOTAL	TRANSACTIONS DURING THE YEAR		TOTAL	BALANCE AS ON 31.03.2022
			FROM GOVT.	FROM PARTICIPANTS/ OTHERS		EXPENSES	REFUND/ ADJUSTMENT/ TRANSFER		
1	2	3	4	5	6 (3-4-5)	7	8	9 (7+8)	10(6+9)
	YARN SUPPLY SUBSIDY SCHEME								
1	10% HANK YARN SUBSIDY	(618.33)	5,515.63	-	(6,133.96)	6,160.73	-	6,160.73	26.77
2	YSS CLAIMS (MGPS)	181.82	2,837.58	-	(2,655.76)	2,819.55	-	2,819.55	163.79
	TOTAL	(436.52)	8,353.20	-	(8,789.72)	8,980.29	-	8,980.29	190.56
	TOTAL GRANTS	1,285.52	9,444.86	-	(8,159.35)	9,659.12	116.76	9,775.87	1,616.52



39TH ANNUAL GENERAL MEETING FOR THE YEAR 2022




बाएं से दाएं बैठे हुए : श्री ई. वी. पाटिल—उप महाप्रबंधक (वाणिज्य), श्री जितेंद्र वी. पुरोहित—उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ), श्री के.सी. शाकद्वीपी—महाप्रबंधक, श्रीमती रीता प्रेम हेमराजानी—प्रबंध निदेशक (एन.एच.डी.सी.), श्रीमती शुभ्रा—अध्यक्ष (एन.एच.डी.सी.)/विकास आयुक्त (हथकरघा)— अतिरिक्त प्रभार, श्री रवींद्रनाथ मोहंती—निदेशक (एन.एच.डी.सी.)/उपसचिव (सामेकित वित्त प्रभाग), श्री संदीप गोयल और श्रीमती पूजा गोयल—सांविधिक लेखा परीक्षक, श्री नवनीत अरोड़ा—सचिवीय लेखा परीक्षक और श्री राजवीर सिंह—कंपनी सचिव ।

Sitting from left to right: Shri E. V. Patil-DGM (Commercial), Shri Jitendra V. Purohit-DGM (F&A)/CFO, Shri K.C. Shakdwipee-General Manager, Smt. Rita Prem Hemrajani-Managing Director (NHDC), Smt. Shubhra-Chairperson (NHDC)/Development Commissioner (Handlooms)-Additional Charge, Shri Rabindranath Mohanty-Director (NHDC)/ Dy. Secretary (IFW), Shri Sandeep Goel and Smt. Pooja Goel-Statutory Auditors, Shri Navneet Arora-Secretarial Auditor and Shri. Rajveer Singh-Company Secretary.

राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम)

National Handloom Development Corporation Limited

(A Government of India Undertaking)



पंजीकृत कार्यालय

चौथी मंजिल, वेगमेन्स बिजनेस पार्क, टावर 1,
प्लॉट नं. III, सेक्टर नॉलेज पार्क-तृतीय,
सूरजपुर-कासना मेन रोड, ग्रेटर नोएडा
गौतमबुद्ध नगर
उत्तर प्रदेश - 201306
फोन नं. 0120-2329600
ईमेल conhdc@nhdc.org.in

Registered Office

4thFloor, Wegmans Business Park, Tower-1,
Plot No. 03, Sector Knowledge Park - III,
Surajpur - Kasna Main Road, Greater Noida,
Gautam Buddh Nagar
Uttar Pradesh - 201306
Phone : 0120-2329600
E-mail : conhdc@nhdc.org.in